




भारत के  
नियन्त्रक महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार  
2000 का संख्या 3 (सिविल)



विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xx
<b>पहला अध्याय</b>		
<b>राज्य सरकार के लेखे</b>		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	1
राज्य सरकार के वित्तीय परिचालन	1.3	1-2
निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	1.4	2
राजस्व प्राप्तियां	1.5	10-11
राजस्व व्यय	1.6	11-13
पूँजीगत व्यय	1.7	13
व्यय की गुणवत्ता	1.8	13-15
वित्तीय प्रबन्धन	1.9	15-19
लोक कर्ज	1.10	19-20
वित्तीय निष्पादन के संकेतक	1.11	21-28
<b>दूसरा अध्याय</b>		
<b>विनियोजन लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	30
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	30
विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	31-34
<b>तीसरा अध्याय</b>		
<b>सिविल विभाग</b>		
<b>अनुभाग क - लेखापरीक्षा समीक्षाएं</b>		
<b>शिक्षा विभाग</b>		
शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली का प्रारंभीकरण	3.1	35-47
प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक समर्थन	3.2	48-59
<b>वन विभाग</b>		
अरावली पहाड़ियों में शामिल भूमियों की पुनः स्थापना	3.3	60-77
<b>चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग</b>		
मानवशक्ति प्रबन्धन सहित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली	3.4	78-102

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
समाज कल्याण विभाग		
समन्वित बाल विकास सेवाएं	3.5	103-118
अनुभाग ख - लेखापरीक्षा अनुच्छेद		
वित्त विभाग (कोषालय निरीक्षण)		
पेंशनरी लाभों की अधिक अदायगी	3.6	119
व्यक्तिगत खाता लेखे	3.7	119-121
मत्स्य पालन विभाग		
केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोज्यता तथा असत्य उपयोज्यता प्रमाण - पत्र जारी करना	3.8	122-123
गृह विभाग (पुलिस महानिदेशक)		
अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए पुलिस बल की लागत की अवसूली	3.9	123
सरकारी पेंशनर के विदेश में चिकित्सा उपचार पर अननुमत व्यय	3.10	124
उद्योग विभाग		
छोटी इकाइयों को परिदान की अधिक अदायगी	3.11	125-126
मद्यनिषेध, आबकारी तथा कराधान आयुक्त विभाग		
कपटपूर्ण आहरण तथा सरकारी धन का गबन	3.12	126-129
राजस्व विभाग		
अव्ययित राशि के विलम्बित प्रत्यर्पण के कारण ब्याज की हानि	3.13	129-130
अनुग्रह राहत की अधिक अदायगी	3.14	130-131
भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में धीमी प्रगति	3.15	131-132
खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग		
लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अभ्युक्तियों के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होने के परिणामस्वरूप उत्तरदायिता का अपरदन	3.16	133-134
सामान्य		
दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि	3.17	135
हानियों इत्यादि को बट्टे खाते में डालना	3.18	136



	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>चौथा अध्याय</b>		
निर्माण कार्य व्यय		
लोक निर्माण विभाग		
जनस्वास्थ्य शारवा		
निष्फल व्यय	4.1	137-138
अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	4.2	138-139
सिंचाई शारवा		
निष्फल व्यय	4.3	139-140
निरर्थक व्यय	4.4	140-141
वितरिका के विस्तारण पर गैर-न्यायोचित व्यय	4.5	142
लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अभ्युक्तियों के प्रति कोई प्रतिक्रिया न दर्शाने के परिणामस्वरूप उत्तरदायिता का अपरदन	4.6	142-145
जनस्वास्थ्य, सिंचाई तथा भवन एवं सड़क शारवाएँ		
निधियों के व्यवस्थापन के लिए पद्धति में कमियाँ	4.7	145-147
<b>पाँचवा अध्याय</b>		
<b>स्टोर एवं स्टॉक</b>		
जेल विभाग		
स्टोर एवं स्टॉक	5.1	148-150
<b>छठा अध्याय</b>		
स्थानीय निकायों तथा अन्यों को वित्तीय सहायता		
सामान्य	6.1	151-154
कृषि विभाग		
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड		
विलम्बित भुगतान के कारण अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान	6.2	154-155
मंडी के विकास पर निष्फल व्यय	6.3	155-156
सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय	6.4	156
नाले के निर्माण पर फजूल खर्च	6.5	156-157
परियोजना को अन्तिम रूप न देने के कारण धन का अवरोधन	6.6	158
सड़क की विशेष मरम्मत पर परिहार्य व्यय	6.7	159


	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
सहकारिता विभाग (हरियाणा राज्य सहकारिता आपूर्ति तथा विपणन परिसंघ मर्यादित)		
शीतागार संयन्त्र की उपेक्षा तथा इसके अनुचित रखरखाव के कारण हानि	6.8	160
आवास विभाग (आवास बोर्ड हरियाणा)		
गृहों का अविवेकपूर्ण निर्माण	6.9	161-162
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग		
विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में विफलता	6.10	162-163
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)		
हुड्डा की निधियों से चीनी मिल को ऋण की अदायगी	6.11	163-164
प्लॉटों के आबंटन में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि	6.12	164-165
तकनीकी शिक्षा विभाग (सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला)		
अवअर्हता प्राप्त प्राध्यापकों को अनियमितरूप से जारी रखना	6.13	165-166
सातवां अध्याय		
वाणिज्यिक गतिविधियां		
सामान्य	7.1	167
अनुभाग क - लेखापरीक्षा समीक्षा		
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	7.2	168-185
अनुभाग ख - लेखापरीक्षा अनुच्छेद		
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग		
निधियों का विपथन तथा हानि	7.3	186-187
आपूर्ति एवं निपटान विभाग		
वैधता अवधि के पश्चात् निविदाओं के अन्तिमकरण में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय	7.4	187-188

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट - I	सरकार के लेखे	189
परिशिष्ट - II	अनावश्यक पूरक अनुदान	190
परिशिष्ट - III	अत्यधिक पूरक अनुदान/विनियोजन	191
परिशिष्ट - IV	उन विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जिनमें प्रत्येक प्रकरण में व्यय 10 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक तक कम रह गया था तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था।	192-194
परिशिष्ट - V	उन विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ व्यय अनुमोदित प्रावधान से 25 लाख रूपए अथवा इससे अधिक तक बढ़ गया था तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था।	195-196
परिशिष्ट - VI	सतत बचतें	197
परिशिष्ट - VII	अभ्यर्पित न की गई 1 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक की बचत के विवरण	198
परिशिष्ट - VIII	अनुदान/विनियोजन में वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण के विवरण	199
परिशिष्ट IX	वह प्रकरण जिनमें निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ अथवा परिणामस्वरूप बचतें हुई	200-204
परिशिष्ट X	उन प्रकरणों की विवरणी जहाँ निधियों के किसी प्रावधान के बिना व्यय किया गया	205
परिशिष्ट XI	उन स्कूलों के विवरण जिनके जमा दो के परीक्षा परिणाम काफी कम रहे	206
परिशिष्ट XII	डी पी ई ओज/ए डी सीज के पास पड़े अव्यययित शेष के विवरण	207
परिशिष्ट XIII	मार्च 1999 तक परियोजना पर अवयव-वार वास्तविक व्यय के विवरण तथा तत्तुलनात्मक पी ए आर में परियोजित अनुमानित लागत	208
परिशिष्ट XIV	म.नि.स्वा.से., हरियाणा द्वारा राज्य निधित स्कीमों के समस्त बजट प्रावधानों का अभ्यर्पण	209-210
परिशिष्ट XV	मूल बजट प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण बचतें	211
परिशिष्ट XVI	मूल बजट प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण आधिक्य	212
परिशिष्ट XVII	52 प्रा.स्वा.के. की सूची जिनमें कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया था	213-214

	परिशिष्ट	पृष्ठ
परिशिष्ट XVIII	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ का अनुपात	215
परिशिष्ट XIX	1996-97 से 1998-99 के दौरान डाक्टर रोगी के अनुपात को दर्शाने वाली विवरणी	216
परिशिष्ट XX	50 पलंङ्गे वाले सामान्य चिकित्सालयों में अधिक लगाए गए स्टाफ को दर्शाने वाली विवरणी	217
परिशिष्ट XXI	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक लगाए गए चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के विवरण	218
परिशिष्ट XXII	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके क्रमोन्नत होने पर लगाए गए स्टाफ के वेतन तथा भत्तों के विवरण जबकि वास्तव में वे जनस्वास्थ्य केन्द्रों के सम स्तर पर कार्य कर रहे थे	219
परिशिष्ट XXIII	उन दिनों के वर्ष-वार विवरण जिस दौरान पौष्टिक आहार वितरित किया गया था	220
परिशिष्ट XXIV	महालेखाकार के परामर्श/बिना परामर्श से परिचालित व्यक्तिगत खाता लेखाओं के विवरणों को दर्शाने वाली विवरणी	221
परिशिष्ट XXV	उन आहरण एवं सवितरण अधिकारियों जिनके व्य.खा.ले. की जाँच की गई थी के नामों को दर्शाने वाली विवरणी	222
परिशिष्ट XXVI	समेकित निधि से निधिपोषित व्य.खा.ले. की सूची	223
परिशिष्ट XXVII	कोषालय के साथ अन्तरो का मिलान न करना	224
परिशिष्ट XXVIII	अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए अतिरिक्त पुलिस बल के लिए वसूलनीय राशि के विवरणों को दर्शाने वाली विवरणी	225
परिशिष्ट XXIX	30 जून 1999 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति	226
परिशिष्ट XXX	छानबीन अधीन दुर्विनियोजन, शबन इत्यादि के प्रकरणों को दर्शाने वाली विवरणी	227
परिशिष्ट XXXI	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन को दर्शाने वाली विवरणी	228
परिशिष्ट XXXII	उन निकायों एवं प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	229-233
परिशिष्ट XXXIII	1992-93 से 1998-99 के दौरान हरियाणा में सा.वि. प्र./पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत गेहूँ, चावल, चीनी, तथा मिट्टी के तेल पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त परिदान के विवरण	234-240

## प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन सविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन का अध्याय I तथा II क्रमशः राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत विषयों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समाविष्ट है।
3. शेष अध्याय लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग, स्टोर एवं स्टॉक की लेखापरीक्षा, स्वायत्त निकायों तथा विभागीय स्तर पर चलाए जा रहे वाणिज्यिक उपकरणों सहित विभिन्न विभागों के निष्पादन की लेखापरीक्षा तथा लेन देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से सम्बन्धित है।
4. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर सभी अभ्युक्तियों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक्त्तः प्रस्तुत किए जाते हैं।
5. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1998-99 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ ही साथ वे भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान ध्यान में आए थे परन्तु, गत रिपोर्ट में संव्यवहारित नहीं किए जा सके थे; जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, 1998-99 की उत्तरवर्ती अवधि से सम्बन्धित विषय भी सम्मिलित कर लिए गए हैं।





## विहंगावलोकन

प्रतिवेदन में वर्ष 1998-99 हेतु हरियाणा सरकार के वित्त तथा विनियोजन लेखाओं पर दो अध्याय तथा कुछ चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों तथा सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 6 समीक्षाओं तथा 38 अनुच्छेदों से समायुक्त पाँच अन्य अध्याय शामिल हैं। प्रतिवेदन में समाविष्ट निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

### 1 राज्य के वित्तों की समीक्षा

- राजस्व प्राप्तियां 1997-98 में 5,897.78 करोड़ रूपए से घटकर 1998-99 में 5,478.69 करोड़ रूपए की रह गई थी। 1998-99 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (3,119.62 करोड़ रूपए) तथा कर भिन्न राजस्व (1,518.02 करोड़ रूपए) का हिस्सा क्रमशः 57 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत था। कर राजस्व केवल 32 प्रतिशत की वृद्धि को व्यक्त करते हुए 1997-98 में 2,368.63 करोड़ रूपए से बढ़कर 1998-99 में 3,119.62 करोड़ रूपए हो गया था। तथापि, कर भिन्न राजस्व गत वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान 1,113.09 करोड़ रूपए तक घट गया था तथा यह कमी मुख्यतया राज्य में दो अंकों वाली लॉटरियों के निलम्बन के कारण थी।
- 1998-99 के दौरान, राजस्व लेखे पर हरियाणा सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय क्रमशः 5,478.69 करोड़ रूपए तथा 7,018.89 करोड़ रूपए की थी जिसके परिणामस्वरूप 1,540.20 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा हुआ जो 1997-98 में 719 करोड़ रूपए से अधिक हो गया था।
- मार्च 1999 को 307.06 करोड़ रूपए के कुल राजस्व बकायों में से, 95.12 करोड़ रूपए (31 प्रतिशत) 5 वर्षों के अधिक समय से बकाया थे जो कि असन्तोषजनक कर अनुपालना की ओर संकेत कर रही थी।
- ब्याज अदायगियों (997 करोड़ रूपए) ने कर राजस्व का 32 प्रतिशत खपत कर लिया था तथा राज्य सरकार के राजस्व व्यय की 14 प्रतिशत थी।
- राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय 1997-98 में 492.21 करोड़ रूपए से बढ़ कर 1998-99 में 1,025.76 करोड़ रूपए हो गया था जिसने 108 प्रतिशत की वृद्धि व्यक्त की थी। पूंजीगत व्यय की उत्पादकता को सिंचाई कार्यों पर शुद्ध हानि एवं पूंजी पर महत्वहीन प्रतिलाभ के कारण नुकसान पहुँचा।
- सरकार ने 1998-99 में सरकारी कम्पनियों (328.29 करोड़ रूपए) तथा सहकारी बैंकों एवं समितियों (3.17 करोड़ रूपए) में 331.46 करोड़ रूपए के निवेश किए थे। 1998-99 के अन्त में 2,224.32 करोड़ रूपए के कुल निवेश से प्राप्त लाभांश महत्वहीन था क्योंकि यह 1 प्रतिशत से भी बहुत कम (2.21 करोड़ रूपए) का था। 31 मार्च 1999 को हानि उठा रही 5 कम्पनियों ने 104.17 करोड़ रूपए की हानियां संचित कर ली थी, इनमें सरकार ने 27.32 करोड़ रूपए निवेशित किए थे।



- 1994-99 के दौरान सरकार द्वारा साविधिक निगमों एवं बोर्डों, सहकारी बैंको/समितियों इत्यादि तथा सरकारी कम्पनियों को दी गई प्रतिभूतियों की राशि 3,238 करोड़ रूपए से बढ़कर 6,906 करोड़ रूपए हो गई थी। प्रतिभूतियों ने राजस्व प्राप्तियों के बढ़ रहे अधिक भाग को आवृत किया तथा अत्यधिक जोखिम की अनावृति दर्शाई।
- 1998-99 के दौरान सात वृहद् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त कुल राजस्व, 296.48 करोड़ रूपए के संचित व्यय के विरुद्ध 31.62 करोड़ रूपए का था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय पूरा करने के पश्चात् इन परियोजनाओं में निवल हानि 28.61 करोड़ रूपए की थी।
- 1994-99 के दौरान, योजनेतर राजस्व व्यय मुख्यतः वेतनमानों के संशोधन के कारण 5,695 करोड़ रूपए से बढ़ कर 6,250 करोड़ रूपए (10 प्रतिशत) हो गया था। उसी अवधि के दौरान योजनागत व्यय 241 करोड़ रूपए से बढ़कर 866 करोड़ रूपए (259 प्रतिशत) हो गया था।
- वित्तीय घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (दिए गए शुद्ध ऋणों सहित) का आधिक्य होता है, 1998-99 के दौरान 2,240 करोड़ रूपए का था जो कि 1997-98 के 1,128 करोड़ रूपए से अधिक था।
- प्रेषण, उच्च शेष, इत्यादि के प्रभाव द्वारा समायोजित लोक कर्ज में शुद्ध परिवर्धन 2,747.22 करोड़ रूपए का था। पूंजीगत व्यय (1,025.76 करोड़ रूपए) तथा विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदानगी (227.79 करोड़ रूपए) को पूरा करने के पश्चात् इसने 1,493.67 करोड़ रूपए का आधिक्य सृजित किया था। यह 1,540.20 करोड़ रूपए के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था।
- 1994-99 के दौरान, राज्य सरकार के आन्तरिक कर्ज में 100 प्रतिशत की वृद्धि थी, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 93 प्रतिशत तथा अन्य देयताओं में 121 प्रतिशत की थी।
- राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां गत वर्ष से 9 प्रतिशत तक बढ़ी थी जबकि उसी अवधि के दौरान देयताएं 26 प्रतिशत तक बढ़ी थी। परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में बढ़ता हुआ अन्तराल मुख्यतया निरन्तर राजस्व घाटों के कारण था।
- राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम 1994-95 में 2.14 करोड़ रूपए से महत्वपूर्णतः बढ़ कर 1998-99 में 497.89 करोड़ रूपए के हो गए थे। इसी प्रकार, ओवरड्राफ्ट 1996-97 में 39.30 करोड़ रूपए से बढ़कर 1998-99 में 579.55 करोड़ रूपए का हो गया था। इसने सरकार की प्राप्तियों तथा सवितरणों के बीच महत्वपूर्ण दुर्गम प्रतिबिम्बित किया तथा सरकार के वित्तीय प्रबन्धन को प्रतिकूलतः प्रतिबिम्बित करता है।
- निदेशक, पशुपालन ने 1995-98 के दौरान सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों पर आहरित 6.58 करोड़ रूपए से सम्बन्धित विस्तृत आकस्मिक बिलों के अप्रस्तुतिकरण के बावजूद दवाइयों, उपस्कर, चारे/खाद्य इत्यादि के क्रय के लिए सा.आ. बिलों पर अगस्त 1998 में 1.08 करोड़ रूपए का एक अन्य अग्रिम आहरित किया जिसके लिए समायोजन



बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक ने उपस्कर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के क्रय के लिए 1994-99 के दौरान कुल 6.15 करोड़ रूपए के 95 सा.आ. बिल आहरित किए परन्तु समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं किए थे जैसा कि अपेक्षित था। वित्तीय नियमों के घोर उल्लंघन में विस्तृत बिलों के प्रस्तुतिकरण में असाधारण देरी निधियों की उपयोज्यता की यथार्थता के विषय में सदेह पैदा करती है।

(अनुच्छेद 1.1 से 1.10)

### राज्य की वित्तीय स्थिति के संकेतक

गिरता हुआ चालू राजस्व शेष (बी सी आर), निवेशों पर नगण्य प्रतिलाभों से युग्मित आरोही ब्याज अनुपात ने राज्य वित्तों की कायमता को प्रतिकूलतः प्रभावित किया। यद्यपि बिन्दु आधार पर कर अनुपात में 0.01 प्रतिशत तक सुधार हुआ, यह तब भी 1994-96 के बिन्दु आधार से कम था। अवरोही कर अनुपात ने स्थिति को बदतर कर दिया तथा बढ़ते हुए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को वृद्धित उधारों का सहारा लेना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप इसकी सर्वांगीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। इसने प्रतिकूलतः, परिसम्पत्तियों के सृजन तथा वृद्धित राजस्वों हेतु संभाव्यताओं के लिए राज्य की क्षमता सीमित कर दी। निवेशों पर नगण्य प्रतिलाभों के कारण सीमित पूंजीगत व्यय का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था।

(अनुच्छेद 1.11)

### 2. विनियोजन लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण

- विधान सभा द्वारा संस्वीकृत राशियों के आधिक्य में सरकार द्वारा किए गए व्यय की विशाल राशियों को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुबन्धनों के अनुसार नियमित करना होता है। मार्च 1999 को, 1994-99 के दौरान किया गया 760.18 करोड़ रूपए का अधिक व्यय, लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रेषित करने में सरकार की असफलता के कारण नियमित नहीं किया गया था।
- वर्ष के दौरान 5 प्रकरणों में प्राप्त 32.97 करोड़ रूपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में व्यय, मूल प्रावधान से कम था। अन्य 5 प्रकरणों में, 430.69 करोड़ रूपए की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी जबकि 507.99 करोड़ रूपए के पूरक अनुदान तथा विनियोजन प्राप्त किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप कुल 77.30 करोड़ रूपए की अतिरिक्त बचत हुई।
- 11 प्रकरणों में, मूल प्राक्कलन/पूरक मांगों में प्रावधान किए बिना 146.60 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था तथा कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किए गए थे।
- 6 प्रकरणों में व्यय, अनुमोदित प्रावधानों से 100 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया था।



- 7 प्रकरणों में अभ्यर्पित राशि, वास्तविक बचतों से 124.33 करोड़ रूपए तक अधिक थी। आगे, बचतों की समस्त राशि (1,478.14 करोड़ रूपए) वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित कर दी गई थी जो घटिया वित्तीय तथा बजटरी नियन्त्रण तथा वित्तीय नियमों की अवहेलना का संकेतक है।
- 660 लेखाशीर्षों/ उप लेखाशीर्षों के विरुद्ध 279 लेखाशीर्षों/ उप लेखाशीर्षों (42 प्रतिशत) के सम्बन्ध में बचत आधिक्यों के लिए स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए थे (66 लेखा शीर्ष) अथवा अपूर्ण (213 लेखाशीर्ष) प्राप्त हुए थे।

(अनुच्छेद 2.3.3 से 2.3.11)

### 3. शिक्षा की 10+2 प्रणाली का प्रवर्तन

हरियाणा सरकार द्वारा 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप, राज्य में शैक्षणिक वर्ष 1985-86 से शिक्षा का 10+2+3 ढांचा प्रवर्तित किया गया था। 5 जिलों (19 में से) में शिक्षा की जमा दो प्रणाली के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जाँच ने स्कीम के अति विषम कार्यान्वयन को प्रकट किया।

- 1994-99 के दौरान, स्कूलों में आधारसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा यह सत्यापित किए बिना कि क्या निर्धारित शर्तें उन द्वारा पूर्ण की गई थी, सरकार द्वारा अत्यधिक संख्या में उच्च स्कूल, सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के स्तर तक क्रमोन्नत किए गए थे। अधिकतर व्यय (96 प्रतिशत) स्टॉफ के वेतनों पर खर्च किया गया था। लेखापरीक्षा में नमूना-जाँच किए गए 173 स्कूलों में से, 100 से 146 के बीच स्कूलों में विज्ञान श्रेणियों हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं; स्टोर कक्ष; श्रेणी कक्ष; हाल इत्यादि आधारसंरचना की कमी थी।
- 1996-99 के दौरान, 689 सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के 26 से 31 प्रतिशत पद, प्राध्यापकों के 18 से 19 प्रतिशत पद तथा 1996-98 के दौरान प्रयोगशाला सहायकों के 42 से 48 प्रतिशत पद तथा कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के 32 से 43 प्रतिशत पद रिक्त थे।
- 1994-95 से 1998-99 के दौरान, 5 जिलों में 25 स्कूलों में विज्ञान के 143 प्राध्यापकों, वाणिज्य के 23 प्राध्यापकों तथा 60 प्रयोगशाला सहायकों के वेतनों पर 2.37 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे यद्यपि इन स्कूलों की उपस्थिति पंजी में कोई भी विद्यार्थी नहीं था।
- 39 स्कूलों में विज्ञान गुप तथा 65 स्कूलों में वाणिज्य गुप की प्रत्येक श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या 1 एवं 10 के बीच विचलित थी। अपर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या, 134 विज्ञान प्राध्यापकों, 63 वाणिज्य प्राध्यापकों तथा 54 प्रयोगशाला सहायकों के वेतनों पर किया गया 4.73 करोड़ रूपए का व्यय न्याय संगत नहीं है।



- नमूना - जाँच किए गए 4 जिलों के 19 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में 1994-95 से 1997-98 के दौरान जमा 2 चरण परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतता शून्य थी अथवा नगण्य थी।

(अनुच्छेद 3.1)

#### 4. प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार समर्थन

स्कूलों में नामनिवेश तथा उपस्थिति में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार समर्थन, नामक एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम, मध्यान्ह भोजन प्रदानगी स्कीम के रूप में, हरियाणा में अगस्त 1995 से प्रारम्भ की गई थी। 19 जिलों में से 7 में अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि स्कीम विद्यार्थियों के परिवारों को स्वाद्यान्न के रूप में केवल ही सहायता थी।

- मध्यान्ह भोजन के माध्यम से प्राथमिक श्रेणियों में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा विद्या जारी रखने पर लाभप्रद प्रभाव छोड़ने के लिए स्कीम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि जुलाई 1996 से विद्यार्थियों को पक्व भोजन देना बन्द कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् केवल स्वाद्यान्न ही वितरित किए गए थे।
- क्योंकि पक्व भोजन देना बन्द कर दिया गया था, स्टील तस्तरियों, कच्ची सामग्री इत्यादि के क्रय हेतु चार जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा एक अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार द्वारा आहरित 2.66 करोड़ रूपए 2 से 30 महीनों हेतु अव्ययित रहे जिससे 41.49 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।
- महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी तथा सिरसा नामक 3 जिलों (नमूना-जाँच किए गए 7 जिलों में से) में 1,469 प्राथमिक स्कूलों के 2.39 लाख विद्यार्थियों को अप्रैल 1998 तथा मार्च 1999 के बीच स्वाद्यान्न जारी नहीं किए गए थे क्योंकि हरियाणा स्टेट फ़ैडरेशन ऑफ कन्ज्यूमरज को-ओपरेटिव होलसेल स्टोरज़ लिमिटेड (कान्फ़ैड) ने भारत सरकार द्वारा परिवहन दावों की अनादायगी के कारण भा.स्वा.नि. के गोदामों से स्वाद्यान्न उठाने/परिवहन करने से इन्कार कर दिया था।
- 1995-96 से 1997-98 के दौरान, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामनिवेश में वृद्धि की दर 5 प्रतिशत पर स्थिर थी। तथापि, सरकारी/ गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर 1996-98 के दौरान 18.55 प्रतिशत से बढ़कर 20.20 प्रतिशत हो गई थी।
- भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्वाद्यान्न उठाने के समय उनकी गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रमाणित/ सत्यापित नहीं किया गया था।
- 1995-99 के दौरान 5 जिलों में 305 पाकशालाओं के निर्माण पर 1.60 करोड़ रूपए का व्यय तथा मई 1996 में 3 जिलों में स्टील तस्तरियों के क्रय पर 0.75 करोड़ रूपए का एक अन्य व्यय निष्फल हो गया था क्योंकि जुलाई 1996 से पक्व भोजन देने का प्रावधान बन्द कर दिया गया था।

(अनुच्छेद 3.2)



## 5. अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमियों का पुनर्वास

अर्ध-अनुर्वरक अरावली पहाड़ियों में प्ररोहण आवरण के पुनः स्थापन के माध्यम से पर्यावरणीय अपकर्ष करने की प्रवृत्ति को बदलने के उद्देश्य के साथ अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमियों के पुनर्वास की परियोजना 1990-91 में प्रारम्भ की गई थी। परियोजना में 8 वर्ष की अवधि में शामलात भूमियों में पौधारोपण के अधीन 37,600 हैक्टेयर क्षेत्र आवृत करने का विचार किया गया था। अभिलेखों की नमूना-जाँच ने अन्य बातों के साथ साथ प्रकट किया कि परियोजना क्षेत्र में हरियाली आवरण कम हो गया था।

- जुलाई 1989 में परियोजना हेतु 48.16 करोड़ रूपए के तैयार किए गए लागत प्राक्कलन वास्तविक आँकड़ों से काफी दूर थे। परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत 1998-99 में संशोधित करके 120.99 करोड़ रूपए कर दी गई थी। 107.65 करोड़ रूपए का व्यय पहले ही 1990-91 से 1998-99 के दौरान किया जा चुका था तथा परियोजना अभी भी चल रही थी (मार्च 1999)।
- प्रत्येक ग्रामीण समुदाय के उत्तरदायित्व/अधिकार निर्दिष्ट करने तथा कार्यों के विस्तृत प्लान निर्दिष्ट करने के लिए माइक्रो प्लानज 187 ग्रामों हेतु तैयार नहीं किए गए थे जहाँ पुनर्वास कार्यों पर 15.54 करोड़ रूपए खर्च किए गए थे। माइक्रो प्लानिंग में सामुदायिक भागीदारी नगण्य थी।
- यद्यपि नए पौधारोपण हेतु केवल 6.16 करोड़ पौध की आवश्यकता थी तथा विभाग के मापदण्डों के अनुसार पौधारोपण के अनुरक्षण पर 7.23 करोड़ पौध पौधशालाओं में उगाई गई थी जिस पर 1.57 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।
- मुख्य वन संरक्षक, गुडगांव के अनुदेशों के विपरीत, 1996-97 से 1998-99 के दौरान 26.36 लाख रूपए की लागत से पौध शालाओं में पहाड़ी बबूल की 15.09 लाख पौध उगाई गई थी।
- 3 मण्डलों में 1991-99 के दौरान परियोजना क्षेत्र से बाहर 4,220 हैक्टेयर क्षेत्र पर 56 ग्रामों में पुनर्वास कार्यों पर 2.44 करोड़ रूपए अनियमित रूप से खर्च किए गए थे।
- 3 मण्डलों के 35 अभिज्ञप्त ग्रामों में यद्यपि केवल 2,995.50 हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र भूमि उपचार कार्यों हेतु उपलब्ध था, 1.41 करोड़ रूपए के व्यय से आवेष्टित 5,349 हैक्टेयर क्षेत्र (जिसमें 2,353.50 हैक्टेयर गैर पहाड़ी क्षेत्र शामिल था), 1991-99 के दौरान आवृत के रूप में दर्शाया गया था।
- 3 मण्डलों के 18 अभिज्ञप्त ग्रामों में यद्यपि 2,889 हैक्टेयर शामलात भूमि उपलब्ध थी परन्तु 1991-99 के दौरान 4,066.90 हैक्टेयर क्षेत्र पर कथित रूप से पौधारोपण किया गया था अतः 1,177.90 हैक्टेयर अधिक क्षेत्र पर 0.71 करोड़ रूपए का व्यय न्याय संगत नहीं था।
- पौधों के उत्तरजीविता रजिस्टर (गस्त रजिस्टर) वन गार्डों द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे। उप मण्डल स्तर पर अभिलिखित पौधों की उत्तरजीविता प्रतिशत आँकड़ों के आध्यात्म होने का संकेत देती थी।



- 3 मण्डलों में मजदूरी के सवितरण की तिथियां नामावलियों में अभिलिखित नहीं की गई थी तथा उपमण्डल वन अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई कार्य मदों की मात्राएं गलत पाई गई थी। इन उप मण्डलों में 1992-99 के दौरान किए गए कम कार्य के निमित्त 2.10 करोड़ रूपए वसूल किए गए थे। भारी वसूलियों को देखते हुए, नामावलियों में उपस्थिति की प्रमाणिकता तथा इस प्रकार की नामावलियों पर आधारित अदायगियां संदिग्ध थी।
- यद्यपि परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों को पौधारोपण 3 वर्ष पश्चात् सौपने का प्रावधान था परन्तु 24,250 हैक्टेयर क्षेत्र में किए गए पौधारोपण विभाग द्वारा अतर्कसंगत रूप से अनुरक्षित किए गए थे जिस पर 32.51 लाख रूपए का व्यय किया गया था।

(अनुच्छेद 3.3)

#### 6. मानवशक्ति प्रबन्धन सहित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग, लोगों को उनका स्वास्थ्य स्तर सुधारने के लिए, उपचारात्मक, सुरक्षात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक स्वास्थ्य देख-भाल सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करता है। विभाग की मानवशक्ति प्रबन्धन सहित कार्यप्रणाली के कुछ पहलुओं की समीक्षा ने स्वास्थ्य देखभाल प्रबन्धन एवं सेवाओं में गम्भीर कमियों एवं त्रुटियों को प्रकट किया।

- विभाग के कुल व्यय का 81 प्रतिशत स्थापना लागत से सम्बन्धित था। राज्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1996-99 में 29 स्कीमों के अन्तर्गत 5.18 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने निधियां संस्वीकृत नहीं की थी।
- ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं की उपेक्षा की गई थी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.) तथा 2,481 उप केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध, मार्च 1998 को 64 सा.स्वा.के. तथा 2,299 उप केन्द्र विद्यमान थे। औसतन, प्रत्येक सा.स्वा.के. तथा उप-केन्द्र मापदण्डों के अनुसार 1.20 लाख तथा 5,000 ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करने के विपरीत क्रमशः 2.28 लाख तथा 6,350 ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित कर रहे थे।
- आठवीं तथा नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, 46 जिलों एवं उपमण्डल चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाना था। मार्च 1999 तक, कोई चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किया गया था।
- 1995-98 के दौरान, भिवानी, हिसार तथा पंचकूला में जिला स्तरीय चिकित्सालयों में पलंगों की अध्यासनता 37 से 84 प्रतिशत थी जबकि 1995-97 के दौरान 3 जिलों के 11 सा.स्वा.के. तथा दो सामान्य चिकित्सालयों में पलंगों की अध्यासनता 1 प्रतिशत से 26.98 प्रतिशत के बीच से भी कम थी।



- यद्यपि राज्य में 19 जिला चिकित्सालयों में से 18 में सघन अवेक्षा इकाइयां (स.अ.इ.) उपलब्ध नहीं थी, विभाग द्वारा सघन अवेक्षा इकाइयों का प्रबन्ध करने के लिए 1997-99 के दौरान 30 लाख रूपए के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।
- राज्य में 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) में से, 52 में जून 1998 तक कोई चिकित्सक न था। 1996-99 के दौरान 3 जिलों, 9 प्रा.स्वा.के. 5 से 36 महीनों तक बिना चिकित्सकों के कार्य करते रहे तथा चिकित्सा देख-भाल सम्बन्धित सेवाएं फार्मासिस्टों, नर्सों तथा बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती रही।
- हानिकारक अवशेष का निपटान करने के लिए 4 जिला चिकित्सालयों में 30.89 लाख रूपए से प्रतिष्ठापित चार निर्दाहक काम में नहीं लाए जा रहे थे क्योंकि परिचालक नियुक्त नहीं किए गए थे तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
- विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या 1996-97 में 2,371 से बढ़कर 1998-99 में 2,796 हो गई थी। मार्च 1999 के अन्त में, चिकित्सकों के कुल 2,022 संस्वीकृत पदों में से, 413 पद रिक्त थे जिसने ग्रामीण समुदाय को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देख-भाल सम्बन्धित सेवाओं को प्रतिकूलतः प्रभावित किया।
- भिवानी जिले में, औषधि निरीक्षकों ने एक माह में 3 से 9 नमूने एकत्रित किए यद्यपि उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन 312 से 365 इकाइयां थी। अधिकांश अभियोग मामले कमजोर बचाव पक्ष एवं मामलों की त्रुटिपूर्ण तैयारी के कारण आरोपमुक्त किए जाने से समाप्त हो गए थे।
- पलवल तथा पंचकूला स्थित 50 पलंगों वाले दो चिकित्सालयों में, 25 चिकित्सक तथा 45 परा-चिकित्सा/अन्य स्टॉफ मापदण्डों के आधिक्य में तैनात किए गए थे। नमूना-जाँच किए गए 37 प्रा.स्वा. के तथा 2 सा.स्वा.के. में 47 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक लिपिक तथा एक अस्थि रोग चिकित्सक निर्धारित मापदण्डों के आधिक्य में तैनात किए गए थे। अधिक संख्या में कर्मचारी 10 वर्षों से भी अधिक समय हेतु एक ही स्टेशन पर रह रहे थे।
- रोगियों को अन्तर्वासी उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुराली, हथीन (फरीदाबाद जिला), सांपला (रोहतक जिला) तथा चौड़मस्तपुर (अम्बाला जिला) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। यद्यपि सा.स्वा.के. के लिए स्टॉफ प्रदान करने के मापदण्डों के अनुसार चिकित्सक तथा अन्य स्टॉफ नियुक्त किया गया था, वृद्धित पलंगों के लिए अपेक्षित वार्डों हेतु भवन, शल्य क्रिया कक्षों, प्रयोगशालाओं, इत्यादि जैसी अन्य आधारसंरचनीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप सा.स्वा.के. प्रा.स्वा.के. की तरह कार्य करते रहे।

(अनुच्छेद 3.4)



## 7. समन्वित बाल विकास सेवाएं

0-6 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर तथा पौषणिक मापदण्ड को सुधारने, बच्चों में नश्वरता, अस्वस्थता-दर, कुपोषणता तथा स्कूल छोड़कर जाने वालों की घटनाएं कम करने के लिए समन्वित बालविकास सेवाएं स्कीम 1975-76 से प्रारम्भ की गई थी। पूरक पोषाहार, प्रतिसंरक्षण, स्वास्थ्य सम्बन्धित जांच, संदर्भीय सेवाएं, अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि जैसी सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराने का स्कीम में प्रावधान था। अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1993-97 के दौरान शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा अपर्याप्त आवृति प्रकट की, इस प्रकार स्कीम का नाजुक उद्देश्य विफल हो गया।

- 21 से 31 प्रतिशत चिन्हित बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को 1992-99 के दौरान पूरक पोषाहार प्रदान नहीं किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत आवृति हेतु 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में अन्य महिलाओं को चिन्हित नहीं किया गया था।
- 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से, स्कीम के अन्तर्गत वास्तविक आवृति 34 प्रतिशत थी। 3 वर्ष तक आयु समूह में बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं के सम्बन्ध में लाभग्राहियों की आवृति स्थिर थी यद्यपि आंगनवाड़ियों की संख्या 1992-93 में 9,705 से बढ़कर 1998-99 में 13,536 हो गई थी।
- बच्चों, आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार प्रदान करने की आवश्यकता, नमूना-जांच किए गए विभिन्न जिलों में 1992-99 के दौरान 13 से 64 दिनों तक कम पड़ गई थी।
- 1992-99 के दौरान, राज्य में आंगनवाड़ियों द्वारा बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को वितरित पूरक पोषाहार, प्रत्येक लाभग्राही को प्रतिदिन 300 से 600 कैलोरी तथा 15 से 20 ग्राम प्रोटीन के मापदण्ड से बहुत कम था।
- 1992-99 के दौरान राज्य में किसी भी आंगनवाड़ी में अतिकुपोषित बच्चों को अरोग्यकर खाद्य प्रदान नहीं किया गया था।
- वर्ष 1993 में जहां पर स.बा.वि.से. स्कीम चालू थी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्युदर शहरी क्षेत्रों से उच्च थी।
- 4 जिलों में, 1994-95 में 2,222 आंगनवाड़ियों को तथा 1998-99 में किसी भी आंगनवाड़ी को औषधि पेटिकाएं आपूर्ति नहीं की गई थी।
- प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अथवा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों का कोई रिकार्ड आंगनवाड़ियों ने नहीं रखा था। अतः, स्कूल पूर्व शिक्षा का यदि कोई प्रभाव हुआ था तो उसे प्राक्कलित नहीं किया जा सका।



- 1992-99 के दौरान यूनीसेफ से प्राप्त कुल 81 प्रोजेक्टों में से, विभिन्न प्रोजेक्ट्स/स्वण्डों में फिल्मों की प्राप्ति न होने के कारण 78 बेकार पड़े थे।

(अनुच्छेद 3.5)

## 8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जनता को तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को युक्ति संगत मूल्यों पर गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि जैसे मौलिक आवश्यक पण्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) प्रारम्भ की गई थी। सा.वि.प्र. में जून 1992 में सुधार किया गया था तथा लक्षित समूहों अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को चिन्हित/आवृत करने के लिए मई 1997 में इसे और कारगर बनाया गया था। 6 जिलों में (19 में से) अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि राज्य में सा.वि.प्र. को खाद्यान्न की कुल आवश्यकता का मात्र 2 से 6 प्रतिशत तक सीमित किया गया था।

- मार्च 1999 तक, राज्य सरकार ने ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आवृत करने के लिए 5.62 लाख परिवार ऐसे चिन्हित किए गए थे जो गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे थे परन्तु यह आँकड़ा विश्वस्त नहीं था। विशेष सर्वेक्षण के फार्मों की लेखापरीक्षा में नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले चिन्हित 63.79 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों के वर्ग की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते थे।
- राशन कार्डों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या से अधिक थी तथा 1992-93 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान अधिक इकाइयां 10.21 लाख (कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत) तथा 32.60 लाख (कुल जनसंख्या का 19 प्रतिशत) के बीच श्रृंखलित थी।
- विभाग ने 1992-98 के दौरान (मई 1997 तक) सा.वि.प्र. के अन्तर्गत (पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. के अतिरिक्त) खाद्यान्नों की पूर्ण आबंटित मात्राएं नहीं उठाई थी, इस अवधि के दौरान उठाई गई गेहूं एवं चावल, आबंटित मात्राओं का केवल 6 से 77 प्रतिशत थे। ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, 1997-99 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिदानित खाद्यान्नों का लाभ उठाने हेतु परिवारों की आवृत्ति केवल 66 प्रतिशत थी।
- गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को गेहूं की अपेक्षा थैलों (लागत: 3 रूपए प्रति थैला) में चोक्करयुक्त आटा देने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप थैलों की कीमत हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों पर 20.39 लाख रूपए का भार पड़ा।



- 1995-96 से 1997-98 के दौरान राशन कार्डों में 15.31 लाख से 23.56 लाख तक की फर्जी इकाइयां पंजीकृत की गई थी जिनके लिए 77 लाख रूपए के परिदान से आवेष्टित 12.52 करोड़ रूपए के मूल्य की 13,045 एम टीज चीनी वितरित की गई थी।
- 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान फर्जी राशन कार्डों को मिट्टी के तेल के वितरण में बाजारी दरों तथा उचित मूल्य की दुकानों की दरों में अन्तर के कारण भारत सरकार पर 17.99 करोड़ रूपए का वित्तीय भार पड़ा।
- 1992-93 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान एक उचित मूल्य की दुकान द्वारा आवृत ग्रामों की औसतन संख्या 1.36 तथा 1.49 के बीच श्रृंखलित थी जबकि प्रत्येक ग्राम के लिए एक उचित मूल्य की दुकान की आवश्यकता थी।

(अनुच्छेद 7.2)

### 9. अन्य रोचक प्रसंग

- अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए अतिरिक्त पुलिस बल के निमित्त 1.55 करोड़ रूपए वसूली हेतु बकाया थे।  
(अनुच्छेद 3.9)
- पुलिस महानिदेशक ने राज्य चिकित्सा परिचर्या नियमों तथा सम्बन्धित अनुदेशों के उल्लंघन में यू.एस.ए. में एक भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक के चिकित्सा उपचार पर 16.26 लाख रूपए व्यय किए थे।  
(अनुच्छेद 3.10)
- 1994-99 के दौरान, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उ.आ.क.आ.), कुरुक्षेत्र द्वारा जाली वेतन तथा आकस्मिक बिल पारित करने के कारण 33.31 लाख रूपए कपटता से आहरित किए गए थे तथा गबन/दुर्विनियोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उ.आ. एवं क.आ. ने अवधि के दौरान किए गए 68 लाख रूपए के आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे तथा इस प्रकार इस राशि के कपट/गबन की और संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सरकारी धन के अत्यधिक मात्रा में गबन हो जाने के बावजूद, आहरण एवं सवितरण अधिकारी के रूप में उ.आ. एवं क.आ. अभी तक कार्य कर रहा था तथा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।  
(अनुच्छेद 3.12)
- चूंकि अन्तर्वाही चैनल में तकनीकी खराबियां दूर नहीं की गई थी ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति से अभिप्रेत खाण्डा खेड़ी (तहसील हांसी) ग्राम के लिए एक जलापूर्ति स्कीम पर जन स्वास्थ्य मण्डल, हांसी द्वारा किया गया 32.57 लाख रूपए का व्यय निष्फल सिद्ध हो गया था।

(अनुच्छेद 4.1)



- सिवानी जल सेवा मण्डल, भिवानी में इशरवाल वितरिका के विस्तारण पर किया गया 65.45 लाख रूपए का व्यय न्यायसंगत नहीं था क्योंकि इसमें से पानी के बहाव के कोई आसार नहीं थे।

(अनुच्छेद 4.5)

- चार वर्षों की अवधि के अन्दर राई में आधुनिक फल तथा वनस्पति विपणन एवं प्रक्रिया परिसर को अन्तिम रूप देने में असफलता के कारण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया 9.37 करोड़ रूपए का व्यय अवरूद्ध रहा तथा किसानों को सहायता देने के उद्देश्य भी उपलब्ध नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.6)

- आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा आवश्यकता के आधिक्य में मकानों का निर्माण करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 30.60 करोड़ रूपए की निधियां अवरूद्ध हो गई थीं।

(अनुच्छेद 6.9)

- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के उल्लंघन में, ह.श.वि.प्रा. ने, हरियाणा सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत, चीनी मिल कैथल को सवितरण हेतु हरियाणा राज्य सहकारिता चीनी मिल प्रसंघ मर्यादित को मार्च 1991 में एक करोड़ रूपए का ऋण निर्मुक्त किया था। प्रसंघ ने ऋण की वापिसी नहीं की तथा 8 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज सहित 3.48 करोड़ रूपए संचित हो गए थे। ह.श.वि. प्रा. अपने हितों की सुरक्षा करने में असफल रहा क्योंकि प्रसंघ के साथ ऋण की वापिसी के लिए कोई करारनामा अथवा निबन्धन एवं प्रतिबन्ध निष्पादित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.11)

- क्योंकि जनता को प्लॉट्स देने से पूर्व स्थल खाली नहीं करवाया गया था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आबंटतियों को वैकल्पिक प्लॉट्स देने के अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति तथा तदोपरि ब्याज की अदायगी के रूप में 33.07 लाख रूपए की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 6.12)



पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्तों  
का विहंगावलोकन

191531E-1188P

विधि के प्रकृत्य पत्र  
नकारितापत्र की

## पहला अध्याय

### राज्य सरकार के वित्तों का विहंगावलोकन

#### 1.1. प्रस्तावना

यह अध्याय वित्त लेखाओं में समाविष्ट सूचना के आधार पर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालता है। विश्लेषण, प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों, व्यय की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में, वित्त लेखाओं में समाविष्ट सूचना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अन्य सूचना के आधार पर विकसित कुछ अनुपातों एवं कुछ चुने हुए संकेतकों से सम्बन्धित घातांकों पर आधारित सरकार के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण का एक खण्ड भी शामिल है। इस अध्याय में प्रयुक्त कुछ शब्द इस अध्याय के परिशिष्ट - I में वर्णित किए गए हैं।

#### 1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा सरकार द्वारा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अंकित किया जाता है। प्रदर्श-1 (पृष्ठ 3) 31 मार्च 1999 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का सार प्रदर्शित करता है तथा साथ ही तत्सम्बन्धित 31 मार्च 1998 की स्थिति भी प्रकट करता है। जबकि इस विवरणी में देयताएं मुख्यतः आन्तरिक उधारों भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखाओं तथा आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समायुक्त हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं। प्रदर्श 1 से यह देखा जा सकता है कि 1998-99 के दौरान जबकि देयताएं 26 प्रतिशत तक बढ़ गई थी तो परिसम्पत्तियां केवल 9 प्रतिशत तक बढ़ी थी, यह मुख्यतः सरकारी लेखाओं पर घाटों में (121 प्रतिशत) अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप थी। यह सरकार की वित्तीय स्थिति में सर्वांगीण दुर्दशा दर्शाती है जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

#### 1.3. राज्य सरकार के वित्तीय परिचालन

1.3.1 प्रदर्श-II (पृष्ठ 4-7) प्राप्तियों तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए सवितरणों के विवरण प्रकट करता है। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (7,019 करोड़ रूपए) राजस्व प्राप्तियों (5,479 करोड़ रूपए) से बढ़ गया था जिसके परिणामस्वरूप 1,540 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व व्यय में वृद्धि तथा परिणामतः राजस्व घाटा मुख्यतः पाँचवे वेतन आयोग के अधिनिर्णय पर व्यय किए गए 1,144 करोड़ रूपए (वेतन जमा मंहगाई भत्ता : 871 करोड़ रूपए



सेवानिवृति लाभ: 273 करोड़ रूपए)) को आरोपित था। राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व (3,120 करोड़ रूपए), कर भिन्न राजस्व (1,518 करोड़ रूपए), संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा (480 करोड़ रूपए) तथा केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान (361 करोड़ रूपए) से समायुक्त हैं। बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर (1,599 करोड़ रूपए: 51 प्रतिशत) राज्य उत्पाद (775 करोड़ रूपए: 25 प्रतिशत), माल एवं यात्रियों पर कर (316 करोड़ रूपए: 10 प्रतिशत), तथा स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (295 करोड़ रूपए: 9 प्रतिशत) कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे। कर भिन्न राजस्व मुख्यतया, विविध सामान्य सेवाओं (571 करोड़ रूपए: 38 प्रतिशत), पथ परिवहन (330 करोड़ रूपए: 22 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियों (184 करोड़ रूपए 12 प्रतिशत) से आया था।

1.3.2 प्रेषण, उचन्त शेष इत्यादि के प्रभाव द्वारा यथा समायोजित लोक कर्ज में शुद्ध परिवर्धन 2,747.22 करोड़ रूपए का था। पूंजीगत व्यय (1,025.76 करोड़ रूपए) तथा विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देने (227.79 करोड़ रूपए) सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् इसने 1493.67 करोड़ रूपए का आधिक्य सृजित किया था। क्योंकि यह 1540.20 करोड़ रूपए के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त न था, रोकड़ शेष में 46.53 करोड़ रूपए की कमी थी।

1.3.3 राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियों तथा व्यय से सम्बन्धित वित्तीय परिचालन निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं एवं प्रदर्श II में शामिल सूचना तथा प्रदर्श IV (पृष्ठ 9) में प्रस्तुत 1994-95 से 1998-99 तक पाँच वर्षों की अवधि हेतु काल अनुक्रमिका आँकड़ों के साथ भी संदर्भित किया गया है।

#### 1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 प्रदर्श III (पृष्ठ 8) चालू तथा गत वर्ष के दौरान निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोगों की स्थिति को प्रकट करता है। निधियों के मुख्य स्रोतों में, सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियां, लोक कर्ज तथा लोक लेखे में प्राप्तियां शामिल हैं। इनका अनुप्रयोग मुख्यतः राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उधार देने के लिए किया जाता है। जबकि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार के लिए निधियों के स्रोत का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, कुल निधियों में उनकी सम्बन्धित भागीदारी 1997-98 में 78 प्रतिशत से तीव्रता से घटकर 1998-99 के दौरान 66 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी, ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियों का हिस्सा लगभग यथावत रहा। तथापि, लोक लेखे से प्राप्तियां भविष्य निधियों इत्यादि तथा डिपोजिटस एवं अग्रियों में वृद्धि के कारण भारी मात्रा में बढ़ी थी जो 1997-98 में 4 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 13 प्रतिशत हो गई थी। लोक कर्ज से प्राप्तियां 11 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई थी जो अल्प मात्रा वृद्धि थी।

1.4.2 निधियां मुख्यतः राजस्व व्यय के प्रति अनुप्रयोग की गई थी, जो महत्वपूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से अधिक थी जिससे राजस्व घाटे में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान एक खास परिवर्तन यह था कि जबकि कुल उपलब्ध निधियों से पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता 7 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत तक पहुँच गई थी, विकासात्मक उद्देश्यों हेतु दिए गए उधार 6 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गए थे।

## प्रदर्श-1

## 31 मार्च 1999 को हरियाणा सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(रूप करोड़ों में)

31 मार्च 1999 को	इसका	31 मार्च 1999 को
1,388.38	आन्तरिक कर्ज	1,747.92
	1,133.38 व्याज वाले बाजारी ऋण	1,266.19
	0.89 व्याजेतर बाजारी ऋण	2.39
	51.61 भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	48.25
	202.50 अन्य संस्थाओं आदि से ऋण	412.68
	अर्थोपाय अग्रिम	18.41
4,149.71	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,908.98
	216.57 1984-85 से पूर्व के ऋण	195.10
	2,424.09 योजनेतर ऋण	2,984.34
	1,457.49 राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,678.61
	32.25 केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	31.35
	19.31 केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	19.58
10.00	आकस्मिकता निधि	10.00
2,093.20	अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	2,837.64
239.86	जमा	483.52
239.12	आरक्षित निधियां	272.29
0.98	प्रेषण शेष	13.01
8,121.25	कुल	10,273.36
31 मार्च 1999 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 1999 को
5,680.44	सकल पूंजीगत परिव्यय	6,706.20
	1,898.07 कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2,224.32
	3,782.37 अन्य पूंजीगत परिव्यय	4,481.88
1,122.83	ऋण एवं अग्रिम	797.31
	572.75 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	182.82
	490.84 अन्य विकासालम्क ऋण	547.03
	59.24 सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि	67.46
0.16	अग्रिम	0.24
88.36	उचंचत एवं विविध शेष	46.48
(-) 41.59	नकद	(-) 88.12
	(-) 2.39 कोषालयों में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 1.82
	(-) 107.79 रिजर्व बैंक में जमा	(-) 157.86
	5.31 विभागीय शेष	8.38
	0.07 स्थायी रोकड़ अग्रदाय	0.07
	63.21 रोकड़ शेष निवेश एवं अन्य आरक्षित निधि निवेश	63.11
1,271.05	सरकारी लेखाओं पर घाटा	2,811.25
	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	1,540.20
	(ii) 31 मार्च 1998 तक संचित घाटा	1,271.05
	(iii) विविध सरकारी लेखे	
8,121.25	कुल	10,273.36

\* केवल 23,905 रूपए

## प्रदर्श - II

वर्ष 1998-99 के लिए

(रूपए करोड़ों में)

1997-98	प्राप्तिया		1998-99
5,897.78		अनुभाग - क: राजस्व	
		I. राजस्व प्राप्तिया	5,478.69
	2,368.63	- कर राजस्व	3,119.62
	2,631.11	कर भिन्न राजस्व	1,518.02
	539.31	- संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	480.04
	31.20	- योजनेतर अनुदान	47.10
	144.54	- राज्य योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	127.64
	182.99	- केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	186.27
719.39		II. अनुभाग - ख को अशेषित राजस्व घाटा	1,540.20
6,617.17		कुल	7,018.89

## प्राप्तियों एवं सवितरणों का सार

(रूप में करोड़ों में)

1997-98	सवितरण	योजनेतर	योजनागत	कुल	1998-99
3,260.69	I. राजस्व व्यय	6,250.26	768.63	7,018.89	7,018.89
1,576.68	सामान्य सेवाएं	2,751.74	26.71	2,778.45	
	सामाजिक सेवाएं	1,623.49	461.27	2,084.76	
855.18	- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,062.58	158.41	1,220.99	
223.08	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	208.05	83.62	291.67	
191.77	- जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	205.70	26.00	231.70	
10.49	- सूचना एवं प्रसारण	11.71	1.61	13.32	
23.22	- अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.40	7.58	21.98	
39.34	- श्रम तथा श्रम कल्याण	34.63	20.08	54.71	
231.14	- सामाजिक कल्याण तथा पोषण	82.27	163.97	246.24	
2.46	अन्य	4.15	-	4.15	
1,779.30	आर्थिक सेवाएं	1,874.54	280.65	2,155.19	
265.37	- कृषि एवं सहायक गतिविधियां	232.70	98.99	331.69	
65.70	- ग्रामीण विकास	35.31	27.54	62.85	
289.76	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	178.38	120.43	298.81	
680.29	ऊर्जा	847.15	0.50	847.65	
20.15	उद्योग एवं खनिज	23.61	14.72	38.33	
442.10	- परिवहन	545.71	0.37	546.08	
2.11	- विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	0.37	2.88	3.25	
13.82	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.31	15.22	26.53	
0.50	सहायता अनुदान तथा अंगदान	0.49	-	0.49	
6,617.17	कुल				7,018.89



1997-98	प्राप्तियां	1998-99
(-) 12.60	अनुभाग - स्व: पूंजीगत III स्थाई अधिम एवं रोकड़ शेष निवेश और आरक्षित निधि निवेश सहित आदि रोकड़ शेष	(-) 41.59
522.35	IV ऋणों एवं अधिमों की वसुलियां 479.93 - बिजली परियोजनाओं से 31.18 - सरकारी कर्मचारियों से 11.24 - अन्यो से	553.31
1,528.17	V लोक कर्ज प्राप्तियां 472.06 - अर्धोपाय अधिमों से अन्यतर आन्तरिक कर्ज 254.19 - अर्धोपाय अधिम 801.92 - केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अधिम	2,614.66
3,734.90	VI लोक लेखा प्राप्तियां 516.63 - अल्प बचते, भविष्य निधियां इत्यादि 77.86 - आरक्षित निधियां 322.79 - उचन्त एवं विविध 1,065.85 - प्रेषण 1,751.77 - जमा एवं अधिम	3,539.75
5,772.82	कुल	6,666.13

(रूपए करोड़ों में)

संवित्तवर्ष		योजनेतर	मोजनमस	कुल	1998-99
1997-98					
492.21	II पूंजीगत परिव्यय	159.46	866.30	1,025.76	1,025.76
	23.00 - सामान्य सेवाएं		27.95	27.95	
	129.74 - सामाजिक सेवाएं	-	148.84	148.84	
	12.34 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-	23.05	23.05	
	9.45 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	16.30	16.30	
	104.51 - जल आपूर्ति, सफाई आवास तथा शहरी विकास	-	107.15	107.15	
	- सूचना एवं प्रसारण	-	0.40	0.40	
	1.55 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	0.25	0.25	
	0.63 - सामाजिक कल्याण एवं पोषण	-	0.05	0.05	
	1.26 - अन्य	-	1.64	1.64	
	339.47 आर्थिक सेवाएं	159.46	689.51	848.97	
	12.64 - कृषि एवं सहायक गतिविधियां	158.85	0.37	159.22	
	264.12 - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	303.16	303.16	
	0.77 - ऊर्जा	0.24	325.00	325.24	
	9.65 - उद्योग एवं खनिज	-	5.33	5.33	
	48.26 - परिवहन	0.37	52.13	52.50	
	4.03 - सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	3.52	3.52	
438.29	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	92.38	135.41	227.79	227.79
	316.63 - बिजली परियोजनाओं हेतु	30.00	62.71	92.71	
	38.16 - सरकारी कर्मचारियों को	36.35	7.54	43.89	
	83.50 - अन्यो को	26.03	65.16	91.19	
719.39	IV अमेगलत राजस्व घाटा				1,540.20
730.35	V लोक कर्जों की पुनर्दायगी	1,495.85	-	1,495.85	1,495.85
	241.21 - अर्थोपाय अग्रिमों से अन्यतर आन्तरिक कर्ज	190.48	-	190.48	
	260.59 - अर्थोपाय अग्रिम	1,059.03	-	1,059.03	
	228.55 - केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनः भुगतान	246.34	-	246.34	
3,434.17	VI लोक लेखे संवितरण				2,464.65
	207.98 - अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि			266.96	
	51.53 - आरक्षित निधियां			34.08	
	344.86 - उचन्त एवं विविध			192.57	
	1,050.78 - प्रेषण			1,041.95	
	1,779.02 - जमा एवं अग्रिम			929.09	
(-) 41.59	VII अन्त में रोकड़ शेष				(-) 88.12
	(-) 2.39 - कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			(-) 1.82	
	(-) 107.79 - रिजर्व बैंक के पास जमा			(-) 157.86	
	5.38 - विभागीय रोकड़ शेष स्याई अग्रिमों सहित			8.45	
	63.21 - रोकड़ शेष निवेश एवं अन्य आरक्षित निधि निवेश			63.11	
5,772.82	कुल				6,666.13

प्रदर्श III  
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

(रूपए करोड़ों में)

स्रोत		
1997-98		1998-99
5,897.78	राजस्व प्राप्तियां	5,478.69
522.35	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	553.31
797.82	लोक कर्ज में वृद्धि	1,118.81
300.73	लोक लेखाओं से निविल प्राप्तियां	1,075.10
308.65	अल्प बचतों, भविष्य निधियों, इत्यादि में वृद्धि	744.44
(-) 27.25	जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	243.60
26.33	आरक्षित निधियों में वृद्धि	33.16
(-) 22.07	उचन्त एवं विविध	41.88
	लेन देनों के निविल प्रभाव	
15.07	प्रेषण लेन देनों के निविल प्रभाव	12.02
28.99	अन्तिम रोकड़ शेष में कमी	46.53
7,547.67	कुल	8,272.44
अनुप्रयोग		
1997-98		1998-99
6,617.17	राजस्व व्यय	7,018.89
438.29	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु ऋण	227.79
492.21	पूंजीगत व्यय	1,025.76
7,547.67	कुल	8,272.44

प्रदर्श I, II तथा III हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त विवरणियों में सक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाए।
2. सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधार पर होने के नाते, प्रदर्श I में यथा प्रदर्शित सरकारी लेखाओं पर घाटा, रोकड़ आधार पर स्थिति इंगित करता है परन्तु वाणिज्यिक लेखांकन में प्रोद्भूत आधार से विपरीत है। परिणामतः, अदा की जाने वाली अथवा प्राप्य मर्दे अथवा मूल्यहास अथवा स्टॉक के आँकड़ों में विभिन्नताओं इत्यादि जैसी मर्दे लेखाओं में अंकित नहीं की जाती हैं।
3. जारी किए गए परन्तु भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से अदा किए गए भुगतान तथा अन्य समायोजन इत्यादि जो समाधान अधीन हो वे उचन्त एवं विविध बकायों में सम्मिलित होते हैं।
4. "रिजर्व बैंक के पास डिपोजिट्स" (अगस्त 1999) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया तथा लेखाओं में प्रतिबिम्बित आँकड़ों के बीच 7.62 करोड़ रूपए (निविल क्रेडिट) का अन्तर था।



प्रदर्श IV  
राज्य सरकार के वित्तों पर काल अनुक्रम आँकड़े

(रूप करोड़ों में)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
<b>भाग क. प्राप्तियाँ</b>					
(I) राजस्व प्राप्तियाँ	5,882	5,015	6,048	5,898	5,479
(क) कर राजस्व	1,888(32)	2,169(43)	2,143(35)	2,369(40)	3,120(57)
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	890(47)	1,055(49)	1,380(64)	1,553(65)	1,599(51)
राज्य उत्पाद	529(28)	553(26)	64(3)	50(2)	775(25)
वाहनों पर कर	46(2)	53(2)	62(3)	67(3)	71(2)
स्टॉम्पस एवं पंजीकरण फीस	164(9)	245(11)	273(13)	302(13)	295(10)
भू-राजस्व	1	1	2	4	4
माल एवं यात्रियों पर कर	195(10)	201(9)	260(12)	331(14)	316(10)
विजली पर कर एवं शुल्क	48(3)	47(2)	35(2)	40(2)	45(1)
अन्य कर	15(1)	14(1)	67(3)	22(1)	15(1)
(ख) कर-भिन्न राजस्व	3,473(59)	2,187(44)	3,133(52)	2,631(45)	1,518(28)
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	317(5)	360(7)	432(7)	539(9)	480(9)
(घ) भारत सरकार से सहायता अनुदान	204(4)	299(6)	340(6)	359(6)	361(6)
(II) पूंजीगत प्राप्तियाँ	897	933	1161	1,667	2,608
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
बाजरी उधार	223(25)	258(28)	317(27)	472(28)	532(20)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	412(46)	806(86)	532(46)	802(48)	1,006(39)
अन्य प्राप्तियाँ (लोक लेखे)	262(29)	(-131(-14)	312(27)	393(24)	1,070(41)
<b>भाग ख. व्यय</b>	<b>6,480</b>	<b>5,648</b>	<b>7,214</b>	<b>7,109</b>	<b>8,045</b>
(I) राजस्व व्यय	6,273(97)	5,362(95)	6,767(94)	6,617(93)	7,019(87)
योजनागत	578(9)	667(12)	726(11)	645(10)	769(11)
योजनेतर	5,695(91)	4,695(88)	6,041(89)	5,972(90)	6,250(89)
सामान्य सेवाएं	3,485(55)	2,565(48)	3,667(54)	3,261(49)	2,778(39)
आर्थिक सेवाएं	1,613(26)	1,197(22)	1,696(25)	1,779(27)	2,155(31)
सामाजिक सेवाएं	1,168(19)	1,590(30)	1,396(21)	1,577(24)	2,085(30)
ब्याज अदायगियाँ	487	556	716	820	997
राजस्व के बंकाया (कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	241(4)	242(6)	218(4)	257(5)	307(7)
स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	247	296	396	314	381
दिए गए ऋण एवं अग्रिम	337	382	395	438	228
II पूंजीगत व्यय	207(3)	286(5)	447(6)	492(7)	1,026(13)
योजनागत	241(116)	344(120)	482(108)	481(98)	866(84)
योजनेतर	(-) 34	(-) 58	(-) 35	11(2)	160(16)
सामान्य सेवाएं	6(3)	8(3)	18(4)	23(5)	28(3)
आर्थिक सेवाएं	110(53)	184(64)	235(53)	339(69)	849(83)
सामाजिक सेवाएं	91(44)	94(33)	194(43)	130(26)	149(14)
<b>भाग ग. घाटा</b>					
राजस्व घाटा	391	347	719	719	1,540
वित्तीय घाटा	535	986	1,099	1,128	2,240
समग्र आधिक्य (+)/घाटा (-) वास्तविक	(+)55	(+)42	(-)79	(-)36	(-)49
<b>भाग घ. अन्य आँकड़े</b>					
अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में)	3	3	11	22	84
ओवरड्राफ्ट	-	-	2	7	70
सराघज	24,467	27,836	34,089	37,427	43,531 <sup>(a)</sup>
बंकाया कर्ज (वर्ष के अन्त में)	5,022	6,115	6,957	8,063	10,199
बंकाया प्रतिभूतियाँ वर्ष के अन्त में ब्याज सहित	1,811	2,362	2,602	3,151	3,977
वर्ष के अन्त में दी गई प्रतिभूतियाँ	3,238	4,755	5,543	6,453	6,906
अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	उ.न.	उ.न.	उ.न.	6	6
अपूर्ण परियोजनाओं में अवसृष्ट पूंजी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	8.82	8.82


टिप्पणी : कोष्टक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उप लेखाशोधक के कुल (रकड़ें) प्रतिशततः क घातक हैं।

(a) 1998-99 हेतु सराघज, 1994-95 से 1997-98 के दौरान 16.31 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर लेकर परिकल्पित किया गया था।

\* उपलब्ध नहीं

## 1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियां मुख्यतया कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्तियों से समायुक्त होती हैं। उनके सम्बन्धित हिस्से चित्र-1 में दर्शाए गए हैं। 1997-98 की अपेक्षा वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 7 प्रतिशत तक नीचे आईं।



### कर राजस्व

1.5.2 इनमें वृहद् भाग (57 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों का होता है। 1994-99 अवधि के दौरान, यह 1994-95 में 1,888 करोड़ रूपए से बढ़कर 1998-99 में 3,120 करोड़ रूपए हो गया जिसने 65 प्रतिशत की वृद्धि अभिव्यक्त की थी। 1997-98 की अपेक्षा 1998-99 में कर राजस्व में वृद्धि बढ़कर 751 करोड़ रूपए हो गई थी जो मुख्यतः राज्य उत्पाद से प्राप्तियों में 725 करोड़ रूपए तक की वृद्धि के कारण थी। यह राज्य में अप्रैल 1998 से मद्यनिषेध समाप्त करने के कारण थी।

### कर भिन्न राजस्व

1.5.3 कर भिन्न राजस्व सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था तथा राजस्व प्राप्तियों में उनका योगदान 1994-95 के स्तर से 1998-99 में 56 प्रतिशत तक कम तथा 1997-98 में 42 प्रतिशत तक कम हो गया था तथा यह अवरोह 2 अंकों वाली लॉटरी स्कीम की बिक्री के निलम्बन तथा टिकटों की बिक्री को हरियाणा राज्य तक ही सीमित करने इत्यादि के कारण था।

### संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान

1.5.4 वर्ष के दौरान संघीय करों (उत्पाद शुल्क तथा आय एवं निगम कर) में राज्य का हिस्सा 11 प्रतिशत तक घट गया था जबकि केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान गत वर्ष की तुलना में लगभग स्थिर रहे। तथापि, राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ये प्राप्तियां 1994-95 में 9 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 15 प्रतिशत हो गई थी। ऐसा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य


के हिस्से तथा सहायता अनुदान के हिस्से में वृद्धि के कारण था। तथापि, 1997-98 की तुलना में संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में 1998-99 के दौरान अवरोह था।

## 1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान 6 प्रतिशत तक बढ़ गया था जैसा कि प्रदर्श IV में विवरणित किया गया है। तथापि, वृद्धि केवल योजनेतर पक्ष की ओर वेतनमानों में संशोधन के कारण थी।

### योजना तथा योजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि

(रूप करोड़ों में)



1.6.2 क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय 1994-95 में 3,485 करोड़ रूपए से 20 प्रतिशत तक की कमी दर्शाते हुए 1998-99 में 2,778 करोड़ रूपए हो गया था। तथापि, इसे इस तथ्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि यह कमी दो अंकों वाली लॉटरी टिकटों की बिक्री इत्यादि के निलम्बन के कारण है, क्योंकि "सामान्य सेवाओं" के अन्तर्गत वर्गीकृत पुरस्कार राशि, कमीशन, टिकटों के मुद्रण इत्यादि के रूप में भारी मात्रा में व्यय के लिए लॉटरियां हेतुक थी। राज्य लॉटरियों पर किए गए व्यय को निकाल कर 1994-99 के दौरान सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय वास्तव में 122 प्रतिशत तक बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि क्रमशः 79 तथा 34 प्रतिशत की थी। कुल राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 1994-95 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 31 प्रतिशत हो गयी थी तथा सामाजिक सेवाओं की 1994-95 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 30 प्रतिशत हो गई थी जबकि सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी 1994-95 में 55 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 39 प्रतिशत रह गई थी (उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार)।

### ब्याज अदायगियां

1.6.3 ब्याज अदायगियां 1994-95 में 487 करोड़ रूपए से अनवरत 105 प्रतिशत तक बढ़कर 1998-99 में 997 करोड़ रूपए हो गई। इसे वित्तीय संकेतकों पर अनुभाग में और चर्चित किया गया है।



**स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता**

1.6.4 1998-99 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों इत्यादि को प्रदत्त सहायता की मात्रा निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण इत्यादि	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(रूपे करोड़ों में)						
1	विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान	47.55	90.25	94.48	101.55	102.12
2	नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	8.91	13.68	170.70	102.46	103.76
3	जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थान	45.16	31.71	11.28	1.44	2.67
4	विकास अभिकरण	--	-	42.50	48.67	87.27
5	चिकित्सालय तथा अन्य धार्मिक संस्थाएं	--	-	8.98	5.63	8.39
6	अन्य संस्थाएं (साविधिक निकायों सहित)	144.91	160.62	68.38	54.51	76.55
	<b>कुल</b>	<b>246.53</b>	<b>296.26</b>	<b>396.32</b>	<b>314.26</b>	<b>380.76</b>
	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+) / कमी (-) की प्रतिशतता	26	20	34	(-)21	21
	राजस्व प्राप्तियों के रूप में सहायता की प्रतिशतता	4	6	7	5	7
	राजस्व व्यय से सहायता की प्रतिशतता	4	6	6	5	5

1994-95 की तुलना में, जिला परिषदों तथा पंचायती राज संस्थानों को दी गई सहायता नगण्य (42.49 करोड़ रूपे तक कम) हो गई जबकि नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं को दी गई सहायता 1998-99 के दौरान 11 गुणा से भी अधिक बढ़ गई थी। यद्यपि समग्र आधार पर स्थानीय निकायों तथा अन्यो को दी गई वित्तीय सहायता 1997-98 की तुलना में 1994-99 के दौरान 54 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

**राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम**

1.6.5 सरकार सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक गतिविधियों हेतु ऋण एवं अग्रिम देती है। 1994-95 से 1998-99 तक गत पाँच वर्षों हेतु नीचे दी गई स्थिति यह दर्शाती है कि 1994-98 के गत वर्षों की तुलना में संस्थानों को 1998-99 के दौरान कम अग्रिम दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में 1998-99 के अन्त शेष 29 प्रतिशत तक कम हो गए थे। यद्यपि वसूलियों का मुख्य हिस्सा बिजली परियोजनाओं हेतु दिए गए ऋणों से सम्बन्धित था, तथापि, ये वास्तविक वसूलिएं नहीं थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा

ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु ऋणों को परिदान में परिवर्तित करके समायोजनों को निरूपित करती थी।

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
	(रूपए करोड़ों में)				
आदि शेष	1292	1230	1273 <sup>@</sup>	1207	1123
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	337	382	395	438	228
वर्ष के दौरान वापिस दी गई राशि	399	29	461	522	554
अन्त शेष	1230	1583	1207	1123	797
निविल जमा (+)/कमी (-)	(-)62	353	(-)66	(-)84	(-)326
प्राप्त ब्याज	360	113	117	108	7

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा पूर्ववर्ती मार्च के अन्त पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं के विषय में ऋणों के मूलधन एवं ब्याज की वसूलियों में बकायों को प्रतिवर्ष जुलाई तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को सूचित किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 1998-99 के दौरान, 14 विभागीय अधिकारियों से 130 विवरणियां प्राप्य थी जिसमें से 2 विभागीय अधिकारियों से केवल 15 विवरणियां प्राप्त हुई थी। इन विवरणियों के अनुसार 31 मार्च 1999 को 179.49 करोड़ रूपए (मूलधन: 78.23 करोड़ रूपए तथा ब्याज : 101.26 करोड़ रूपए) की वसूली बकायों में थी।

## 1.7 पूंजीगत व्यय

1.7.1 पूंजीगत व्यय से आमतौर पर परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार से बाहर संस्थानों अथवा उपक्रमों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.), निगमों आदि में निवेशित राशि तथा ऋणों एवं अग्रिमों से वित्तीय परिसम्पत्तियां उद्भूत होती हैं। पूंजीगत व्यय 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 38 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 396 प्रतिशत हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप कुल व्यय\* में इसका हिस्सा 1994-95 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 13 प्रतिशत हो गया था। प्रदर्श IV दर्शाता है कि अधिकतर पूंजीगत व्यय (83 प्रतिशत) आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर तथा योजना पक्ष पर हुआ था जबकि सामाजिक सेवाओं पर यह 1994-95 में 44 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 14 प्रतिशत रह गया था।

## 1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए नियामक कार्यों तक श्रृंखलित विभिन्न गतिविधियों के लिए धनराशि व्यय करती है। सरकारी व्यय मुख्यतया योजना एवं योजनेतर तथा राजस्व एवं पूंजीगत में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि योजनागत एवं पूंजीगत व्यय सामान्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन से सम्बन्धित है, योजनेतर तथा राजस्व व्यय, स्थापना, रख-रखाव तथा सेवाओं पर व्यय से सम्बन्धित हैं। अतः, परिभाषा

<sup>@</sup> ऋण को शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के कारण पूंजीगत अनुभाग को प्रोफार्मा पर अन्तर्गत 310 करोड़ रूपए से रहित है।

\* राजस्व व्यय जमा पूंजीगत व्यय



द्वारा, सामान्य तौर पर, योजनागत तथा पूंजीगत व्यय, व्यय की गुणवत्ता को सुधारने में योगदान करने की दृष्टि से देखा जा सकता है।

1.8.2<sup>1</sup> लोक व्यय में अपव्यय, निधियों का विपथन तथा अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियां व्यय की गुणवत्ता का महत्वपूर्णतः अतिक्रमण करती हैं। इसी प्रकार, लोक लेखे में डिपोजिट लेखाशीर्षों को अन्तर्गत निधियों पर उन्हें व्यय के रूप में बुक करने के पश्चात्, व्यय की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए विचार किया जा सकता है। क्योंकि व्यय सम्बन्धित वर्ष में वास्तविकतः खर्च नहीं किया गया था, इसे वित्तीय उपलब्धियों के उद्देश्य हेतु उस वर्ष के व्यय के आँकड़ों से निकाल दिया जाना चाहिए। सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए हानिकार का एक अन्य सम्भावित सूचक है।

1.8.3 1994-99 के दौरान योजनेतर एवं योजना के अन्तर्गत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के विवरण निम्नानुसार थे:

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
राजस्व व्यय					
योजनेतर	5,695	4,695	6,041	5,972	6,250
योजनागत	578	667	726	645	769
पूंजीगत व्यय					
योजनेतर	(-) <sup>34</sup>	(-) <sup>58</sup>	(-) <sup>35</sup>	11	160
योजनागत	241	344	482	481	866

निम्नलिखित तालिका इन संकेतकों में प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करती है:

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1. - राजस्व व्यय - पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय	9 116 <sup>@</sup>	12 120 <sup>@</sup>	11 108 <sup>@</sup>	10 98	11 84
2. पूंजीगत व्यय (कुल व्यय का प्रतिशत)	3	5	6	7	13
3. सामान्य सेवाओं पर व्यय (प्रतिशत)					
- राजस्व	55	48	54	49	39
- पूंजीगत	3	3	4	5	3
(रूप करोड़ों में)					
4. नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाई गई फजूलखर्ची तथा निधियों के विपथन की राशि	0.10	20.03	1.73	3.42	82.87
5. अपूर्ण परियोजनाओं पर अलाभकारी व्यय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	8.82	8.82

उ.न. : उपलब्ध नहीं

यह देखा जा सकता है कि पूंजीगत पक्ष की ओर योजनागत व्यय का हिस्सा 1996-97 से कम हो रहा था।

<sup>@</sup> 100 प्रतिशत से अधिक व्यय योजनेतर व्यय में ऋणात्मक व्यय के कारण है।

### 1.8.4 विस्तृत आकस्मिक बिलों का अप्रस्तुतिकरण

हरियाणा सरकार से सम्बन्धित 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 3.1.7 में निदेशक, पशु पालन द्वारा वर्ष 1995-98 के दौरान वित्तीय नियमों की सकल अनुपालना में, आकस्मिक सार (आसा.) बिलो पर आहरित किए गए 6.58 करोड़ रूपए से सम्बन्धित विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिल जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अगस्त 1998 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उनके विषय में चर्चा की गई है। आगे, प्रगतिया सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 1999)। उसी दौरान, निदेशक ने दवाइयों, उपस्कर, पशुचारा/आहार इत्यादि की खरीद हेतु हरियाणा कोषालय, चण्डीगढ़ से अगस्त 1998 में आकस्मिक सार बिलों पर 1.08 करोड़ रूपए का एक अन्य अग्रिम प्राप्त किया। इस आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अक्टूबर 1999 तक विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अपिच, स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (स्ना.चि.वि.सं.), रोहतक के अभिलेखों की छानबीन ने प्रकट किया कि निदेशक, स्ना.चि.वि.सं. ने 86 आकस्मिक सार बिलो पर 1994-95 से 1998-99 के दौरान उपस्कर, पुस्तकालय पुस्तको, इत्यादि के क्रय हेतु कुल 6.34 करोड़ रूपए के अग्रिम प्राप्त किए परन्तु संस्थान ने सितम्बर 1999 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को आकस्मिक सार बिलों के समायोजन हेतु केवल 26.33 लाख रूपए के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत किए थे।

विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतिकरण में असाधारण विलम्ब, निधियों की उपयोगिता की सत्यता के बारे में सदेह पैदा करता है तथा देरी हेतु जिम्मेवारी नियत करने के लिए अन्वेषण की मांग करता है।

### 1.9 वित्तीय प्रबन्धन

सरकार में वित्तीय प्रबन्धन का मुद्दा इसके राजस्व तथा व्यय परिचालनों की दक्षता, भितव्ययता तथा प्रभाविकता से सम्बन्धित होना चाहिए। नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्याय इन मुद्दों के विषय में विशेष रूप से विस्तार से संव्यवहार करते हैं क्योंकि ये सरकार में व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित हैं। कुछ अन्य आयाम, जिन्हें एकाऊँटस तथा सरकार की अन्य सम्बन्धित वित्तीय सूचना से पृथक किया जा सकता है, इस अनुभाग में चर्चित किए गए हैं।

#### 1.9.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपिणात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पूजीगत परिव्यय में से निवेश किए जाते हैं। किए गए निवेशों के क्षेत्र-वार विवरण

तथा आवेष्टित संस्थानों की संख्या निम्नानुसार थी:

क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या	निवेशित राशि	
		31.03.1999 को	1998-99 के दौरान
		(रूपए करोड़ों में)	
(1) साविधिक निगम	7	1,535.82	-
(2) सरकारी कम्पनियां	22	501.40	328.29
(3) संयुक्त स्टॉक कम्पनियां	31	1.75	-
(4) सहकारी संस्थान	804	185.35	(-)2.04 <sup>5</sup>
<b>कुल</b>	<b>864</b>	<b>2,224.32</b>	<b>326.25</b>

निवेशों तथा लाभांश तथा ब्याज के तरीके से गत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त प्रतिलाभों के विवरण निम्नानुसार थे :

वर्ष	वर्ष के अन्त में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ की प्रतिशतता	सरकार के उधार पर ब्याज की दर (प्रतिशत)
(रूपए करोड़ों में)				
1994-95	1,463.75	7.02	0.48	12.50
1995-96	1,523.84	3.15	0.21	14.00
1996-97	1,865.90	4.53	0.24	13.85 तथा 13.75
1997-98	1,898.07	2.38	0.13	13.05 तथा 12.30
1998-99	2,224.32	2.21	0.10	12.15 तथा 12.50

अतः, जबकि सरकार ऊँची लागत पर उधार ले रही थी, सरकारी कम्पनियों इत्यादि में इसके निवेश अल्पमात्र प्रतिलाभ ही ला सके। 31 मार्च 1999 को, 5 सरकारी कम्पनियां जिनमें सरकार ने 27.32\* करोड़ रूपए निवेशित किए थे, हानि में चल रही थी तथा 1993-94 से 1998-99 तक विभिन्न वर्षों हेतु इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार 104.17 करोड़ रूपए की हानि संचित हो गई थी। 1994-95 से 1998-99 तक की विभिन्न अवधियों हेतु 15 कम्पनियों ने अपने लेखाओं को अन्तिम नहीं किया था।

### 1.9.2 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

296.48 करोड़ रूपए के पूंजीगत परिव्यय वाली 7 वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के मार्च 1999 के अन्त पर वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 1998-99 के दौरान इनसे संगृहीत राजस्व (31.62 करोड़ रूपए) पूंजीगत परिव्यय का केवल 10.66 प्रतिशत था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (45.14 करोड़ रूपए) तथा ब्याज प्रभार (15.09 करोड़ रूपए) पूरे करने के पश्चात्, स्कीमों ने 28.61 करोड़ रूपए की शुद्ध हानि उठाई।

### 1.9.3 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 1999 को, 6 अपूर्ण परियोजनाएं थी जिनमें 8.82 करोड़ रूपए अवरूद्ध थे। 31 मार्च 1998 को भी वही स्थिति थी।

<sup>5</sup> वर्ष के दौरान किया गया 3.17 करोड़ रूपए का निवेश शामिल है तथा वापिस आई पूंजी हेतु 5.21 करोड़ रूपए शामिल नहीं है।  
\* वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1998-99 के अनुसार।

### 1.9.4 राजस्व के बकाया

संग्रहण हेतु लम्बित राजस्व के बकाया, जब उनकी तुलना 1997-98 के लम्बित बकायों के साथ की गई तो वे वर्ष के दौरान 19 प्रतिशत तक बढ़े थे। लम्बित बकाया पाँच वर्षों के दौरान 27 प्रतिशत तक बढ़े थे (प्रदर्श IV)। मार्च 1999 को 307.06 करोड़ रूपए के बकायों में से 95.12 करोड़ रूपए (31 प्रतिशत) पाँच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे तथा मुख्यतः 'बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर' (55.55 करोड़ रूपए) तथा 'बिजली पर कर एवं शुल्क' (25.54 करोड़ रूपए) से सम्बन्धित थे। राजस्व के बकायों की समग्र दुर्दशा यह दर्शाती थी कि राज्य सरकार की राजस्व प्रयासों में ढील तथा अवरोही कर अनुपालना थी।

### 1.9.5 अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबन्ध के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 1998 से 28 फरवरी 1999 तक सभी दिनों में 30 लाख रूपए तथा 1 मार्च 1999 से आगे 1.14 करोड़ रूपए का न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष प्रतिदिन अनुरक्षित करना था। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम रह जाता है तो कमी को समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.ड्रा.) लेकर पूरा किया जाता है। 1 अप्रैल 1998 से 28 फरवरी 1999 तक साधारण के लिए सीमा 50.40 करोड़ रूपए तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के लिए 9.60 करोड़ रूपए थी। तथापि, 1 मार्च 1999 से आगे साधारण अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमा बढ़ाकर 99 करोड़ रूपए कर दी गई थी। 1994-95 से 1998-99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट तथा तदोपरी प्रदत्त ब्याज के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 1998-99 के दौरान इन दोनों मदों के अन्तर्गत 1997-98 की अपेक्षा भारी वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। इस का अर्थ यह भी है कि सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के बीच महत्वपूर्ण दुर्भेद था तथा इस प्रकार इसने सरकार के वित्तीय प्रबन्धन को प्रतिकूलतः प्रतिबिम्बित किया।

वर्ष	अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट		
	वर्ष के दौरान लिया गया अग्रिम (सकल)	वर्ष के अन्त में शेष अग्रिम	प्रदत्त ब्याज	वर्ष के दौरान लिया गया (सकल)	वर्ष के अन्त में शेष अग्रिम	प्रदत्त ब्याज
(रूपए करोड़ों में)						
1994-95	2.14	-	-*	-	-	-
1995-96	8.05	-	-**	-	-	-
1996-97	94.19	6.40	0.11	39.30	-	0.03
1997-98	165.75	-	0.27	49.14	-	0.09
1998-99	497.89	18.41	0.66	579.55	-	0.28

\* केवल 0.19 लाख रूपए।

\*\* केवल 0.57 लाख रूपए।



1.9.6 घाटा

1.9.6.1 सरकारी एकाँऊट में घाटे, प्राप्तियों तथा भुगतानों के बीच अन्तराल हैं। घाटे की प्रवृत्ति सरकार में वित्तीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आगे, घाटे के वित्तपोषण के उपाय तथा इस प्रकार बनाई गई निधियों के अनुप्रयोग सरकार के वित्तीय विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस अनुभाग में चर्चा घाटे की तीन धारणाओं अर्थात् राजस्व घाटे, वित्तीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे से सम्बन्धित है।

1.9.6.2 राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का आधिक्य है। वित्तीय घाटा, राजस्व प्राप्तियों (सहायता अनुदानों सहित) से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (शुद्ध ऋणों सहित) का आधिक्य है। प्राथमिक घाटा, वित्तीय घाटा नफी ब्याज अदायगियां है। निम्नलिखित प्रदर्श 1998-99 के दौरान सरकारी एकाँऊट में घाटे का विघटन देता है:

समेकित निधि (स.नि.)				
प्राप्तियां	राशि (रूपए करोड़ों में)		संवितरण	राशि (रूपए करोड़ों में)
राजस्व	5,479	राजस्व घाटा : 1,540	राजस्व	7,019
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-		पूंजी	1,026
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	554		ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	228
उप योग	6,033	सकल वित्तीय घाटा: 2,240	उप योग	8,273
लोक कर्ज	2,615		लोक कर्ज की वापसी	1,496
कुल	8,648	क: समेकित निधि में घाटा :1,121	कुल	9,769
लोक लेखा				
अल्प बचतें, भ.नि. इत्यादि	1,011		अल्प बचतें, भ.नि., इत्यादि	267
डिपोजिट तथा अग्रिम	1,173		डिपोजिट तथा अग्रिम	929
आरक्षित निधियां	67		आरक्षित निधियां	34
उचन्त तथा विविध	234		उचन्त तथा विविध	193
प्रेषण	1,054		प्रेषण	1,042
कुल	3,539	ख: लोक लेखे द्वारा वित्त पोषित स.नि. में घाटा :1,074	कुल	2,465
रोकड़ शेष में कमी (क-ख) :47				

तालिका दर्शाती है कि 1,540 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा आशिकतः ऋणों एवं अग्रिमों की शुद्ध वसूली (326 करोड़ रूपए) तथा मुख्यतः उधारों से पूरा किया गया था। 2,240 करोड़ रूपए का वित्तीय घाटा लोक कर्ज के शुद्ध अर्थागमों (1,119 करोड़ रूपए) तथा आशिकतः लोक लेखे से आधिक्य (1,074 करोड़ रूपए) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रदर्श IV दर्शाता है कि दोनों घाटों ने गत पाँच वर्षों में आरोही प्रवृत्ति दर्शाई है।

1.9.6.3 उधार ली गई निधियों का अनुप्रयोग (वित्तीय घाटा)

वित्तीय घाटा, सरकार के कुल शुद्ध उधारों को निरूपित करता है। ये उधार, राजस्व घाटे (रा.घा.), पूंजीगत व्यय (पू.व्य.) पूरा करने के लिए तथा विकासात्मक एवं अन्य उद्देश्यों हेतु विभिन्न निकायों को ऋण देने के लिए अनुप्रयोग किए गए हैं। इन अनुप्रयोगों के सम्बन्धित समानुपात राज्य सरकार के वित्तीय विवेक तथा इसके परिचालनों की कायमता को भी इंगित



करते हैं क्योंकि राजस्व व्यय के लिए लगातार उधार लेना अन्ततोगत्वा प्रोत्साहनीय नहीं होगा। निम्नलिखित तालिका हरियाणा सरकार के सम्बन्ध में गत पाँच वर्षों की स्थिति दर्शाती है:

अनुपात	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
रा.घा./वि.घा.	0.73	0.35	0.65	0.64	0.69
पू.व्य./वि.घा.	0.39	0.29	0.41	0.44	0.46
शुद्ध ऋण/वि.घा.	(-) 0.12	0.36	(-) 0.06	(-) 0.08	(-) 0.15
कुल	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

यह देखा जा सकता है कि जब अधिक से अधिक उधार ली गई निधियां गत तीन वर्षों में राजस्व व्यय पूरा करने के लिए अनुप्रयोग की गई थी, 1998-99 के दौरान पूंजीगत व्यय केवल पिछले ऋणों हेतु प्राप्त चुकौतियों के कारण ही सम्भव हो सके क्योंकि ये सवितरणों से अधिक थे। यदि राजस्व व्यय को नियन्त्रित नहीं किया जाता है तो पूंजी ढाँचा अवश्यमेव आक्रान्त होगा। आगे, पूंजीगत व्यय की उत्पादकता, सिंचाई निर्माण कार्यों में शुद्ध हानि तथा पूंजी पर अमहत्वपूर्ण प्रतिलाभ के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद संख्या 1.9.1 तथा 1.9.2 में चर्चित किया गया है।

### 1.9.7 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थानों आदि द्वारा लिए गए ऋणों, शेयर पूंजी इत्यादि की चुकौती करने तथा उन द्वारा ब्याज एवं न्यूनतम लाभांश की अदायगी करने जैसी कुछ देयताओं के विधिवत् निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूतियां दी जाती हैं। ये राज्य की आकस्मिक देयताएं होती हैं। राज्य विधान-सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जो राज्य की समेकित निधि की जमानत पर सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता हो। प्रदर्श-IV दर्शाता है कि 1994-95 से 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की राशियां 3,238 करोड़ रूपए से बढ़कर 6,906 करोड़ रूपए (113 प्रतिशत वृद्धि) हो गई थी। प्रतिभूतियां अधिकतर हरियाणा वित्तीय निगम, साविधिक निगमों तथा बोर्डों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिता बैंकों/समितियों इत्यादि के लिए दी गई थी।

### 1.10 लोक कर्ज

1.10.1 भारत का संविधान प्रावधान करता है कि राज्य, भारत के क्षेत्र के अन्दर, राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली किन्हीं ऐसी सीमाओं के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार ले सकती है। ऐसी सीमा के नियतीकरण हेतु राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। गत पाँच वर्षों के अन्त में राज्य सरकार की कुल देयताओं के विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, सरकार की कुल देयताएं 103 प्रतिशत तक बढ़ चुकी थी। यह आन्तरिक कर्ज में 100 प्रतिशत वृद्धि, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 93 प्रतिशत वृद्धि तथा अन्य देयताओं में 121 प्रतिशत वृद्धि के कारण था। 1998-99 के दौरान, सरकार ने 12.15 तथा

12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दरों पर खुले बाजार में से 172.98 करोड़ रूपए उधार लिए।

वर्ष	आन्तरिक कर्ज	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक कर्ज	अन्य देयताएं*	कुल कर्ज	कर्ज का सर.घ.उ. से अनुपात
(रूपए करोड़ों में)						
1994-95	873.67	2,542.26	3,415.93	1,605.96	5,021.89	0.21
1995-96	984.08	3,255.47	4,239.55	1,875.37	6,114.92	0.22
1996-97	1,163.93	3,576.34	4,740.27	2,217.03	6,957.30	0.20
1997-98	1,388.38	4,149.71	5,538.09	2,524.77	8,062.86	0.22
1998-99	1,747.92	4,908.98	6,656.90	3,542.03	10,198.93	0.23

1.10.2 कर्ज के माध्यम से उगाही गई राशि, चुकौती की राशि तथा शुद्ध उपलब्ध निधियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं :

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(रूपए करोड़ों में)					
आन्तरिक कर्ज <sup>##</sup>					
- प्राप्तियां	223	258	317	472	532
- चुकौतियां (मूलधन + ब्याज)	253	257	271	404	397
- उपलब्ध शुद्ध निधियां (प्रतिशत)	(-) 30	+ 1	46(15)	68(14)	135(25)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम					
- वर्ष के दौरान प्राप्ति	412	806	532	802	1,006
- चुकौतियां (मूलधन + ब्याज)	333	386	604	670	773
- उपलब्ध शुद्ध निधियां (प्रतिशत)	79(19)	420(52)	(-) 72 <sup>α</sup>	132(16)	233(23)
अन्य देयताएं					
- वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,566	1,769	2,101	2,277	2,176
- चुकौतियां + प्रदत्त ब्याज	1,484	1,653	1,949	2,184	1,421
- शुद्ध उपलब्ध निधियां (प्रतिशत)	82(5)	116(7)	152(7)	93(4)	755(35)

यह देखा जा सकता है कि चुकौती अनिवार्यताओं को पूरा करने के पश्चात् सभी वर्गों के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान निवेश तथा अन्य व्यय हेतु उधार केवल 23 से 35 प्रतिशत तक ही उपलब्ध थे। यह विचार करते हुए बकाया कर्ज वर्ष-दर वर्ष बढ़ रहे हैं तो सार्वजनिक उधारों के माध्यम से निधियों की शुद्ध उपलब्धता आगे और घटेगी।

\* अन्य देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां तथा डिपोजिट्स इत्यादि शामिल हैं।

## ये अर्थोपाय अग्रिमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाजार से लिए गए उधारों तथा संस्थानीय उधारों को निरूपित करते हैं।

α वर्ष के दौरान प्राप्तियों (मूलधन : 211 करोड़ रूपए + ब्याज : 393 करोड़ रूपए) के आधिक्य में चुकौतियों (प्रदत्त ब्याज सहित) को निरूपित करते हैं।



## 1.11 वित्तीय निष्पादन के संकेतक

1.11.1 सरकार या तो गतिविधि के अपने विद्यमान स्तर को बनाए रखने की इच्छुक हो सकती है अथवा गतिविधि के अपने स्तर को बढ़ाने में रूची रखती है। गतिविधि के अपने विद्यमान स्तर को बनाए रखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वित्तपोषण के उपाय कहाँ तक संपोषणीय हैं। इसी प्रकार, यदि सरकार गतिविधि के अपने स्तर में वृद्धि करना चाहती है तो वित्तपोषण के उपायों की लचकता की जाँच करना संगत होगा। अन्ततः, सरकार ने प्रक्रिया में अतिसवेदनशीलता बढ़ाई। सभी राज्य सरकारें मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनी गतिविधि का स्तर बढ़ाने में लगी रहती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में परिणत कर दी जाती हैं तथा राज्य बजट में प्रावधानित की जाती हैं। मोटे तौर पर, यह कहा जा सकता है कि योजनेतर व्यय सरकार द्वारा गतिविधि\* के मौजूदा स्तर के अनुरक्षण को निरूपित करता है, जबकि योजनागत व्यय गतिविधि के विस्तार हेतु आवश्यक होता है। इन दोनों गतिविधियों के लिए स्रोत सृजन की आवश्यकता होती है जिससे सरकार की अतिसवेदनशीलता में वृद्धि होती है। संक्षेप में, सरकार की वित्तीय हालत कायमता, लचकता, अतिसवेदनशीलता तथा पारदर्शकता के सामन्जस्य से विवरणित की जा सकती है। ये शब्द निम्नानुसार परिभाषित किए गए हैं:

### (i) कायमता

कायमता वह अवस्था है जिस तक सरकार विद्यमान कार्यक्रमों को बनाए रख सकती है तथा कर्जभार में वृद्धि किए बिना विद्यमान ऋणदाता आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

### (ii) लचकता

लचकता वह अवस्था है जिस तक सरकार या तो अपने राजस्वों का विस्तार करके अथवा अपने कर्जभार में वृद्धि करके आरोही वचनबद्धताओं के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने के लिए अपने वित्तीय स्रोतों में वृद्धि कर सकती है।

### (iii) अतिसवेदनशीलता

अतिसवेदनशीलता वह अवस्था है जिस तक सरकार आश्रित बन जाती है तथा इसलिए अपने नियन्त्रण अथवा प्रभाव से बाहर दोनों घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय निधिकरण स्रोतों के लिए अतिसवेदनशील हो जाती है।

### (iv) पारदर्शकता

पारदर्शकताओं के मुद्दे का सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सूचना के मुद्दे से सम्बन्ध है। यह वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) तथा लेखाओं से समायुक्त होती है। जहाँ तक बजट का सम्बन्ध है, महत्वपूर्ण आयाम समय पर प्रस्तुतीकरण हैं, जिसमें बजट की प्रक्रिया की दक्षता तथा प्राक्कलनों की शुद्धता इंगित होनी चाहिए। जहाँ तक लेखाओं का सम्बन्ध है, प्रस्तुतीकरण में समय बद्धता, जिसके लिए मील पत्थर मौजूद है तथा लेखाओं की पूर्णता एक मुख्य सिद्धान्त होगा।

\* योजना अवधि के अन्त में योजना से योजनेतर में परिणति के कुछ अपवाद हैं।

1.11.2 वित्त लेखाओं में उपलब्ध सूचना कायमता, लचकता तथा अतिसंवेदनशीलता रखने के लिए उपयोग की जा सकती है जो लेखाओं से परिकलित कुछ घाताकों/अनुपातों के सामन्जस्य में अभिव्यक्त की जा सकती है। ऐसे घाताकों/अनुपातों की एक सूची परिशिष्ट (पृष्ठ 28) में दी गई है। निम्नलिखित तालिका 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि में इन घाताकों/अनुपातों के व्यवहार को इंगित करती हैं

राज्य सरकार की वित्तीय हालत की स्थिति हेतु घाताकों/अनुपातों के प्रभाव आगे दिए गए अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>कायमता</b>					
विरा.शे. (रूपए करोड़ों में)	(-) 4.00	92.00	(-) 304.00	(-) 402.00	(-) 1,085.00
प्राथमिक घाटा (प्रा.घा.) (रूपए करोड़ों में)	48.00	430.00	383.00	308.00	1,243.00
व्याज अनुपात	0.002	0.063	0.082	0.103	0.154
पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियां	0.23	0.31	0.38	0.29	0.39
कुल कर प्राप्तियां/सरा.घ.उ.*	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
राज्य कर प्राप्तियां/सरा.घ.उ.	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07
निवेश पर प्रतिलाभ	0.0048	0.0021	0.0024	0.0013	0.0010
<b>लचकता</b>					
विरा.शे. (रूपए करोड़ों में)	(-) 4.00	92.00	(-) 304.00	(-) 402.00	(-) 1,085.00
पूँजीगत चुकौतियां/पूँजीगत उधार	0.37	0.23	0.42	0.37	0.28
राज्य कर प्राप्तियां/सरा.घ.उ.	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07
कर्ज/सरा.घ.उ.	0.21	0.22	0.20	0.22	0.23
<b>अतिसंवेदनशीलता</b>					
राजस्व घाटा (रा.घा.) (रूपए करोड़ों में)	391.00	347.00	719.00	719.00	1,540.00
वित्तीय घाटा (वि.घा.) (रूपए करोड़ों में)	535.00	986.00	1,099.00	1,128.00	2,240.00
प्राथमिक घाटा (प्रा.घा.) (रूपए करोड़ों में)	48.00	430.00	383.00	308.00	1,243.00
प्रा.घा./वि.घा.	0.09	0.44	0.35	0.27	0.55
रा.घा./वि.घा.	0.73	0.35	0.65	0.64	0.69
बकाया प्रतिभूतियां/राजस्व प्राप्तियां	0.31	0.47	0.43	0.53	0.73
परिसम्पत्तियां/देयताएं	1.10	1.03	0.92	0.84	0.73

- नोट : 1. वित्तीय घाटा: राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + शुद्ध ऋणों एवं अग्रिमों - राजस्व प्राप्तियों के रूप में परिकलित किया गया है।
2. पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात में, आन्तरिक ऋण + भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम + अल्प बचतों, भ.नि. इत्यादि से शुद्ध प्राप्तियां + राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों से प्राप्त पुनर्भुगतान - राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण हर के रूप में लिया गया है।

\* संशोधित सरा.घ.उ. के आँकड़ों को अपनाने के कारण गत वर्ष के आँकड़ों से भिन्न है।



**कायमता****(i) विद्यमान राजस्वों से शेष (वि.रा.शे.)**

वि. रा.शे., राजस्व प्राप्तियां (-) योजनागत सहायता अनुदान (-) योजनेतर राजस्व व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक धनात्मक वि.रा.शे. दर्शाता है कि योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास इसके राजस्वों से आधिक्य है।

तालिका दर्शाती है कि वि.रा.शे. 1996-97 में अति ऋणात्मक हो गया था तथा 1998-99 में यह (-) 402 (1997-98) से तीव्रता से नीचे आया तथा (-) 1085 हो गया था। 1997-98 से कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण कमी, 1998-99 में केन्द्रीय करों में प्राप्त कम आबंटन तथा मुख्यतः वेतनमानों में संशोधन के कारण योजनेतर व्यय में वृद्धि इस तीव्र अवरोह के मुख्य कारण थे। परिणामतः इन वर्षों में अपनी वार्षिक योजनाओं के निधिकरण हेतु राज्य के पास चालू राजस्वों से कोई आधिक्य नहीं था।

**(ii) ब्याज अनुपात**

जितना अधिक अनुपात होगा नए कर्ज के शोधन हेतु तथा राजस्व प्राप्तियों से अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सरकार की योग्यता उतनी ही कम होगी।

हरियाणा के मामले, में ब्याज अनुपात 1994-95 में 0.002 से बढ़कर 1998-99 में 0.154 हो गया था जो इस बात का संकेतक था कि पिछले उधारों पर ब्याज अदायगियों ने गम्भीर समानुपात धारण कर लिया था तथा सरकार के कार्यक्रम व्ययों में बहुत बड़ी बाधा बनी थीं।

**(iii) पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां**

यह अनुपात इंगित करता है कि पूंजी संरचना के लिए पूंजीगत प्राप्तियां किस मात्रा तक अनुप्रयोग की गई हैं। एक से कम अनुपात दीर्घावधि तक कायम नहीं रहता क्योंकि यह इंगित करता है कि पूंजी का एक भाग मात्र अनुत्पादक राजस्व व्यय की ओर विपथित किया जा रहा है। प्रतिकूलतः, एक से अधिक अनुपात इंगित करता है कि पूंजी निवेश, राजस्व आधिक्यों से भी किए जा रहे थे। इस अनुपात का प्रवृत्ति विश्लेषण राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन पर प्रकाश डालेगा। आरोही प्रवृत्ति का अर्थ होगा निष्पादकता में सुधार।

हरियाणा के मामले में, पूंजीगत प्राप्तियों से पूंजीगत परिव्यय का अनुपात एक से कम था जिससे यह संकेत मिलता था कि इन सभी वर्षों में पूंजीगत प्राप्तियों का एक बहुत बड़ा भाग राजस्व व्यय पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। पूंजी की कम उपलब्धता पर पूंजीगत निवेशों के नगण्य प्रतिलाभ के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 1.9.1 तथा 1.9.2)।

**(iv) कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)**

कर प्राप्तियां, राज्य करों तथा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से से समायुक्त होती हैं केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से को राज्य में रह रहे लोगों द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय करों के रूप में देखा जा सकता है। कर प्राप्तियां कायमता प्रदर्शित करती हैं। परन्तु स.रा.घ.उ. से कर के अनुपात का लचकता से भी निहितार्थ होता है। जबकि कम अनुपात संकेत देगा कि राज्य अधिक कर लगा सकता है

तथा इसलिए लचकता को भी इंगित करेगा, ऊँचा अनुपात न केवल वित्त के इस स्रोत की सीमाओं को बताएगा परन्तु इसकी अपरिवर्तनीयता को भी बताता है।

हरियाणा के मामले में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात यद्यपि 1997-98 की तुलना में 1998-99 के बिन्दु आधार पर 0.01 प्रतिशत तक सुधर गया था, यह 1994-96 के बिन्दु आधार से अभी भी कम था। यह दर्शाता है कि यदि सरकार राजस्व संग्रहण के अनुपात तथा तत्तुल्यात्मक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि को अनुरक्षित कर लेता तो इसकी वित्तीय कठिनताएं कम हो जाती।

**(v) निवेश पर प्रतिलाभ (नि.प.प्र.)**

नि.प.प्र. आमदनियों का नियोजित पूंजी से अनुपात है। उच्च निवेश पर प्रतिलाभ कायमता का सूचक है।

तालिका सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थानों में सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ दर्शाती है। यह दर्शाती है कि हरियाणा सरकार के मामले में नि.प.प्र. नगण्य था क्योंकि यह महत्वपूर्णतः एक प्रतिशत से भी कम था। क्योंकि निवेश उधार ली गई निधियों से किए जाते हैं। महत्वपूर्ण वापिसियां उन्हें कायम न रहने योग्य बनाती है।

**लचकता**

**(vi) पूंजी की चुकौतियां बनाम पूंजी उधार**

यह अनुपात इंगित करता है कि निवेश के लिए, किस सीमा तक पूंजीगत उधार, पूंजी की चुकौतियों के पश्चात् उपलब्ध है। अनुपात जितना कम होगा निवेश हेतु पूंजी की उपलब्धता उतनी अधिक होगी।

उधारों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण अनुपात औसतन रूप से 1994-95 के 0.37 से अल्पमात्रा में घटकर 1998-99 में 0.28 हो गया।

**(vii) कर्ज बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)**

स.रा.घ.उ. राज्य सरकार का कुल आन्तरिक संसाधन आधार है जिसे ऋणशोधन हेतु उपयोग किया जा सकता है। कर्ज/स.रा.घ.उ. का बढ़ता हुआ अनुपात इस बात को स्पष्ट करता है कि अपनी कर्ज अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए सरकार की समर्थता कम है तथा इस प्रकार, उधारदाता के लिए बढ़ते जोखिम का द्योतक है।

हरियाणा के मामले में यह अनुपात 1994-95 में 0.21 से बढ़कर 1998-99 में 0.23 हो गया। विश्लेषण दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान राज्य का कर्ज सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर की अपेक्षा बड़ी तीव्र दर से बढ़ा तथा इस प्रकार कायम रहने योग्य नहीं था।

**(viii) राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा**

राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का आधिक्य है तथा उधारों आदि द्वारा राजस्व व्यय के वित्तपोषण का द्योतक है। निस्संदेह, जितना राजस्व घाटा अधिक होगा, राज्य उतना ही



अधिक संवेदनशील होगा। क्योंकि वित्तीय घाटा सभी उधारों के जोड़ का द्योतक है, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में यह इंगित करेगा कि राज्य सरकार के उधार किस सीमा तक अनुत्पादक राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। अतः, जितना अनुपात अधिक होगा राज्य की हालत उतनी ही खराब होगी क्योंकि यह इंगित करेगा कि कर्ज भार राज्य की वापसी अदायगी क्षमता बढाए बिना बढ रहा है।

अनुपात 1995-96 से लगभग 100 प्रतिशत बढ गया है जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य का कर्ज भार बढतर हो रहा था तथा उधार ली गई निधियों से परिसम्पत्तियों के सृजन के अवसर घट गए थे।

**(ix) प्राथमिक घाटा बनाम वित्तीय घाटा**

प्राथमिक घाटा, वित्तीय घाटा(-) ब्याज अदायगियां होता है। इसका अर्थ है कि जितना अनुपात का मूल्य कम होगा उतनी ही पूंजी निवेश हेतु निधियों की कम उपलब्धता होगी।

उधारों में तीव्र वृद्धि के कारण इस अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि थी।

**(x) प्रतिभूतियां बनाम राजस्व प्राप्तियां**

लम्बित प्रतिभूतियां, सरकार द्वारा जारी सुविधा पत्रों सहित, राज्य सरकार के जोखिम पहलू को इंगित करती है तथा इसलिए सरकार की भुगतान करने, जैसे कि अपने राजस्व प्राप्तियों की योग्यता के साथ तुलना करनी चाहिए। अतः, सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों से कुल लम्बित प्रतिभूतियों का अनुपात राज्य सरकार के अतिसवेदनशील घातांक का संकेतक होगा।

हरियाणा के मामले में, यह अनुपात 1994-95 से वृद्धि की ओर अग्रसर था तथा 1998-99 के दौरान यह गत वर्ष की अपेक्षा महत्वपूर्णतः बढा था जबकि राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष की तुलना में घटी थी। परिणामस्वरूप, प्रतिभूतियों ने राजस्व प्राप्तियों के बढते हुए वृहद भाग को आवृत किया। यह प्रवृत्ति राज्य के वित्तों की अतिसवेदनशीलता तथा अधिक जोखिम के प्रकाट्य में वृद्धि दर्शाती है।

**(xi) परिसम्पत्तियां बनाम देयताएं**

यह अनुपात मूलतः वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से सम्बन्धित है जैसा कि प्रदर्श-1 में दिया गया है तथा सरकार की सम्पन्नता की ओर इशारा करता है। एक से अधिक अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य सरकार सम्पन्न है (परिसम्पत्तियां देयताओं से अधिक है) जबकि एक से कम अनुपात विपरीत का संकेतक है।

यह अनुपात 1996-97 से एक से नीचे आ गया था जो कि अतिसवेदनशीलता में वृद्धि का संकेतक है क्योंकि पूंजी परिसम्पत्तियों में बढौतरी करने की अपेक्षा राजस्व घाटे के लिए अनुप्रयोग की जा रही थी।

**पारदर्शकता**

**(xii) बजट**

आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राज्य का वार्षिक बजट गत वित्तीय वर्ष के मार्च महीने में प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, 1998-99 का वार्षिक बजट जुलाई 1998 में प्रस्तुत किया गया था क्योंकि लोक सभा चुनावों के पश्चात् केन्द्र में नई सरकार बनने के कारण आयोजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना आकार अन्तिम नहीं किया जा सका था तथा राज्य राजकोष को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता की वास्तविक मात्रा के भाग को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

खनाना	प्रस्तुत करने का महीना	अनुमोदन का महीना
लेखानुदान	जनवरी 1998	जनवरी 1998
बजट	जुलाई 1998	जुलाई 1998
पूरक	फरवरी 1999	फरवरी 1999

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट प्राक्कलनों में विचलनों तथा वास्तविक व्यय का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है तथा इसके साथ ही साथ बजट की प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा व्यय पर नियन्त्रण के विषय में भी दिया गया है। यह दोषपूर्ण बजट बनाने तथा व्यय पर अपर्याप्त नियन्त्रण को इंगित करता है जैसा कि अन्तिम संशोधित अनुदान की तुलना में प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण राशियों का निरन्तर पुनर्ग्रहण (अभ्यर्पण) तथा अन्तिम संशोधित अनुदान एवं वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण विभिन्नताओं (आधिक्य/बचत) से स्पष्ट है जैसा कि नीचे विवरणित किया गया है:

		अनुच्छेद	(रूपए करोड़ों में)
(i)	1994-99 की अवधि हेतु नियमन हेतु अपेक्षित प्रावधान का आधिक्य	2.3.1	760.18
(ii)	पर्याप्त बचतें	2.3.4	1,278.27
(iii)	पर्याप्त आधिक्य	2.3.4	728.90
(iv)	वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों का अभ्यर्पण	2.3.7	1,498.35

**(xiii) लेखे**

1998-99 के दौरान कोषालयों/विभागों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में कोई महत्वपूर्ण देरी नहीं थी। तथापि, 5 कोषालयों (कुल 21 कोषालयों में से) तथा 13 मण्डलों (कुल 217 मण्डलों में से) ने 1998-99 के दौरान लेखे देरी से प्रस्तुत किए थे।

**निष्कर्ष**

गिरते हुए विद्यमान राजस्वों से शेष, निवेशों पर नगण्य प्रतिलाभ के साथ युग्मित आरोही ब्याज अनुपात ने राज्य की वित्तीय कायमता को बुरी तरह से प्रभावित किया। यद्यपि कर अनुपात बिन्दु आधार पर 0.01 प्रतिशत तक सुधर गया था, यह 1994-96 के बिन्दु आधार के कर अनुपात से अभी भी कम था। गिरते हुए कर अनुपात ने स्थिति को और बदतर कर दिया तथा सरकार को बढ़ते हुए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए वृद्धित उधारों का सहारा लेना पड़ा

जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपनी समग्र कर्जदारी में वृद्धि हुई। इसने प्रतिफलतः राज्य के राजस्व को बढ़ाने हेतु परिसम्पत्तियों तथा संभावित उत्पादन के सृजन की समर्थता को भी सीमित कर दिया। यहाँ तक कि निवेशों पर नगण्य प्रतिलाभ के कारण सीमित पूंजीगत व्यय का भी कोई उत्साहवर्धक लाभ नहीं हुआ था।



अनुलग्नक

सन्दर्भ: अनुच्छेद 1.11; पृष्ठ

घाताकों/अनुपातों की सूची तथा उनके परिकलन हेतु आधार

घातांक/अनुपात		परिकलन हेतु आधार
<p>कायमता विद्यमान राजस्व से शेष</p> <p>प्राथमिक घाटा ब्याज अनुपात</p> <p>पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियां</p> <p>कुल कर प्राप्तियां बनाम सर.घ.उ. राज्य कर प्राप्तियां बनाम सर.घ.उ.</p>	<p>विरा.शे.</p> <p>प्राथमिक घाटा</p> <p>पूँजीगत परिव्यय</p> <p>पूँजीगत प्राप्तियां</p>	<p>राजस्व प्राप्तियां (-) सभी योजना अनुदान (वृहद लेखाशीर्ष 1601-02, 03,04) तथा योजनेतर राजस्व व्यय</p> <p>वित्तीय घाटा - ब्याज अदायगियां</p> <p><u>ब्याज अदायगियां - ब्याज प्राप्तियां</u> <u>राजस्व प्राप्तियां - ब्याज प्राप्तियां</u></p> <p>वित्त लेखाओं की विवरणी नं: 13 के अनुसार राजस्व व्यय</p> <p>विविध पूँजीगत प्राप्तियां + आन्तरिक ऋण (शुद्ध अर्थोपाय अग्रिम) + भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम + अल्पबचतों, भविष्य निधि इत्यादि से शुद्ध प्राप्तियां + राज्य सरकार द्वारा अग्रिम में दिए गए ऋणों की प्राप्त चुकौतियां - राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण।</p>
<p>लचकता विद्यमान राजस्व से शेष</p> <p>पूँजीगत पुनर्भुगतान बनाम पूँजीगत उधार</p> <p>अपूर्ण परियोजनाएं</p> <p>कुल कर प्राप्तियां बनाम सर.घ.उ.</p> <p>कर्ज बनाम सर.घ.उ.</p>	<p>पूँजीगत पुनर्भुगतान</p> <p>पूँजीगत उधार</p> <p>राज्य कर प्राप्तियां</p> <p>कुल कर प्राप्तियां</p>	<p>उपर्युक्त अनुसार</p> <p>वृहद लेखाशीर्ष 6003 तथा 6004 के अन्तर्गत सवितरण - अर्थोपाय अग्रिमों के कारण पुनर्भुगतान/दोनों वृहद लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ओवर ड्राफ्ट</p> <p>वृहद लेखाशीर्ष 6003 तथा 6004 के अन्तर्गत वृद्धि - अर्थोपाय अग्रिमों के कारण वृद्धि/दोनों वृहद लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ओवर ड्राफ्ट</p> <p>वित्तीय लेखाओं की विवरणी नं-11</p> <p>राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों में राज्य का हिस्सा</p>
<p>अतिसवेदनशीलता</p> <p>राजस्व घाटा</p> <p>वित्तीय घाटा</p> <p>प्राथमिक घाटा बनाम वित्तीय घाटा</p> <p>सुविधा पत्रों सहित कुल बकाया प्रतिभूतियां</p> <p>बनाम सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां</p> <p>परिसम्पत्तियां बनाम देयताएं</p>	<p>बकाया प्रतिभूतियां</p> <p>राजस्व प्राप्तियां</p> <p>परिसम्पत्तियां एवं देयताएं</p> <p>कर्ज</p>	<p>राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां</p> <p>वित्तीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय (दिए गए शुद्ध ऋणों सहित) - राजस्व प्राप्तियां</p> <p>प्रदर्श IV</p> <p>प्रदर्श II</p> <p>प्रदर्श - I</p> <p>वर्ष के अन्त में उधार तथा अन्य अनिवार्यताएं (वित्त लेखाओं की विवरणी नं-4)</p>

दूसरा अध्याय

विनियोजन लेखापरीक्षा तथा  
व्यय पर नियन्त्रण

१९३६ १९५५

१९५५ १९५५ १९५५  
१९५५ १९५५ १९५५



दूसरा अध्याय

विनियोजन लेखाओं का संक्षेप—1998—99

अनुदानों/विनियोजन की कुल संख्या: 26

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

प्रावधान	राशि (रूपए करोड़ों में)	व्यय	राशि (रूपए करोड़ों में)
मूल पूरा	10,785.84 541.98		
कुल सकल प्रावधान	11,327.82	कुल सकल व्यय	10,299.64
घटाएँ- व्यय की कटौती में प्राक्कलित वसूलियाँ	543.28	घटाएँ- व्यय की कटौती में वास्तविक वसूलियाँ	531.35
कुल निविल प्रावधान	10,784.54	कुल निविल व्यय	9,768.29

दत्तमत्त एवं प्रभारित प्रावधान तथा व्यय

	प्रावधान (रूपए करोड़ों में)		व्यय (रूपए करोड़ों में)	
	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित
राजस्व	7,195.03	1,040.67	6,182.47	1,010.70
पूंजी	2,029.07	1,063.05	1,607.37	1,499.10
कुल सकल	9,224.10	2,103.72	7,789.84	2,509.80
घटाएँ- व्यय की कटौती में वसूलियाँ	543.28	-	531.35	-
कुल : निविल	8,680.82	2,103.72	7,258.49	2,509.80

**विनियोजन लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण**

**2.1 प्रस्तावना**

विनियोजन लेखे प्रति वर्ष बनाए जाते हैं जिनमें विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर सरकार द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि तथा तत्तुल्यात्मक विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों प्रकार की मदों से सम्बन्धित राशि के विवरण इंगित किए जाते हैं।

विनियोजन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अन्दर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है उसे इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

**2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप**

1998-99 के दौरान 26 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार थी:

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	दत्तमत (-) अधिक्य (+)	
					(रुपए करोड़ों में)	
दत्तमत	1.राजस्व 11.पूँजी III.ऋण एवं अग्रिम	6,668.59 1,660.21 357.90	526.44 10.96 टोकन	7,195.03 1,671.17 357.90	6,182.47 1,378.99 228.38	(-)1,012.56 (-)292.18 (-)129.52
कुल दत्तमत		8,686.70	537.40	9,224.10	7,789.84	(-)1,434.26
प्रभारित	IV.राजस्व V पूँजी VI लोक कर्ज	1,038.09 4.10 1,056.95	2.58 2.00 -	1,040.67 6.10 1,056.95	1,010.70 3.24 1,495.86	(-)29.97 (-)2.86 (+)438.91
कुल प्रभारित		2,099.14	4.58	2,103.72	2,509.80	(+)406.08
महायोग		10,785.84	541.98	11,327.82	10,299.64	(-)1,028.18

\* ये सकल व्यय है जिनमें वे वसूलियां शामिल है जिन्हे व्यय में कटौती के रूप में समायोजित किया गया है जैसे कि राजस्व व्यय: 174.29 करोड़ रूपए, पूँजीगत व्यय: 356.48 करोड़ रूपए तथा ऋण एवं अग्रिम: 0.58 करोड़ रूपए।

### 2.3 विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम

2.3.1(क) गत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन किया जाना आवश्यक है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोजन से आधिक्य का राज्य विधान-सभा द्वारा नियमन करवाए। तथापि, 1994-98 वर्षों हेतु 310.22 करोड़ रूपए की राशि के अधिक व्यय को अभी नियमित करवाया जाना था (सितम्बर 1999)।

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि (रूपए करोड़ों में)	राशि जिस हेतु ले-लेरा को व्याख्याए प्रस्तुत नहीं की गई है
1994-95	10	3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18 एवं 22	32.36	--
1995-96	11	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 18 एवं 23	60.34	60.34
1996-97	6	3, 6, 8, 9, 18 एवं 23	79.57	79.57
1997-98	10	2, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 20 एवं 25	137.95	137.95
		कुल	310.22	277.86

अनियमित अधिक व्यय की व्याख्याओं को प्रस्तुत करने में असफलता एवं लम्बी देरी के कारण अपरीक्षित रही वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) 1998-99 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमन किया जाना आवश्यक है

राजस्व अनुभाग में, एक अनुदान में 10,90,64,749 रूपए तथा एक विनियोजन में 14,72,179 रूपए के आधिक्य थे। पूंजीगत अनुभाग में, एक विनियोजन में 4,38,90,59,326 रूपए के आधिक्य थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इन आधिक्यों (विवरण नीचे दिए गए हैं) को नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम तथा संख्या	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य
			(रूपयों में)	
	राजस्व (दत्तमत)			
1	6-वित्त (प्रभारित)	5,41,32,98,000	5,52,23,62,749	10,90,64,749
2.	2-सामान्य प्रशासन पूंजी (प्रभारित)	3,47,64,000	3,62,36,179	14,72,179
3.	लोक कर्ज	10,56,95,13,000	14,95,85,72,326	438,90,59,326*
	कुल	16,01,75,75,000	20,51,71,71,254	4,49,95,96,254

अधिक व्यय के लिए सरकार द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे (सितम्बर 1999)।

\* भारतीय रिजर्व बैंक से आहरित अर्थोपाय अग्रिमों हेतु पुनर्भुगतान सम्मिलित है।



### 2.3.2 मूल बजट तथा पूरक प्रावधान

1028.18 करोड़ रूपए की समग्र बचत, 25 अनुदानों/विनियोजनों के 53 प्रकरणों में 1,478.14 करोड़ रूपए की बचत तथा 3 अनुदानों/विनियोजनों के 3 प्रकरणों में 449.96 करोड़ रूपए की बचतों के आधिक्य का परिणाम था।

वर्ष के दौरान किए गए पूरक प्रावधान गत वर्ष में 7 प्रतिशत के विरुद्ध, मूल प्रावधान का 5 प्रतिशत था। तथापि, पूरक प्रावधानों का हिस्सा अनावश्यक था जैसा कि नीचे चर्चित किया गया है।

### 2.3.3 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

(क) वर्ष के दौरान 5 प्रकरणों में 32.97 करोड़ रूपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में व्यय मूल प्रावधान से कम था जैसा कि परिशिष्ट-II में विवरणित किया गया है।

(ख) 5 प्रकरणों में, 430.69 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, 507.99 करोड़ रूपए के पूरक अनुदान तथा विनियोजन प्राप्त किए गए थे, परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में बचतें 10 लाख रूपए से अधिक बढ़ गई थी तथा कुल 77.30 करोड़ रूपए की हो गई थी। इन प्रकरणों के विवरण परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।

### 2.3.4 पर्याप्त बचतें/आधिक्य

(क) 32 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में व्यय 10 करोड़ रूपए से अधिक तक कम पड़ गया था तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था जैसा कि परिशिष्ट IV में इंगित किया गया है। 5\* प्रकरणों में कुल 308.47 करोड़ रूपए के समस्त प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि मुख्यतः हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली परियोजनाओं के (117.29 करोड़ रूपए) के कार्यान्वयन में देरी की गई थी, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मेवात उत्थान सिंचाई स्कीम (60 करोड़ रूपए) के लिए अनुमति नहीं दी गई थी तथा विविध स्कीमों के लिए राज्य सरकार द्वारा निधियां (63.73 करोड़ रूपए) संवीकृत नहीं की गई थी।

(ख) 18 प्रकरणों में, व्यय अनुमोदित प्रावधानों से 25 लाख रूपए अथवा इससे अधिक तक बढ़ गया था तथा यह कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक तक था। इनके विवरण परिशिष्ट V में दिए गए हैं। 6# प्रकरणों में व्यय अनुमोदित प्रावधानों से 100 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

### 2.3.5 सतत बचतें

7 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रूपए से अधिक की सतत बचतें थी तथा प्रावधान से 10 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक की थी। इनके विवरण परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

\* परिशिष्ट IV का क्रमांक 20, 23, 26, 27 एवं 30

# परिशिष्ट V का क्रमांक 2, 3, 4, 6, 10 एवं 15

### 2.3.6 समस्त बचतें केवल वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई थी

सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार व्यय करने वाले विभागों द्वारा उन सभी अनुदानों/विनियोजनों अथवा उनके किसी हिस्से को अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है जिनमें जब भी कभी बचतें होने की प्रत्याशा हो।

तथापि, यह देखा गया कि 53 प्रकरणों में, 1,478.14 करोड़ रूपए की अन्तिम बचतों के विरुद्ध 1,498.35 करोड़ रूपए वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अर्थात् 31 मार्च 1999 को अभ्यर्पित किए गए थे। 10 प्रकरणों में, 802.85 करोड़ रूपए की उपलब्ध बचतों के विरुद्ध कुल 100.62 करोड़ रूपए (प्रत्येक मामले में एक करोड़ रूपए या अधिक की बचत) अभ्यर्पित नहीं की गई थी (विवरण परिशिष्ट VII में दिए गए हैं)। यह वित्तीय नियमों की अवमानना के संकेतक है।

### 2.3.7 वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण

7 प्रकरणों में, अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचतों से अधिक थी, जो इस बात की संकेतक थी कि बजटीय नियन्त्रण अपर्याप्त थे। क्योंकि 334.61 करोड़ रूपए की वास्तविक बचतों की कुल राशि के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि 458.94 करोड़ रूपए की थी जिसके परिणामस्वरूप 124.33 करोड़ रूपए अधिक अभ्यर्पित किए गए थे। इन अभ्यर्पणों में से अधिकतर कृषि (पूजीगत-दत्तमत) से सम्बन्धित थे। यह विभागों में कमजोर वित्तीय एवं बजटीय नियन्त्रण प्रक्रिया का संकेतक है। विवरण परिशिष्ट VIII में दिए गए हैं।

### 2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचतों वाली विनियोजन की एक इकाई से निधियों की आवश्यकता वाली किसी अन्य इकाई को निधियों का अन्तरण है। वे प्रकरण जिनमें निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुए हैं अथवा परिणामतः 10 लाख रूपए से अधिक तक की बचतें हुई थी, परिशिष्ट IX में दिए गए हैं।

### 2.3.9(क) नई सेवा/सेवा के नए प्रपत्र

संविधान का अनुच्छेद 205 प्रावधान करता है कि 'नई सेवा' पर व्यय जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) में विचार नहीं किया गया था उन पर विचार विधान सभा द्वारा विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है। 'नई सेवा/सेवा का नया प्रपत्र' के लिए मर्गों का पता लगाने के लिए विभिन्न मापदण्डों को निर्धारित करने वाली लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने आदेश जारी किए थे।

एक मामले में, '6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम-03-211-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' वृहद् लेखाशीर्ष के अन्तर्गत 81 लाख रूपए का व्यय जिसे 'नई सेवा/सेवा का नया प्रपत्र' के रूप में माना जाना चाहिए था उसे विधायिका का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए बिना पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया गया था।

### 2.3.9(ख) प्रावधान के बिना व्यय

जैसा कि बजट नियम पुस्तिका में निर्धारित किया गया है, किसी स्कीम/सेवा पर उस हेतु निधियों के प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि मूल

प्राक्कलनों/पूरक माँगों में प्रावधान किए बिना, परिशिष्ट X में यथा विवरणित 11 प्रकरणों में 146.60 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था तथा कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किए गए थे।

### 2.3.10 वसूलियों की प्रवृत्ति

सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही सकल बजट बनाने की प्रणाली के अन्तर्गत, विधान-सभा को अनुदानों के लिए प्रस्तुत माँगें सकल व्यय के लिए होती हैं तथा इसमें वह सभी वसूलियां तथा क्रेडिट शामिल नहीं किए जाते हैं जिन्हें व्यय में से कम करके समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियां तथा क्रेडिट बजट प्राक्कलनों में पृथक्ता से दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 1998-99 हेतु 2 अनुदानों\* में व्यय में से कम करके समायोजित वास्तविक वसूलियां (38.20 करोड़ रूपए) प्राक्कलित वसूलियों (24.76 करोड़ रूपए) से 13.44 करोड़ रूपए तक अधिक बढ़ गई थी तथा 4 अनुदानों\*\* में बजट प्राक्कलनों में कोई प्राक्कलित वसूलियां नहीं की गई थी जबकि 134.29 करोड़ रूपए की वसूलियां की गई थी। तथापि, 3 अनुदानों\*\*\* में वास्तविक वसूलियां (346.89 करोड़ रूपए) प्राक्कलित वसूलियों (506.55 करोड़ रूपए) से 159.66 करोड़ रूपए तक कम थी। अधिक विवरण विनियोजन लेखों के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

### 2.3.11 बचतों/आधिक्यो हेतु स्पष्टीकरणों की अप्राप्ति

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं के समापन के पश्चात्, अन्तिम अनुदानों/विनियोजनों, वास्तविक व्यय एवं परिणामी विभिन्नताओं को दर्शाने वाले विस्तृत विनियोजन लेखों नियन्त्रण अधिकारियों को भेजे जाते हैं ताकि वे उनसे सामान्य तौर पर विभिन्नताओं तथा विशेषतौर पर महत्वपूर्ण लेखाशीर्षों/उप लेखाशीर्षों के स्पष्टीकरण दे सकें।

वर्ष 1998-99 हेतु विनियोजन लेखाओं के सम्बन्ध में बचतों/आधिक्यो के लिए स्पष्टीकरण कुल 660 लेखाशीर्षों/उप लेखाशीर्षों के विरुद्ध 279 लेखाशीर्षों (42 प्रतिशत) के सम्बन्ध में या तो उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (66 लेखाशीर्ष) अथवा अपूर्ण प्राप्त हुए थे (213 लेखाशीर्ष)।

\* 4 - राजस्व तथा 14 - खाद्य एवं आपूर्ति।

\*\* 8 - भवन एवं सड़कें, 15 - सिंचाई, 17 - कृषि तथा 22 - सहकारी।

\*\*\* 10 - चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, 14 - खाद्य एवं आपूर्ति तथा 25 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम।



## तीसरा अध्याय

### अनुभाग - क समीक्षाएं

	पृष्ठ
◆ शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली का प्रारंभीकरण	35-47
◆ प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक समर्थन	48-59
◆ अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमियों की पुनः स्थापना	60-77
◆ मानवशक्ति प्रबन्धन सहित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली	78-102
◆ समन्वित बाल विकास सेवाएं	103-118

आपका आभार

है - आभार

आभार

आभार

आभार

आभार

आभार

आभार

आभार

आभार

आभार

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

अनुभाग - क

लेखापरीक्षा समीक्षाएं

शिक्षा विभाग

3.1 शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली का प्रारंभीकरण

विशिष्टताएं

इस समीक्षा ने स्कीम के अति विषम कार्यान्वयन को प्रकट किया यद्यपि इसे 13 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था। राज्य सरकार ने 2000 इस्वी तक शिक्षा की +2 प्रणाली लागू करने के लिए क्षेत्र अभिज्ञप्त नहीं किए थे तथा स्कूल मान चित्रण कार्यक्रम शुरू नहीं किए थे। भूमि, श्रेणियों के लिए कमरों की संख्या, प्रयोगशाला सुविधाओं इत्यादि जैसी आधारसंरचना से सम्बन्धित निर्धारित मापदण्डों/मानकों की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना स्कूल अन्धाधुन्ध तरीके से क्रमोन्नत कर दिए गए थे। बहुत सारे स्कूलों में जहां विज्ञान/वाणिज्य का कोई विद्यार्थी नहीं था, विज्ञान तथा वाणिज्य के विषयों के प्राध्यापकों की अविवेकपूर्ण नियुक्ति से उनके वेतनों पर भारी मात्रा में निष्फल व्यय किया गया था क्योंकि उन्होंने कोई अध्यापन कार्य नहीं किया था। स्कूलों में अपर्याप्त आधारसंरचनाओं तथा अध्यापन स्टाफ की अविवेकपूर्ण नियुक्ति के परिणामस्वरूप परीक्षा के +2 चरण पर घटिया प्रदर्शन नजर आया था।

1994-99 के दौरान 141.24 करोड़ रूपए के कुल व्यय में से, 136.21 करोड़ रूपए (96 प्रतिशत) का व्यय स्टाफ के वेतनों पर किया गया था।

(अनुच्छेद 3.1.4)



2000 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

1994-99 के दौरान, 343 उच्च स्कूल, सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के स्तर तक क्रमोन्नत किए गए थे यद्यपि सरकार/विभाग द्वारा कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1.5)

स्कूलों में अपेक्षित आधारसंरचना की उपलब्धता से सम्बन्धित कोई सर्वेक्षण किए बिना तथा यह सत्यापित किए बिना कि क्या निर्धारित शर्तें उन द्वारा पूरी की गई थीं, सरकार द्वारा स्कूल अन्धाधुन्ध तरीके से क्रमोन्नत किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1.6(ii))

लेखापरीक्षा में नमूना-जाँच किए गए 173 स्कूलों में से, 146 स्कूलों में विज्ञान श्रेणियों के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी थी, 136 में न्यूनतम 2 स्टोर कमरों की आवश्यकता से कम स्टोर कमरे थे; 121 में न्यूनतम 14 श्रेणी कमरों से कम कमरे थे; 100 में कोई हाल न थे तथा 117 ऐसे थे जिनमें क्रमोन्नयन के समय नौवीं तथा दसवीं श्रेणियों में निर्धारित 150 विद्यार्थी नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.1.7)

4 जिलों में 19 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता की प्रतिशतता शून्य अथवा नगण्य थी।

(अनुच्छेद 3.1.8)

1996-99 के दौरान, प्रधानाचार्यों के 26 से 31 प्रतिशत पद, प्राध्यापकों के 18 से 19 प्रतिशत पद तथा 1996-98 के दौरान 42 से 48 प्रतिशत प्रयोगशाला सहायकों (अटैन्डेंट) के पद तथा 32 से 43 प्रतिशत कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के पद 689 सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पड़े थे।

(अनुच्छेद 3.1.9.1)

1994-95 से 1998-99 के दौरान नमूना-जाँच किए गए 5 जिलों में 58 स्कूलों की उपस्थिति सूची में कोई विज्ञान का विद्यार्थी न था तथा 23 स्कूलों की उपस्थिति सूची में वाणिज्य का कोई विद्यार्थी नहीं था। तथापि, इस अवधि के दौरान 25 स्कूलों में विज्ञान के 143 प्राध्यापकों, वाणिज्य के 23 प्राध्यापकों तथा 60 प्रयोगशाला सहायकों के वेतनों पर 2.37 करोड़ रूपए किसी अध्यापन/प्रयोगशाला कार्य के बिना व्यय किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1.10(i))

नमूना-जाँच किए गए 5 जिलों में, विज्ञान समूह के 39 स्कूलों तथा वाणिज्य समूह के 65 स्कूलों में 1994-95 से 1998-99 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या 25 से 30 तक की आवश्यकता के विरुद्ध 1 एवं 10 के बीच विचलित थी। श्रेणियों में अपर्याप्त संख्या, 134 विज्ञान प्राध्यापकों, 63 वाणिज्य प्राध्यापकों तथा 54 प्रयोगशाला सहायकों के वेतनों पर किए गए 4.73 करोड़ रूपए के व्यय का औचित्य प्रदर्शित नहीं करती।

(अनुच्छेद 3.110(ii))

1996-97 में 10+2 चरण पर कार्य कर रहे 5,544 प्रधानाचार्यों/प्राध्यापकों की औसतन संख्या लेकर, 1994-99 के दौरान 69 प्रतिशत को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

(अनुच्छेद 3.111)

नमूना-जाँच किए गए पाँच जिलों में, सम्बन्धित जि.शि.अ./प्रधानाचार्यों द्वारा 1994-95 से 1998-99 के दौरान क्रय की गई 17.40 लाख रूपए के मूल्य की विज्ञान सामग्री 58 स्कूलों में बिना किसी उपयोग के पड़ी थी क्योंकि इन स्कूलों में विज्ञान की श्रेणी न थी।

(अनुच्छेद 3.112(ii))

### 3.1.1. प्रस्तावना

1986 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति अपनाते हुए, मौजूदा उच्च स्कूलों को चरण बद्ध तरीके से +2 प्रणाली के स्कूलों में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया था तथा इन स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी इस स्कूलों के नाम से पुकारा जाना था। हरियाणा में, शिक्षा का 10+2+3 ढाँचा 1985-86 के शैक्षणिक वर्ष से प्रारम्भ किया गया था। लेखापरीक्षा समीक्षा में मुख्यतः '+2' अर्थात् 11वीं एवं 12वीं श्रेणियां (सीनियर सैकेण्डरी) आवृत की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत सभी अभिज्ञप्त क्षेत्र 2000 ईसवी तक आवृत किए जाने थे। मार्च 1999 को, 1,010 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल (सरकारी स्कूल: 689; गैर-सरकारी स्कूल: 200 तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित प्राइवेट स्कूल: 121) थे, जबकि 1734\* सरकारी उच्च स्कूलों को अभी भी +2 चरण तक क्रमोन्नत किया जाना शेष है।

\* अन्तिम आंकड़े 1 अन्तिम आंकड़े विभाग द्वारा अभी प्रेषित किए जाने हैं।

### 3.1.2. संगठनात्मक ढाँचा

आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग, सरकार में शिक्षा विभाग का प्रशासनाध्यक्ष है तथा सरकार की शिक्षा नीति के कार्यान्वयन तथा विभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, सैकेण्डरी शिक्षा विभाग का मुखिया तथा नियन्त्रण अधिकारी भी था तथा '10 + 2 शिक्षा प्रणाली' स्कीम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। जिला स्तर पर 19 जिला शिक्षा अधिकारी (जि.शि.अ.) थे जो सरकार की शिक्षा नीतियों तथा जिलों में शिक्षा के विकास हेतु उत्तरदायी थे। स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी, राज्य में +2 श्रेणी सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त अभिकरण था।

### 3.1.3. लेखापरीक्षा व्याप्ति

1994-95 से 1998-99 के दौरान शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, 5\*\* जि.शि.अ. (19 में से) तथा राज्य के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रों से इन 5 जिलों के 173 सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों (स.सी.सै.स्कू.) (25 प्रतिशत) के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जाँच के माध्यम से जनवरी से अप्रैल 1999 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण प्रसंग अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

### 3.1.4. वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

+ 2 शिक्षा स्कीम (सरकारी स्कूलों में) राज्य सरकार द्वारा निधिपोषित की गई थी।

1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान, 141.24 करोड़ रूपए का कुल व्यय किया गया था जिसमें से 136.21 करोड़ रूपए (96 प्रतिशत) स्टाफ के वेतनों पर किया गया था, 4.03 करोड़ रूपए फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर, साईंस उपस्कर तथा अध्यापन सामग्री आदि के क्रय पर व्यय किए गए थे। 0.82 करोड़ रूपए प्राइवेट स्कूलों को सहायता अनुदान के रूप में दिए गए थे तथा 0.18 करोड़ रूपए कार्यालय व्ययों/अन्य आकस्मिक प्रभारों के रूप में व्यय किए गए थे।

\*\* अम्बाला, हिसार, जींद, पंचकुला तथा पानीपत जिले।



### 3.1.5. स्कूलों के क्रमोन्नयन हेतु लक्ष्य तथा उपलब्धि

उन अलाभप्रदत्त क्षेत्रों को अभिज्ञप्त करने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया गया था तथा न ही स्कूलों का मानचित्रण कार्यक्रम बनाया गया था जिनमें स्कूल क्रमोन्नत नहीं किए गए थे। ऐसे क्रमोन्नयन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

1993-94 तक, राज्य में 346 सरकारी उच्च स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। 1994-95 से 1998-99 के दौरान, यद्यपि उच्च स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के स्तर तक क्रमोन्नत करने के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे, 343 सरकारी उच्च स्कूल वास्तव में क्रमोन्नत किए गए थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 पर कार्यवाही योजना के अनुसार, एक त्रिमुखी कार्यक्रम हेतु विचार किया गया था: अल्पकालीन उपाय के रूप में अलाभप्रदत्त सभी क्षेत्रों में सैकेण्डरी स्कूल खोलना तथा मध्यम एवं दीर्घावधि उपायों के रूप में सभी अलाभप्रदत्त क्षेत्रों को आवृत्त करने के लिए स्कूलों का पता लगाने हेतु प्रत्येक राज्य में स्कूल मानचित्रण का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना था। स्कूल मानचित्रण की तकनीक स्पष्टतया परिभाषित मापदण्डों एवं मानकों के आधार पर सैकेण्डरी स्कूलों का पता लगाने के लिए आयोजना तथा कर्यान्वयन दोनों के लिए अनुसरण की जानी थी। पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की सर्वाधिकता से आवासित तथा लड़कियों के लिए स्कूलों का प्रबन्ध करने पर विशेष ध्यान दिया जाना था। 2000 ईस्वी तक, सभी अलाभप्रदत्त क्षेत्रों को पूर्णतया लाभान्वित किया जाना था।

तथापि, राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों को अभिज्ञप्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया तथा न ही स्कूल मानचित्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जहाँ स्कूलों का क्रमोन्नयन किया जाना आवश्यक था। उन्होंने मार्च 1999 तक मौजूदा उच्च स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों तक क्रमोन्नत करने के लिए अलाभप्रदत्त क्षेत्रों की आवृत्ति हेतु कोई मापदण्ड/मानक भी निर्धारित नहीं किए थे।

### 3.1.6. सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों का क्रमोन्नयन

#### (i) स्कूलों के क्रमोन्नयन हेतु कसौटी

उच्च स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के स्तर तक क्रमोन्नत करने के लिए 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार, स्कूलों में IX तथा X श्रेणियों में उपस्थिति सूची में कम से कम 150 विद्यार्थी होने, अपनी कम से कम 6 एकड़ की भूमि, समुचित भवन\* होना जरूरी था तथा नजदीकी स्कूल सैकेण्डरी स्कूल/महाविद्यालय से कम से कम 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित होना चाहिए था। आगे, स्कूल ऐसी बस्ती में स्थापित किए जाने थे जहाँ पर 5,000 अथवा इससे अधिक लोग रहते थे।

#### (ii) निर्धारित मापदण्डों को पूरा न करने वाले स्कूलों का क्रमोन्नयन

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सम्बन्धित उच्च विद्यालय के मुख्याध्यापक द्वारा स्कूल को सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के स्तर तक क्रमोन्नत कराने के लिए प्रस्ताव प्रारम्भ किया जाना था यदि IX एवं X श्रेणियों में उपस्थिति सूची में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित कसौटी के अनुरूप थी तथा भूमिक्षेत्र, समुचित भवन इत्यादि जैसी कसौटियों को पूरा करते थे। जि.शि.अ. ने सचिव, हरियाणा

\* कम से कम 14 कक्षा कमरों, 3 प्रयोगशाला कमरों, एक स्टॉफ कक्ष, एक हाल, 2 स्टोर कमरों तथा एक चारदीवारी से समायुक्त।

सरकार, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा को प्रस्ताव अग्रेषित करने से पूर्व क्रमोन्नयन की व्यवहार्यता की छान-बीन करनी थी। सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था कि स्कूलों के मानचित्रण तथा सर्वेक्षण के पश्चात् अलाभप्रदत्त क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों आदि की सर्वाधिकता से आवासित क्षेत्रों में स्कूलों के क्रमोन्नयन को प्राथमिकता दी जानी थी तथा यह भी सुनिश्चित करना था कि सर्वेक्षण किया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार लक्ष्य नियत किए गए थे। उसने यह भी सुनिश्चित करना था कि केवल वे ही स्कूल क्रमोन्नत किए गए थे जिन्होंने आधारसंरचना के लिए निर्धारित मापदण्ड/कसौटियां पूर्ण की थी।

क्रमोन्नयन हेतु प्रस्तावों की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए कोई नियन्त्रण रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

143 स्कूल, शिक्षा मंत्री/मुख्य मंत्री के निर्देशों पर अगस्त 1997 में क्रमोन्नत किए गए थे। इनमें से 28 स्कूल जो नमूना-जाँच किए गए जिलों में स्थित थे, वे निर्धारित कसौटियों को पूरा नहीं करते थे।

सचिवालय स्तर पर अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा की गई जाँच-पड़ताल ने प्रकट किया कि निदेशालय से क्रमोन्नत प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निपटान पर निगरानी रखने के लिए सचिवालय में कोई नियन्त्रण रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे। निस्सन्देह, निदेशालय तथा जि.शि.अ. के कार्यालयों में भी स्थिति वही थी तथा उनमें भी कोई नियन्त्रण रजिस्टर नहीं रखे गए थे।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 143 स्कूल क्रमोन्नत किए (अगस्त 1997) (जिनमें से 28 लेखापरीक्षा के दौरान नमूना-जाँच किए गए 5 जिलों में स्थित थे) जो सीधे शिक्षा मंत्री/मुख्यमंत्री के आदेशों पर क्रमोन्नत किए गए थे। 26 स्कूलों में सम्बन्धित जि.शि.अ. तथा निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा ने क्रमोन्नयन हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किए थे यद्यपि ये स्कूल निर्धारित शर्तों/मापदण्डों को पूरा नहीं करते थे। हिसार जिले के दो स्कूलों के मामले में, निदेशक द्वारा क्रमोन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, यद्यपि निदेशालय, सैकेण्डरी शिक्षा/जि.शि.अ. से प्राप्त स्कूलों के क्रमोन्नयन के मामले प्रशासनिक सचिवों द्वारा शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत किए जाने थे (ऐसे क्रमोन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों/कसौटियों का सत्यापन करने के पश्चात्), इन मामलों में मन्त्रीय दखलन्दाजी के कारण क्रमोन्नयन हेतु ऐसे किन्हीं मापदण्डों/कसौटियों को लागू नहीं किया गया था।

### 3.1.7. पर्याप्त आधारसंरचना के बिना क्रमोन्नत स्कूल

स्कूलों का क्रमोन्नयन संस्वीकृत करते समय, सरकार ने ऐसे क्रमोन्नयन के लिए नियत सभी महत्वपूर्ण कसौटियों की अवहेलना की थी।

5 जिलों में 173 उच्च स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के स्तर तक क्रमोन्नत करने से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि राज्य सरकार ने इन स्कूलों के क्रमोन्नयन की संस्वीकृति में ऐसे क्रमोन्नयन हेतु नियत की गई सभी महत्वपूर्ण कसौटियों का उल्लंघन किया था अर्थात् क्रमोन्नयन हेतु व्यवहार्यता की जाँच-पड़ताल नहीं की गई थी तथा आधारसंरचना की उपलब्धता तथा नियत मापदण्डों की पूर्णता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

नमूना-जाँच किए गए 5 जिलों में इन स्कूलों में निर्धारित आधारसंरचना की उपलब्धता (जैसे कि श्रेणी कमरे, स्टोर कमरे, हाल, प्रयोगशाला कमरा इत्यादि) तथा अन्य निर्धारित शर्तों

की पूर्णता की जाँच - पड़ताल ने निम्नलिखित स्थिति प्रकट की :

जिले का नाम	स्कूलों की कुल संख्या	निर्धारित से कम श्रेणी कमरे, स्टोर कमरे आदि की संख्या से सम्बन्धित स्कूल भवन						6 एकड़ से कम भूमि	कम बारिशल किए गए विद्यार्थी	नजदीकी सैकेण्डरी स्कूल से कम दूरी	आवासियों की कम जनसंख्या
		श्रेणी कमरे	स्टोर कमरे	प्रयोगशाला कमरे	स्टॉफ कमरा	हाल कमरा	चार दीवारी				
अम्बाला	39	35	30	35	9	34	4	34	28	24	3
हिसार	59	35	44	47	1	24	1	26	41	18	8
जींद	35	25	30	28	2	12	1	24	23	15	4
पंचकूला	21	15	15	18	5	20	6	18	13	9	6
पानीपत	19	11	17	18	2	10	--	17	12	7	2
कुल	173	121	136	146	19	100	12	119	117	73	23

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 173 स्कूलों में से, 121 में निर्धारित 14 श्रेणी कमरों की संख्या से कम कमरे थे, 146 स्कूलों में विज्ञान श्रेणियों के लिए प्रयोगशाला कमरे नहीं थे, 117 स्कूलों की उपस्थिति सूची में IX एवं X श्रेणी में 150 से कम विद्यार्थी थे, तथा 100 में कोई हाल नहीं था, 136 ऐसे थे जिनमें कम से कम 2 स्टोर कमरे नहीं थे तथा 23 स्कूल ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे जहाँ आवासियों की संख्या 5000 से कम थी। इन 5 जिलों में से, आधारसंरचना इत्यादि की अनुपस्थिति अम्बाला जिले के स्कूलों में बड़ी विकट थी जिसके बाद जींद एवं पंचकूला जिलों का नम्बर आता था।

इन प्रकरणों में भी, यद्यपि स्कूलों के क्रमोन्नयन के लिए प्रस्ताव निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा तथा सचिव शिक्षा विभाग द्वारा अनुशासित नहीं किए गए थे फिर भी इन्हें शिक्षा मन्त्री/मुख्य मन्त्री के कहने पर क्रमोन्नत कर दिया गया था। बदतर, क्रमोन्नयन के पश्चात् भी, सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के लिए अपेक्षित आवश्यक न्यूनतम आधारसंरचना प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे। पूर्व क्रमोन्नत स्कूलों को आवश्यक आधारसंरचना तथा प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा सरकार और अधिक स्कूल क्रमोन्नत करती रही जिनके पास अपेक्षित आधारसंरचना न थी। इससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद 3.1.8 में वर्णनानुसार परीक्षाओं के घटिया निष्पादन से प्रतिबिम्बित होता है। सचिव हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नत स्कूलों के लिए आधारसंरचना प्रदान करने हेतु निधियों की अप्रावधानता के कारण आधारसंरचनीय सुविधाओं की अनुपस्थिति को आरोपित किया। तथापि, उत्तर इस विषय में मूक था कि आधारसंरचना के निर्धारित स्तर को सुनिश्चित किए बिना स्कूलों को क्रमोन्नत क्यों किया गया था।

### 3.1.8. कम उत्तीर्ण प्रतिशतता

4 जिलों में, यह देखा गया कि कुछ स्कूलों में +2 में विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतता या तो शून्य थी अथवा बहुत कम थी जैसा कि परिशिष्ट XI में दिया गया है।

जैसा कि परिशिष्ट XI से स्पष्ट है, 16 स्कूलों में विज्ञान धारा का परिणाम 'शून्य' प्रतिशत था। इन सभी स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया गया था यद्यपि ये निर्धारित कसौटियों पर पूरा नहीं उतरते थे। परिशिष्ट XI में 1 से 16 तथा 19 क्रमांकों पर उल्लिखित 17 स्कूलों में, जहाँ उत्तीर्ण प्रतिशतता शून्य थी, प्रत्येक के सामने इंगित अवधि के दौरान प्राध्यापकों के वेतनों पर 1.38 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था। सम्बन्धित जि.शि.अ. ने बताया (जुलाई 1999) कि घटिया



उत्तीर्ण प्रतिशतता का विश्लेषण जिला स्तर पर किया गया था तथा इसका प्रभाव सम्बन्धित प्रधानाचार्यों/प्राध्यापकों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट्स में दिया गया था। यह आश्चर्यजनक था कि इस प्रकार का कोई मूल्यांकन तथा सुधारात्मक कार्यवाही निदेशालय/सरकार स्तर पर नहीं की गई थी।

1997-98 के दौरान 16 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों की विज्ञान विधा में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात (परिशिष्ट XI का क्रमांक 1 से 16) निम्नानुसार था :

जिला	स्कूलों की संख्या	दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या*	प्राध्यापकों की संख्या	विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात
अम्बाला	4	20	10	2:1
हिसार	7	17	23	1:1
जींद	1	8	3	3:1
पंचकूला	4	12	5	2:1
कुल	16	57	41	

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, इन स्कूलों में विज्ञान विधा में प्रति 1 से 3 विद्यार्थियों के लिए, औसतन, एक प्राध्यापक लगाया गया था जो राज्य में 1997-98 में विज्ञान विधा में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात 1:18 की तुलना में अधिक था।

जी.एस.एस.एस., टिककर हिल्ज़ (जिला पंचकूला) में, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान +1 तथा +2 श्रेणियों में उपस्थितिसूची में 2 से 3 विद्यार्थियों के लिए मार्च 1999 को 4 प्राध्यापक कार्यरत थे। इस प्रकार, अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात अत्यधिक था।

### 3.1.9. स्टॉफिंग ढाँचा

1985-86 में जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था, प्रत्येक क्रमोन्नत सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में एक प्रधानाचार्य, 3 विज्ञान के प्राध्यापक, 3 वाणिज्य समूह के लिए तथा 5 मानविकी समूह के लिए, 3 प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान समूह के लिए), एक कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष (जिस पुस्तकालय में कम से कम 2500 पुस्तकें थी) तथा एक प्रदर्शक शारीरिक शिक्षा (प्र.शा.शि.) रखा जाना अपेक्षित था।

प्रारम्भिकतः स्कूलों के क्रमोन्नयन के समय, अध्यापन स्टॉफ के लिए पद, वाणिज्य, विज्ञान तथा मानविकी विधाओं के लिए निर्धारित मापदण्डों के आधार पर सरकार द्वारा संस्वीकृत किए गए थे तथा विभिन्न विधाओं में दाखिल वास्तविक विद्यार्थियों के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा किए बिना इन पदों को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा संस्वीकृति प्रदान की गई थी। कुछ स्कूलों में विज्ञान/वाणिज्य विधाओं में प्राध्यापकों के पद जारी रखे गए थे तथा प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे यद्यपि उपस्थिति पंजी पर या तो कोई विद्यार्थी नहीं था अथवा दाखिल विद्यार्थियों की संख्या नगण्य थी जैसा कि अनुच्छेद 3.1.10 में चर्चित किया गया है।

\* +1 तथा +2 श्रेणियों में दाखिल किए गए विद्यार्थी।

## 3.1.9.1 स्टाॅफ संख्या

689 सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में, प्रधानाचार्यों के 26 से 31 प्रतिशत पद, प्राध्यापकों के 18 से 19 प्रतिशत पद, प्रयोगशाला सहायकों के 42 से 48 प्रतिशत पद तथा कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के 32 से 43 प्रतिशत पद रिक्त थे।

1996-97 से 1998-99 के दौरान 689 सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में प्रधानाचार्यों, प्राध्यापकों, प्रयोगशाला सहायकों, कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के संवर्गों में 30 सितम्बर को संस्वीकृत संख्या तथा वास्तविक संख्या निम्नानुसार थी:

क्रमांक	पद	1996-97 पदों की संख्या		1997-98 पदों की संख्या		1998-99 पदों की संख्या	
		(क) संस्वीकृत	(ख) भरी गई	(क) संस्वीकृत	(ख) भरी गई	(क) संस्वीकृत	(ख) भरी गई
I	प्रधानाचार्य	546	377	603	429	680	501
II	प्राध्यापक	6,281	5,167	6,701	5,490	8181	6629
III	प्रयोगशाला सहायक	1,024	596	1,046	547	प्रतीक्षित	
IV	कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	92	52	92	63	प्रतीक्षित	

1996-99 के दौरान, प्रधानाचार्यों के संवर्ग में रिक्तियां 26 तथा 31 प्रतिशत के बीच विचलित थी, प्राध्यापकों में 18 तथा 19 प्रतिशत के बीच विचलित थी तथा 1996-98 के दौरान, प्रयोगशाला सहायकों के 42 से 48 प्रतिशत तथा कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के 32 से 43 प्रतिशत के बीच रिक्तियां विचलित थी। भारी संख्या में पद रिक्त रहने के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (अप्रैल 1999)।

## 3.1.10. अध्यापन तथा अन्य स्टाॅफ का नियुक्तिकरण

## (i) बिना किसी कार्य वेतन की अदायगी

अध्यापन स्टाॅफ को वेतन के रूप में 2.37 करोड़ रूपए अदा किए गए थे परन्तु उन विषयों में उपस्थिति पंजी में कोई विद्यार्थी नहीं था।

यह देखा गया कि नमूना-जाँच किए गए 5 जिलों के स्कूलों में, 1994-95 से 1998-99 के दौरान, 58\* स्कूलों में विज्ञान विधा में 143 प्राध्यापक, तथा 23\*\* स्कूलों में वाणिज्य विधा के 23 प्राध्यापकों ने किसी भी श्रेणी को नहीं पढ़ाया था क्योंकि इन स्कूलों में इन विधाओं की उपस्थिति पंजी में कोई विद्यार्थी नहीं था। इन प्राध्यापकों के वेतनों पर 1.90 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे यद्यपि इन्होंने कोई अध्यापन कार्य नहीं किया था।

विभाग प्राध्यापकों/अध्यापकों को उन स्कूलों में स्थानान्तरित करने में असफल रहा जहाँ विज्ञान तथा वाणिज्य के विद्यार्थी उपस्थिति पंजी में थे तथा इन संवर्गों में रिक्तियां मौजूद थी। 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान, राज्य में विभिन्न स्कूलों में प्राध्यापकों के 1,114 से 1,211 तक पद रिक्त थे। राज्य सरकार ने विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों के नामनिवेश के सम्बन्ध में अध्यापन स्टाॅफ के निष्फल नियुक्तिकरण को मॉनिटर नहीं किया परिणामस्वरूप अध्यापकों को बिना कार्य के वेतन अदा किए गए थे। सरकार को कुछेक ग्रामों के समूह में एक प्रधान स्कूल में विज्ञान एवं वाणिज्य गुप प्रारम्भ करने की वांछनीयता के विषय में विचार करना चाहिए था।

\* 1990-91 (2 स्कूल), 1991-92 (7 स्कूल), 1992-93 (1 स्कूल), 1993-94 (9 स्कूल), 1994-95 (10 स्कूल), 1995-96 (18 स्कूल), 1997-98 (11 स्कूल) के दौरान क्रमोन्नत किए गए।

\*\* 1990-91 (1 स्कूल), 1991-92 (2 स्कूल), 1992-93 (1 स्कूल), 1993-94 (1 स्कूल), 1994-95 (3 स्कूल), 1995-96 (8 स्कूल), 1997-98 (7 स्कूल) के दौरान क्रमोन्नत किए गए थे।

25 स्कूलों में 60 प्रयोगशाला सहायकों के पास कोई कार्य नहीं था।

इसी प्रकार 25\*\*\* स्कूलों में (नमूना- जाँच किए गए पाँच जिलों में) 60 प्रयोगशाला सहायकों ने 1994-95 से 1998-99 के दौरान 3 एवं 48 महीनों के बीच की दौरानगी हेतु कोई प्रयोगशाला कार्य नहीं किया था क्योंकि इन स्कूलों की उपस्थिति पंजियों में कोई विज्ञान का विद्यार्थी न था। तथापि, उनके वेतनों पर 0.47 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे। यद्यपि सम्बन्धित स्कूलों ने दाखिल किए गए विद्यार्थियों तथा अध्यापन स्टाफ की संख्या के विषय में जि.शि.अ. तथा निदेशक को प्रति वर्ष सूचना प्रेषित की थी परन्तु उन द्वारा कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते, अध्यापन स्टाफ के विवेकपूर्ण नियुक्तिकरण में असफल रहा।

### (ii) श्रेणी संरचना तथा नगण्य विद्यार्थी संख्या

39 स्कूलों में विज्ञान गुप तथा 65 स्कूलों में वाणिज्य गुप की प्रत्येक श्रेणी में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या 25 से 30 की आवश्यकता के विरुद्ध 1 तथा 10 के बीच विचलित थी।

जैसा कि हरियाणा शिक्षा संहिता में प्रावधान किया गया है, एक श्रेणी में 25 से 30 विद्यार्थी होने चाहिए। इसके विरुद्ध, नमूना-जाँच किए गए पाँच जिलों में यह देखा गया कि 39 स्कूलों में, विज्ञान गुप तथा 65 स्कूलों में वाणिज्य गुप की प्रत्येक श्रेणी में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या 1994-95 से 1998-99 के दौरान 1 से 10 के बीच विचलित थी। इन स्कूलों की विज्ञान तथा वाणिज्य विधाओं में अपर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान गुप हेतु लगाए गए 134 प्राध्यापकों तथा 54 प्रयोगशाला सहायकों के वेतनों के प्रति 3.33 करोड़ रूपए तथा वाणिज्य गुप हेतु लगाए गए 63 प्राध्यापकों के वेतनों के प्रति 1.40 करोड़ रूपए के भारी व्यय को न्यायसंगत करार नहीं देती। विज्ञान तथा वाणिज्य गुपों में विद्यार्थियों के नगण्य दाखिले के लिए विभाग/सम्बन्धित जि.शि.अ./स्कूलों द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।

उपर्युक्त स्कूलों में (वाणिज्य गुप के 65 स्कूल, विज्ञान गुप के 39 स्कूल), 1998-99 के दौरान विज्ञान तथा वाणिज्य विधाओं में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात निम्नानुसार था:

जिला	गुप	स्कूलों की संख्या	प्राध्यापकों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		कुल	अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात
				+1 श्रेणी	+2 श्रेणी		
अम्बाला	विज्ञान	3	7	16	17	33	1:5
	वाणिज्य	15	11	78	94	172	1:16
हिसार	विज्ञान	17	43	53	13	66	1:2
	वाणिज्य	18	14	53	42	95	1:7
जींद	विज्ञान	7	15	33	10	43	1:3
	वाणिज्य	15	13	57	56	113	1:9
पंचकुला	विज्ञान	5	16	26	5	31	1:2
	वाणिज्य	10	7	53	38	91	1:13
पानीपत	विज्ञान	7	19	29	18	47	1:2
	वाणिज्य	7	5	33	19	52	1:10

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 1998-99 के दौरान उपर्युक्त स्कूलों में विज्ञान विधा तथा वाणिज्य विधा में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्रमशः 1:2 से 1:5 तथा 1:7 से 1:16 के बीच श्रृंखलित था जबकि राज्य में प्रचलित सामान्य अनुपात 1:18 का था। यद्यपि इन सभी स्कूलों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात समानतः अधिक था, यह विज्ञान विधा में अधिक स्पष्ट था तथा हिसार एवं जीन्द जिलों में विशेषकर था।

\*\*\* 1985-86 (1 स्कूल), 1991-92 (2 स्कूल), 1992-93 (1 स्कूल), 1993-94 (6 स्कूल), 1994-95 (3 स्कूल), 1995-96 (7 स्कूल) 1997-98 (5 स्कूल) के दौरान क्रमोन्नत किए गए।



**(iii) पुस्तकालयाध्यक्ष**

प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ने अर्हता प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन एक सुसज्जित पुस्तकालय अनुरक्षित करना था जिसमें कम से कम 2500 पुस्तकें रखी जानी थी। नमूना-जाँच किए गए 173 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में से, 37 स्कूलों के पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें थीं अर्थात् प्रत्येक पुस्तकालय में 2500 से अधिक पुस्तकें थीं। तथापि, 37 स्कूलों में से 25 स्कूलों में, 1994-95 से 1998-99 के दौरान कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था। शेष 136 स्कूलों के पुस्तकालयों में निर्धारित संख्या में पुस्तकें नहीं थीं तथा अतः इन स्कूलों में कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था।

**3.1.11. प्रशिक्षण**

69 प्रतिशत प्रधानाचार्यों / प्राध्यापकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

राज्य कार्यवाही कार्यक्रम 1994 के अनुसार, अध्यापकों की अध्यापन योग्यता में सुधार करने तथा शिक्षा के मापदण्डों के बनाए रखने के लिए प्राध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 5 से 7 दिनों की दौरानगी के प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने थे। 1994-95 से 1998-99 के दौरान, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), गुडगांव ने 10+2 चरण पर कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों तथा प्राध्यापकों के लिए 49 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित किए। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थिति हेतु रा.शै.प्र.प. द्वारा 2,022 प्रधानाचार्यों/प्राध्यापक बुलाए गए थे परन्तु केवल 1,717 ने वास्तव में भाग लिया। इस प्रकार, 1996-97 के दौरान 5,544 अध्यापन स्टाफ (प्राध्यापक/प्रधानाचार्य) की औसतन संख्या लेकर 3,827 (69 प्रतिशत) अध्यापन स्टाफ को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान नहीं किए गए थे।

**3.1.12. क्रय**

राज्य सरकार ने विभिन्न विधाओं, पुस्तकालय, उपस्कर इत्यादि के लिए 2,000 रूपए से 50,000 रूपए के बीच श्रृंखलित पैमानों के अनुसार फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकें, स्पोर्ट्स सामग्री तथा अन्य मदों के क्रय के लिए क्रमोन्नत सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों को निधियां संस्वीकृत की।

नमूना-जाँच किए गए 5 जिलों में 1994-95 से 1998-99 के दौरान क्रमोन्नत 91 स्कूलों द्वारा किए गए क्रयों के अभिलेखों की जाँच पड़ताल ने निम्नलिखित प्रकट किया:

**(i) टाईपराइटर्स का क्रय**

राज्य सरकार ने 1994-95 से 1998-99 के दौरान वाणिज्य ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग करने के लिए 91 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों हेतु टाईपराइटर्स तथा अन्य मदों के क्रय के लिए 18.20 लाख रूपए निर्मुक्त किए यद्यपि टाईपराइटर्स के लिए किसी भी स्कूल से कोई माँग प्राप्त नहीं हुई थी। इसके विरुद्ध, सम्बन्धित जि.शि.अ./प्रधानाचार्यों द्वारा टाईपराइटर्स के क्रय पर 12.92 लाख रूपए व्यय किए गए थे। ये सभी 182 टाईपराइटर बेकार पड़े थे क्योंकि 45 स्कूलों में कोई वाणिज्य श्रेणी नहीं थी तथा 1994-95 से 46 स्कूलों में ऐसा कोई विद्यार्थी न था

जिसके पास टंकण ग्रुप हो (वाणिज्य हेतु वैकल्पिक विषय)। वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना टाईपराइटर्स के क्रय के परिणामस्वरूप 12.92 लाख रूपए का निरर्थक व्यय किया गया था। यह तथ्य कि उन 45 स्कूलों को भी निधियां निर्मुक्त की गई थीं जिनमें वाणिज्य श्रेणी न थी, प्रमाणित करता है कि किस अनियमित तरीके से उद्देश्य हेतु निधियां निर्मुक्त की गई थीं।

### (ii) विज्ञान सामग्री का क्रय

राज्य सरकार ने 1994-95 से 1998-99 के दौरान नमूना-जाँच किए गए जिलों में 91 स्कूलों को विज्ञान सामग्री के क्रय के लिए 27.30 लाख रूपए निर्मुक्त किए। यह देखा गया कि इस अवधि के दौरान 58 स्कूलों में कोई विज्ञान श्रेणी नहीं थी परन्तु सम्बन्धित जि.शि.अ./प्रधानाचार्यों द्वारा 17.40 लाख रूपए के मूल्य की विज्ञान सामग्री क्रय की गई थी जो न्यायोचित नहीं थी।

### 3.1.13. मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन

प्राथमिक, सैकेण्डरी तथा ऊँची शिक्षा के लिए राज्य कार्यवाही कार्यक्रम 1994 में यथा निर्धारित, राज्य में सैकेण्डरी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कार्यवाही योजना की मॉनिटरिंग करने के लिए निदेशालय, जिला तथा उप-मण्डलीय स्तर पर एक मॉनिटरिंग कक्ष स्थापित किया जाना अपेक्षित था। सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सैकेण्डरी शिक्षा के विकास, स्कूलों के क्रमोन्नयन, मापदण्डों के निर्धारण अनुसार, स्कूलों के लिए अपेक्षित आधारसंरचना के प्रावधान, शिक्षा की गुणवत्ता तथा मानवशक्ति के नियुक्तिकरण हेतु सरकार की नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग की जानी अपेक्षित थी। तथापि, यह देखा गया कि 1994-95 से 1998-99 के दौरान जि.शि.अ. द्वारा निदेशालय, सैकेण्डरी शिक्षा को विभिन्न विद्यार्थियों के वर्गों की संख्या, क्षेत्र एवं विधाएं, विभिन्न विषयों में विभाग द्वारा निर्धारित प्राध्यापकों की रिक्तता स्थिति को दर्शाने वाली स्टॉफ विवरणी से सम्बन्धित वार्षिक तथा अर्ध-वार्षिक विवरणियां/सूचना प्रेषित की गई थी, तथापि प्रशासनिक प्रतिवेदनों में सांख्यिकी आंकड़े शामिल करने के सिवाय निदेशक द्वारा ऐसी विवरणियों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। निदेशालय स्तर पर अथवा सरकार के स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग की अनुपस्थिति ने स्कीम के विलम्बित कार्यान्वयन हेतु योगदान किया जिसके कारण भारी संख्या में स्कूल अपेक्षित आधारसंरचना के बिना रहे तथा बहुधा स्कूलों ने अध्यापकों की नियुक्ति जारी रखी जबकि इनकी उपस्थिति पंजी में नगण्य अथवा कोई विद्यार्थी न था।

### 3.1.14. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा की 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू की। इसका उद्देश्य, सीनियर सैकेण्डरी चरण पर स्कूल स्तर पर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था। इस स्कीम के अन्तर्गत आवृत सभी अभिज्ञप्त क्षेत्र 2000 इस्वी तक आवृत किए जाने थे। तथापि, राज्य सरकार ने शिक्षा के +2 ढाँचे का विस्तार करने के लिए क्षेत्र अभिज्ञप्त नहीं किए थे तथा क्रमोन्नयन हेतु वार्षिक लक्ष्य नियत करने के लिए राज्य में सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों की वास्तविक आवश्यकता निर्धारित करने के लिए स्कूल चित्रण का कार्यक्रम भी प्रारम्भ नहीं किया गया था। उच्च स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने के लिए

यद्यपि विविध मापदण्ड निर्धारित किए गए थे, इन पर राजनीतिक दखलंदाजी तथा निदेशक/सचिव, शिक्षा विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही न करने के कारण, अनुसरण नहीं किया गया था। 58 स्कूलों में विज्ञान विधा के 143 प्राध्यापक, 23 स्कूलों में (नमूना-जाँच किए गए पाँच जिलों में) वाणिज्य के 23 प्राध्यापकों ने 1994-99 के दौरान कोई अध्यापन/प्रयोगशाला कार्य नहीं किया क्योंकि इस अवधि के दौरान इन स्कूलों में विज्ञान एवं वाणिज्य विधाओं में कोई विद्यार्थी नहीं था। नमूना-जाँच किए गए पाँच जिलों में, 1994-95 से 1998-99 के दौरान 91 स्कूल क्रमोन्नत किए गए थे। इनमें से, +2 चरण पर 17 स्कूलों के परिणाम बहुत घटिया थे क्योंकि इनमें उत्तीर्णता की प्रतिशतता शून्य थी।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।



3.2. प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक समर्थन

विशिष्टताएँ

राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पौषणिक समर्थन प्रदान करने में असफल रही क्योंकि प्राथमिक स्कूलों में पक्व भोजन (मध्यान्ह का खाना) देने का प्रावधान जुलाई 1996 से बन्द कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् केवल अनाज ही वितरित किए गए थे। पाकशालाओं के निर्माण पर किया गया भारी मात्रा में व्यय निष्फल हो गया था। स्कीम के कार्यान्वयन में उद्देश्य की गम्भीरता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि राज्य सरकार ने नामनिवेश में वृद्धि, विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल छोड़ने की दर घटाने हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किया था तथा इन पहलुओं की कोई मॉनिटरिंग भी नहीं की थी। स्कीम विद्यार्थियों के परिवारों को अन्य रूप में (खाद्यान्नों का वितरण) मात्र सहायता देने वाली सिद्ध हुई।

नवम्बर 1995 से मार्च 1996 के दौरान क्रयों इत्यादि हेतु 4 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा एक अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा आहरित 2.66 करोड़ रूपए अव्ययित रहे तथा इन्हें राजकीय कोषालय में पुनः जमा कराने से पूर्व तक 2 से 30 महीनों के बीच श्रृंखलित अवधि हेतु बैंक खातों में रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप 41.49 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.2.6)

मध्यान्ह का खाना देने के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर तथा स्कूल न छोड़ने हेतु लाभप्रद प्रभाव डालने का स्कीम का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि विद्यार्थियों को पक्व भोजन देना जुलाई 1996 से बन्द कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् केवल खाद्यान्न ही वितरित किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.2.7)

3 जिलों (नमूना-जाँच किए गए 7 जिलों में से) में 1,469 प्राथमिक स्कूलों के 2.39 लाख विद्यार्थियों को अप्रैल 1998 तथा मार्च 1999 के बीच खाद्यान्न जारी नहीं किए गए थे क्योंकि हरियाणा स्टेट फ़ैडरेशन ऑफ कन्ज्यूमरज को-ओपरेटिव होल्सेल स्टोरज लिमिटेड (कान्फेड) ने भारत सरकार द्वारा परिवहन दावों की अनादायगी के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाने/परिवहन करने से इन्कार कर दिया था।

(अनुच्छेद 3.2.8 (iii))

सरकारी तथा गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले में वृद्धि की दर में कोई सुधार न था जो कि 1995-96 से 1997-98 के दौरान 5 प्रतिशत रही। तथापि, सरकारी/गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने की दर 1996-97 में 18.55 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 20.20 प्रतिशत हो गई थी।

(अनुच्छेद 3.2.9)

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाते समय शिक्षा विभाग द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रमाणित/सत्यापित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.2.10)

1995-99 के दौरान 5 जिलों में 305 पाकशालाओं के निर्माण पर 1.60 करोड़ रूपए का व्यय तथा मई 1996 में 3 जिलों में स्टील प्लेट्स के क्रय पर एक अन्य 0.75 करोड़ रूपए का व्यय जुलाई 1996 से पक्व भोजन के प्रावधान को बन्द करने के कारण निष्फल हो गया था।

(अनुच्छेद 3.2.12)

नमूना-जांच किए गए 7 जिलों में स्कूलों के पास 40.93 लाख रूपए के मूल्य की 4.09 लाख खाती बोरियां बिना निपटान के पड़ी थीं।

(अनुच्छेद 3.2.14)

### 3.2.1. प्रस्तावना

'प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषणिक समर्थन (प्रा.शि.पौ.स.)' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसे सामान्यतया मध्याह्न का भोजन स्कीम के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 15 अगस्त 1995 को प्रवर्तित की गई थी तथा साथ ही साथ हरियाणा में भी चालू की गई थी. (हरियाणा सरकार का दिनांक 7 अगस्त 1995 का निर्णय) जिसने सरकार, स्थानीय निकायों अथवा सरकार की सहायता द्वारा चलाए जा रहे सभी प्राथमिक स्कूलों को चरण-बद्ध तरीके (त्रिवर्षीय अवधि) से आवृत करना था।

### 3.2.2. स्कीम के उद्देश्य

प्राथमिक स्कूलों में नामनिवेशन, धारणता एवं उपस्थिति में वृद्धि तथा इसके साथ-साथ विद्यार्थियों की पौषणिकता सुधारते हुए प्राथमिक शिक्षा की सर्व व्यापकता में बढ़ौतरी कराना स्कीम का उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, स्कीम में ऐसा निशुल्क खाना देने का

प्रावधान था जिसमें 100 ग्राम कैलोरीफिक के बराबर गेहूँ/चावल -1 से 5 वीं प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल के बच्चों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन दिया जाना था तथा यह इस शर्त पर दिया जाना था कि वर्ष के दौरान 10 शैक्षणिक महीनों हेतु महीने में 80 प्रतिशत की न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए।

### 3.2.3. संगठनात्मक ढाँचा

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (नि.प्रा.शि.) निदेशालय स्तर पर समग्र प्रभारी था तथा मुख्यालय पर एक उप निदेशक, क्षेत्र में 19 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (जि.प्रा.शि.अ.) तथा अतिरिक्त उपायुक्त (अ.उपा.) 1995-96 से 1998-99 के दौरान 111 खण्डों (3209 से 8976 प्राथमिक स्कूल) में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उसकी सहायता करते थे।

### 3.2.4. लेखापरीक्षा व्याप्ति

1995-96 से 1998-99 की अवधि के लिए स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 19 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों में से 7<sup>\*</sup>, 111 खण्ड शिक्षा अधिकारियों में से 26 के तथा राज्य में कुल 8,976 प्राथमिक स्कूलों में से 1,792 (20 प्रतिशत) के कार्यालयों में नमूना-जाँच की गई थी। नमूना-जाँच के लिए 7 जिलों का चयन राज्य के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तथा मध्य इलाकों से सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। 1995-96 से 1998-99 के दौरान स्टेट फ़ैडरेशन ऑफ कन्जयूमरज को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोरज (कान्फैड) द्वारा उठाए गए 90.36 करोड़ रूपए के कुल मूल्य के खाद्यान्नों में से, 40.65 करोड़ रूपए (उठाए गए खाद्यान्नों के कुल मूल्य का 45 प्रतिशत) से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई थी। समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण प्रसंग अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

### 3.2.5. निधिपोषण ढाँचा

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत को पूरा करने तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों तक निर्धारित दर<sup>\*\*</sup> पर उनका परिवहन करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का स्कीम में प्रावधान था। परिवहन लागत की भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) को प्रतिपूर्ति की जानी थी। भोजन पकाने के लिए पाकशालाओं के निर्माण तथा श्रम प्रभारों पर व्यय भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन स्कीमों जवाहर रोज़गार योजना (जे.आर.

\* जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी भिवानी, हिसार, करनाल, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

\*\* मई 1997 तक 25 रूपए प्रति क्विंटल तथा तत्पश्चात् 50 रूपए प्रति क्विंटल।



वाई.)/नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई)) से पूरा किया जाना था तथा खाद्यान्नों को पक्व भोजन में परिवर्तित करने के लिए शेष लागत राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी थी।

### 3.2.6. वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(क) राज्य सरकार ने खाद्यान्नों को पक्व भोजन में परिवर्तित करने की लागत को पूरा करने के लिए 1995-96 के दौरान 11.80 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया था, जिसके विरुद्ध 10.28 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे। बहुधा स्कूलों के लिए पौषणिक समर्थन केवल नवम्बर 1995 से देना प्रारम्भ किया गया था। तथापि, जुलाई 1996 से सरकार ने पक्व भोजन के वितरण को बन्द करने के लिए सभी जि.प्रा.शि.अ. को निर्देश जारी किए। इसलिए, वर्ष 1996-97 से आगे, किसी बजट प्रावधान की आवश्यकता न थी तथा न ही किया गया था।

#### (ख) सरकारी निधियों का अनियमित धारण

5\*\*\* जि.प्रा.शि.अ./अ.उपा. के बैंक खातों में जुलाई 1996 को 2.66 करोड़ रूपए के अव्ययित शेष थे जो स्टील प्लेट्स, घी, दाल इत्यादि के क्रय हेतु नवम्बर 1995 से मार्च 1996 के दौरान पहले आहरित किए गए थे। तथापि, पक्व भोजन की आपूर्ति बन्द हो जाने पर, इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा इस प्रकार इन राशियों का तत्पश्चात् तुरन्त राजकीय कोषालय में प्रत्यर्पण किया जाना अपेक्षित था। ये अनियमित बैंक खाते 2 से 30 महीनों (अक्टूबर 1996 से जनवरी 1999 तक) के बीच श्रृंखलित अवधियों हेतु परिचालित रहे। कोषालय में राशि के प्रत्यर्पण की देरी से बचत बैंक खातों में बैंक डिपोजिट्स पर अर्जित 12.82 लाख रूपए के ब्याज को कम करके 41.49 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई। (विवरण परिशिष्ट - XII के अनुसार)।

सम्बन्धित जि.प्रा.शि.अ. ने बताया (जनवरी 1999) कि नि.प्रा.शि. से अनुदेश प्राप्त न होने से अव्ययित निधियां कोषालय में जमा नहीं करवाई गई थीं। उत्तर तर्कसंगत न था क्योंकि बैंक खातों में निधियां रखना नियमों का घोर उल्लंघन था तथा तुरन्त सवितरण/उपयोग के लिए अनपेक्षित निधियां सरकारी लेखाओं से बाहर नहीं रखी जानी चाहिए। नि.प्रा.शि. से इस उद्देश्य हेतु किन्हीं अनुदेशों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बैंक खाते उस द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए थे।

#### (ग) व्यय लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण

4 जिलों\* में, जि.प्रा.शि.अ. ने 32 ख.शि.अ. को 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 4.12 करोड़ रूपए निर्मुक्त किए। इसमें से, अव्ययित 0.53 करोड़ रूपए हिसार, भिवानी तथा सिरसा जिलों के 25 ख.शि.अ. द्वारा जि.प्रा.शि.अ. को वापिस कर दिए गए थे (सितम्बर 1996 तथा मार्च 1997) शेष 3.59 करोड़ रूपए के समायोजन में व्यय लेखे सम्बन्धित 32 ख.शि.अ. द्वारा जि.प्रा.शि.अ. को मार्च 1999 तक प्रेषित नहीं किए गए थे।

\*\*\* जि.प्रा.शि.अ. भिवानी (23.70 लाख रूपए), नारनौल (72.71 लाख रूपए), रेवाड़ी (77.77 लाख रूपए), रोहतक (37.17 लाख रूपए) तथा अ.उपा. हिसार (54.89 लाख रूपए)।

α 12.15 से 13.85 प्रतिशत पर परिकल्पित - राज्य सरकार की उधार लेने की दर।

\* भिवानी, हिसार, रेवाड़ी तथा सिरसा

**3.2.7. भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां**

(i) तीन वर्षों की अवधि में अर्थात् 1997-98 के अन्त तक सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे सभी प्राथमिक स्कूलों तथा सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को पक्व भोजन की आपूर्ति करने का स्कीम में प्रावधान किया गया था। विभाग द्वारा 1995-98 के दौरान आवृत्ति निम्नानुसार थी:

वर्ष	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)
1995-96 (15 अगस्त 1995 से)	6	44	3,209	5.92
1996-97	16	88	6,108	11.72
1997-98	17	111	8,823	16.96
1998-99	19	111	8,976	17.77

**(ii) 9 महीनों के पश्चात् पक्व भोजन देना बन्द करना**

पक्व भोजन की अपेक्षा खाद्यान्नों की आपूर्ति की ओर तबदीली ने 'विद्यार्थियों को पौषणिक समर्थन' सिद्धान्त को संदेहास्पद बना दिया।

राज्य सरकार ने कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर पक्व भोजन प्रदान करने के लिए पाकशालाओं के निर्माण, बर्तनों के क्रय इत्यादि जैसे संस्थानीय प्रबन्ध विकसित करने थे। स्कीम 15 अगस्त 1995 से प्रारम्भ हुई थी जब केवल बहुत कम स्कूल (24 स्कूल) आवृत्त किए गए थे तथा 6 जिलों के शेष 3,185 स्कूल नवम्बर 1995 से स्कीम के अन्तर्गत आवृत्त किए गए थे।

विद्यार्थियों के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण विद्यार्थियों के लिए पक्व भोजन देने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जुलाई 1996 से बन्द कर दिया गया था क्योंकि अध्यापकों का बहुत सा समय पक्व भोजन बनाने तथा परोसने का प्रबन्ध करने में खप जाता था। वित्तीय भार एक अन्य घटक उद्धृत किया गया था। स्कीम बन्द करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए कारण कि अध्यापकों का समय खाना बनाने में खप जाता था, वैध नहीं हैं क्योंकि स्कीम में यह प्रावधान किया गया था कि पक्व भोजन का देना मातापिता-अध्यापक समितियों, गैर सरकारी संगठनों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास स्कीम (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) के अन्तर्गत गठित महिला समूहों तथा अन्य संगठनों द्वारा स्कूल के साथ मिल कर किया जाएगा। प्रतीयमानतः राज्य सरकार/स्कूलों की स्कीम को कार्यान्वित करने में कोई रुचि नहीं थी। तत्पश्चात् केवल खाद्यान्न वितरित किए गए थे। तथापि, स्कीम के मार्गनिर्देशनों में यह छूट दी गई थी कि स्कूलों द्वारा अथवा स्कूल-मातापिता एवं अध्यापकों की समितियों, गैर सरकारी संगठनों, 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.)' स्कीम के अन्तर्गत गठित महिला समूहों तथा अन्य संगठनों के साथ मिल कर स्कूलों द्वारा पक्व भोजन देने की व्यवस्था की जा सकती थी। पक्व भोजन की व्यवस्था करने के लिए डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के महिला समूहों की सांझीदारी के लिए विभाग द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं किया गया था। अतः यह कारण कि अध्यापकों का समय भोजन की व्यवस्था करने आदि में व्यतीत हो जाता था, तर्कसंगत नहीं था तथा सरकार/विभाग (अध्यापन स्टॉफ सहित) की स्कीम को कार्यान्वित करने में कोई रुचि नहीं थी। पक्व भोजन की अपेक्षा खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के परिवर्तन ने स्कीम का मौलिक उद्देश्य समाप्त कर दिया था तथा यह संदेहास्पद कर दिया था कि क्या विद्यार्थियों को वास्तव में कोई पौषणिक समर्थन दिया गया था। स्कीम, विद्यार्थियों के परिवारों को मात्र अन्य रूप से (खद्यान्नों का वितरण) सहायता प्रदान करने वाली सिद्ध हुई।

### 3.2.8. खाद्यान्नों का वितरण

#### (i) लाभग्राही विद्यार्थियों की संख्या की गलत सूचना

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने खाद्यान्नों की कुल उठाई गई मात्रा को 3 कि.ग्रा. प्रतिमास से भाग देकर भारत सरकार को 1997-98 के दौरान 17.23 लाख लाभग्राही विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवेदित की थी। तथापि, यह विद्यार्थियों को खाद्यान्नों की वास्तविक खपत/वितरण पर आधारित नहीं थी जैसा कि नीचे चर्चित किया गया है:

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने भारत सरकार को प्रेषित खाद्यान्नों की उपयोज्यता की वार्षिक विवरणियों में 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रति विद्यार्थी प्रति मास 3 कि.ग्राम (चावल तथा गेहूं प्रत्येक 1.5 कि.ग्रा.) की समान दर पर खाद्यान्नों की उपयोज्यता प्रतिबिम्बित की थी। तथापि, 2\* खण्डों (भिवानी जिला) के 10 स्कूलों के अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि खाद्यान्न कम मात्रा में दिए गए थे अर्थात् इस अवधि के दौरान 815 ग्राम से 2.5 कि.ग्राम. प्रति विद्यार्थी की दर पर दिए गए थे। इससे 2,398 विद्यार्थियों को 27.39 क्विंटल (क्विं.) खाद्यान्न कम मात्रा में आपूर्ति किए गए थे।

आगे, 2 खण्डों\*\* (हिसार जिलों) के 7 स्कूलों में खाद्यान्न अधिक मात्रा में दिए गए थे जो 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रति विद्यार्थी 4.500 कि.ग्राम से 6.160 कि.ग्राम के बीच परिवर्तनशील थी। इसके परिणामस्वरूप 2,045 विद्यार्थियों को 143.98 क्विंटल खाद्यान्न अधिक दिए गए थे।

अतः, इन वर्षों में नि.प्रा.शि. द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित लाभग्राही विद्यार्थियों की संख्या ठीक नहीं थी। नि.प्रा.शि. द्वारा लाभग्राही विद्यार्थियों की संख्या के गलत प्रतिवेदन के लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 1999)। इसके अतिरिक्त, स्कूलों के मुखिया, सम्बन्धित स्व. शि.अ. तथा जि.प्रा.शि.अ. भिवानी तथा हिसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खाद्यान्नों के वितरण को सुनिश्चित करने में असफल रहे।

#### (ii) कम उपस्थिति के साथ विद्यार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण

विद्यार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिए जाने थे बशर्ते कि महीने में उनकी 80 प्रतिशत उपस्थिति हो। रोहतक जिले में बेरी खण्ड के अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 17 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को खाद्यान्न उनकी उपस्थिति के अनुपात में वितरित किए गए थे अर्थात् जहाँ उपस्थिति 30 प्रतिशत, 40 से 50 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत थी वहाँ क्रमशः 1 कि.ग्राम, 1.5 कि.ग्रा. तथा 2 कि.ग्राम. की दर पर वितरित किए गए थे। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, जि.प्रा.शि.अ., रोहतक ने सूचित किया (दिसम्बर 1998) कि महीने में जिनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम थी उन बच्चों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रथा अनियमित होने के अतिरिक्त, इससे स्कूलों में अध्ययन जारी रखने तथा उपस्थिति का मौलिक उद्देश्य भी पराजित हो गया था।

\* भिवानी - I तथा दादरी - II खण्ड

\*\* बरवाला तथा हिसार - II खण्ड



(iii) विद्यार्थियों को खाद्यान्नों की अनापूर्ति

अप्रैल 1998 से मार्च 1999 के दौरान सिरसा जिले में, अप्रैल 1998 से अक्टूबर 1998 के दौरान रेवाड़ी जिले में तथा अप्रैल से सितम्बर 1998 के दौरान महेन्द्रगढ़ जिले में कोई खाद्यान्न नहीं उठाए गए थे जिससे 2.39 लाख विद्यार्थियों\* को स्कीम के लाभ से वंचित किया गया था। कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा खाद्यान्न न उठाने के लिए यह कारण बताया गया था कि कान्फैड ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों तक खाद्यान्नों का परिवहन करने से इस तर्क पर इन्कार कर दिया था कि 1997-98 के लिए उनके दावों का भारत सरकार ने निपटारा नहीं किया था। सम्बन्धित जि.प्रा.शि.अ. ने मामला नि.प्रा.शि. के ध्यान में मई-दिसम्बर 1998 के दौरान लाया था परन्तु नि.प्रा.शि. ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाए थे।

3.2.9. स्कूल नामनिवेशन, उपस्थिति तथा छोड़ने वालों की दर

(i) विद्यार्थी नामनिवेशन में कमी

1995-98 के दौरान, प्राथमिक चरण पर विद्यार्थियों के नामनिवेशन में वृद्धि स्थिर रही अर्थात् 5 प्रतिशत रही।

कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य प्राथमिक श्रेणियों में बच्चों के अवधारण तथा उपस्थिति में वृद्धि को सुनिश्चित करना था। 1995-96 से 1997-99 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष के नामनिवेश से विद्यार्थियों के नामनिवेशन में प्रतिशतता वृद्धि निम्नानुसार थी:

वर्ष	राज्य में नाम निवेशित विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)	पूर्ववर्ती वर्ष के नाम निवेश से प्रतिशत वृद्धि
1994-95	18.00	-
1995-96	18.96	5
1996-97	19.95	5
1997-98	20.96	5

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1995-98 के दौरान विद्यार्थियों के नामनिवेशन में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं थी तथा इस प्रकार स्कीम प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव डालने में असफल रही।

1995-98 के दौरान, नमूना-जाँच किए गए 7 जिलों में प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का नामनिवेशन (सरकारी/स्थानीय निकायों से सहायता प्राप्त स्कूल, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल

\* जिला नारनौल: 82,179 रेवाड़ी: 68,405 तथा सिरसा: 88,079 (1469 प्राथमिक स्कूल)

तथा गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल) निम्नानुसार था:

जिला	नाम निवेशित विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
भिवानी	1.43	1.49	1.42
हिसार	2.01	1.97	1.43*
करनाल	1.10	1.18	1.15
नारनौल	0.95	0.94	0.97
रेवाड़ी	0.72	0.76	0.78
रोहतक	1.89	1.91	0.97*
सिरसा	0.96	0.98	1.05

भिवानी तथा करनाल जिलों में विद्यार्थी नामनिवेश 1996-97 में नामनिवेश की तुलना में 1997-98 में घट गया था।

आगे, नमूना-जाँच किए गए 7 जिलों में, 16 खण्डों के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामनिवेश 1996-97 में 2.48 लाख से घट कर 1998-99 में 2.08 लाख हो गया था अर्थात् 16 प्रतिशत तक घट गया था जबकि अन्य 12 खण्डों में, विद्यार्थी नामनिवेश 1997-98 में 1.87 लाख से घटकर 1998-99 में 1.72 लाख हो गया था अर्थात् 8 प्रतिशत तक घट गया था। तथापि, इन 28 खण्डों में प्रत्येक में पृथक-पृथक खण्ड-वार कमी 3 तथा 56 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। यह इस तथ्य का संकेतक था कि स्कीम प्राथमिक शिक्षा चरण पर विद्यार्थियों की सम्मिलनता को बढ़ाती देने में असफल रही। नि.प्रा.शि. ने बताया (मार्च 1999) कि विद्यार्थियों के लिए नामनिवेश/उपस्थिति/स्कूल छोड़ने वालों हेतु स्कीम के अन्तर्गत कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों के नामनिवेशन में कमी को मॉनिटर तथा चेक करने के लिए उत्तरदायी था।

### (ii) स्कूल उपस्थिति मॉनिटर नहीं की गई

I से V श्रेणी में विद्यार्थियों की उपस्थिति के मासिक आंकड़े भारत सरकार को प्रेषित करने की आवश्यकता के विषय में स्कीम में विचार किया गया था, राज्य सरकार ने 1995-96 से 1998-99 के दौरान किसी भी वर्ष में भारत सरकार को मासिक उपस्थिति आँकड़े प्रेषित नहीं किए क्योंकि विद्यार्थियों की जिला-वार मासिक उपस्थिति जि.प्रा.शि.अ. ने निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/राज्य को आगे प्रेषित करने के लिए संकलित नहीं किए थे। जैसा कि स्कीम में विचार किया गया था, भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के उपस्थिति आँकड़ों की मॉनिटरिंग अव्यवहार्य थी तथा कार्यान्वित नहीं की जा सकती। तथ्यतः, कोई भी सरकार पूर्ण राज्य में विखरे विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को मॉनिटर नहीं कर सकती।

\* रोहतक तथा हिसार जिलों में से क्रमशः दो नए जिले अर्थात् झज्जर तथा फतेहाबाद जिले 1997-98 के दौरान बनाए गए थे।

(iii) विद्यार्थियों द्वारा स्कूल छोड़ने में वृद्धि

स्कूल छोड़ने वालों की दर  
1996-97 में 18.55 प्रतिशत  
से बढ़कर 1997-98 में  
20.20 प्रतिशत हो गई थी।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने 1991-92 से 1998-99 तक के लिए प्राथमिक श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के लिए स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के जिला-वार विवरण प्रेषित नहीं किए थे। तथापि, मई 1998 के शैक्षणिक सांख्यिकी के अनुसार, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर 1996-97 में 18.55 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 20.20 प्रतिशत हो गई थी। स्कूल छोड़ने वालों की दर में वृद्धि के लिए विभाग ने कोई कारण सूचित नहीं किए थे।

3.2.10. खाद्यान्नों की गुणवत्ता/मात्रा का असत्यापन

भा.खा.नि. के गोदामों से  
खाद्यान्न उठाते समय उनकी  
गुणवत्ता तथा मात्रा का  
सत्यापन नहीं किया गया था।

कान्फैड द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाए गए खाद्यान्नों को उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी गुणवत्ता तथा मात्रा में कोई कमी नहीं थी, शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापित किए जाने अपेक्षित थे। नमूना-जाँच किए गए 7 जिलों में यह देखा गया कि 1995-99 के दौरान खाद्यान्न उठाते समय इससे सम्बन्धित कोई प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। आगे, नमूना-जाँच किए गए जिलों में स्कूलों को आपूरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता के लिए शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार की जाँच नहीं की थी।

3.2.11. खाद्यान्नों की मात्राओं का मिलान न करना

जि.प्रा.शि.अ., हिसार द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार, 1995-96 से 1997-98 के दौरान भा.खा. नि. के गोदामों से 4,753.24 मीट्रिक टन गेहूँ उठाई गई थी जबकि जिला प्रबन्धक, कान्फैड, हिसार द्वारा आपूरित आँकड़ों के अनुसार 4,858.76 मीट्रिक टन गेहूँ उठाई गई थी।

इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान, जि.प्रा.शि.अ., हिसार द्वारा आपूरित आँकड़ों के अनुसार भा.खा.नि. के गोदामों से 4,775.44 मीट्रिक टन चावल उठाए गए थे जबकि कान्फैड, हिसार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 4,882.52 मीट्रिक टन चावल उठाए गए थे। 17.43 लाख रूपए के मूल्य की 105.52 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 107.08 मीट्रिक टन चावल की विसंगति का जि.प्रा.शि. अ., हिसार द्वारा मार्च 1999 तक मिलान नहीं किया गया था।



### 3.2.12. निष्फल व्यय

#### (क) अप्रयुक्त पाकशालाएं

5\*\* जिलों में, जि.ग्रा.वि.अ. ने स्कूल के बच्चों के लिए पक्व भोजन की व्यवस्था करने के लिए 1995-96 से 1998-99 के दौरान 305 पाकशालाओं के निर्माण पर 1.60 करोड़ रूपए व्यय किए जिसमें से 47.70 लाख रूपए ऐसी 90 पाकशालाओं के निर्माण पर व्यय किए गए थे जिनका निर्माण जुलाई 1996 में पक्व भोजन देने की स्कीम बन्द हो जाने के बाद किया गया था जिससे 1.60 करोड़ रूपए का समस्त व्यय निष्फल हो गया था। सम्बन्धित जि.प्रा.शि.अ. ने बताया (दिसम्बर 1998- मार्च 1999) कि उन स्कूलों के पूर्ण विवरण जहां ये पाकशालाएं निर्मित की गई थी उन द्वारा जि.ग्रा.वि.अ. को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे तथा इसलिए इन पाकशालाओं का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा था, अभिलिखित नहीं था।

#### (ख) स्टील प्लेटस का निपटान न करना

इसी प्रकार, 3 जि.प्रा.शि.अ. ने 75.28\*\*\* लाख रूपए के मूल्य की स्टील प्लेटस खरीदी (मई 1996) तथा विद्यार्थियों के नामनिवेश के अनुसार स्कूलों में वितरित की। क्योंकि राज्य सरकार ने पक्व भोजन के प्रावधान की स्कीम जुलाई 1996 में बन्द कर दी थी, उनके (प्लेटस) निपटान के विषय में स्पष्ट किया जाना चाहिए। तथापि, स्टील प्लेटस जो कि मार्च 1999 तक बेकार/बिना निपटान के पड़ी थी उनके निपटान के लिए सरकार ने कोई अनुदेश जारी नहीं किए थे।

#### (ग) व्यय लेखों का अननुरक्षण

भोजन पकाने के लिए रसोईयों तथा सहायकों को अदा की गई मजदूरी, सम्बन्धित जि.ग्रा.वि.अ. के माध्यम से भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन स्कीम को डेबिट की जानी अपेक्षित थी। राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार, इस उद्देश्य हेतु लगाए गए रसोईयों तथा सहायकों को प्रति लाभग्राही प्रतिदिन 0.44 रूपए अदा किए जाने थे। 6 जिलों में से 4\*\*\*\* में जहां पक्व भोजन परोसा गया था, सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्तों ने जनवरी 1996 से फरवरी 1997 के दौरान रसोईयों/सहायकों को मजदूरी की अदायगी के लिए ख.वि. एवं पं.अ. को 1.33 करोड़ रूपए निर्मुक्त किए परन्तु सम्बन्धित उपायुक्तों ने ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया था जिसमें लगाए गए रसोईयों की संख्या, जिन विद्यार्थियों को पक्व भोजन दिया गया उनकी संख्या तथा किए गए व्यय इत्यादि के विवरण दर्ज किए गए हों। इनमें से किसी भी अतिरिक्त उपायुक्त ने लेखापरीक्षा को प्रतिमास वास्तव में किए गए व्यय के विवरण, लाभग्राहियों के विवरण, दिनों की संख्या जिनके लिए पक्व भोजन दिया गया था तथा लगाए गए रसोईयों/सहायकों की संख्या सूचित नहीं की थी। इन विवरणों की अनुपस्थिति में, रसोईयों/सहायकों को प्रदत्त दरों की शुद्धता तथा गरीबी उन्मूलन स्कीम के नाम डाली गई राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

\*\* जिला भिवानी : 26.50 लाख रूपए, हिसार: 46.64 लाख रूपए, रेवाड़ी: 11.48 लाख रूपए, रोहतक: 39.22 लाख रूपए, तथा सिरसा: 36.57 लाख रूपए।

\*\*\* भिवानी: 23.59 लाख रूपए, हिसार: 35.99 लाख रूपए तथा सिरसा: 15.70 लाख रूपए।

\*\*\*\* अ.उप.हिसार: 56.89 लाख रूपए, नारनौल: 40.23 लाख रूपए, रेवाड़ी: 24.24 लाख रूपए तथा सिरसा: 11.87 लाख रूपए।

अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक ने 1995-96 से 1998-99 के दौरान रोहतक जिले में विभिन्न ख.वि. एवं पं.अ. को निर्मुक्त की गई राशि सूचित नहीं की थी।

### 3.2.13. खाद्यान्नों का परिवहन

#### राज्य के सरकारी खाते को परिवहन प्रभारों का अनियमित डेबिट

भा.खा.नि. के गोदामों से स्कूलों तक खाद्यान्नों के लिए परिवहन प्रभार भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने थे। तथापि, जि.प्रा.शि.अ., नारनौल ने अतिरिक्त उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ के निर्देश पर राज्य सरकार की निधियों से 1997-98 के दौरान इस हेतु कान्फैड को अनियमिततः 10.55 लाख रूपए अदा किए। व्यय अभी तक भारत सरकार को डेबिट नहीं किया गया था (मार्च 1999)।

### 3.2.14. खाली बोरियों का निपटान न करना

नमूना-जाँच किए गए 7 जिलों में 1995-96 से 1997-98 के दौरान 44,260.9 मीट्रिक टन गेहूँ/चावल विद्यार्थियों को बाँटे गए थे। किसी भी स्कूल ने खाली बोरियों का कोई भी रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया था। तथापि, एक क्विंटल खाद्यान्न के लिए एक बोरी मान कर, 4,42,609 बोरियां सम्बन्धित स्कूलों के पास उपलब्ध होनी चाहिए थीं। निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा ने अगस्त 1997 में अनुदेश जारी किए कि खाली बोरियां या तो 10 रूपए प्रति बोरी की दर पर अथवा नीलामी के माध्यम से बेची जानी चाहिए (जहां नीलामी अधिक दरें लाए)। 10 रूपए प्रति बोरी की बिक्री दर लेकर 4,42,609 खाली बोरियों का बिक्री मूल्य 44.26 लाख रूपए परिकलित किया गया था। इसके विरुद्ध, जि.प्रा.शि.अ. सिरसा तथा रोहतक ने 33,343 बोरियों के बिक्री अर्थागमों के विरुद्ध क्रमशः 2.43 लाख रूपए तथा 0.90 लाख रूपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। 40.93 लाख रूपए के मूल्य की शेष 4,09,266 बोरियों का निपटान नहीं किया गया था (मार्च 1999)।

### 3.2.15. मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन

किसी मॉनिटरिंग तन्त्र का पूर्णतया अभाव था।

जैसा कि स्कीम में निर्धारित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम की उचित मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली का अनुसरण किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि 8.15 लाख रूपए की लागत पर एक कम्प्यूटर नि.प्रा.शि. कार्यलय में प्रतिष्ठापित किया गया था (सितम्बर 1997), परन्तु रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चल सकता कि नि.प्रा.शि. कार्यलय ने किसी मॉनिटरिंग उद्देश्य हेतु कम्प्यूटर का उपयोग किया था। क्योंकि खाद्यान्नों के आबंटन, उठाई गई मात्रा तथा उपयोज्यता को दर्शाने वाली भारत सरकार को प्रेषित मासिक विवरणियों को नि.प्रा.शि. कार्यलय में कम्प्यूटरीकृत नहीं किया जा रहा था, इससे यह स्पष्ट था कि कम्प्यूटर का प्रबन्धन सूचना प्रणाली के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

कार्यक्रम को मॉनिटर करने के लिए, राज्य सरकार ने तीन समितियां गठित की अर्थात् राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में तथा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समिति। कार्यक्रम के ठीक कार्यचालन के सुनिश्चितिकरण हेतु इन समितियों द्वारा मासिक बैठकें की जानी अपेक्षित थी। 1996-97 से 1998-99 के दौरान ऐसी कोई बैठक नहीं की गई थी जिससे मॉनिटरिंग तन्त्र की समूची अनुपस्थिति का संकेत मिलता था।

### 3.2.16. निष्कर्ष

स्कीम, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न के समय पक्व भोजन प्रदान करके बच्चों को पौषणिक समर्थन देने तथा स्कूलों में नामनिवेश, धारणता एवं उपस्थिति में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने से अभिप्रेत थी। राज्य सरकार ने पक्व भोजन देने के लिए संस्थानीय व्यवस्थाएं नहीं की थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (ग्रा.क्षे.म. एवं बा.वि.) के अन्तर्गत बनाए गए महिला समूहों को भोजन बनाने आदि की व्यवस्था करने में शामिल किया जा सकता था जैसा कि स्कीम के मार्गनिर्देशों में दिया गया था परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। पक्व भोजन देने का प्रावधान जुलाई 1996 से बन्द कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् केवल खाद्यान्न ही वितरित किए गए थे जिससे यह सुनिश्चित नहीं होता था कि स्कीम के उद्देश्य पूरे हो गए थे। 305 पाकशालाओं के निर्माण पर मार्च 1999 तक व्यय किए गए 1.60 करोड़ रूपए निष्फल हो गए थे। राज्य सरकार स्कीम को कार्यान्वित करने में असफल रही तथा केवल खाद्यान्न ही वितरित किए गए थे जिनका प्राथमिक चरण पर विद्यार्थियों के नामनिवेश/धारण तथा स्कूल छोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं था।

ये प्रसंग सरकार को जून 1999 में संदर्भित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।



वन विभाग

3.3. अरावली पहाड़ियों में शामिल भूमियों की पुनः स्थापना

विशिष्टताएं

पौधारोपणों के माध्यम से आरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय अवक्रमण की प्रवृत्ति को प्रतिकूल करना, उत्पादक प्ररोहण आवरण को पुनः स्थापित करना मिट्टी हानियों को रोकना इत्यादि परियोजना का लक्ष्य था। परियोजना के प्रभाव को आँकने के लिए विभाग ने जुलाई 1993 में हरियाणा राज्य दूरस्थ बोधन अनुप्रयोग केन्द्र, हिसार को कार्य सौंपा। इसकी अन्तरिम रिपोर्ट (अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई थी) ने प्रकट किया कि परियोजना क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ चुका था। तथापि, समीक्षा अवधि ने प्रकट किया कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन जो 126.79 लाख श्रम दिवस दर्शाए गए थे वे फर्जी थे क्योंकि नामावलियों के माध्यम से श्रमिकों को प्रदत्त मजदूरी में सदेहास्पद अदायगियों की काफी राशि आवेष्टित थी तथा वन मण्डलीय अधिकारियों द्वारा वृहद संख्या में मामलों में वन गाड़ी/वनपालकों से वसूलियां करने के लिए आदेश दिए गए थे। अनधिकृत पौधारोपणों, पनीरिया अधिक उगाने इत्यादि के कारण परियोजना में अत्यधिक लागत वृद्धि आवेष्टित थी।

जुलाई 1989 में 48.16 करोड़ रूपए के लिए तैयार किए गए परियोजना के लागत अनुमान वास्तव से बहुत दूर थे। 1990-91 से 1998-99 के दौरान 107.65 करोड़ रूपए पहले ही व्यय किए जा चुके थे तथा परियोजना अभी तक चल रही थी (मार्च 1999)। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1998-99 में संशोधित करके 120.99 करोड़ रूपए की गई थी।

(अनुच्छेद 3.3.4 (iii))

सूक्ष्म योजनाएं जिन्हें प्रत्येक ग्राम समुदाय के उत्तरदायित्व/अधिकार विनिर्दिष्ट करने प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत योजनाओं में सम्मिलित करना था, 1992-93 तक 187 ग्रामों हेतु तैयार नहीं की गई थी जहाँ 15.54 करोड़ रूपए की लागत से पुनः स्थापना कार्य निष्पादित किए गए थे। सूक्ष्म आयोजना में समुदाय भागीदारी नगण्य थी।

(अनुच्छेद 3.3.5.1)

1992-93 से 1998-99 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर नए पौधारोपणों तथा पौधारोपणों के अनुरक्षण हेतु 6.16 करोड़ पौध की कुल अपेक्षा के विरुद्ध सभी 5 परिचालनात्मक मण्डलों द्वारा नर्सरियों में 7.23 करोड़ पौध लगाई गई थी। 1.07 करोड़ अधिक पौध लगाए जाने के कारण 1.57 करोड़ रूपए के परिहार्य अतिरिक्त व्यय का भार पड़ा।

(अनुच्छेद 3.3.5.2क(i))

मुख्य वन संरक्षक, गुडगांव द्वारा जारी (जनवरी 1995) नर्सरियों में पहाड़ी बबूल पौध न लगाने के निर्देशों के विपरीत सभी 5 परिचालनात्मक मण्डलों द्वारा 26.36 लाख रूपए की लागत पर 1996-97 से 1998-99 के दौरान नर्सरियों में इन जातियों की 15.09 लाख पौध लगाई गई थी।

(अनुच्छेद 3.3.5.2क(ii))

नमूना जाँच किए गए 3 मण्डलों में, परियोजना के अन्तर्गत अनभिज्ञप्त 56 गांवों में 4,220 हैक्टेयर क्षेत्र में पुनः स्थापना कार्य 1991-99 के दौरान 2.44 करोड़ रूपए की लागत से किए गए थे जो कि अनियमित था।

(अनुच्छेद 3.3.5.2ख(i))

हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए परियोजना दस्तावेजों के उपबन्धों के विपरीत नमूना-जाँच किए गए 3 मण्डलों में अभिज्ञप्त 35 गांवों में भूमि उपचार कार्यों के लिए उपलब्ध 2,995.50 हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र के विरुद्ध 1991-92 से 1998-99 के दौरान 5,349 हैक्टेयर क्षेत्र (जिसमें 2,353.50 हैक्टेयर गैर पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित था) आवृत किया गया दिखाया गया था जो कि अनियमित था तथा जिससे 1.41 करोड़ रूपए के व्यय का भार पड़ा।

(अनुच्छेद 3.3.5.2ख(ii))

नमूना जाँच किए गए 3 मण्डलों में अभिज्ञप्त 18 गांवों में उपलब्ध 2,889 हैक्टेयर शामिल भूमि के विरुद्ध 1991-92 से 1998-99 के दौरान 4,066.90 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया दिखाया गया था। 0.71 करोड़ रूपए के व्यय से आवेष्टित 1,177.90 हैक्टेयर के अधिक क्षेत्र में पौधारोपण का कोई औचित्य नहीं था।

(अनुच्छेद 3.3.5.2ख(iii))

पौधारोपण की उत्तरजीविता रजिस्ट्रों (गस्त रजिस्टर) का वन रक्षकों द्वारा रखरखाव नहीं किया गया था। उपमण्डल स्तर पर रिकार्ड की गई पौधों की उत्तरजीविता प्रतिशतता ने बढ़े हुए आँकड़े इंगित किए।

(अनुच्छेद 3.3.5.2ख (v))

नमूना - जाँच किए गए 3 मण्डलों में, नामावलियों में कमियां थी क्योंकि मजदूरियों के संवितरण की तिथियां अभिलिखित नहीं की गई थी तथा उपमण्डल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कार्य मदों की मात्राएं नामावलियां पारित करते समय मण्डलीय वन अधिकारियों द्वारा गलत पाई गई थी। जैसा कि मण्डलों द्वारा रखे गए नामावली रजिस्टर से प्रकट हुआ 2.10 करोड़ रूपए की वसूलियां करने के लिए आदेश दिए गए थे तथा कम किए गए कार्य के विरुद्ध वसूलियां 1992-99 के दौरान की गई थी। मण्डलीय वन अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से नैमित्तकतः आदेशित भारी वसूलियों के दृष्टिगत, नामावलियों में उपस्थिति की प्रमाणिकता संदेहास्पद थीं तथा ऐसी नामावलियों पर आधारित भुगतानों के माध्यम से सरकारी निधियों के रिसाव की सम्भावना थी।

(अनुच्छेद 3.3.6)

3 वर्षों पश्चात् पंचायतों को पौधारोपण सुपुर्द करने हेतु परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुबन्ध के विपरीत 1991-92 से 1994-95 के दौरान 24,250 हैक्टेयर क्षेत्र में किए गए पौधारोपण विभाग द्वारा अभी भी अनुरक्षित किए जा रहे थे। इससे विभाग द्वारा किए गए छंटाई परिचालन (फरवरी 1999 तक) पर 32.51 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया गया जो ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी थी।

(अनुच्छेद 3.3.7 एवं 3.3.8)

### 3.3.1. प्रस्तावना

अर्धशुष्क अरावली पहाड़ियों में वनस्पति आवरण की बहाली के माध्यम से पर्यावरण में पुनः स्थापन तथा संरक्षण हेतु 'अरावली पहाड़ियों में शामिल भूमि का पुनः स्थापन' नामक परियोजना वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ की गई थी। परियोजना 8 वर्ष की अवधि में अर्थात् 1997-98 के अन्त तक पूर्ण की जानी थी। परियोजना के प्रथम 6 वर्षों में, पौधारोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने थे तथा अन्तिम 2 वर्षों के दौरान, केवल अनुरक्षण कार्य (पाँचवें तथा छठे वर्ष में किए गए पौधारोपणों हेतु) किए जाने थे। परियोजना लागत 82:18 के अनुपात में यूरोपियन आर्थिक समुदाय (यू.आ.स.) तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित की जानी थी। तथापि परियोजना यू.आ.स द्वारा अक्टूबर 1999 तक बढ़ा दी गई थी (मई 1998)। परियोजना में निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी नामक 5 जिलों में अरावली पहाड़ियों के सीमावर्ती 293 गांवों (वर्ष 1997-98 से 294 गांवों) की शामिल भूमि में पौधारोपण के



अन्तर्गत 33,000 हैक्टेयर क्षेत्र (1997-98 में संशोधित 37,600 हैक्टेयर क्षेत्र) आवृत करने का प्रावधान था :-

(क) वन रोपण तथा समाप्त किए जाने द्वारा निरावृत पहाड़ियों में शीघ्रतम सम्भावित समय में वनस्पति आवरण का प्रावधान करना। यह पर्यावरणीय अपकर्ष की प्रवृत्ति को भी उलट कर देगा, मिट्टी हानियों को रोकेगा तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा उत्पादकता में सुधार करेगा।

(ख) परियोजना अवधि के दौरान 122 लाख श्रम दिवस प्रदान करना;

(ग) परिस्थितिकी सन्तुलन के संरक्षण तथा स्थानीय घटकों के रख-रखाव के संगत ईंधन, छोटी लकड़ी तथा चारे के सम्बन्ध में स्थानीय जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना;

(घ) सुधारे गए क्षेत्र में वनस्पति के बचाव तथा नियमित प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए गांव स्तर की संस्थाएं बनाना;

(ङ) परिस्थितिकी रूप में स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण की बहाली सुनिश्चित करना;

### 3.3.2. संगठनात्मक ढाँचा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.), हरियाणा, परियोजना का समग्र प्रभारी था जिसकी सहायता के लिए एक मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निदेशक), अरावली परियोजना, गुड़गांव एक वन संरक्षक, 7 उप वन संरक्षक/मण्डलीय वन अधिकारी थे। परियोजना 5 परिचालनात्मक मण्डलों में कार्यान्वित की गई थी।

### 3.3.3. लेखापरीक्षा व्याप्ति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला, मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निदेशक), अरावली परियोजना, गुड़गांव, वन संरक्षक (मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन तथा प्रचार एवं विस्तारण मण्डल), 5 परिचालनात्मक\* मण्डलों में से 3\*\* में, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन मण्डल तथा प्रचार एवं विस्तारण मण्डल के कार्यालयों में 1992-93 से 1998-99 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई थी (जनवरी 1999 से मार्च 1999 तक)। नमूना-जाँच के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण प्रसंग अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

\* चरखी दादरी, फिरोजपुर झिरका, नारनौल, रेवाड़ी तथा सोहना।

\*\* अरावली परियोजना (अ.प.), मण्डल, चरखी दादरी, फिरोजपुर झिरका तथा सोहना।

**3.3.4. निधिकरण प्रतिकृति (फण्डिंग पेटर्न)**

(i) कुल परियोजना लागत 48.16 करोड़ रूपए (संशोधित होकर 120.99 करोड़ रूपए) थी तथा ई ई सी तथा राज्य सरकार के बीच 82:18 के अनुपात में बंटी हुई थी। ई ई सी से वित्तीय सहायता को पौधारोपण कार्यों, वाहनों/मशीनरी/उपस्कर के क्रय, वन रक्षक गृहों के निर्माण, प्रशिक्षण, प्रचार, बाह्य तकनीकी सहायता पर व्यय को पूरा करना था जबकि राज्य सरकार को परियोजना स्टाफ वाहनों/उपस्करों के परिचालन तथा रखरखाव, कार्यालय खर्चों, परियोजना के लिए आपूर्ति की प्राप्ति पर कर तथा भवनों के निर्माण (वन रक्षक गृहों के अलावा) तथा भवनों के रखरखाव पर व्यय को पूरा करना था।

**(ii) बजट प्रावधान तथा व्यय**

परियोजना के 1992-99 की अवधि के दौरान वर्ष-वार बजट प्रावधान कुल 98.56 करोड़ रूपए के थे जबकि कुल लागत 96.10 करोड़ रूपए थी।

**(iii) भारी लागत वृद्धि**

परियोजना लागत 48.16 करोड़ रूपए से 120.99 करोड़ रूपए हो गई। कार्यकाल अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि हुई।

परियोजना लागत प्रारम्भतः 48.16 करोड़ रूपए बांधी गई थी (जुलाई 1989) यह 1998-99 में संशोधित करके 120.99 करोड़ रूपए कर दी गई थी। मार्च 1999 तक वास्तविक व्यय 107.65 करोड़ रूपए\* था। परियोजना कार्यकाल अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई गई थी यथा अक्टूबर 1999 तक। लागत में भारी वृद्धि (59.49 करोड़ रूपए) स्टाफ लागत में वृद्धि (10.40 करोड़ रूपए) तथा पौधारोपण (42.44 करोड़ रूपए) के विवरण परिशिष्ट XIII में देखें। राज्य का अपना व्यय का हिस्सा 1998-99 तक 3.20 करोड़ रूपए था तथा उसके 18 प्रतिशत के हिस्से के विरुद्ध उस समय तक के अद्यतन व्यय का 21.55 प्रतिशत बना।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुल वृद्धि में से, 42.44 करोड़ रूपए पौधारोपण कार्यों से लेखाकृत थे। इसमें 5,050 हैक्टेयर अनधिकृत क्षेत्र यथा लक्षित क्षेत्र (9.03 करोड़ रूपए की अपेक्षा अधिक की व्याप्ति, 1.07 करोड़ अधिक पौध लगाने (1.57 करोड़ रूपए), परियोजना के अन्तर्गत पहचाने भी न गए 7,750.90 हैक्टेयर क्षेत्र में अनधिकृत पौधारोपण (4.56 करोड़ रूपए) श्रमिकों की मजदूरी दरों में वृद्धि (16.37 करोड़ रूपए) इत्यादि सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे प्रकट किया कि ग्राम वन कमेटियों को प्रोत्साहन, खड़े बन्द करने, जल एकत्रित करने इत्यादि जैसी पौधारोपण कार्यों हेतु अप्रावधानित 4.93 करोड़ रूपए की लागत वाली गतिविधियां भी प्रारम्भ की गई थी। मुख्य वन संरक्षक (मु.व.स.), अरावली परियोजना, गुड़गांव ने (मार्च 1999) व्यय में वृद्धि वेतन आयोग की अनुसंशाओं को लागू करना, दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि को आरोपित की। तथापि, उत्तर अनधिकृत पौधारोपण, अतिरिक्त पौध लगाने इत्यादि के लिए चुप था। यह भी देखा गया कि संशोधित कार्य योजना यू.आ.स. से अनुमोदित करवाई गई थी क्योंकि रूपए के अवमूल्यन से इ.सी.यू.\*\* की तुलना में अधिक स्थानीय मुद्रा निधियां प्राप्त हुईं।

\* विभागीय आंकड़े।

\*\* यूरोपीयन आर्थिक समुदाय (यू.आ.स.) की मुद्रा।

**(iv) यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता की वचनबद्धता**

भारत सरकार (भा.स.) तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय (यू.आ.स.) ने मार्च 1990 में एक समझौता निष्पादित किया जिसमें यू.आ.स. ने परियोजना के लिए 2.32 करोड़; इ सी यूज की वित्तीय सहायता (अनुदान) की वचनबद्धता दी। इसमें यू.आ.स. द्वारा 1.99 करोड़ रूपए; इ.सी.यू. को निर्मुक्त कर दिए गए तथा शेष 0.33 करोड़ इ.सी.यू. को अभी निर्मुक्त किए जाने थे (मार्च 1999)।

**3.3.5. कार्यक्रम कार्यान्वयन**

अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति आवरण के जीर्णोदार के माध्यम से पर्यावरण के पुनः स्थापन तथा रक्षण हेतु परियोजना में निम्नलिखित मुख्य घटक/गतिविधियां सम्मिलित थीं।

- i ग्राम आधारित सूक्ष्म आयोजना
- ii नर्सरी कार्यों सहित पौधारोपण कार्य

इन गतिविधियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की एक संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियों/अनियमितताओं को प्रकट किया:

**3.3.5.1. ग्राम आधारित सूक्ष्म आयोजना नहीं की गई**

परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट, परियोजना के अन्तर्गत आवृत सभी 293 गांवों हेतु पौधारोपण हेतु क्षेत्रों, क्षेत्र में ईंधन/चारा साधन की पहचान करने, पौधारोपण कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों के साथ समझौता निष्पादित करने से आवेष्टित सूक्ष्म आयोजना पर दृष्टि डालता था तथा अनुशासित किया कि ग्राम परिवारों को सम्मिलित किए बिना कोई भौतिक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने 1992-93 तक 187 गांवों में 15.54 करोड़ रूपए की लागत से पौधारोपण कार्य तथा अन्य पुनः स्थापन कार्य निष्पादित किए परन्तु इनमें से किसी भी ग्राम में सूक्ष्म योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। पौधारोपित क्षेत्रों का सीमांकन तथा मानचित्रण नहीं किया गया था। यद्यपि ग्राम वन कमेटियां (ग्रा.व.क.) 1993-94 में बनाई गई थी। समुदाय आवेष्टित/भागीदारी डी एफओ/एस डी ओ/आर ओ द्वारा वी एफ सीज के साथ विरल मिटिंगों तथा अपर्याप्त सम्पर्क के कारण 1993-97 के दौरान नगण्य थी।

सूक्ष्म योजना तैयार किए बिना पौधारोपण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कोई कारण मु.व.सं., (अ.प.), गुड़गांव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे (अप्रैल 1999)।

**3.3.5.2. पौधारोपण**

परियोजना के मुख्य उद्देश्य 33,000 हैक्टेयर (1997-98 में संशोधित किया गया 37,600 हैक्टेयर) में पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय अपकर्ष की प्रवृत्ति को प्रतिव्योपित करना था। परियोजना में 122 लाख श्रम दिवसों (10 प्रतिशत महिलाएं होना) हेतु रोजगार मुहैया करना प्रस्तावित था। 1991-92 से 1998-99 के दौरान पौधारोपण में 38,050 हैक्टेयर क्षेत्र आवृत



किया गया था जिसमें परियोजना द्वारा अनावृत अनधिकृत पौधारोपण के 7,750.90 हैक्टेयर सम्मिलित थे

### क नर्सरिया

पौधारोपण के उद्देश्य से, सभी 5 परिचालनात्मक मण्डलों ने 1990-91 से 1998-99 के दौरान विभागीय नर्सरियों में पौध लगाई। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट की:

#### (i) अन्यायसंगत अधिक पौध लगाने के कारण अतिरिक्त व्यय

पौध लगाने पर 1.57 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय किया।

पौधारोपण तथा पौधों के प्रतिस्थापन के मानकों\* के अनुसार 1992-99 के दौरान 28,346 हैक्टेयर क्षेत्र में नई पौधारोपण, 20,310 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधों के प्रतिस्थापन के लिए 6.16 करोड़ पौध अपेक्षित थी। इन मानकों में नर्सरियों तथा यातायात में पौध के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 15 प्रतिशत अतिरिक्त पौध (जून तक के पौध के स्टॉक पर) सम्मिलित थी। इसके विरुद्ध, 5 मण्डलों में 7.23 करोड़ पौध लगाई गई जो निम्न विवरण के अनुसार 1.57 करोड़\*\* रूपए के अतिरिक्त व्यय से आवेष्टित 1.07 करोड़ अधिक पौध लगाने का परिणाम बनी:

मण्डल	अपेक्षित कुल पौध	वास्तव में लगाई गई पौध	अधिक लगाई गई पौध	पौध लगाने में आवेष्टित अतिरिक्त व्यय
		(पौध लाखों में)		(रूपए लाखों में)
चरखी दादरी	106.05	126.03	19.98	29.31
फिरोजपुर झिरका	155.42	191.61	36.19	53.09
नारनौल	113.36	127.98	14.62	21.45
रिवाड़ी	85.54	86.70	1.16	1.70
सोहना	155.13	190.39	35.26	51.73
<b>कुल</b>	<b>615.50</b>	<b>722.71</b>	<b>107.21</b>	<b>157.28</b>

जबकि प्र.मु.व.सं ने पुष्टि की (सितम्बर 1998) कि नर्सरियों में पौध का बचा हुआ स्टॉक अतिवृद्धित नर्सरियों में पौध के बचे हुए स्टॉक के रखरखाव हेतु, बजट के अप्रावधान पौधों के अधिक वृद्धि के कारण अनुपयोजनीय हो गया था, मुख्य वन संरक्षक (मु.व.स.), अ.प., गुडगांव ने अधिक पौध लगाने को प्रतिवादित किया (जून 1998) क्योंकि अधिक पौध 35 से 40 प्रतिशत पौध के क्षतिग्रस्त होने तथा परिवहन के कारण अपेक्षित थी। मु.व.सं. अ.प. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मानक बहुत ही स्पष्ट रूप से अनुबंधित करते हैं जैसा उसके उच्च प्राधिकारी प्र.मु.व.सं. द्वारा पुष्टि की गई कि प्रत्येक वर्ष जून के स्टॉक पर नर्सरियों में अपव्यय तथा नर्सरियों के पौधारोपण स्थलों तक के परिवहन के कारण पौध की प्रति हैक्टेयर अपेक्षा में केवल 15 प्रतिशत जोड़ना था। मु.व.सं., अ.प., गुडगांव द्वारा मांगी गई 35-40 प्रतिशत अतिरिक्त पनीरियों की रियायत में पनीरियों के बढ़ने की अवधि (बिजाई चरण से पूर्ण विकसित होने तक) के दौरान अर्थात् प्रत्येक वर्ष जून तक नर्सरियों में पनीरियों के लिए नश्वरता घटक भी शामिल था। नर्सरियों में पनीरियों के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात् तथा वृक्षारोपण स्थानों पर

\* मानकों के अनुसार एक हैक्टेयर में पौधारोपण हेतु 1100 पौध अपेक्षित थे जबकि पौधारोपण वर्ष के पश्चात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में आजीवित पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 1995-96 तक 40 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तथा 1996-97 से आगे 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत थी।

\*\* 1.467 रूपए प्रति पौध की औसत दर पर।

रोपित करने के लिए तैयार हो जाने पर, नश्वरता चरण समाप्त हो गया था तथा तत्पश्चात् नर्सरियों तथा नर्सरियों से वृक्षारोपण स्थानों तक पनीरियों के परिवहन में व्यर्थता के कारण पनीरियों की प्रति हैक्टयर आवश्यकता में केवल 15 प्रतिशत अतिरिक्त ही जोड़ा जाना था। क्योंकि उपर्युक्त उद्धृत लेखापरीक्षा आँकड़े प्रतिवर्ष जून (पूर्ण रूप से विकसित होने का चरण, जब नश्वरता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी) तक पनीरियों के स्टॉक को निरूपित करते हैं, मु.व.सं., अ.प., गुड़गांव का तर्क ठीक नहीं था। आगे, किसी अतिरिक्त स्टॉक के अनुरक्षण हेतु किसी बजट का प्रावधान स्पष्टतया इस नीति को प्रतिबिम्बित करता है कि मापदण्डों के अनुसार अनुमत संख्या के आधिक्य में अतिरिक्त पनीरियां नहीं उगानी चाहिए। मामले की भारत सरकार द्वारा पूर्ण छान-बीन करने तथा उत्तरदायित्व नियत करने की आवश्यकता है। मामला सरकार द्वारा पूरी जाँच पड़ताल तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने की मांग करता है।

### (ii) पहाड़ी बबूल की पौध का अनियमित लगाया जाना

मुख्य वन संरक्षक, अ.प., गुड़गांव ने परिचालनात्मक मण्डलों को निर्देश दिए (जनवरी 1995) कि नर्सरियों में पहाड़ी बबूल पौध किसी भी स्थिति में न लगाई जाए क्योंकि इन वृक्षों से प्राप्त लकड़ी दीमक प्रवृत्त थी तथा आम जनता द्वारा पसन्द नहीं की गई थी। इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए सभी 5 मण्डलों ने 1996-97 से 1998-99 के दौरान 26.36 लाख रूपए की लागत पर 15.09 लाख पहाड़ी बबूल पौध लगाई। विभागीय निर्देशों के उल्लंघन में पहाड़ी बबूल पौध लगाने हेतु कोई कारण नहीं दिए गए यद्यपि मांगे गए थे (मार्च 1999)।

### (iii) नर्सरियों में पौलीथीन थैलों की अधिक खपत

नमूना-जाँच किए गए 3 मण्डलों में, जुलाई 1993 से जून 1998 तक, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर पर पौलीथीन थैलों की 807.72\* क्विंटल की अपेक्षा के विरुद्ध 935.45\*\* क्विंटल पौलीथीन थैलों की खपत दिखाई गई थी जो कि 10.40 लाख रूपए के मूल्य की 127.73 क्विंटल अधिक थी। मण्डलीय वन अधिकारी अ.प., मण्डल, सोहना तथा चरखी दादरी ने बताया (फरवरी, मार्च 1999) कि पौलीथीन थैलों की अधिक खपत मिट्टी भरने के दौरान अपव्यय तथा गाड़े पौलीथीन गेज के कारण कम पौलीथीन थैलों की उपलब्धता के कारण थी। म.व.अ. के उत्तर किन्ही प्रपत्रीय प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं थे। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि अपेक्षा से अधिक मोटाई होने के नाते मण्डलों द्वारा अनुरक्षित स्टॉक रजिस्ट्रों में पौलीथीन का गेज इंगित नहीं किया गया था। अतः म.व.अ. की धारणा वैध नहीं थी।

### ख पौधारोपण व्याप्ति

3\*\*\* मंडलों (नमूना-जाँच किए गए) में अभिलेखों की संवीक्षा ने व्याप्ति में निम्नानुसार अनियमितताएं दर्शाई:

योजना के अन्तर्गत  
नायुक्त क्षेत्रों में पौधारोपणों  
4.56 करोड़ रूपए व्यय  
ए गए।

\* अ.प. मण्डल सोहना: 309.88 क्विंटल, फिरोजपुर झिरका: 301.86 क्विंटल तथा चरखी दादरी: 195.98 क्विंटल।

\*\* अ.प. मण्डल सोहना: 379.01 क्विंटल, फिरोजपुर झिरका: 349.21 क्विंटल तथा चरखी दादरी: 207.23 क्विंटल।

\*\*\* अरावली परियोजना मण्डल चरखी दादरी, फिरोजपुर झिरका तथा सोहना।

अनभिज्ञप्त ग्रामों के क्षेत्रों में पौधारोपण

(i) 4,220<sup>\*</sup> हैक्टेयर के क्षेत्र पर 1991-92 से 1998-99 के दौरान पुनः स्थापना कार्य (पौधारोपण, घास उगाना, पत्थरों की दीवारें बनाना इत्यादि) परियोजना के अन्तर्गत अनभिज्ञप्त 56 गांवों में 2.44 करोड़ रूपए (औसतन लागत) से किए गए थे।

गैर पहाड़ी क्षेत्र में अनियमित पौधारोपण।

(ii) हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए परियोजना दस्तावेज में परिशिष्ट V में इंगित भू-उपयोग वर्गीकरण के अनुसार, भूमि उपचार कार्य प्रारम्भ करने हेतु केवल पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान की गई थी। परियोजना के अन्तर्गत अभिज्ञप्त 35 गांवों में भूमि उपचार कार्यों के लिए उपलब्ध 2,995.50 हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र के विरुद्ध 5,349 हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र प्रगति रिपोर्टों में सम्बन्धित मण्डलों द्वारा 1991-92 से 1998-99 के दौरान आवृत किए गए दिखाए गए थे। 2,353.50<sup>\*\*</sup> हैक्टेयर गैर पहाड़ी क्षेत्र की अनियमित व्याप्ति से 1.41 करोड़ रूपए के व्यय का भार पड़ा।

पौधारोपण के अन्तर्गत क्षेत्र की अधिक व्याप्ति।

(iii) 18 गांवों में पौधारोपण हेतु उपलब्धत शामिल भूमि परियोजना क्षेत्र के भूमि उपयोग वर्गीकरण में 2,889 हैक्टेयर दिखाई गई थी। जिसके विरुद्ध सम्बन्धित मण्डलों ने अपनी प्रगति रिपोर्टों में 1991-92 से 1998-99 के दौरान 4,066.90 हैक्टेयर क्षेत्र में अधिक व्याप्ति किया जा रहा दर्शाया। 1,177.90<sup>\*\*\*</sup> हैक्टेयर क्षेत्र के ऊपर अधिक पौधारोपण से 0.71 करोड़ रूपए के व्यय का भार पड़ा। म.व.अ. (अ.प.), मण्डल, फिरोजपुर झिरका तथा चरखी दादरी ने बताया (फरवरी-मार्च 1999) कि मामले की जाँच की जा रही है तथा उत्तर भेजा जाएगा।

उपर्युक्त उप अनुच्छेद (i) से (iii) में परिचर्चित किए अनुसार परियोजना के अन्तर्गत अनभिज्ञप्त ग्रामों में पौधारोपण तथा गैर पहाड़ी क्षेत्रों में पौधारोपण इत्यादि हेतु म.व.अ. मुख्यतः उत्तरदायी थे। मु.व.सं. (अ.प.), गुड़गांव, जिसने पौधारोपण/भूमि उपचार कार्यों के लिए निधियां निर्मुक्ति की, अनधिकृत पौधारोपणों के लिए निधियों की निर्मुक्ति रोककर रखी जानी चाहिए थी। अरावली परियोजना का समग्र प्रभारी होते हुए मु.व.सं. (अ.प.), गुड़गांव यह सुनिश्चित करने में असफल रहा कि पौधारोपण तथा अन्य भूमि उपचार कार्य परियोजना दस्तावेज के अनुबन्धों के अनुसार थे।

निजी भूमि पर पौधारोपण पर व्यर्थ व्यय।

(iv) हरियाणा सरकार, वन विभाग ने अरावली परियोजना मण्डल, सोहना के रायपुर गांव की 21 हैक्टेयर निजी भूमि 25 वर्षों के लिए 'बन्द हुई' अधिसूचित की (अप्रैल 1970)। भूमि जनवरी 1996 में अनधिसूचित की गई थी तथा भू-स्वामियों को सुपुर्द की गई थी। मण्डल ने इस निजी भूमि पर 1994-95 में पौधारोपण तथा आगामी 2 वर्षों के रखरखाव के लिए 3.83 लाख रूपए व्यय किए।

निजी भूमि पर पौधारोपण के कारण विभाग से माँगे गए थे परन्तु विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 1999)।

\* अ.प. मण्डल चरखी दादरी: 558.5 हैक्टेयर, लागत 0.34 करोड़ रूपए, फिरोजपुर झिरका, 2,304 हैक्टेयर, लागत 1.33 करोड़ रूपए तथा सोहना: 1,357 हैक्टेयर, लागत 0.77 करोड़ रूपए।

\*\* अ.प. मण्डल चरखी दादरी: 861.5 हैक्टेयर, लागत 0.52 करोड़ रूपए, फिरोजपुर झिरका: 971 हैक्टेयर, लागत 0.58 करोड़ रूपए तथा सोहना: 521 हैक्टेयर, लागत 0.31 करोड़ रूपए।

\*\*\* अ.प. मण्डल चरखी दादरी: 288.50 हैक्टेयर, लागत 0.17 करोड़ रूपए, फिरोजपुर झिरका: 540 हैक्टेयर, लागत 0.33 करोड़ रूपए तथा सोहना: 349.40 हैक्टेयर, लागत 0.21 करोड़ रूपए।

पौधों की कम उत्तरजीविता।

(v) वन रक्षकों को पौधों की उत्तर जीविता की प्रतिशतता के साथ-साथ पौधारोपण गतिविधि दर्शाने वाले बीट रजिस्टर बनाना अपेक्षित था। इसके अलावा, पौधों की उत्तर जीविता की प्रतिशतता दर्शाने वाली ग्राम फाइलें भी उपमण्डल स्तर पर बनाकर रखी जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया था कि वन रक्षकों द्वारा बीट रजिस्टर सितम्बर 1998 तक नहीं बनाए गए थे। परिणामतः परियोजना द्वारा दर्शाई गई पौधों की उत्तर जीविता की प्रतिशतता का सही होना लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता था। उप मण्डल स्तर की ग्राम फाइलों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना-जाँच किए गए मण्डलों में 28 मामलों में ग्राम फाइलों में दर्शाई गई पौधों की उत्तर जीविता प्रतिशतता नीचे दर्शाए गए अनुसार मॉनिटरिंग का मूल्यांकन मण्डल/विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक जाँच के दौरान स्थलों पर पाई गई वास्तविक की तुलना में अधिक थी।

मण्डल	क्षेत्र हेक्टेयर में	पौधा रोपण वर्ष	गाव स्थलों की संख्या	उत्तरजीविता प्रतिशतता	
				गाव फाइलों के अनुसार	एम तथा ई मण्डल/विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के अनुसार
चरखी दादरी	75.00	1996-97	2	78 से 83	45
फिरोजपुर झिरका	45.00	1995-96	2	68 से 78	50 से 51
नारनौल	149.00	1991-92	8	60 से 95	35 से 60
	24.50	1992-93	2	60 से 65	30 से 60
	5.00	1994-95	1	75 से 80	60
	4.00	1995-96	1	60 से 65	32
रिवाड़ी	28.00	1994-95	3	74 से 91	49 से 66
	5.40	1995-96	2	68 से 73	36 से 66
सोहना	90.00	1993-94	5	65 से 90	50 से 60
	22.00	1995-96	2	70 से 85	35 से 65
कुल	447.90		28		

अतः, यह स्पष्ट था कि उपमण्डल स्तर पर पौधों की जिविता हेतु रखे गये अभिलेख बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थे। प्र.मु.व.सं. हरियाणा ने जनवरी 1992 में उन मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली प्रभावी करने सहित अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये जिन मामलों में पौधों की उत्तर जीविता 70 प्रतिशत से कम थी। तथापि, अगस्त 1999 तक न तो किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही की गई थी तथा न ही प्र.मु.व.सं. के आदेशों के 7 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी अभी तक वसूलनीय राशि परिकलित की गई थी।

### 3.3.6. उपस्थिति नामावलियां

#### (i) आशकित भुगतान

नामावलियों में श्रमिकों को मजदूरी के रूप में की गई सदेहास्पद अदायगियां आवेष्टित थीं क्योंकि 1992-99 के दौरान 5,075 नामावलियों के विरुद्ध 2.10 करोड़ रूपए वसूल किए गए थे।

निर्धारित कार्यविधि के अनुसार कार्यस्थलो पर उपस्थिति नामावलियां वन रक्षकों द्वारा बना कर रखी गई थीं जो विभागीय कार्यों हेतु श्रमिकों की प्रतिदिन उपस्थिति लगाते थे। कार्यों की पूर्णता के पश्चात् या माह की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, संस्वीकृत तथा भुगतान हेतु उपस्थिति नामावलियां उप मण्डल अधिकारियों के माध्यम से वन रक्षकों द्वारा सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों को प्रस्तुत की जानी होती थी। कार्य की गुणवत्ता तथा प्रमाण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उपस्थिति नामावलियों पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया



जाना अपेक्षित था कि कार्यों की वन पालों, उप मण्डल अधिकारियों तथा वन मण्डल अधिकारियों द्वारा क्रमशः 100 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत जाँच कर ली गई है।

जहाँ व.म.अ. ने कम कार्य के निष्पादन के कारण उपस्थिति नामावलियाँ पारित करते समय निष्पादित कार्य की प्रमाणाएँ अस्वीकृत/कम कर दी थी, कम कार्य के मूल्य की वसूलियाँ मण्डल स्तर पर अनुरक्षित उपस्थिति नामावली रजिस्टर में दर्ज की गई थी। वसूली कर लिये जाने के पश्चात्, राशियाँ रोकड़ पुस्तिका में तथा उपस्थिति नामावली रजिस्टर में दर्ज की जाती थीं।

नमूना-जाँच किये गये तीन मण्डलों में, पौधारोपण तथा अन्य भूमि उपचार कार्यों के लिये 1992-99 के दौरान उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से किए गए भुगतान निम्नानुसार थे:

वर्ष	घरसी दादरी		फिरोजपुर झिरका		साहना	
	उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से कुल भुगतान	अननुमत तथा वसूल की गई राशि	उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से कुल भुगतान	अननुमत तथा वसूल की गई राशि	उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से कुल भुगतान	अननुमत तथा वसूल की गई राशि
(रूपए लाखों में)						
1992-93	121.97	1.93	142.10	1.32	70.84	10.40
1993-94	137.16	1.67	204.80	1.90	233.79	27.16
1994-95	164.44	9.38	220.08	3.05	282.15	46.74
1995-96	122.19	10.28	145.43	6.27	261.33	24.55
1996-97	74.86	12.01	109.13	4.00	198.98	9.83
1997-98	52.09	8.62	74.73	3.60	105.31	14.22
1998-99	36.51	8.31	48.40	3.12	36.45	1.51
<b>कुल</b>	<b>709.22</b>	<b>52.20</b>	<b>944.67</b>	<b>23.26</b>	<b>1188.85</b>	<b>134.41</b>

उपर्युक्त मण्डलों द्वारा 1992-99 के दौरान 18,081 उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से 28.43 करोड़ रूपये के कुल भुगतान में से 5,075 उपस्थिति नामावलियों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ प्रकट की:

(क) श्रमिकों को मजदूरियों के किए गए भुगतान की तिथियाँ उपस्थिति नामावलियों में दर्ज नहीं की गई थी;

(ख) सम्बन्धित व.म.अ. द्वारा कार्यों की 5 प्रतिशत की जाँच के प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किये पाये गये थे। व.म.अ. ने कार्यों की प्रमाणाएँ अपने स्थल निरीक्षण, यदि कोई हो, के संदर्भ को बिना तथा कोई कारण दर्ज किए बिना अस्वीकृत की थी।

(ग) सम्बन्धित उ.म.अ. ने प्रत्येक उपस्थिति नामावली पर प्रमाण पत्र दर्ज किए कि उन द्वारा श्रमिकों को पूर्ण राशि सवितरित कर दी गई थी। ऐसा मामला होते हुए भी यह स्पष्ट नहीं था कि तब पर्याप्त राशियों का किस प्रकार प्रबन्ध किया गया था तथा कम कार्य के विरुद्ध व.म.अ. द्वारा आदेशित वसूलियाँ वन रक्षकों/वन पालों द्वारा जमा करवाई गई थी।

(घ) उपस्थिति नामावलियों पर निष्पादित कार्यों की प्रमात्राए उप म.अ. द्वारा सही होनी प्रमाणित की जानी थी परन्तु व.म.अ. ने ऐसी प्रमाणिकता स्वीकार नहीं की थी तथा कम मात्राओं के लिए उपस्थिति नामावलियां पारित कर दी थी जिनकी वसूलियां वन रक्षकों/वन पालों से किये जाने के लिए आदेशित की गई थी। उ.म.अ. द्वारा कार्य प्रमात्राओं की गलत प्रमाणिकता की व.म.अ. द्वारा जाँच नहीं की गई थी। यद्यपि उ.म.अ. ने 25 प्रतिशत कार्यों को पर्यवेक्षित किया, कम कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था तथा उनसे वसूली के कोई आदेश नहीं दिये गये थे। वसूलियां सामान्यतः वन रक्षकों/वन पालों से किए जाने के आदेश दिए गए थे। अतः उ.म.अ./व.म.अ. के स्तर पर कार्य स्थल पर पर्यवेक्षण का अभाव था।

(ii) उपस्थिति नामावलियों पर अवृद्धित श्रम संख्या

नमूना-जाँच किए गए तीन मण्डलों ने प्रकट किया कि जब सम्बन्धित उ.म.अ. द्वारा उन्हें 28.43 करोड़ रूपए की राशि की 1992-93 से 1998-99 के दौरान उपस्थिति नामावलियां (संख्या 18,081) प्रस्तुत की गई थी तो व.म.अ. द्वारा सम्बन्धित वन रक्षकों तथा वन पालों से 2.10 करोड़ रूपए (अ.प. मंडल, 1.35 करोड़ रूपए, फिरोजपुर झिरका: 0.23 करोड़ रूपए, चरखी दादरी: 0.52 करोड़ रूपए) सोहना की वसूली के आदेश दिये गये थे। प्रत्येक व्यक्ति से वसूली राशि की मात्रा का पता लगाने के लिए 1992-99 के दौरान 3 चयनित मंडलों द्वारा विभागीय रूप से निष्पादित पौधारोपण तथा अन्य कार्यों की उपस्थिति नामावलियों की जाँच की गई थी। यह पाया गया था कि सम्बन्धित व.म.अ. द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान 5,075 उपस्थिति नामावलियों के सम्बन्ध में वन रक्षकों/वन पालों से आदेशित तथा प्रमाणित की गई वसूली की राशि निम्नानुसार थी:

वर्ष	चरखी दादरी			फिरोजपुर झिरका			सोहना		
	उपस्थिति नामावलियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिनसे वसूली अपेक्षित/प्रभावित की गई	राशि (रूपए लाखों में)	उपस्थिति नामावलियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिनसे वसूली अपेक्षित/प्रभावित की गई	राशि (रूपए लाखों में)	उपस्थिति नामावलियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिनसे वसूली अपेक्षित/प्रभावित की गई	राशि (रूपए लाखों में)
1992-93	86	22	1.93	35	18	1.32	265	51	10.40
1993-94	81	24	1.67	68	28	1.90	823	59	27.16
1994-95	281	35	9.38	73	19	3.05	963	50	46.74
1995-96	237	33	10.28	150	31	6.27	665	57	24.55
1996-97	212	37	12.01	82	32	4.00	264	47	9.83
1997-98	150	35	8.62	84	27	3.60	295	45	14.22
1998-99	124	27	8.31	42	20	3.12	95	37	1.51
कुल	1171	213	52.20	534	175	23.26	3370	346	134.41

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से सुस्पष्ट है कि इनमें वसूलियों के व.म.अ. द्वारा आदेश दिए गए थे तथा ये स्टॉफ में निम्नतम स्तर अर्थात वन रक्षकों/वन पालों, से की गई थी। ये वसूलियां उपस्थिति नामावलियों से नित्यकर्म में की जा रही थी जो अन्य मामलों में भी उपस्थिति नामावलियों पर श्रमिकों की उपस्थितियों की अधि प्रमाणिकता के बारे में आशंकाए उत्पन्न करता है। उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से भुगतान की प्रभावित पद्धति की पूर्णतः जाँच की माँग की जाती है। विशेषकर उप म.व.अ. की भूमिका तथा जिम्मेवारी की जाँच पड़ताल की जानी चाहिए क्योंकि उनका नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण पूर्णतः शिथिल लगता है। मु.व.सं. अ.प., गुडगांव ने

उत्तर दिया (जुलाई 1999) कि कर्मचारियों के विरुद्ध कम कार्य तथा अवमानक कार्य के कारण व.म.अ. द्वारा वसूलियों के आदेश, संरक्षक, साऊथ सर्कल, हरियाणा द्वारा आदेश संख्या 2/79-80 दिनांक 9 जुलाई 1979 (प्र.मु.व.सं., हरियाणा के स्थाई आदेश संख्या 1/1998-99) के तहत पुनः जारी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान हेतु उपस्थिति नामावलियां पारित करते समय, दिए गए थे। उसने आगे बताया कि यद्यपि वसूलियां सम्बन्धित कर्मचारियों पर लगा दी गई थी परन्तु वास्तव में ये सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा श्रमिकों से की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि उपर्युक्त आदेश में कम कार्य/अवमानक कार्य इत्यादि के कारण वसूली कर्मचारियों से न कि श्रमिकों से करने हेतु निर्देश/प्रक्रियाएं अन्तर्विष्ट थी। उत्तर ने पुष्टि की कि उपस्थिति नामावलियों पर व्यक्तिगत श्रमिकों को, उनके अंगूठे के चिन्ह के अन्तर्गत, सवितरण के रूप में दर्शाई गई राशि वास्तव में सवितरित नहीं की गई थी। उपर्युक्त मामलों में सरकारी निधियों से श्रमिकों में व्यक्तिगत रूप से अदा की गई सही राशि कार्यस्थल पर लगाए गए प्रत्येक श्रमिक के दिनों की संख्या न तो लेखापरीक्षा द्वारा और न ही विभागीय अधिकारियों द्वारा उपस्थिति नामावलियों से सत्यापनीय नहीं थी तथा इस प्रकार उपस्थिति नामावलियां विश्वसनीय नहीं थी। आगे, जब उपस्थिति नामावलियों पर श्रमिकों की उपस्थिति लगाई गई थी उनकी मजदूरी की कटौती ने न केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर मजदूरियां अदा की जानी थी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया अपितु उपस्थिति नामावलियों को भी झूठा बनाया।

उपर्युक्त (i) तथा (ii) पर दर्शाए गए मामले सतर्कता दृष्टि वाले हैं तथा तदनुसार पूर्णतः जाँच की मांग करते हैं।

### (iii) रोजगार मुहैया कराना

परियोजना के कार्यकाल के दौरान 122 लाख श्रमदिवसों को रोजगार मुहैया कराने के विरुद्ध वस्तुतः मुहैया किया गया रोजगार विभाग द्वारा मार्च 1999 तक 126.79 लाख श्रम दिवस दर्शाया गया था। यह अतिरिक्त/अनधिकृत पौधारोपण इत्यादि के वृद्धिक व्यय के कारण था।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (श्रम दिवस लाखों में)
1991-92	16.05	
1992-93	21.20	18.46
1993-94	27.96	23.08
1994-95	24.65	25.60
1995-96	22.62	21.99
1996-97	4.32	16.80
1997-98	2.90	14.60
1998-99	1.60	6.26
<b>कुल</b>	<b>121.30</b>	<b>126.79</b>

रोजगार सृजन के आँकड़े विश्वस्त नहीं थे।

रोजगार उत्पत्ति के लिए उपलब्धि के आँकड़े मुख्य वन संरक्षक, अ.प. गुड़गांव द्वारा तैयार की गई परियोजना गतिविधियों पर मासिक प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं।

तथापि, नमूना-जाँच किए गए 3 मण्डलों में उपस्थिति नामावलियों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 1992-93 से 1998-99 तक उपस्थिति नामावलियों पर तैनात किए गए के रूप

में श्रम दिवसों की वृद्धित संख्या दर्शाई गई थी। 10.99 करोड़ रूपए के भुगतान से आवेष्टित 5,075 उपस्थिति नामावलियों के माध्यम से अस्वीकृत/कम किए गए कार्य के कारण सम्बन्धित वन रक्षकों/वनपालों से 2.10 करोड़ रूपए की वसूली किए जाने के आदेश दिए गए थे। अनुषंगिक अधिक श्रम दिवसों की वसूलनीय राशि 4.44 लाख रूपए परिकलित की गई थी। विभाग द्वारा रिपोर्ट की गई 126.79 लाख श्रम दिवसों की रोजगार उत्पत्ति विश्वसनीय नहीं थी।

### 3.3.7. ग्राम पंचायतों की पौधारोपण की असुपुर्दगी

जैसा कि पी ए आर में अनुबन्धित है, पौधों का पौधारोपण वर्ष के पश्चात् 3 वर्षों के लिए वन विभाग द्वारा अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था। इसके पश्चात् ये सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किए जाने थे। इसके विपरीत विभाग ने सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के साथ, उन्हे 6 वर्ष पश्चात् पौधारोपण सुपुर्द करने का समझौता कर लिया, जिसके पश्चात् ग्राम पंचायतों को भूमि प्रबन्ध के लिए उत्तरदायित्व लेना था। विभाग ने 1991-92 से 1994-95 के दौरान 24,250 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधारोपण कार्य किया जो पंचायतों को सुपुर्द करने हेतु 1995-96 से 1998-99 के दौरान नीचे इंगित किए अनुसार देय हो गया:

पौधारोपण वर्ष	हैक्टेयर में पौधारोपित क्षेत्र	सुपुर्द करने हेतु देय वर्ष
1991-92	5,050	1995-96
1992-93	6,400	1996-97
1993-94	6,400	1997-98
1994-95	6,400	1998-99
कुल	24,250	

तथापि ये पौधारोपण तिथि (जुलाई 1999) तक सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा की छानबीन (जनवरी-मार्च 1999) पर सम्बन्धित मंडल वन अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 1999) कि इस सम्बन्ध में उच्चतर प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। मु.व.सं. से लेखापरीक्षा में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

ग्राम पंचायतों को पौधारोपण की असुपुर्दगी अन्य बातों के अतिरिक्त छंटाई तथा विरलन परिचालन, जो कि विभाग द्वारा स्वयं करना पड़ा था, अतिरिक्त व्यय का परिणाम बनी।

### 3.3.8. पौधों की छंटाई

ई.ई.सी के सलाहकार ने सम्बन्धित वी एफ सीज़ द्वारा 1991-92 तथा 1992-93 को पौधारोपण के सम्बन्ध में 1995-96 के छंटाई परिचालन प्रारम्भ करने की अनुशंसा की (मार्च 1995) यद्यपि पी.ए.आर ने पौधों की छंटाई का प्रावधान नहीं किया। मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) अरावली परियोजना, गुडगांव ने सभी सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों को निर्देश दिए (नवम्बर 1996) कि छंटाई परिचालन जब भी अपेक्षित हो किया जाए। 25 रूपए प्रति सैकड़ वृक्ष विभाग द्वारा वहन किया जाना था तथा शेष नकद या वस्तु रूप में ग्राम वन कमेटियों (ग्रा.व.क.) द्वारा। तथापि, मु.व.सं., अरावली परियोजना, गुडगांव द्वारा छंटाई परिचालन पर सभी

24,250 हैक्टेयर पौधारोपण जो ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण/प्रबन्धन हेतु हस्तान्तरित करने थे वे अभी तक हस्तान्तरित नहीं किए गए थे।

पौधारोपण की असुपुर्दगी के कारण, विभाग को, छंटाई-परिचालनों पर 32.51 लाख रूपए का परिहार्य व्यय करना पड़ा।



5 परिचालनात्मक मंडलों द्वारा 14.57 लाख रूपए का व्यय पहले ही 1993-94 से अक्टूबर 1996 के दौरान अनियमित रूप से किया जा चुका था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अनियमितता हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित म.व.अ. तथा अन्य कर्मचारियों से इस राशि की वसूली करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए थी।

आगे, नवम्बर 1996 मु.व.सं. के निर्देशों की प्राप्ति के पश्चात् विभाग ने छंटाई परिचालनों पर नवम्बर 1996 तथा फरवरी 1999 के बीच 17.94 लाख रूपए का और व्यय किया जिसमें से 9.44 लाख रूपए छंटाई की लागत के (वी.एफ.सी.जे) ग्रा.व.क. से वसूलनीय थे परन्तु मार्च 1999 तक वसूल नहीं किए गए थे। अतः पौधारोपण की असुपुर्दगी के कारण छंटाई परिचालन पर 32.51 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय किया गया था। ईंधन लकड़ी सामग्री के लेखांकण तथा निपटान को दर्शाने वाले अभिलेख मण्डलों द्वारा बना कर नहीं रखे गए थे।

ऐसा करने के कई निर्देशों के जारी होने से पूर्व छंटाई कार्य कार्यान्वित ग्रा.व.क. से अंशदान की मांग न करने तथा छोटे गए सामग्री के निपटान को दर्शाने हेतु किसी अभिलेख के अनुरक्षण न करने के कारण पूछे गए थे (जनवरी 1999) परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 1999)।

### 3.3.9. सरकारी संस्वीकृति के बिना पद जारी रखना

हरियाणा सरकार, वन विभाग ने मार्च 1991 में परियोजना निदेशक के रूप में मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) का एक पद संस्वीकृत किया तथा इस परियोजना के लिए विद्यमान 6 मंडल वन अधिकारियों की कुल संख्या (सरकार द्वारा पहले मई 1990 में संस्वीकृत) को घटाकर 5 करते हुए अभ्यर्पित की जाने वाले मंडल वन अधिकारी, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन मंडल के एक पद के आदेश दिए। तथापि, लोखापरीक्षा में यह देखा गया था कि परियोजना ने म.व.अ. मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन सहित म.व.अ. के सभी 6 पदों को इस तिथि तक जारी रख कर तथा 1991-92 से 1998-99 के दौरान उसके वेतन तथा भत्तों पर 7.17 लाख रूपए का व्यय किया (दिसम्बर 1998 तक)।

वन संरक्षक, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन, अरावली परियोजना, गुड़गांव ने बताया (मार्च 1998) कि तकनीकी आधारों पर अभ्यर्पित एक पद के विरुद्ध मण्डल वन अधिकारी की तैनाती का मामला था जिसके नियमन के लिए राज्य सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित होती है।

### 3.3.10. अपर्याप्त प्रशिक्षण

तीन वर्षों यथा 1990-91 से 1992-93 की आरम्भिक अवधि के दौरान परियोजना स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु स्थानीय सलाहकार नियुक्त किए जाने थे। सलाहकार केवल 1992-93 में नियुक्त किए गए थे तथा नर्सरी, पौधारोपण, सूक्ष्म आयोजना, सर्वेक्षण, सीमांकन, नियन्त्रण तथा मूल्यांकन हेतु 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। 1992-93 में, 20 रेंजरो/वन रक्षकों इत्यादि के लिए नर्सरी/पौधारोपण में एक दिन की अवधि तथा सूक्ष्म आयोजना में प्रत्येक एक दिन की अवधि के प्रशिक्षण के 2 बारियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अतः सलाहकारों को किया गया भुगतान व्यर्थ व्यय था।

### 3.3.11 अन्य रोचक प्रसंग

#### (i) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन केन्द्र का निर्माण

रायपुर (सोहना) में प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन केन्द्र के निर्माण की संस्वीकृति पी.सी.सी.एफ., हरियाणा, पंचकूला द्वारा 19.21 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत की गई थी (मार्च 1998) अ.प.मण्डल, सोहना ने फरवरी 1998 में कार्य प्रारम्भ किया तथा जून 1998 तक कार्य पर 25.29 लाख रूपए खर्च किए। इसमें से, 7.58 लाख रूपए विश्राम गृहों के निर्माण पर व्यय किए गए थे जो कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंचकूला द्वारा संस्वीकृत लागत अनुमानों में सम्मिलित नहीं थे। कार्य हरियाणा अनुसूचित दरें (ह.अ.द.) 1988 पर छोटे ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करवाया गया था तथा अधिकतम मूल्य भी दिया गया था तथा सामग्री का प्रबन्ध निविदाएं आमंत्रण किए बिना एवं कार्य का आबंटन किए बिना विभागीय स्तर पर किया गया था।

यह देखा गया कि श्रम दरों पर किए गए भुगतान के अतिरिक्त प्रचलित सीमेंट कनकरीट कार्यों के लिए केन्द्रण (सेन्टरिंग) तथा शटरिंग के लिए मजदूरी तथा सामग्री की लागत हेतु छोटे ठेकेदारों को म.व.अ., अ.प., मण्डल, सोहना द्वारा 1.27 लाख रूपए अनियमित रूप से अदा किए गए थे।

#### (ii) कुहरा चैम्बरों का अनुप्रयोग

नियन्त्रित ऋतु के अन्तर्गत नर्सरी लगाने हेतु अ.प. मण्डल, चरखी दादरी द्वारा 2.01 लाख रूपए की लागत पर एक कुहरा चैम्बर विनिर्मित किया गया था (मार्च-सितम्बर 1991)। तथापि, चैम्बर का कोई उपयोग नहीं किया गया था (मार्च 1999)। कुहरा चैम्बर का अनुप्रयोग म.व.अ. चरखी दादरी द्वारा अनुभवी स्टाफ की अनुपलब्धता तथा कुहरा चैम्बर में नर्सरी लगाने की उच्चतर लागत को भी आरोपित किया गया था (मार्च 1999)।

#### (iii) बाढ़ों के कारण हानि

जैसा कि सम्बन्धित म.व.अ. द्वारा अनुमान लगाया गया, 1993-94, 1995-96 तथा 1996-97 की बाढ़ों के दौरान 2.62 करोड़ रूपए (अ.प. मण्डल, फिरोजपुर झिरका: 0.49 करोड़ रूपए, सोहना: 0.13 करोड़ रूपए, चरखी दादरी: 0.63 करोड़ रूपए, नारनौल: 0.89 करोड़ रूपए तथा रेवाड़ी 0.48 करोड़ रूपए) के मूल्य के पौधारोपण तथा 0.21 करोड़ रूपए के भवन तथा मशीनरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह सत्यापित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं रखा गया था कि मण्डलों द्वारा 2.62 करोड़ रूपए की हानि किस प्रकार निकाली गई थी। विभाग को सही आँकड़े पाने के लिए, राजस्व प्राधिकारियों से पौधारोपण की हानि (बाढ़ों के कारण) की सीमा निर्धारित करवानी चाहिए थी। हानि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था। जैसा कि वित्तीय नियमों में अपेक्षित है, विभाग ने हानियों की रिपोर्ट महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी भेजनी थी जो कि भेजी नहीं गई थी। मुख्य वन संरक्षक (अ.प.), गुड़गांव ने बताया (जून 1998-अगस्त 1998) कि इन हानियों की रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अश्रेषित की गई थी परन्तु उसके कार्यालय द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई थी तथा हानियां राजस्व प्राधिकारियों से निर्धारित/प्रमाणित नहीं करवाई गई थी।

(iv) पौधों का विनाश

पौधारोपण की सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को उनकी सुपुर्दगी तक (पी.ए.आर के अनुसार प्रथम 3 वर्ष तथा ग्राम पंचायतों के साथ समझौतों के अनुसार प्रथम 6 वर्ष) सुरक्षा वन विभाग की जिम्मेवारी थी। तथापि, 57 हैक्टियर क्षेत्र पर पौधारोपण नीचे इंगित किए अनुसार खदान गतिविधियों के कारण नष्ट हो गया था :

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	पौधारोपण/ग्राम का स्थान	हैक्टियर में क्षेत्र	पौधारोपण का वर्ष	पौधारोपण पर व्यय (रूपए लाखों में)	विनाश का वर्ष
1.	फिरोजपुर झिरका	मोहताबाद	15	1992-93	1.93	1992-93
	- सम -	डडोलीकला	5	1995-96	0.81	1996-97
2.	सोहना	बन्धवारी	5	1993-94	1.00	1996-97
	- सम -	- सम -	4	1994-95	0.74	1996-97
	- सम -	- सम -	18	1995-96	2.90	1996-97
	- सम -	रोजका गुज्जर	4	1992-93	0.77	1996-97
	- सम -	बैहलपा	6	1995-96	0.97	1996-97
	कुल		57		9.12	

वन विभाग तथा खनन विभाग के बीच समन्वय के अभाव के कारण पौधारोपण तथा अनुरक्षण पर किया गया 9.12 लाख रूपए का व्यय फजूल बना। मु.व.सं., अ.प., गुडगांव ने बताया (मार्च 1999) कि इन मामलों की खनन विभाग को रिपोर्ट कर दी गई थी परन्तु उन द्वारा आगे की गई कारवाई प्रतीक्षित थी।

3.3.12. नियन्त्रण एवं मूल्यांकन

जैसा कि पी.ए.आर में निर्धारित है, तकनीकी उपलब्धियों का अनुसरण करने तथा परियोजना गतिविधियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव निर्धारित करने के लिए भी एक प्रभावी नियन्त्रण एवं मूल्यांकन पद्धति सम्पादित की जानी थी। तदनुसार, हरियाणा राज्य दूरस्थ बोधन तथा अनुप्रयोग केन्द्र ( ह.रा.दू.बो.अ.के.) को परियोजना के प्रभाव का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। ह.रा.दू. बो.अ.के. द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 1998) अन्तरिम रिपोर्ट ने इंगित किया कि सघन वन तथा हरा आवरण 1990 की तुलना में 1997 में बढ़ गया था। तथापि, मिट्टी हानियों तथा भूमि की उपज क्षमता/उत्पादकता की जाँच पर प्रभाव के बारे में रिपोर्ट चुप थी। नियन्त्रण एवं मूल्यांकन मण्डल जो कि 1992-93 में अस्तित्व में आया था नर्सरी कार्यों, मिट्टी कार्यों, पौधारोपण कार्यों, अनुरक्षण कार्यों तथा सीमांकन कार्यों इत्यादि जैसी क्षेत्रीय गतिविधि के समवर्ती नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी थी। तथापि, मण्डल ने परियोजना के नियन्त्रण करने/मूल्यांकन करने, इसके साथ कार्यान्वयन करने के लिए नियतकालिक विवरण/नियन्त्रण पद्धति निर्धारित नहीं की थी। अतः, नियन्त्रण की पर्याप्तता तथा प्रभाविकता लखेवापरीक्षा में निर्धारित नहीं की जा सकती थी। म.व.अ., ने पौधारोपण अनुमोदित क्षेत्रफल से अधिक तथा अनधिकृत क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जिसने नियन्त्रण के अभाव को इंगित किया।

यद्यपि मिट्टी कार्य से कम निष्पादन तथा कम पौधारोपण के प्रत्येक के 23 मामलों तथा पौधों की जीविता की प्रतिशतता के गलत अभिलेखन के 32 मामले नियन्त्रण तथा मूल्यांकन मण्डल द्वारा पता लगाए गए थे, विभाग ने कम मिट्टी कार्य (4 मामले) तथा कम पौधारोपण (एक मामला) के 5 मामलों में 0.47 लाख रूपए की वसूली के आदेश देने के सिवाय इन मामलों में चूकों/विफलताओं के लिए उत्तरदायित्व नियत नहीं किया था (मार्च 1999)।

### 3.3.13 निष्कर्ष

परियोजना के मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय अवक्रमण की प्रवृत्ति को प्रतिकूल करना एवं उत्पादक प्ररोहण आवरण को पुनः स्थापित करना, मिट्टी हानियों को रोकना, 37,600 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपणों के माध्यम से अरावली पहाड़ियों में भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता को सुधारना थे जिसके विरुद्ध 1998-99 तक 38,050 हैक्टेयर पर वृक्षारोपण किया गया था। उक्त उद्देश्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा राज्य दूरस्थ बोधन अनुप्रयोग केन्द्र, (हरा.दू.बो.अ.के.), हिसार को परियोजना का प्रभाव जानने का कार्य सौंपा गया था (जुलाई 1993)। जबकि सितम्बर 1998 में प्रस्तुत-हरा.दू.बो.अ.के. की अन्तरिम रिपोर्ट परियोजना क्षेत्र में भूमि की उर्वरता/उत्पादकता, मिट्टी के क्षरण के पहलुओं के विषय में शांत थी, अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा छान-बीन ने प्रकट किया कि परियोजना का निष्पादन अत्यधिक निराशाजनक था तथा धोखाधड़ी, विस्तृत रूप से फैली हुई थी। विभाग द्वारा 1991-92 से 1998-99 के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के लिए प्रतिबिम्बित 126.79 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजन जाली था। नमूना-जाँच किए गए 3 मण्डलों में 10.99 करोड़ रूपए हेतु 5,075 नामावलियों की लेखापरीक्षा जाँच-पड़ताल ने प्रकट किया कि इन नामावलियों ने 4.44 लाख आध्मात श्रम दिवसों के नियुक्तिकरण को प्रदर्शित किया था जिसके लिए श्रमिकों को 2.10 करोड़ रूपए की सदेहास्पद अदायगी की गई दर्शाई गई थी। परियोजना में भारी मात्रा में लागत वृद्धि आवेष्टित थी। 48.16 करोड़ रूपए के (जुलाई 1989) मूल लागत प्राक्कलन संशोधित करके 120.99 करोड़ रूपए (वर्ष 1998-99 में) कर दिए गए थे तथा 1998-99 के अन्त तक वास्तविक व्यय पहले ही 107.65 करोड़ रूपए तक पहुँच गया था तथा परियोजना अभी भी जारी थी। परियोजना के अन्तर्गत अनभिज्ञप्त 7,750.90 हैक्टेयर क्षेत्र पर अनधिकृत वृक्षारोपण, लक्षित क्षेत्र के आधिक्य में 5,050 हैक्टेयर की आवृत्ति, परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में अप्रावधानित खड्डे भरने, जल एकत्रीकरण इत्यादि जैसी गतिविधियां प्रारम्भ करने, मजदूरी दरों में वृद्धि, नामावलियों पर श्रमिकों को सदेहास्पद अदायगियां करने, 1.07 करोड़ अतिरिक्त पनीरियां उगाने इत्यादि के कारण वृक्षारोपण कार्यों पर बढ़ी हुई लागत के कारण 42.44 करोड़ रूपए की मात्रा में लागत वृद्धि हुई। नामावलियों पर सदेहास्पद अदायगियों की मात्रा तथा अन्य गम्भीर अनियमितताओं पर विचार करते हुए, लेन-देनों का सघन सत्यापन प्रारम्भ करने का लेखापरीक्षा प्रस्ताव करता है।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।



चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग

3.4. मानवशक्ति प्रबन्धन सहित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली

विशिष्टताएं

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर समीक्षा ने घाटे की बजटिंग को प्रकट किया जिसने निधियों की पर्याप्त बचतों तथा बजटीय अनुदानों से अधिक व्यय को भी प्रकट किया। 1996-99 के दौरान 29 योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निधियां संस्वीकृत न करने के परिणामस्वरूप 5.18 करोड़ रूपए के समस्त बजट प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया तथा इस प्रकार विभाग, चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन, गहन देख-रेख यूनिटों, नशा-मुक्ति केन्द्रों की स्थापना इत्यादि जैसे विभिन्न लक्ष्यों को उपलब्ध नहीं कर सका। सरकारी चिकित्सालयों/ सा.स्वा.के. इत्यादि में पलङ्गों की अध्यासनता कम थी तथा इसमें अचरोही प्रवृत्ति थी। बहुधा ग्रामीण क्षेत्रों में सा.स्वा.के. चिकित्सकों के बिना थे। चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा स्टॉफ नर्सों के संवर्ग में काफी संख्या में पद रिक्त थे जिसने स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं को प्रभावित किया। कई प्रकरणों में चिकित्सक/परा चिकित्सा स्टॉफ को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में विपथित किया गया था। कई प्रकरणों में, प्रा.स्वा.के. को सा.स्वा.के. में क्रमोन्नत किया गया था तथा सा.स्वा.के. के मापदण्डों के अनुसार चिकित्सक/परा चिकित्सा स्टॉफ भी नियुक्त किए गए थे परन्तु आवश्यक संख्या में पलङ्ग प्रदान नहीं किए गए थे तथा सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. के स्तर की तरह कार्य करते रहे। विभाग द्वारा वृहद् संख्या में कर्मचारी, राज्य सरकार की तैनाती/स्थानान्तरण नीति के उल्लंघन में 5 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान (स्टेशन) पर पदासीन रहे।

1996-97 से 1998-99 के दौरान 392.55 करोड़ रूपए के कुल बजट अनुदान के विरुद्ध, 379.76 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे। स्थापना व्यय, कुल व्यय का 81 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 3.4.4-11)

\* परिवार कल्याण, चिकित्सा की आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी प्रणाली से रहित।

क्योंकि सरकार ने निधियां संस्वीकृत नहीं की थीं, राज्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1996-99 के दौरान 29 स्कीमों के अन्तर्गत 5.18 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान विभाग द्वारा अभ्यर्पित करना पड़ा था।

(अनुच्छेद 3.4.4-III)

1996-97 से 1998-99 के दौरान बजट प्राक्कलनों से 9 उप शीर्षों/स्कीमों के अन्तर्गत 14 से 98 प्रतिशत की सतत बचतें हुईं तथा 8 उपशीर्षों/स्कीमों के अन्तर्गत 13 से 61 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित सतत आधिक्य थे जो दोषयुक्त बजटरी नियन्त्रण के संकेतक थे।

(अनुच्छेद 3.4.4-V(क))

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं ने फार्म बी एम 28 में व्यय नियन्त्रण रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया था जिसकी अनुपस्थिति में म.नि.स्वा.से. द्वारा व्यय पर नियन्त्रण को मॉनिटर नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 3.4.4-V(ख))

राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.) तथा 2,481 उप केन्द्रों के विरुद्ध मार्च 1998 को 64 सा.स्वा.के. तथा 2,299 उप केन्द्र थे। औसतन, प्रत्येक सा.स्वा.के. तथा उप केन्द्र 2.28 लाख तथा 6,350 ग्रामीण जनसंख्या की सेवा कर रहे थे जबकि मापदण्डों के अनुसार क्रमशः 1.20 लाख तथा 5,000 जनसंख्या आवृत की जानी थी, इससे ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रभावित हुईं।

(अनुच्छेद 3.4.5)

आठवीं पंच वर्षीय 1992-97 तथा नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 46 जिला स्तर तथा उपमण्डलीय स्तर के चिकित्सालय क्रमोन्नत किए जाने थे। मार्च 1999 तक, कोई भी चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4.6(i))

1995-98 के दौरान, भिवानी, हिसार तथा पंचकूला में जिला स्तर के चिकित्सालयों में पलंगों की अध्यासनता 37 से 84 प्रतिशत थी। 11 सा.स्वा.के. में तथा 3 जिलों में दो सामान्य चिकित्सालयों में, पलंगों की अध्यासनता 1995-97 के दौरान 1 प्रतिशत से 26.98 प्रतिशत के बीच से कम तक श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 3.4.6(iii))

राज्य में 19 जिला चिकित्सालयों में से 18 में गहन देख-रेख यूनिट (ग.दे.रे.यू.) उपलब्ध नहीं थे, विभाग गहन देख-रेख यूनिटों की व्यवस्था करने के लिए 1997-99 के दौरान 30 लाख रूपए के बजट प्रावधान का उपयोग करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.6 (vi))

30 पलङ्गों वाले चिकित्सालय में क्रमोन्नत सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, सिसवाल (हिसार) में चिकित्सकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों तथा स्थान की कमी के कारण गत 3 वर्षों के दौरान रोगियों की संख्या नगण्य थी।

(अनुच्छेद 3.4.7 (i))

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांगली (हिसार जिला) जिसे 30 बिस्तरों वाले चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था, 1996-99 के दौरान अंतरङ्ग उपचार के लिए कोई रोगी दाखिल नहीं किया गया था क्योंकि रोगियों के लिए वार्ड भवन का निर्माण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4.7 (ii))

राज्य में 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) में से 52 में जून 1998 तक कोई चिकित्सक नहीं था। तीन जिलों में, 1996-99 के दौरान 9 प्रा.स्वा.के. 5 से 36 महीनों तक बिना चिकित्सकों के कार्य कर रहे थे तथा चिकित्सा देख-रेख सेवाएं फार्मासिस्टों, नर्सों तथा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही थी।

(अनुच्छेद 3.4.8 (i))

खतरनाक अपशिष्ट का निपटारा करने के लिए 4 जिला चिकित्सालयों में 30.89 लाख रूपए से प्रतिष्ठापित 4 निर्दाहक काम नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रचालक नियुक्त नहीं किए गए थे तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इत्यादि से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4.11)

भिवानी जिले में, औषधि निरीक्षकों ने एक महीने में केवल 3 से 9 नमूने एकत्रित किए थे यद्यपि उनके क्षेत्राधिकार में 312 से 365 इकाइयां थी। न्यायालय द्वारा निर्णित 90 प्रतिशत अभियोजन मुकदमें रिहाई में समाप्त हो गए थे क्योंकि मुकदमें ठीक प्रकार से तैयार नहीं किए गए थे तथा बचाव पक्ष कमजोर था।

(अनुच्छेद 3.4.12 (iii))

1995-96 से 1997-98 के दौरान स्कूली बच्चों के चिकित्सीय निरीक्षण में कमी 55 से 88 प्रतिशत के बीच श्रंखलित थी।

(अनुच्छेद 3.4.13)

विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या 1996-97 में 2,371 से बढ़कर 1998-99 में 2,796 हो गई थी। मार्च 1999 के अन्त में, 2,022 चिकित्सकों की कुल संस्वीकृत संख्या में से 413 पद रिक्त थे। 52 प्रा.स्वा.के. चिकित्सकों के बिना चलाए जा रहे थे तथा इन चिकित्सा प्रा.स्वा.केन्द्रों में देख-रेख सेवाएं फार्मासिस्टों/ए एन एम/एम पी एच डब्ल्यू इत्यादि द्वारा प्रदान की जा रही थीं। इसी प्रकार, 64 सा.स्वा. केन्द्रों में चिकित्सकों के 226 पद रिक्त पड़े थे। अतः ग्रामीण समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रतिकूलतः प्रभावित हुई थीं।

(अनुच्छेद 3.4.17)

पलवल तथा पंचकूला में 50 बिस्तरों वाले दो सामान्य चिकित्सालयों में, 25 चिकित्सक तथा 45 पराचिकित्सक/अन्य स्टॉफ मापदण्डों के आधिक्य में नियुक्त किए गए थे। नमूना-जाँच किए गए जिलों में 37 प्रा.स्वा.के. तथा 2 सा.स्वा.के. में, 47 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक लिपिक तथा एक अस्थि चिकित्सक निर्धारित मापदण्डों के आधिक्य में तैनात किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.4.18 (i) तथा (ii))

कुराली, हथीन (फरीदाबाद जिला), सांपला (रोहतक जिला) तथा चौड़मस्तपुर (अम्बाला जिला) स्थित प्रा.स्वा.के. सा.स्वा. केन्द्रों के रूप में क्रमोन्नत किए गए थे जिन्होंने अन्तर्वासी रोगियों को उपचार सुविधाएं प्रदान करनी थीं। यद्यपि सा.स्वा.के. स्टॉफिंग मापदण्डों के अनुसार चिकित्सक तथा अन्य स्टॉफ नियुक्त किए गए थे, वृद्धित पलङ्गों के लिए अपेक्षित वार्डों हेतु भवन, शल्य क्रिया कक्ष, प्रयोगशालाएं इत्यादि आधारसंरचना प्रदान नहीं की गई थी तथा इस प्रकार वृद्धित पलङ्गों की अनुपस्थिति में सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. की तरह ही कार्य करते रहे।

(अनुच्छेद 3.4.19)

किसी कर्मचारी को एक ही स्थान पर लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि हेतु न ठहरने देने की सरकार की नीति के उल्लंघन में 5 से 10 वर्ष तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु क्रमशः 1,269 तथा 1,381 कर्मचारी एक ही स्थान पर रह रहे थे।

(अनुच्छेद 3.4.21)



### 3.4.1 प्रस्तावना

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग लोगों को उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक, बचावात्मक, प्रोत्साहनात्मक स्वास्थ्य सतर्कता तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करता है। 1996-99 के दौरान, विभाग ने चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों के सुदृढीकरण, मलेरिया उन्मूलन, क्षय, अन्धता, कुष्ठ, ऐड्स पर नियन्त्रण रखने, स्वाद्य में मिलावट के बचाव, औषधि नियन्त्रण आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए। सरकार द्वारा चलाई जा रही 64 स्कीमों में से 22 केन्द्रीय प्रायोजित थी (100 प्रतिशत निधिपोषित: 20 स्कीमें, भागीदारी आधार पर: 2 स्कीमें) तथा शेष राज्य सरकार द्वारा निधि पोषित थी। मार्च 1998 को, विभाग के पास 43 चिकित्सालयों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.), 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.), 2,299 उप केन्द्रों, 12 जिला क्षय केन्द्रों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 47 डिस्पेंसरियों (18 गतिशील डिस्पेंसरियों सहित) का नेटवर्क था। विभाग के पास राज्य में इसके विभिन्न चिकित्सालयों में मार्च 1998 को 11,416 बिस्तरों की कुल बिस्तर संख्या थी।

### 3.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

आयुक्त तथा सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की समग्र व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था (सचिवालय स्तर पर)। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (म.नि.स्वा.से.) विभागाध्यक्ष तथा नियन्त्रण अधिकारी भी था। एक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा तीन निदेशक (मलेरिया तथा अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभारी) तथा अन्य अधिकारी उसकी सहायता करते थे।

जिलों में, सिविल सर्जन, सभी चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के देख-रेख से सम्बन्धित गतिविधियों, कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन तथा स्कीमों के निष्पादन के लिए सर्वेसर्वा उत्तरदायी था, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय नियन्त्रण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी तथा जिला स्कूल स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जैसे चिकित्सा अधिकारी जिला स्तर पर उसकी सहायता करते थे।

### 3.4.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

विभाग की कार्यप्रणाली के कुछ पहलु जैसे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा कर्मचारी राज्य बीमा स्कीमों से रहित ऐलोपैथिक प्रणाली, की लेखापरीक्षा में 1996-97 से 1998-99 की अवधि हेतु समीक्षा निदेशालय स्तर पर, तथा 4 सिविल सर्जनों एवं 4 जिलों (19 जिलों में से) के 8 चिकित्सालयों में रखे गए अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से फरवरी से मई 1999 के दौरान की गई थी।

विभाग में 142 आहरण एवं सवितरण अधिकारी (आ.सं.अ.) थे तथा लेखापरीक्षा में 25 आ.सं.अ. के अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई थी जिसमें 8 चिकित्सालय तथा 15 सा.स्वा.के. शामिल थे।

मानवशक्ति प्रबन्धन के लिए, 6\* जिलों की नमूना-जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

### भाग - क विभाग की कार्यप्रणाली

#### 3.4.4. वित्तीय व्यवस्था तथा बजटरी प्रक्रिया

##### I. बजटरी प्रक्रिया तथा बजट आबंटन

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, अपने विभाग के बजट प्राक्कलन प्रतिवर्ष नवम्बर के प्रथम सप्ताह में अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विधिवत चालू वर्ष के मूल प्राक्कलन, गत दो वर्षों के प्राक्कलन, प्रथम छः महीनों के वास्तविक, गत वर्ष के अन्तिम छः महीनों के वास्तविकों इत्यादि को इंगित किया जाना चाहिए।

तथापि, म.नि.स्वा.से. ने निर्धारित फार्म में उपर्युक्त सूचना शामिल किए बिना वित्त विभाग को बजट प्रस्ताव अग्रेषित किए। विभाग के आयुक्त-सह-सचिव तथा वित्त विभाग ने बजट प्राक्कलनों में पूर्ण सूचना प्रेषित करने की आवश्यकता की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं किया। अतः, बजट प्राक्कलन बिना ऐसी सूचनाओं के बनाए गए थे।

II चिकित्सा की ऐलोपैथिक प्रणाली (परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा इएस. आई. स्कीम से रहित) के अन्तर्गत 1996-97 से 1998-99 के दौरान बजट प्रावधान तथा विभाग द्वारा किए गए व्यय के विवरण निम्नानुसार थे:

वर्ष	विभाग के बजट प्रस्ताव	बजट प्रावधान			व्यय	मूल जमा पूरक बजट से सम्बन्धित विचलन आधिक्य (+) बचत (-)
		मूल बजट	पूरक	अन्तिम अनुदान		
(रूपए करोड़ों में)						
1996-97	उ.न.**	83.16	14.03	98.82	96.71	(-)0.48
1997-98	113.21	107.37	25.93	131.23	126.30	(-)7.00
1998-99	152.65	180.02	शून्य	162.50	156.75	(-)23.27
कुल	265.86	370.55	39.96	392.55	379.76	(-)30.75

1996-97 से 1998-99 के दौरान 379.76 करोड़ रूपए के कुल व्यय में से, वेतनों पर व्यय 308.59 करोड़ रूपए (81 प्रतिशत), मशीनरी/उपस्कर एवं चिकित्सा पर 41.34 करोड़ रूपए (11 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान एवं अन्य व्यय पर 29.83 करोड़ रूपए (8 प्रतिशत) था।

\* अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, पंचकूला तथा रोहतक।

\*\* उ.न. उपलब्ध नहीं।

म.नि.स्वा.से. ने बजट नियम पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में रिक्त पदों के लिए वेतनों हेतु प्रावधान शामिल किए थे।

1996-97 से 1998-99 के दौरान विभाग का पूंजीगत व्यय (पी.जी.आई. एम.एस., रोहतक को छोड़कर) 21.24 करोड़ रूपए था (कुल राजस्व व्यय का 5.59 प्रतिशत)।

### III योजनागत स्कीमें

#### क राज्य द्वारा निधिपोषित स्कीमें

राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण निधिपोषित स्कीमों में मुख्यतः चिकित्सालयों तथा डिस्पेंसरियों का सुधारीकरण एवं विस्तार, स्कूल चिकित्सा कार्यक्रम, रोगों का बचाव एवं नियन्त्रण, खाद्य मिलावट के बचाव कार्यक्रम इत्यादि शामिल थे।

29 स्कीमों के लिए 5.18 करोड़ रूपए का समस्त मूल बजट प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया था।

1996-99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों की असंस्वीकृति के कारण 29 स्कीमों के लिए 5.18 करोड़ रूपए का समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था तथा इस प्रकार ये स्कीमें (परिशिष्ट XIV में दिए गए अनुसार) विभाग द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। 'चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन,' 'गहन चिकित्सा यूनिटों की स्थापना,' 'नशा मुक्ति केन्द्रों,' जैसी स्कीमों के अकार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुच्छेद 3.4.6 (i), (vi) तथा (vii) में शामिल की गई हैं:

#### ख केन्द्रीय स्कीमें

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी एवं ग्रामीण) भागीदारी आधार पर प्रायोजित किए गए थे :

वर्ष	स्कीमों की संख्या	बजट प्रावधान		व्यय	मूल बजट के सम्बन्ध में विचलन बाधित्य (+) / बचत (-)
		मूल बजट	अन्तिम अनुदान		
(रूपए करोड़ों में)					
1996-97	2	6.79	6.25	3.16	(-)3.63
1997-98	2	8.77	8.20	8.08	(-) 0.69
1998-99	2	6.79	6.75	6.89	(+) 0.10
कुल		22.35	21.20	18.13	(-)4.22

1996-97 में 3.09 करोड़ रूपए की बचतें (3.63 करोड़ रूपए की कुल बचत में से) मुख्यतया भारत सरकार के डेबिट प्राप्त न होने के कारण थी।

### IV चिकित्सालय प्राप्तियों को देरी से जमा करवाना

वित्तीय नियमों के अनुसार, दिन के दौरान संगृहीत सरकारी प्राप्तियां अगले कार्य दिवस तक अवश्यमेव कोषालय में जमा करवा देनी चाहिए। बी के चिकित्सालय, फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि एक्स-रे प्रभार, प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार, अल्ट्रा-साउंड प्रभार इत्यादि जैसी रोगियों से दैनिक प्राप्त चिकित्सालय प्राप्तियां कोषालय में 2-3 महीनों के

पश्चात् जमा करवाई जाती रहीं। महीने के दौरान प्राप्तियों की कुल राशि भी एक मुश्त में जमा नहीं करवाई गई थी परन्तु इसका अंश ही जमा करवाया गया था तथा रोकड़ पेटी में भारी मात्रा में कैश पड़ा रहता था जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

क्रम संख्या	संग्रहण की अवधि	संग्रहीत राशि	जमा करवाने के लिए उपलब्ध राशि	जमा करवाई गई राशि	जमा करवाने की तिथि	शेष राशि
(रूपये में)						
1.	1 से 23 अप्रैल 1998	55,403	55,403	10,000	23 अप्रैल 1998	45,403
2.	23 से 25 अप्रैल 1998	6,033	51,436	15,000	25 अप्रैल 1998	36,436
3.	25 अप्रैल 1998 to 11 मई 1998	33,473	69,909	20,000	11 मई 1998	49,909

1998-99 के दौरान 8.15 लाख रूपए चिकित्सालय प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुए थे, जिसमें से 7.64 लाख रूपए थोड़े-थोड़े करके कोषालय में जमा करवाए गए थे तथा 31 मार्च 1999 को 0.51 लाख रूपए अभी भी रोकड़िये के पास पड़े थे। आहरण एवं सवितरण अधिकारी तथा रोकड़िया दोनों ही सरकारी प्राप्तियों को कोषालय में देरी से जमा करवाने के लिए उत्तरदायी थे।

#### ✓ विभाग के अपूर्ण बजट प्राक्कलन

(क) बजट की जाँच-पड़ताल ने प्रकट किया कि 8 से 9 उपलेखाशीर्षो/कार्यक्रमों (जिनमें मूल बजट प्रावधान से पर्याप्त बचते/आधिक्य आवेष्टित थे) से सम्बन्धित बजट प्राक्कलन अनुवर्ती वर्षों में अन्तिम अनुदान के चरण पर प्रचुर मात्रा में कम कर दिए गए थे जो दोषयुक्त बजटिंग के संकेतक थे (विवरण परिशिष्ट XV तथा XVI के अनुसार):

#### (ख) व्यय नियन्त्रण

म.नि.स्वा.से, विभाग का नियन्त्रण अधिकारी होने के नाते, फार्म बी एम-28 में व्यय के रजिस्टर के माध्यम से सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) के व्यय की प्रगति मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी था।

यद्यपि विभाग में 142 आ. एवं सं.अ., नियन्त्रण अधिकारी को फार्म बी एम-26 में मासिक व्यय विवरणियाँ प्रेषित कर रहे थे, निदेशालय द्वारा व्यय रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा महालेखाकार (ले. एवं. ह.) कार्यालय में व्यय आँकड़े बी. एम. 26 विवरणियों के आधार पर समाधानित किए गए थे। ऐसे नियन्त्रण रजिस्टर को अनुरक्षित करने की अनुपस्थिति में, यह स्पष्ट नहीं था कि म.नि.स्वा.से. व्यय को कैसे मॉनिटर कर रहा था।

#### 3.4.5. स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदानगी प्रणाली

समुदाय को स्वास्थ्य आधारसंरचनीय सुपुदगी प्रणाली प्रदान करने के लिए उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु कार्यक्रम, वर्ष 1990 के शुरू में भारत सरकार द्वारा विकसित सामाजिक सुरक्षा दायरे का एक भाग था। प्राथमिक स्वास्थ्य



देख-रेख आधारसंरचना की त्रिश्रेणीय प्रणाली है अर्थात् उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.)। उप केन्द्र, ग्रामीण स्तर पर स्थापित किया गया परिधीय सम्पर्क बिन्दु है। मापदण्डों के अनुसार, एक उप-केन्द्र ने प्रति 5,000 ग्रामीण जनसंख्या की देख-रेख करनी होती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.), चिकित्सा अधिकारी तथा ग्रामीण समुदाय के बीच प्रथम बिन्दु है। प्रति 30,000 जनसंख्या के लिए, मापदण्डों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है।

प्रा.स्वा.के./उप केन्द्रों से रोगियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) प्रथम संदर्भीय चरण है। प्रत्येक सा.स्वा.के. में 30 बिस्तरे हैं, तथा 1.20 लाख ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करना होता है।

1996-99 के दौरान 14 सा.स्वा.के. तथा 10 प्रा.स्वा.के. की स्थापना करना विभाग का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध केवल एक सा.स्वा.के. तथा 2 प्रा.स्वा.के. स्थापित किए गए थे। लक्षित संख्या के सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. स्थापित करने में कमी हेतु कारण म.नि.स्वा.से. द्वारा सूचित नहीं किए गए थे। राज्य ने मार्च 1998 का विद्यमान सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उप-केन्द्रों की कुल संख्या जनसंख्या मापदण्डों के सन्दर्भ में आवश्यकता से बहुत कम थी। 1991 की जनगणना के अनुसार (संदर्भ: आयोजना विभाग का सांख्यिकी सारांश), हरियाणा राज्य की ग्रामीण जनसंख्या 1.24 करोड़ थी। ग्रामीण जनसंख्या के आकार पर विचार करते हुए निम्नांकित मात्रा तक सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उप-केन्द्रों की स्थापना करने में कमी थी:

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थान	मार्च 1998 को स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या		कमी
		मापदण्डों के अनुसार आवश्यकता	वास्तविक (मार्च 1998 को)	
(i)	सा.स्वा.के.	104	64	40
(ii)	प्रा.स्वा.के.	414	399	15
(iii)	उप-केन्द्र	2,481	2,299	182

मापदण्डों के अनुसार राज्य में अपेक्षित 104 सा.स्वा.के. के विरुद्ध मार्च 1998 को 64 सा.स्वा.के. विद्यमान थे। राज्य की प्राक्कलित जनसंख्या 1997-98 के अन्त तक बढ़ कर 1.46 करोड़ हो गई थी। अतः, प्रत्येक सा.स्वा.के. केन्द्र, मापदण्डों के अनुसार 1.20 लाख जनसंख्या को लाभान्वित करने के विरुद्ध 2.28 लाख ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य सम्बन्धित जरूरतें पूरी कर रहा था तथा इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या को सामान्य स्वास्थ्य देख-रेख तथा रोगियों के उपचार के लिए संदर्भीय सुविधाओं से वंचित किया गया था।

2,481 उप केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध, राज्य में मार्च 1998 को केवल 2,299 उप केन्द्र थे। प्रत्येक उप केन्द्र 5,000 जनसंख्या (1.46 करोड़ प्राक्कलित जनसंख्या के आधार पर) के मापदण्डों के विरुद्ध, 6350 ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करता था। 1997-98 के दौरान, विभाग के पास 8 उप केन्द्र खोलने के लिए 10 लाख रूपए का बजट प्रावधान था जिसे अभ्यर्पित कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने उद्देश्य हेतु निधियां संस्वीकृत नहीं की थीं तथा इसलिए 1997-98 में कोई उप केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था।

## कार्यक्रम व्यवस्था

## 3.4.6. चिकित्सालय तथा डिस्पेंसरिया

(i) 1992-93 से कोई चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किया गया था।

आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 46 चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के लक्ष्य के विरुद्ध कोई चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किया गया था।

1992-93 में, राज्य में 43 चिकित्सालय थे (इ.एस.आई. चिकित्सालयों को छोड़कर) जिनमें बिस्तर क्षमता भिन्न-भिन्न थी जैसा की नीचे इंगित किया गया है:

बिस्तर क्षमता	चिकित्सालयों की संख्या
300 बिस्तरे तथा इससे अधिक	2
200 बिस्तरे	4
100 बिस्तरो से अधिक परन्तु 200 बिस्तरो से कम	9
50 से अधिक परन्तु 100 से कम	3
48/50 बिस्तरे	13
20 से अधिक परन्तु 48 बिस्तरो से कम	8
20 बिस्तरो से कम	4

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान, जनता के लिए चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि करने के लिए बिस्तरो की संख्या बढ़ाकर तथा चिकित्सकों, परा चिकित्सा स्टाफ के पदों के सृजन द्वारा 8 चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाना था। यद्यपि योजना प्रपत्र इस उद्देश्य हेतु 2.40 करोड़ रूपए का प्रावधान करते थे परन्तु किसी भी वर्ष में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा इस प्रकार 1992-97 के दौरान कोई भी चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किया गया था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2002 तक) के दौरान, सभी जिला स्तरीय चिकित्सालयों को 200 बिस्तरो वाले चिकित्सालयों में तथा सभी उप-मण्डलीय स्तर के चिकित्सालयों को 50 से 100 बिस्तरो वाले चिकित्सालयों (38) में क्रमोन्नत करने के लिए विभाग के पास 5 करोड़ रूपए का योजनागत परिव्यय था। तथापि, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान कोई चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किया गया था तथा इन 2 वर्षों के दौरान 20 लाख रूपए का बजट प्रावधान राजकीय संस्वीकृति की अप्राप्ति के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया था।

(ii) बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग रोगी

चिकित्सालयों में बिस्तरो की संख्या में वृद्धि के बावजूद अन्तरङ्ग रोगी कम हुए थे जिसके लिए विभाग ने कारणों का विश्लेषण नहीं किया था।

1995-98 के दौरान राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में उपचारित बहिरङ्ग रोगियों की संख्या तथा बिस्तरो की संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष	बिस्तरो की संख्या	उपचारित रोगी	
		(क) बहिरङ्ग	(ख) अन्तरङ्ग
		(संख्या लाख में)	
1995	11,328	74.41	3.46
1996	11,328	81.59	3.46
1997	11,416	84.75	3.33
1998	11,416	83.36	3.18

यद्यपि 1997 में बिस्तरों की संख्या बढ़ गई थी, अंतरङ्ग रोगियों की संख्या 1996 में 3.46 लाख से घटकर 1998 में 3.18 लाख रह गई थी। कमी, मुख्यतया अम्बाला, भिवानी, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी जिलों में हुई थी। जबकि रोगियों की संख्या में कारणों को सुनिश्चित करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया था, चार जिला सामान्य चिकित्सालयों की लेखापरीक्षा में नमूना-जाँच ने निम्नानुसार प्रकट किया:

(iii) चिकित्सालयों में कम पलंङ्गे की अध्यासनता

4 सामान्य चिकित्सालयों में, पलंङ्गे की अध्यासनता जो 1995 में 45 तथा 97 प्रतिशत के बीच थी, 1998 में कम हो कर 37-57 प्रतिशत रह गई थी।

4 जिलों में, जिला स्तरीय सामान्य चिकित्सालयों में पलंङ्गे की अध्यासनता निम्नानुसार थी:

जिला सामान्य चिकित्सालय	पलंङ्गे की संख्या	वर्षों में पलंङ्ग अध्यासनता की प्रतिशतता			
		1995	1996	1997	1998
भिवानी	300	76	67	60	50
फरीदाबाद	200	97	100	64	56
हिसार	200	60	61	60	57
पंचकूला	50	45	42	84	37

भिवानी जिलों में पलंङ्गे की अध्यासनता 1995 में निरन्तर 76 प्रतिशत से घट कर 1998 में 50 प्रतिशत रह गई थी क्योंकि प्रसूती चिकित्सा विज्ञान, मेदोवृद्धि, हड्डियों, कान, नाक, गला (इ.एन.टी.), संज्ञाविहीनता (बेहोशी) तथा विकिरण चिकित्सा विज्ञान विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की कमी थी।

बी.के. सामान्य चिकित्सालय (सा.चि.), फरीदाबाद में पलंङ्गों की अध्यासनता 1995 में 97 से कम होकर 1998 में 56 प्रतिशत रह गई थी।

सामान्य चिकित्सालय (सा.चि.) पंचकूला में, 1998 में यद्यपि चिकित्सकों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी पलंङ्गे की अध्यासनता 84 प्रतिशत से कम होकर 37 प्रतिशत रह गई थी। पलंङ्गे की अध्यासनता में कमी के लिए कारण अभिलिखित नहीं थे।

इसी प्रकार नमूना-जाँच किए गए जिलों में 15 सा.स्वा.के. तथा 7 सामान्य चिकित्सालयों में पलंङ्गे की अध्यासनता काफी कम थी। इन 15 सा.स्वा.के. में से 5\* सा.स्वा. के तथा भिवानी जिले के एक सामान्य चिकित्सालय, 4\*\* सा.स्वा. के. तथा हिसार जिले के एक सामान्य चिकित्सालय तथा फरीदाबाद जिले के 2\*\*\* सा.स्वा.के. में पलंङ्गे की अध्यासनता 1995-97 के दौरान केवल एक प्रतिशत से कम तथा 26.98 प्रतिशत के बीच रही। प्रधान चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, भिवानी ने कम पलंङ्गे की अध्यासनता के लिए मुख्यतया चिकित्सकों के अभाव, प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी इत्यादि को आरोपित किया। तथापि, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया है पलंङ्गे की कम अध्यासनता भी आवश्यक आधारसंरचना, प्रयोगशालाओं तथा अन्य

\* सा.स्वा. बोनदकलां, गोपी, कैरू, लोहारू, मनहेड़ू तथा सा.चि. बवानी खेडा (जिला भिवानी)

\*\* सा.स्वा.के. बरवाला, उकलाना, आर्य नगर तथा सा.चि. आदमपुर (जिला हिसार)

\*\*\* कुराली तथा हथीन (जिला फरीदाबाद)

सुविधाओं की अनुपस्थिति को आरोपित की गई थी जिनकी पलंजों की अध्यासनता में सुधार करने के लिए प्रदानगी की भी आवश्यकता थी।

(iv) **जिला चिकित्सालयों में एम्बुलैन्स सेवाएं**

19 जिला स्तर चिकित्सालयों में से 16 चिकित्सालयों की अपनी स्वयं की एम्बुलैन्स सेवाएं इस तथ्य के बावजूद नहीं थीं कि राज्य सरकार की यह योजना थी कि सभी 19 जिला स्तर के चिकित्सालयों को एम्बुलैन्स सेवाएं उपलब्ध हों। 1996-97 से 1998-99 के दौरान, यद्यपि एम्बुलैन्सों के क्रय के लिए वार्षिक बजट में 36 लाख रूपए का प्रावधान किया गया था परन्तु 1996-97 के दौरान केवल 2.18 लाख रूपए व्यय किए गए थे तथा 33.82 लाख रूपए का शेष प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था। बजट प्रावधान की अनुपयोज्यता के लिए कारण मनिस्वा. से द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (मई 1999)।

(v) **चल क्लिनिक वैन की अंश-उपयोज्यता**

दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को उनके स्थान पर उपचार प्रदान करने के लिए फरवरी 1997 में प्रधान चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, भिवानी को मनिस्वा.से 5.44 लाख रूपए की कीमत की एक चल क्लिनिक वैन प्रदान की। यद्यपि, वैन की लॉग बुक की जांच-पड़ताल ने प्रकट किया कि दो वर्षों के दौरान (फरवरी 1997 से मार्च 1999 तक) वैन केवल 10 महीनों के लिए उपयोग की गई थी। प्रधान चिकित्सा अधिकारी, भिवानी ने बताया (जून 1999) कि वाहन का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि चल स्टाफ अर्थात् चिकित्सक, फार्मासिस्ट तथा चालक इत्यादि नियुक्त नहीं किए गए थे।

(vi) **गहन देख-रेख यूनिट सुविधाओं की कमी**

19 जिला स्तर के चिकित्सालयों में से सामान्य चिकित्सालयों के हिस्से में केवल एक गहन देख-रेख यूनिट (गहरे देख) विद्यमान थी। नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान (1997-98 से 2002 तक) प्रत्येक जिला स्तर के चिकित्सालय में एक गहन देख-रेख यूनिट स्थापित करने के लिए 4.50 करोड़ रूपए पृथगरक्षित थे। तदनुसार, प्रत्येक जिला स्तर के चिकित्सालय में एक गहन देख-रेख यूनिट स्थापित करने के लिए 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रत्येक वर्ष 15 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया था। तथापि, 30 लाख रूपए का समस्त बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था। मनिस्वा.से ने पुष्टि की (जुलाई 1999) कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक गहन देख-रेख यूनिट स्थापित करने के लिए 1997-98 के दौरान कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया था जबकि सामान्य चिकित्सालय, भिवानी में एक गहन देख-रेख यूनिट स्थापित करने के लिए नवम्बर 1998 के दौरान मनिस्वा.से द्वारा सरकार को वर्ष 1998-99 के लिए एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। सरकार की संस्वीकृति 31 मार्च 1999 को प्राप्त हुई थी जो 1999-2000 के दौरान प्रभावित होनी है तथा इस प्रकार 1998-99 का बजट प्रावधान भी अभ्यर्पित कर दिया गया था।

(vii) **नशा मुक्ति केन्द्रों की अस्थापना**

नौवीं पंच वर्षीय योजना में, विभाग का 5 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ चरण-बद्ध तरीके से राज्य में 15 नए नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। 1997-98 के दौरान, प्रस्तावित केन्द्रों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अन्य समर्थक स्टाफ के नए पदों के



सृजन हेतु 30 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा निधियां संस्वीकृत न करने के कारण, 30 लाख रूपए का समस्त बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था। पुनः 1998-99 के दौरान, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव में तीन नए नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिए 20 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया था उसे भी राज्य सरकार द्वारा निधियां संस्वीकृत न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया था। अतः, 1997-99 के दौरान राज्य में कोई नया नशा मुक्ति केन्द्र नहीं खोला गया था।

### 3.4.7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.)

प्रत्येक सा.स्वा.के., जो 1.20 लाख ग्रामीण जनसंख्या को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रथम संदर्भ्य केन्द्र है उसमें मापदण्डों के अनुसार पलंङ्गों की अध्यासनता 30 है तथा एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 4 से 5 चिकित्सा अधिकारी तथा समर्थक परा चिकित्सा स्टॉफ की संस्वीकृत संख्या है। नमूना-जाँच किए गए जिलों में निम्नलिखित प्रसंग देखे गए थे:

#### (i) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - चिकित्सकों की कमी

अक्टूबर 1989 के दौरान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवल (जिला हिसार) 30 पलंङ्गों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया था। तथापि, 5 चिकित्सकों तथा एक दन्त सर्जन के संस्वीकृत पदों के विरुद्ध, 1996-97 से 1998-99 के दौरान केवल एक से दो तक चिकित्सक कार्यरत थे। प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर के पद 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान रिक्त रहे। यद्यपि एक्स-रे मशीन 1.78 लाख रूपए की लागत पर मार्च 1998 में प्रतिष्ठापित कर दी गई थी, वर्ष के दौरान केवल 9 एक्स-रे लिए गए थे।

सा.स्वा.के., सिसवल में चिकित्सकों की कमी तथा सा.स्वा.के. माँगली में वार्ड के लिए भवन का निर्माण न करने के कारण इन केन्द्रों में उपचारित अंतरङ्ग रोगियों की संख्या नगण्य अथवा शून्य थी।

क्योंकि सा.स्वा.के. के भवनों में पर्याप्त संख्या में कमरे नहीं थे, 1996, 1997 तथा 1998 के दौरान जिन अंतरङ्ग रोगियों की चिकित्सा की गई थी उनकी संख्या नगण्य थी अर्थात् क्रमशः 3,76 तथा 58 थी तथा यह मुख्यतया बहिरङ्ग उपचार प्रदान कर रहा था। आगे, 1996-99 के दौरान कोई निदानिय परीक्षण नहीं किए गए थे क्योंकि प्रयोगशाला तकनीशियन को नियुक्त नहीं किया गया था। अतः, प्रा.स्वा.के. को सा.स्वा.के. में क्रमोन्नत करने का उद्देश्य विफल हो गया था।

#### (ii) वार्डों के बिना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

विस्तारित चिकित्सा सुविधाएं तथा अंतरङ्ग उपचार प्रदान के लिए सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माँगली को 30 पलंङ्गों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया (दिसम्बर 1992)। तथापि, 1996-97 से 1998-99 के दौरान, कोई अंतरङ्ग रोगी दाखिल नहीं किया गया था क्योंकि अंतरङ्ग रोगियों के लिए वार्ड भवन का इसके क्रमोन्नयन के दिन से ही निर्माण नहीं किया गया था तथा इस प्रकार चिकित्सकों/परा चिकित्सा स्टॉफ के अतिरिक्त पद लाभप्रदतः उपयोग नहीं किए गए थे।

### 3.4.8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.)

मार्च 1998 को, राज्य में 3,99 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। प्रत्येक प्रा.स्वा.के. में 2 चिकित्सा अधिकारियों (एक महिला चिकित्सा अधिकारी सहित), फार्मासिस्टों, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा स्टॉफ नर्स को एक-एक पद की संस्वीकृत संख्या थी। नमूना-जाँच किए गए जिलों में निम्नलिखित प्रसंग देखे गए थे।

#### (i) चिकित्सकों के बिना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

राज्य में कुल 399 प्रा.स्वा.के. में से 52 में कोई चिकित्सक नहीं था।

(क) राज्य में 399 प्रा.स्वा.के. में से 52 प्रा.स्वा.के. (13 प्रतिशत) -संदर्भ परिशष्ट - XVII ऐसे थे जहाँ जून 1998 तक कोई चिकित्सक न था तथा चिकित्सा देख-रेख सम्बन्धित सेवाएं फार्मासिस्टों/ए.एन.एमज/एम् पी डब्ल्यू इत्यादि द्वारा दी जा रही थीं।

(ख) नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों में कुल 42 प्रा.स्वा.के. में से 9 में निम्नांकित अवधि के दौरान कोई चिकित्सक नहीं था:

जिला	प्रा.स्वा. के. का नाम	अवधि जिसके दौरान डॉक्टर का पद रिक्त था	मास
हिसार	तलवन्डी	अक्टूबर 1998 से मार्च 1999	5
	अग्रोहा	अक्टूबर 1998 से मार्च 1999	5
	दौलतपुर	अप्रैल 1998 से मार्च 1999	12
	हसनगढ़	अक्टूबर 1998 से मार्च 1999	5
फरीदाबाद	अलवलपुर	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	24
	उत्तावर	मई 1998 से मार्च 1999	11
	नंगल जाट	मई 1998 से मार्च 1999	11
	तप्या बिलोजपुर	सितम्बर 1996 से मार्च 1999	31
भिवानी	सोहसारा	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	36

म.नि.स्वा.से. ने बताया (जून 1998) कि ग्रामीण/मेवात क्षेत्र में प्रा.स्वा.के. में चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था तथा बहुधा मामलों में अनुभवी चिकित्सक नौकरी छोड़ गए थे।

#### (ii) प्रा.स्वा.के. में प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी

प्रत्येक प्रा.स्वा.के. में एक प्रयोगशाला तकनीशियन तथा एक सूक्ष्मदर्शी यन्त्र प्रदान करने के लिए एक स्कीम आठवीं पंच वर्षीय योजना (1992-97) में शामिल की गई थी। चयनित जिलों में नमूना-जाँच किए गए 42 प्रा.स्वा.के. में से 24 प्रा.स्वा.के. में मार्च 1999 तक प्रयोगशाला तकनीशियनों के पद रिक्त पड़े थे तथा इस प्रकार इन प्रा.स्वा.के. में रोगियों को प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं।

### 3.4.9. ई.सी.जी. मशीनों का अनावश्यक क्रय

म.नि.स्वा.से. ने 16.53 लाख रूपए की लागत पर 81 ई.सी.जी. मशीनें क्रय कीं (मार्च 1997) तथा इन्हे 17 सिविल सर्जनों को उनकी माँग के अनुसार वितरित की (अप्रैल 1997)। तथापि, यह देखा गया कि 1.02 लाख रूपए के मूल्य की 5 ई.सी.जी. मशीनें फिर सिविल सर्जन, भिवानी, तथा

हिसार द्वारा 3\* सास्वाके को जारी की गई थी (मई 1997 से जनवरी 1999 तक) जो कि बंधी-बंधाई पड़ी थी तथा उनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। सम्बन्धित सास्वाके ने अधिसूचित किया (फरवरी 1999) कि उन्होंने ई.सी.जी. मशीनों के लिए कभी भी कोई माँग नहीं भेजी थी। अतः सास्वाके स्तर पर अर्हता प्राप्त चिकित्सक तथा ई.सी.जी. ओप्रेटर का कोई पद नहीं निर्धारित किया गया था। मशीनों को उपयोग न करने के लिए कारण सिविल सर्जन, भिवानी तथा हिसार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (मई 1999)।

**3.4.10. एक्स-रे मशीनों की मरम्मत नहीं करवाई गई**

राज्य में विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 167 एक्स-रे मशीनों में से 55 खराब थीं।

राज्य में विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 167 एक्स-रे मशीनों में से 112 एक्स-रे मशीनें काम कर रही थी, 30 खराब थी तथा 25 निराकृत घोषित कर दी गई थी। विभाग ने इन मशीनों की मरम्मत करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे (जून 1999)।

**3.4.11. चिकित्सालय अपशिष्ट व्यवस्था**

खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु 4 जिला चिकित्सालयों में प्रतिष्ठापित चार निर्दाहक चालू हालत में नहीं थे।

राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद, हरियाणा ने निर्णय किया (अगस्त-1997) कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सालय/खतरनाक अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए चरण-बद्ध तरीके से सभी सरकारी चिकित्सालयों में निर्दाहक स्थापित करेगा।

(i) भिवानी, फरीदाबाद, हिसार तथा पंचकूला जिलों में 4 निर्दाहक काम में नहीं लाए जा रहे थे तथा खतरनाक चिकित्सालय अपशिष्ट का निपटान उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा था। चिकित्सालयों द्वारा प्रेषित कारण यह थे कि परिचालक (ओप्रेटर) पदासीन नहीं किए गए थे तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। अतः निर्दाहकों के क्रय पर व्यय किए गए 30.89 लाख रूपए, निरर्थक सिद्ध हो गए थे।

**(ii) निर्वर्त्य सुईयों को पुनः इस्तेमाल करने से न रोकना**

रेड्स तथा व्यक्त-शोध की महामारियों पर अंकुश लगाने तथा मानवों में किसी औषधि अथवा किसी अन्य द्रव्य के अन्तःक्षेपण के लिए सरकार ने निर्वर्त्य सुईयों अथवा सिरिन्जों के पुनः इस्तेमाल करने तथा पुनः प्रचलन के लिए निषेधात्मक अनुदेश जारी किए थे (जून 1998)। म.नि. स्वा.से., हरियाणा ने इन अनुदेशों की प्रतियां सभी सिविल सर्जनों को भेजी थीं (नवम्बर 1998) तथा यह निर्देश दिए गए थे कि इन्हें सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों (उ.आ.) से अधिसूचित करवाया जाए तथा इन बिमारियों को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

तथापि, नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों में से किसी में भी, 3 जिलों (भिवानी, फरीदाबाद तथा पंचकूला) में सिविल सर्जनों द्वारा कोई कार्यवाही न करने तथा सिविल सर्जन, हिसार द्वारा उपायुक्त, हिसार को पत्र बहुत देरी से प्रस्तुतीकरण के कारण जून 1998 के अनुदेश उपायुक्तों द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए थे (मई 1999)। अतः, निर्दाहकों, सुई नष्टकों इत्यादि को

प्रतिष्ठापित करने के लिए गैर-सरकारी चिकित्सालयों/उपचर्या गृहों को प्रेरित तथा अनुदेशित करने के लिए सिविल सर्जनों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

**3.4.12. औषधि नियन्त्रण कार्यक्रम**

औषधि तथा कान्तिवर्द्धक अधिनियम १९४०, तथा तदधीन बनाए गए नियमों को लागू करके औषधि उत्पादन की गुणवत्ता वाली औषधियां प्रदान करना औषधि नियन्त्रण कार्यक्रम का लक्ष्य था। औषधि नियन्त्रण कार्यक्रम को कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। वह औषधि विक्रेताओं के विनिर्माण तथा थोक औषधियों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने अथवा उनके लिए एक प्रतीक प्रतीकीकरण हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकार था। चण्डीगढ़ में एक औषधि निरीक्षक प्रयोगशाला है। मार्च १९९८ को ६ वरिष्ठ औषधि निरीक्षक तथा २१ औषधि निरीक्षक कार्यरत थे।

मार्च १९९६ से १९९८-९९ के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत ३.१ करोड़ रूपए व्यय किए गए थे। निम्नलिखित प्रसंग देखे जाएं कि औषधि निरीक्षण के लिए प्रयोगशाला में नमूने लेने में कमी थी।

विनिर्माणत्मक तथा बिक्री इकाइयों के निरीक्षण में कमी।	(i) वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों तथा औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि विनिर्माणत्मक इकाइयों तथा औषधि विक्रेता इकाइयों का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित था कि वे लाइसेंस की शर्तों की अनुपालना कर रहे हैं। औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि विक्रेता इकाइयों के निरीक्षण में कमी १९९६-९७ तथा १९९८-९९ के दौरान ७३ से ७८ प्रतिशत तक की थी।	२८	२०१.०१	२९-००९१
नमूनों के संग्रहण में कमी।	(ii) आगे १९९६-९७ से १९९८-९९ के दौरान नमूने लेने में ७४ से २८ प्रतिशत तक की मात्रा में कमी थी।	२२	२००.०१	२९-००९१

राज्य औषधि नियन्त्रक ने उत्तर दिया (मार्च १९९९) कि नमूने लेने में कमी १९९६-९७ तथा १९९७-९८ के दौरान कम संख्या में निरीक्षण किए जाने तथा चण्डीगढ़ स्थित परीक्षण प्रयोगशाला में अपरीक्षित/संचित नमूनों के बढ़ते हुए संचयों के कारण थी। (१९९९ ई।)

नमूना संग्रहण के मापदण्ड बहुत कम थे। (iii) भिवानी जिले में, १९९६ से १९९८ के दौरान ३१२ से ३६५ औषधि उत्पादन विक्रेता इकाइयां चल रही थीं परन्तु औषधि निरीक्षक ने मई १९९६, नवम्बर १९९७, जुलाई १९९८, दिसम्बर १९९८ तथा मार्च १९९९ के दौरान एक महीने में ३ से ९ नमूने ही संगृहीत किए। नमूनों की संख्या इतनी कम थी कि औषधि निरीक्षक के क्षेत्राधीन सभी इकाइयां आवृत्त नहीं की गईं।

औषधि नियन्त्रण अधिनियम, के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा निर्णित ९० प्रतिशत मुकदमों बचाव पक्ष कमजोर होने के कारण रिहाई में समाप्त हुए थे। (iv) १९९६-९७ तथा १९९७-९८ के दौरान न्यायालय द्वारा निर्णित कुल ३९ अभियोजन मुकदमों में से ३५ मुकदमों (९० प्रतिशत) में औषधि उत्पादन विनिर्माणत्मक/बिक्री इकाइयां आरोपमुक्त घोषित कर दी गईं थी जो इस बात का संकेतक था कि मुकदमों की विभाग ने उचित प्रकार से प्रक्रिया नहीं की थी तथा बचाव पक्ष कमजोर था।

२८.०१	२०५	२०१	२९-००९१
२०.०१	२०५	२०१	२९-००९१
२०.०१	२०५	२०१	२९-००९१
२९.९८	२०५	२०१	२९-००९१

(v) औषधि तथा कान्तिवर्द्धक अधिनियम में औषधि नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं है। विभाग ने छः महीनों के लिए केवल ५ औषधि नमूने (निर्धारित १० नमूनों के विरुद्ध) प्रतिमास संगृहीत करने के अनुदेश जारी किए (फरवरी १९९९)।



प्रतिमास 10 नमूनों से कम करके 5 नमूने प्रतिमास करने से अवमानक/जाली औषधियों की बिक्री रोकने का उद्देश्य प्रभावित हुआ था।

### 3.4.13. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जनों/जिला स्कूल चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य, संसर्गज बिमारियों/शारीरिक दोषों इत्यादि की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उनके स्वास्थ्य की हालत सुनिश्चित करने हेतु सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को चिकित्सीय निरीक्षण सुनिश्चित करने थे। 1996-97 से 1998-99 के दौरान, कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.27 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे।

स्कूल के बच्चों के चिकित्सीय निरीक्षण में कमी 55 से 88 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

1995-96 से 1997-98 की अवधि हेतु जिला स्कूल स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा म.नि.स्वा.से. को प्रेषित मासिक प्रगति रिपोर्ट्स की जाँच पड़ताल ने प्रकट किया कि स्कूल के बच्चों के चिकित्सीय निरीक्षण में कमी 55 से 88 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

वर्ष	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या	लक्ष्य (स्कूल के बच्चे)	उपलब्धि	प्रतिशतता कमी
		(संख्या लाख में)		
1995-96	7,559	15.16	1.77	88
1996-97	16,163	25.67	5.37	79
1997-98	16,696	29.32	13.25	55
1998-99	16696	29.32	17.92	39

निदेशालय में अभिलेखों की जाँच-पड़ताल ने प्रकट किया कि कैंथल, पानीपत, रेवाड़ी तथा यमुनानगर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कोई स्टॉफ संस्वीकृत नहीं किया गया था। तथापि, कमी के लिए कारण सम्बन्धित जिला स्कूल स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रेषित नहीं किए थे (मई 1999)।

### 3.4.14. लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन

अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 1999 तक जारी 649 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 42.94 करोड़ रूपए के मूल्य के 1,028 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में कार्यवाही लम्बित थी (मई 1999) जैसा कि नीचे विवरणित किया गया है:

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (नि.प्र.)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)
1995-96 तक	288	387	9.39
1996-97	109	206	10.84
1997-98	176	287	16.62
1998-99	76	148	6.09
	<b>649</b>	<b>1028</b>	<b>42.94</b>

इन 649 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से, 51 अनुच्छेदों से समायुक्त 1998-99 के दौरान जारी 19 नि. प्र. के लिए 16 आहरण एवं सवितरण अधिकारियों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1999 को)।

इन प्रतिवेदनों में टिप्पणीकृत महत्वपूर्ण अनियमितताएं निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत आती हैं:

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	नि.प्र.की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)
1.	क्रयों के आधिक्य में अनियमित/गेर न्यायोचित व्यय	54	86	5.92
2.	व्यक्तिगत दावों की अनियमित अदायगी	99	164	0.97
3.	वाञ्छित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें	58	84	4.49
4.	अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	19	27	7.43
5.	बेकार उपस्कर, मशीनरी/सामग्री	63	78	1.65
6.	बजट आबंटन से अधिक व्यय	80	94	9.30
7.	अन्य विविध अनियमितताएं	276	495	13.18
	कुल	649	1028	42.94

#### 3.4.15. आन्तरिक लेखापरीक्षा

चिकित्सा विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष नहीं था तथा इस प्रकार 1996-97 से 1998-99 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

#### 3.4.16. मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम की निदेशालय स्तर पर तथा जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। उपचारित अन्तर्वासी, बहिर्वासी रोगियों इत्यादि से सम्बन्धित सांख्यिकी रिपोर्ट्स क्षेत्र में सिविल सर्जनों से प्राप्त मासिक रिपोर्ट्स के आधार पर निदेशालय स्तर पर संकलित की गई थीं। म.नि.स्वा.से. ने निदेशालय स्तर पर एक मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष खोलने के लिए स्टॉफ संस्वीकृत करने हेतु एक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया (मार्च 1997) जिसके लिए 1997-98 में बजट प्रावधान कर दिया गया था परन्तु सरकार की संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 1999)।



1996-97	1997-98	1998-99
2,371	2,796	2,796
413	413	413
1,958	2,383	2,383

विभाग के पास मार्च 1999 को विभिन्न संवर्गों में 2,796 रिक्त पद थे जिसमें से 413 रिक्त पद चिकित्सकों के संवर्ग में थे।

1996-97 से 1997-98 के दौरान प्रति वर्ष 31 मार्च को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग (एलोपैथिक पद्धति) की, चिकित्सकों, परा चिकित्सा स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) की संस्वीकृत संख्या तथा वास्तविक संख्या निम्नानुसार थी:

श्रेणी	1996-97		1997-98		1998-99	
	संस्वीकृत	भरी गई	संस्वीकृत	भरी गई	संस्वीकृत	भरी गई
एलोपैथिक तथा परिवार कल्याण						
निदेशक सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं (नि.सा.स्वा.से.)	1	1	1	1	1	1
निदेशक	5	5	5	4	5	5
उप-निदेशक	12	12	12	12	12	12
सहायक निदेशक	2	2	2	2	2	2
सिविल सर्जन/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/आंचलिक चिकित्सा अधिकारी	24	22	24	21	24	23
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	134	100	136	99	146	118
कार्यक्रम अधिकारी	162	151	165	154	166	145
चिकित्सा अधिकारी	1623	1404	1642	1402	1656	1299
दांत सर्जन	119	100	219	193	220	192
नर्सिंग सिस्टर	266	208	267	200	268	234
स्टॉफ नर्सिंग	1710	1424	1718	1353	1722	1320
रेडियो ग्राफर	142	92	142	92	142	128
फार्मासिस्ट	995	880	995	880	1002	882
प्रयोगशाला टेकनीशियन	213	123	213	129	216	166
एम.पी.एच.डब्ल्यू. इ.सी.जी., ओ.टी.ए.; इत्यादि	6604	5786	6712	5747	6713	5708
स्टॉफ	3024	2355	3170	2375	3114	2378
कुल	15,036	12,665	15,423	12,664	15,409	12,613

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा की ऐलोपैथिक प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या 1996-97 में 2,371 से बढ़कर 1998-99 में 2,796 हो गई थी। 1996-99 के दौरान वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, दन्त सर्जनों तथा नर्सिंग सिस्टरज, स्टॉफ नर्सों, रेडियोग्राफरज, फार्मासिस्टस, प्रयोगशाला तकनीशियनों इत्यादि जैसे परा चिकित्सा स्टाफ के संवर्ग में वृहद संख्या में रिक्त पद विद्यमान थे।

मार्च 1999 के अन्त में नाजुक स्तरों पर रिक्तियों में चिकित्सकों (वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी तथा दन्त सर्जन) के 413 पद शामिल थे जिसने ग्रामीण समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया। नर्सिंग स्टाफ भी रिक्तता के

नाजुक क्षेत्र के अन्तर्गत आता था। विभिन्न संवर्गों में प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के./चिकित्सालय-वार रिक्तता स्थिति म.नि.स्वा.से. के पास उपलब्ध नहीं थी। रिक्त पदों के लिए कारण मुख्यतया (i) सरकार द्वारा पदों में 10 प्रतिशत की कटौती लगाने (ii) हरियाणा जन सेवा आयोग/हरियाणा अधीनस्थ स्टॉफ चयन बोर्ड से उचित उम्मीदवारों की अनुशंसाओं की अप्राप्ति को आरोपित किए गए थे (जनवरी 1999)।

लोखापरीक्षा जाँच-पड़ताल ने आगे प्रकट किया कि :

(क) प्रा.स्वा.के. के मामले में, जो कि चिकित्सा अधिकारी तथा ग्रामीण समुदाय के बीच प्रथम सम्पर्क बिन्दु था, राज्य में 399 प्रा.स्वा.के. में से, 52 प्रा.स्वा.के. में जून 1998 तक कोई चिकित्सक नहीं था तथा चिकित्सा-अपेक्षा-सेवाएं फार्मासिस्टों/ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू.इत्यादि द्वारा प्रदान की जा रही थीं (अनुच्छेद सं. 3.4.8 (i) (क) के अन्तर्गत चर्चित)।

(ख) सा.स्वा.के. के मामले में, मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक सा.स्वा.के. में 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों अर्थात् (i) सर्जन (ii) मदोवृद्धि रोग चिकित्सक एवं प्रसूती रोग चिकित्सक (iii) फिजीशियन (iv) बाल-रोग चिकित्सक का प्रावधान था। तथापि, अभिलेखों की जांच पड़ताल ने प्रकट किया कि 31 अगस्त 1999 को संस्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के 256 पदों के विरुद्ध केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों के 30 पद भरे गए थे तथा शेष 226 पद (88 प्रतिशत) 64 सा.स्वा.के. में रिक्त पड़े थे।

### (ii) तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टॉफ अनुपात

परिशिष्ट XVIII में दिए गए विवरणानुसार 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टॉफ अनुपात क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत था।

### (iii) चिकित्सक-रोगी अनुपात

गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिदिन उपचारित रोगियों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सक तथा चिकित्सक-रोगी अनुपात परिशिष्ट XIX के अनुसार था।

विभाग ने प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की संख्या निर्धारित नहीं की थी। तथापि, चिकित्सालयों के लिए वर्ष में 285 कार्य दिवसों की औसत संख्या लेकर (शनिवार तथा 28 राजपत्रित अवकाश छोड़कर) प्रतिदिन औसत चिकित्सक-रोग अनुपात 1:17 परिकलित किया गया है। कम अनुपात इस बात का संकेतक है कि चिकित्सकों के पास अपर्याप्त कार्य-भार है।

### 3.4.18. स्टॉफ लगाने के मापदण्ड

विभाग के पास मार्च 1998 को 42 राज्य सार्वजनिक चिकित्सालय, 64 सा.स्वा.के., 399 प्रा.स्वा.के., 23 शहरी डिस्पेंसरियां तथा 6 ग्रामीण डिस्पेंसरियां थीं। सरकार द्वारा स्टॉफ लगाने के मापदण्ड, चिकित्सालयों हेतु सितम्बर 1970 में तथा सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. के लिए अक्टूबर 1985 में निर्धारित किए गए थे। तथापि उपर्युक्त मापदण्डों का अभी तक पुनर्वालीकन नहीं किया गया है। आगे, शहरी तथा ग्रामीण डिस्पेंसरियों के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं



किए गए हैं। म.नि.स्वा.से., द्वारा परिवार कल्याण के लिए तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए न तो आहरण एवं सवितरण-वार स्टॉफ स्थिति तथा न ही स्टॉफ संख्या विघटन पृथक-पृथक आपूरित किया गया था क्योंकि उसके लिए कोई पृथक रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया गया था। आगे, कुछ पद, मलेरिया उन्मूलन, क्षय नियन्त्रण, कुष्ठ नियन्त्रण, ऐड्स नियन्त्रण, अन्धता नियन्त्रण आदि जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए संस्वीकृत किए गए थे परन्तु इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए भी स्टॉफ स्थिति को इंगित करने वाला रिकार्ड म.नि.स्वा.से. द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या स्टॉफ निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लगाया गया था। तथापि, नमूना-जाँच किए गए जिलों में, स्टॉफ लगाने के मापदण्डों से कुछ विपथन निम्नलिखित प्रकरणों में देखे गए थे:

(i) 50 बिस्तरों वाले सामान्य चिकित्सालयों में लगाए गए अधिक चिकित्सक/स्टॉफ

दो सामान्य चिकित्सालयों में 25 चिकित्सक तथा 45 परा चिकित्सा/अन्य स्टॉफ माप-दण्डों के आधिक्य में लगाया गया था।

50 बिस्तरों वाले सामान्य चिकित्सालयों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित (सितम्बर 1970) स्टॉफ लगाने हेतु मापदण्डों के अनुसार, 6 चिकित्सक (वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, दन्त सर्जन), एक नर्सिंग सिस्टर, 13 स्टॉफ नर्स, एक प्रयोगशाला तकनीशियन, 3 फार्मासिस्ट, एक लिपिक तथा 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवश्यक थे। तथापि, यह देखा गया कि सामान्य चिकित्सालय, पलवल (फरीदाबाद जिला) तथा सामान्य चिकित्सालय, पंचकूला में 1996-99 के दौरान कार्यरत स्टॉफ निर्धारित माप-दण्डों से अत्यधिक था जैसा कि परिशिष्ट XX में इंगित किया गया है।

माप-दण्डों के आधिक्य में 25 चिकित्सकों तथा 45 परा चिकित्सा/अन्य स्टॉफ के नियुक्तिकरण से अप्रैल 1996 से मार्च 1999 के बीच वेतनों पर 1.14 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था।

(ii) सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में अधिक स्टॉफ का नियुक्तीकरण

(क) माप-दण्डों के अनुसार, प्रत्येक प्रा.स्वा.के. में 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदासीन किए जाने थे। इसके विपरीत, नमूना-जाँच किए गए जिलों में 37 प्रा.स्वा.के. में 74 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध 121 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। मापदण्डों के आधिक्य में 47 कर्मचारियों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप 1996-99 के दौरान उनके वेतनों पर 56.95 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया गया था (विवरण परिशिष्ट-XXI के अनुसार)।

(ख) सा.स्वा.के., झोझू कलां (जिला भिवानी) में एक लिपिक तैनात करने के मापदण्ड के विरुद्ध 1996-97 से 1998-99 के दौरान लिपिकों के दो पद संस्वीकृत तथा परिचालित किए गए थे। एक अधिक लिपिक की पदासीनता से 1996-99 के दौरान उसके वेतन पर 1.53 लाख रूपए का व्यय किया गया था।

(ग) सा.स्वा.के. मीरां (जिला भिवानी) में एक अस्थिरोग सर्जन जून 1997 में पदासीन किया गया था जो सा.स्वा.के., के स्टॉफिंग माप-दण्डों के अन्तर्गत आवृत नहीं होता था। आगे, सा.स्वा.के. में कोई एक्स-रे मशीन नहीं थी जो अस्थिरोग चिकित्सक द्वारा रोगियों के अस्थिभंग का पता लगाने के लिए आवश्यक थी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1997 से मार्च 1999 के बीच अस्थिरोग चिकित्सक के वेतन पर 2.21 लाख रूपए का निष्फल व्यय किया गया था।

**3.4.19. क्रमोन्नत सा.स्वा.के. में चिकित्सकों, परा-चिकित्सा स्टाॅफ की अव-उपयोज्यता**

क्रमोन्नत सा.स्वा.के. में, बीस रोगियों के लिए स्टाॅफ की अध्यासनता में नहीं की गई थी यद्यपि चिकित्सकों/परा-चिकित्सा स्टाॅफ की संख्या में वृद्धि की गई थी।

ग्रामीण जनता को विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के विचार से, राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सार्वस्वा.के.) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) के लिए स्टाॅफ लगाने हेतु माप-दण्ड निर्धारित किए थे (अक्टूबर 1985)। इन माप-दण्डों के अनुसार, प्रत्येक सार्वस्वा.के. में 2 चिकित्सा अधिकारी, एक स्टाॅफ नर्स तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी) लगाए जाने थे जबकि 30 बिस्तरों वाले प्रत्येक सा.स्वा.के. में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 4 चिकित्सा अधिकारी (मैडिसन, शल्य चिकित्सा, बाल-रोग चिकित्सा, मेदोवृद्धि-रोग चिकित्सा में विशेषज्ञ), एक दन्त सर्जन, एक नर्सिंग सिस्टर, 6 स्टाॅफ नर्सें तथा 16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाए जाने थे। नमूना-जाँच किए गए जिलों में निम्नलिखित (जैसा परिशिष्ट XXII में विवरण दिए गए) प्रसंग देखे गए थे:

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुराली तथा हथीन (फरीदाबाद जिला) क्रमशः 1988 तथा 1989 में सा.स्वा.के. के रूप में क्रमोन्नत कर दिए गए थे। इन सा.स्वा.के. में 30 पलङ्गों की अपेक्षित संख्या न थी क्योंकि वाडों के लिए भवन, शल्य क्रिया कक्ष, प्रयोगशाला इत्यादि जैसी आधारसंरचना अभी तक प्रदान नहीं की गई थी। यद्यपि प्रत्येक सा.स्वा.के. में केवल 6 पलङ्ग ही थे मार्च 1999 तक 35 पद (8 चिकित्सा अधिकारी, 4 स्टाॅफ नर्सें, एक नर्सिंग सिस्टर, 22 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) संस्वीकृत एवं परिचालित किए गए थे। इन सा.स्वा.के. ने मात्र बहिर्वासी रोगी सेवाएं प्रदान की थीं तथा 1996-98 के दौरान बहिर्वासी रोगियों की संख्या 0.31 लाख तथा 0.48 लाख के बीच श्रृंखलित थी। वाडों के लिए भवन, शल्यक्रिया कक्ष, प्रयोगशाला इत्यादि आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में, 26 कर्मचारियों (4 चिकित्सा अधिकारी, एक नर्सिंग सिस्टर, 3 स्टाॅफ नर्सें, 18 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी), की सेवाएं ग्रामीण जनता को अन्तर्वासी रोगी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा प्रदान करने के लिए लाभप्रदतः उपयोग नहीं की जा सकी।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांपला (रोहतक जिला) 1988 में सा.स्वा.के. के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। यद्यपि सा.स्वा.के. में केवल 8 ही पलङ्ग थे मार्च 1999 को संस्वीकृत एवं परिचालित पदों की संख्या 22 (5 चिकित्सा अधिकारी, एक नर्सिंग सिस्टर, 5 स्टाॅफ नर्सें तथा 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) थे। संस्वीकृत पलङ्गों तथा अन्य सुविधाओं की अनुपस्थिति में 17 कर्मचारियों (3 चिकित्सा अधिकारी, एक नर्सिंग सिस्टर, 4 स्टाॅफ नर्सें तथा 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) की सेवाएं ग्रामीण जनता को पर्याप्त अन्तर्वासी रोगी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रदान करने के लिए लाभप्रदतः उपयोग नहीं की जा सकी थी। सा.स्वा.के. में 1996-98 के दौरान 0.10 लाख से 0.13 लाख रोगियों को बहिर्वासी रोगी सेवाएं प्रदान की।

(iii) इसी प्रकार, सा.स्वा.के. चौड़मस्तपुर (अम्बाला जिला) जुलाई 1993 में सा.स्वा.के. के रूप में क्रमोन्नत किया गया था परन्तु उसमें केवल 9 ही पलङ्ग रहे। यद्यपि वाडों के लिए भवन, शल्य क्रिया कक्ष इत्यादि जैसी आधारसंरचना की कमी के कारण कोई अतिरिक्त पलङ्ग प्रदान नहीं किया गया था, 11 पद (4 चिकित्सा अधिकारी, 6 स्टाॅफ नर्सें, एक नर्सिंग सिस्टर) मार्च 1999 को संस्वीकृत तथा परिचालित थे। माप-दण्डों के अनुसार सा.स्वा.के. हेतु अपेक्षित पलङ्गों की संख्या तथा अन्य सुविधाओं की अनुपस्थिति में, 8 कर्मचारियों (2 चिकित्सा

अधिकारी, 5 स्टॉफ नर्स, एक नर्सिंग सिस्टर) की सेवाएं ग्रामीण जनता को अन्तर्वासी रोगी स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभप्रदतः उपयोग नहीं की जा सकी थी तथा सा.स्वा.के. ने 1996-98 के दौरान केवल 0.13 लाख से 0.16 लाख ओ.पी.डी. रोगियों को बहिर्वासी रोगी सेवाएं प्रदान की थी।

### 3.4.20 ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्टॉफ का विपथन

(i) जुलाई 1996 से मार्च 1999 के दौरान यद्यपि 10 चिकित्सा अधिकारी तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान्य चिकित्सालय, रोहतक में काम करते थे, उनके वेतन सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, कलानौर, पिलाना, किलोई तथा सिविल सर्जन, रोहतक के कार्यालय के लिए संस्वीकृत पदों के विरुद्ध आहरित किए गए थे। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवाओं के विपथन ने ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य देख रेख सम्बन्धित सुविधाएं नकार दीं थीं।

(ii) इसी प्रकार, एक प्रयोगशाला तकनीशियन तथा एक शल्य क्रिया कक्ष सहायक के वेतन जुलाई 1998 से मार्च 1999 तक बी.के. चिकित्सालय, फरीदाबाद से आहरित किए गए थे यद्यपि प्रयोगशाला सहायक तथा शल्य क्रिया कक्ष सहायक क्रमशः सिविल सर्जन, सोनीपत तथा नारनौल के कार्यालय में कार्य कर रहे थे।

(iii) तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, एक वार्ड परिचर (अटैन्डेंट), एक साख्यकी सहायक तथा एक सफाई कर्मचारी, जिनके पद, प्रा.स्वा.के. लाडवा, सा.स्वा.के. माँगली एवं बरवाला तथा जिला क्षय अधिकारी, हिसार के लिए संस्वीकृत किए गए थे तथा अप्रैल 1996 से मार्च 1999 तक के दौरान उनके वेतन भी वहीँ से आहरित किए जा रहे थे उनकी सेवाएं शहरी क्षेत्रों के लिए विपथित कर दी गई थीं अर्थात् सामान्य चिकित्सालय हिसार, हांसी तथा जिला प्रशिक्षण अधिकारी, हिसार को विपथित कर दी गई थीं। इसने सम्बन्धित प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. के कार्यचालन को बुरी तरह प्रभावित किया था तथा स्वास्थ्य देख-रेख की सुविधाओं से ग्रामीण जनता को वंचित किया था।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न\* प्रा.स्वा.के. में नियुक्त दस चिकित्सा अधिकारियों तथा उनके वेतनों के लिए बजट प्रावधान सामान्य चिकित्सालय, पंचकूला को स्थानान्तरित कर दिए गए थे (फरवरी 1997) जो कि सामान्य चिकित्सालय की संस्वीकृत संख्या से अतिरिक्त था। बजट तथा चिकित्सकों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण ने ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य देख-रेख सम्बन्धित सुविधाएं नकार दी थीं।

\* कत मुस्तर्क, हरबतपुर (जिला यमुनानगर), अम्बली (जिला अम्बाला), छतर (जिला जींद), कल्हेरकन, हत्त, हसेना, क्योडक (जिला कैथल), सालवान, चौरा (जिला करनाल)।

**3.4.21. स्थानान्तरण नीति का अकार्यान्वयन**

विभाग के विभिन्न संवर्गों में 2650 कर्मचारी, एक ही स्टेशन पर लगातार पाँच वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर रहे थे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए तैनाती तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में बनाए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, एक ही स्टेशन पर एक पद पर लगातार सेवा के लिए अधिकतम अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी थी सिवाय उन सरकारी कर्मचारियों के जो अपने पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् दो वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों।

तथापि, यह देखा गया कि कर्मचारी, सरकार की नीति के उल्लंघन में पाँच वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्टेशन पर कार्य कर रहे थे जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

क्रम संख्या	कर्मचारियों का वर्ग	5 तथा 10 वर्षों के बीच	10 वर्षों से अधिक	कुल
1.	चिकित्सा अधिकारी	136		136
2.	परा चिकित्सा स्टॉफ	893	1108	2001
3.	शासकीय स्टॉफ	181	168	349
4.	अन्य	59	105	164
	कुल	1,269	1,381	2,650

सरकारी नीति से परे हटने के लिए कारण म.नि.स्वा.से. द्वारा प्रेषित नहीं किए गए थे (अगस्त 1999)।

**3.4.22 प्रशिक्षण****प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी**

चिकित्सकों तथा परा चिकित्सा स्टॉफ को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/सेवाकाल में प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी 5 तथा 45 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

चिकित्सा तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की प्रशिक्षण गतिविधियों को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के लिए राज्य सरकार ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (प्रशिक्षण) के प्रभाराधीन दिसम्बर 1991 में पंचकूला में राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान स्थापित किया। संस्थान ने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रवेशात्मक पाठ्यक्रम, चिकित्सा अधिकारियों के लिए अनुस्थापना/पुनः अनुस्थापना प्रशिक्षण, जिला आयुर्वेदिक/कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण इत्यादि आयोजित किए। दिसम्बर 1991 से जून 1998 के दौरान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या



में कमी 5 तथा 45 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

क्रम संख्या	राज्य स्तर	1991-92 से 1998-99 की परियोजना लक्ष्य अवधि	उपलब्धिया (जून 1998 तक)	प्रतिशतता कमी
1.	सा.स्वा.के./चिकित्सालय के चरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों हेतु अनुस्थापना पाठ्यक्रम	150	110	27
	क्षेत्रीय स्तर			
1.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षण (पुरुष) सेवाकाल प्रशिक्षण	600	568	5
2.	स्वास्थ्य एम.पी.एच.डब्ल्यू. (पुरुष) प्रशिक्षण	2544	1549	39
	जिला स्तर			
	2 सप्ताह के समय का पाठ्यक्रम			
1.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षण (महिला) सेवाकाल प्रशिक्षण	526	402	24
2.	स्वास्थ्य कर्मचारी एम.पी.एच.डब्ल्यू. (महिला) सेवाकाल प्रशिक्षण	2,627	2,254	14
	3 दिनों के समय का पाठ्यक्रम	1,193	1,102	8
3.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षण (पुरुष एवं महिला) सेवाकाल प्रशिक्षण			
4.	स्वास्थ्य कर्मचारियों एम.पी.एच.डब्ल्यू. (महिला) सेवाकाल प्रशिक्षण	5,117	2,835	45

कमी के कारण म.नि.चि.से. द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 1999)।

### 3.4.23 अनुशासन

विभाग द्वारा तैयार किया गया बजट, विभिन्न स्कीमों/उप-शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय अथवा निधियों के अभ्यर्पण का परिहार करने के लिए कारगर होना चाहिए। राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजना करनी चाहिए कि स्कीमों जिनके लिए बजट प्रावधान किया गया था कार्यान्वित करने के लिए वास्तव में प्रारम्भ की गई थीं। ग्रामीण जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, विद्यमान सा.स्वा.से. में वाहों के लिए भवन इत्यादि जैसी आवश्यक आधारसंरचना प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य सरकार को मापदण्डों के अनुसार, अधिक सा.स्वा.के. तथा उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए विचार करना चाहिए।

जैसा कि आठवीं/नौवीं पंच वर्षीय योजना में विचार किया गया था चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। विभिन्न चिकित्सालयों, सा.स्वा.के. में अन्तर्वासी रोगियों की संख्या तथा पलङ्गों की अध्यासनता में अवरोह के लिए कारणों की समीक्षा तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग को निर्वृत्य सिरिन्जों/सुईयों को पुनः प्रयोग करने अथवा पुनः प्रचलित करने सम्बन्धी निषेधात्मक सरकारी आदेशों (जून 1998) को लागू करने तथा खतरनाक चिकित्सालय अपशिष्ट के निपटान को सुनिश्चित करना चाहिए। ग्रामीण समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा/परा-चिकित्सा स्टॉफ के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है तथा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकों के विपथन पर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है।

ये मुद्दे सरकार को संदर्भित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 1999)।

## समाज कल्याण विभाग

## 3.5. समन्वित बाल विकास सेवाएं

## विशिष्टताएं

स्कीम का कार्यान्वयन बहुत से पहलुओं पर कम पड़ गया था। 6 वर्ष तक के बच्चों, आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं तथा 15-45 वर्ष की आयु के बीच वाली अन्य महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति तथा पोषणिकता सुधारने के प्रति स्कीम का प्रभाव जानने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था। तथापि, स्कीम की समीक्षा ने प्रकट किया कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की ग्रामीण जनसंख्या के केवल 34 प्रतिशत को ही 1992-93 से 1998-99 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत आवृत्त किया गया था। पोषण आहार वर्ष में 300 दिन देना निर्धारित किया गया था परन्तु इसके विरुद्ध यह 236 से 287 दिनों के लिए दिया गया था तथा कैलोरीज/प्रोटीनज की वास्तविक आपूर्ति आवश्यकता से बहुत कम थी। 1992-99 के दौरान किसी भी वर्ष में कुपोषित बच्चों को अरोग्यकर स्वाद्य नहीं दिया गया था। महत्वपूर्ण अभिलेखों का अननुरक्षण सभी आँगनवाड़ियों में एक आम बात थी। इनकी अनुपस्थिति में, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भिय सेवाएं अर्थात् आसन्नप्रसवा माताओं के लिए प्रसव-पूर्व अवेक्षा, स्तन्यपायिका माताओं के लिए प्रसव उपरान्त अवेक्षा इत्यादि से सम्बन्धित कोई आशवासन विभाग के पास अभिलिखित नहीं था। बच्चों तथा महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार यदि कोई हुआ हो, को आँकने के लिए विभाग के पास कोई तन्त्र नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ समन्वित बाल विकास सेवाएं स्कीम परिचालन में थी 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर से अधिक थी।

1992-99 के दौरान, 'वैतनों, आकस्मिकताओं आदि' पर व्यय 221 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

(अनुच्छेद 3.5.5 (i))

2000 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

21 से 31 प्रतिशत चिन्हित बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को 1992-99 के दौरान पूरक पोषाहार प्रदान नहीं किया गया था। विभाग ने स्कीम के अन्तर्गत आवरण हेतु 15-45 वर्ष के आयु समूह की अन्य महिलाओं को चिन्हित नहीं किया था। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से, स्कीम के अन्तर्गत वास्तविक आवृत्ति 34 प्रतिशत थी। 3 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं के सम्बन्ध में लाभग्राहियों की आवृत्ति स्थिर थी यद्यपि आँगनवाड़ियों की संख्या 1992-93 में 9,705 से बढ़कर 1998-99 में 13,536 हो गई थी।

(अनुच्छेद 3.5.7)

बच्चों, आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार प्रदान करने की आवश्यकता, नमूना-जाँच किए गए विभिन्न जिलों में 13 से 64 दिनों तक कम पड़ गई थी।

(अनुच्छेद 3.5.8(क))

1992-99 के दौरान, राज्य में आँगनवाड़ियों द्वारा बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को वितरित पूरक पोषाहार मापदण्डों से बहुत कम था प्रत्येक लाभग्राही को 15 से 20 ग्राम प्रोटीन तथा 300 से 600 कैलोरीज प्रतिदिन दी गई। यह कम पूरक पोषाहार भी निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में वर्ष में कुछ दिनों के लिए ही वितरित किया गया था।

(अनुच्छेद 3.5.8(ग))

1992-99 के दौरान राज्य में किसी भी आँगनवाड़ी में अति कुपोषित बच्चों को अरोग्यकर भोजन प्रदान नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.5.8(ड.))

विविध रोगों के विरुद्ध पात्र बच्चों तथा आसन्नप्रसवा माताओं के प्रतिरक्षण में महत्वपूर्ण कमी थी।

(अनुच्छेद 3.5.9)

आँगनवाड़ियों द्वारा बच्चों को प्रदान की गई संदर्भिय सेवाएं तथा स्वास्थ्य जाँच के बिबरण का रिकार्ड रखने के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनुरक्षित नहीं किए गए थे क्योंकि निदेशक द्वारा खाली कार्डों की आपूर्ति नहीं की गई थी। स्वास्थ्य जाँच की मात्रा ऐसे अभिलेखों की अनुपस्थिति में सत्यापनीय नहीं थी।

(अनुच्छेद 3.5.10)

ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ समन्वित बाल विकास सेवाएं स्कीम ने अधिकतम आवृत्ति की थी) में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु वर्ष 1993 में 21.1 प्रति हजार थी जो कि शहरी क्षेत्रों में 17 प्रति हजार मृत्यु दर से बहुत अधिक थी।

(अनुच्छेद 3.5.11)

विटामिन 'ए' घोल के वितरण सम्बन्धित कोई आँकड़े आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.5.12)

4 जिलों में, 1994-95 के दौरान 2,222 आँगनवाड़ियों को तथा 1998-99 में किसी भी आँगनवाड़ी को औषधि पेटिकाएं नहीं दी गई थी।

(अनुच्छेद 3.5.13)

अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् कितने बच्चों ने प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लिया इसे दर्शाने वाला कोई रिकार्ड आँगनवाड़ियों ने नहीं रखा था; अतः इस प्रकार स्कूल-पूर्व प्रभाव यदि हुआ था तो उसका प्राक्कलन नहीं किया जा सका था।

(अनुच्छेद 3.5.15)

युनिसेफ से प्राप्त कुल 81 प्रोजेक्टरज़ में से, 78 विभिन्न प्रोजेक्टस/खण्डों में फिल्मों की अप्राप्ति के कारण बेकार पड़े थे।

(अनुच्छेद 3.5.17)

1992-99 के दौरान आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था में कमी लक्ष्यों के 26 तथा 37 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 3.5.18)



### 3.5.1. प्रस्तावना

समन्वित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.), एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, 0-6 वर्षों के आयु समूह अर्थात् शिशु 0 से 1 वर्ष तथा 1 से 6 वर्षों तक के बच्चों के पौषणिक मानक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने, बच्चों में नश्वरता, रूग्णता, कुपोषणता तथा स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने, बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच कार्यान्वयन तथा नीति का प्रभावपूर्ण समन्वय उपलब्ध करने, तथा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पौषणिक आवश्यकताओं की देख-भाल करने के लिए माता की क्षमता में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 1975-76 से प्रारम्भ की गई थी।

पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भिय सेवाएं, 3 तथा 6 वर्ष की आयु के बीच वाले बच्चों को अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा 15-45 वर्षों के आयु समूह में सभी महिलाओं को पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा जैसे सेवाओं के पैकेज सहित ये उद्देश्य उपलब्ध किए जाने थे। स्कीम 1991-92 के अन्त तक 92 स.बा.वि.से. प्रोजेक्ट्स में कार्यान्वित की गई थी तथा मार्च 1996 के अन्त तक 111 प्रोजेक्ट्स (53 राज्य तथा 58 केन्द्रीय क्षेत्र) के लिए विस्तारित की गई थी। 1996-97 में, सभी 53 राज्य क्षेत्र प्रोजेक्ट्स, केन्द्रीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए गए थे तथा भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 5 नए प्रोजेक्ट्स भी संस्वीकृत किए गए थे।

### 3.5.2. संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, समाज कल्याण विभाग राज्य में स्कीम की गतिविधियों का राज्य के विभिन्न विभागों तथा भारत सरकार के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी था। निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कीम के प्रशासन, समन्वय, कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए सर्वसर्वा प्रभारी थी। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम अधिकारियों ने खण्ड स्तर पर प्रोजेक्ट के प्रभारी एक बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी (बा.वि.प्र.अ.) के साथ सम्बन्धित जिलों में स्कीम का समन्वय तथा कार्यान्वयन करना था। आँगनवाड़ी जो स्कीम के निष्पादन हेतु प्राथमिक इकाई है, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चलाई जाती है तथा परिमण्डल पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षित की जाती है।

### 3.5.3. लेखापरीक्षा व्याप्ति

1992-99 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन सम्बन्धित रिकार्ड की निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, 4\* (19 में से) कार्यक्रम अधिकारियों के 25 (116 में से) बा.वि.प्र.अ. तथा 3,030 (13,536 में से) आँगनवाड़ियों के कार्यालयों में नवम्बर 1998 तथा अप्रैल 1999 के बीच नमूना-जाँच की गई थी। देखे गए महत्वपूर्ण प्रसंग अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

\* जिला फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत। भौगोलिक क्षेत्रों, प्रशासनिक इकाईयों तथा व्यय के संदर्भ में इन्हें प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन बनाने के लिए प्रति चार मण्डलों में से एक जिले का चयन किया गया था।

### 3.5.4. निधिपोषण ढाँचा

कार्यक्रम, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं (राज्य सरकार द्वारा निधिपोषित) को पूरक पोषाहार प्रदान करने तथा स्टॉफ वेतनों जैसे प्रशासनिक व्यय (भारत सरकार द्वारा निधिपोषित) जैसी दो-उप स्कीमों के अधीन निधिपोषित किया गया था। पूरक पोषाहार को छोड़कर, जिसके लिए राज्य सरकार ने निधियां प्रदान की थी, सभी निवेशों के लिए स्कीम का निधिपोषण शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यूनिसेफ ने सभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए नकद से अन्य रूप में अनावर्ती सहायता प्रदान की थी तथा प्रशिक्षण/स्लाइडज, स्वास्थ्य कार्डों के लिए कागज़ की लागत की प्रतिपूर्ति भी की थी।

### 3.5.5. बजट प्रावधान तथा व्यय

1992-93 से 1998-99 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार था:

वर्ष	व्यय (रूपए करोड़ों में)	
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र
1992-93	5.46	19.66
1993-94	8.47	22.70
1994-95	8.32	25.83
1995-96	9.42	30.05
1996-97	18.84	25.65
1997-98	22.76	21.66
1998-99	28.18	25.51
	101.45	171.06

#### (i) पूरक पोषाहार पर व्यय

1992-99 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत 272.51 करोड़ रूपए के कुल व्यय में से, 133.41 करोड़ रूपए (49 प्रतिशत) महिलाओं/बच्चों को पोषाहार प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए थे तथा 139.10 करोड़ रूपए वेतनों तथा अन्य व्यय पर खर्च किए गए थे। इस अवधि के दौरान, स्टॉफ के वेतनों, आकस्मिकताओं इत्यादि पर व्यय 221 प्रतिशत तक बढ़ गया था (1992-93 में 9.99 करोड़ रूपए से 1998-99 में 32 करोड़ रूपए)। तथापि, पोषाहार पर व्यय केवल 43 प्रतिशत तक बढ़ा था (1992-93 में 15.13 करोड़ रूपए से 1998-99 में 21.67 करोड़ रूपए)।

(ii) अनुदानों की अनुपयोज्यता

निम्नलिखित तालिका इंगित अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्मुक्त निधियों तथा उनकी उपयोज्यता को प्रदर्शित करती है:

क्रमांक	वर्ष	अनुदान की राशि (रूपए लाखों में)	उद्देश्य	अव्ययित शेष (रूपए लाखों में)	टिप्पणियाँ
1.	1992-93	12.86	बर्तनों का क्रय	0.95	अप्रैल 1998 में राज्य प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कराया
2.	1996-97	18.01	स्कूल-पूर्व सामग्री का क्रय	18.01	उपभोग नहीं किया गया
3.	1997-98	6.50	गुड़गांव में पंजीरी संयंत्र का प्रतिष्ठापन	6.50	सम
4.	1998-99	2.00	सम	2.00	सम
	कुल	39.37		27.46	

मार्च 1999 को 26.51 लाख रूपए के अव्ययित शेष का जहाँ तक सम्बन्ध है, लेखा अधिकारी, महिला तथा बाल विकास विभाग ने बताया (मई 1999) कि 1999-2000 के दौरान 18.01 लाख रूपए के मूल्य की स्कूल-पूर्व सामग्री के क्रय के लिए व्यय करने हेतु संस्वीकृति राज्य सरकार से प्रतीक्षित थी। गुड़गांव स्थित गेहूँ आधारित पंजीरी संयंत्र की स्थापना हेतु 1997-99 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 8.50 लाख रूपए के एक अन्य अनुदान के लिए, विभाग ने सूचित किया (मई 1999) कि पंजीरी संयंत्र निधियों की अपर्याप्तता के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका क्योंकि मात्र 8.50 लाख रूपए संयंत्र की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

3.5.6. स.बा.वि.से. प्रोजेक्ट्स के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

प्रोजेक्ट्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 111 खण्ड तथा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपडियों के 5 समूह आवृत्त कर लिए थे। 1992-93 से 1998-99 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रों तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत संस्वीकृत तथा वास्तव में स्थापित किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रोजेक्ट्स		वर्ष तक संस्वीकृत कुल प्रोजेक्ट्स की संख्या		वास्तव में स्थापित प्रोजेक्ट्स	
	केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य
31 मार्च 1992 को	1	-	48	44	48	44
1992-93	4	4	52	48	52	48
1993-94	4	4	56	52	56	52
1994-95	-	-	56	52	56	52
1995-96	2	1	58	53	58	53
1996-97	53 (परिवर्तित) 5 (नए संस्वीकृत)	-	116	--	116	--
1997-98			116	-	116	-
1998-99			116		116	

### 3.5.7. लाभग्राहियों को चिन्हित करना तथा आवृत्ति

(क) स.बा.वि.से. के तीन मुख्य घटक थे अर्थात् पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा। महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हित तथा आवृत्त किए गए लाभग्राहियों की संख्या इन घटकों के अन्तर्गत 1992-93 से 1998-99 के दौरान निम्नानुसार थी:

वर्ष	घटक					
	पूरक पोषाहार		प्रतिरक्षण		अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा	
	चिन्हित	आवृत्त	चिन्हित	आवृत्त	चिन्हित	आवृत्त
	(लाभग्राहियों की संख्या लाखों में)					
1992-93	11.60	8.21	-	3.83	4.52	3.29
1993-94	12.74	8.73	-	3.29	4.79	3.39
1994-95	13.30	10.04	-	4.92	4.86	3.90
1995-96	14.76	11.59	-	5.29	5.57	4.34
1996-97	15.50	11.62	-	6.41	5.95	5.00
1997-98	15.99	12.13	-	7.75	6.27	5.68
1998-99	16.45	12.06	-	-	6.76	5.18

मू.मो.म. के अन्तर्गत, 1992-93 से 1998-99 के दौरान आवृत्ति हेतु चिन्हित 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताएं किसी भी वर्ष में पूर्णतया आवृत्त नहीं की गई थी तथा कमी 21 तथा 31 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

1992-99 के दौरान चिन्हित महिलाओं/बच्चों में से 21 से 31 प्रतिशत को पूरक पोषाहार प्रदान नहीं किया गया था।

प्रतिरक्षण हेतु चिन्हित महिलाओं तथा बच्चों की कुल संख्या विभाग द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी। पारिणामस्वरूप आवृत्ति की मात्रा स्तथापित नहीं की जा सकी।

3 तथा 6 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों में वाञ्छित मनोवृत्ति, मूल्य तथा व्यवहार आदर्श विकसित करना तथा उन्हें पर्यावरणीय प्रेरणा देना अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा का लक्ष्य था जिस हेतु बच्चों का आँगनवाड़ियों में नामनिवेश करना था। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 1992-93 से 1998-99 के दौरान इस घटक के अन्तर्गत कमी 9 से 29 प्रतिशत तक थी।

उपर्युक्त चर्चित घटकों के अन्तर्गत कमी के लिए कारण निदेशक द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (जून 1999)। तथापि, नमूना-जांच किए गए 4 जिलों की 3,030 आँगनवाड़ियों में लेखापरीक्षा विश्लेषण ने 1992-99 के दौरान आवृत्ति में 14 से 22 प्रतिशत के बीच कमी प्रकट की।



(ख) 1992-93 से 1998-99 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत चिन्हित तथा आवृत्त लाभग्राहियों के वर्ग निम्नानुसार थे:

(संख्या लाखों में)

लाभग्राहियों का वर्ग	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.
आसन्नप्रसवा / स्तन्यपायिका माताएं	2.44	1.74	2.56	1.74	2.73	2.07	2.92	2.25	3.04	2.23	3.13	2.33	3.08	2.27
2. अन्य महिलाएं 15-45 वर्ष	-	1.62	-	1.83	-	1.76	-	2.21	-	2.10	-	2.02	-	2.32

विभाग ने स्कीम के अन्तर्गत आवृत्ति हेतु "15-45 वर्ष के आयु समूह में अन्य महिलाओं" की संख्या चिन्हित नहीं की।

विभाग ने स्कीम के अन्तर्गत आवृत्ति हेतु "15-45 वर्ष के आयु समूह में अन्य महिलाओं" की संख्या चिन्हित नहीं की तथा इस प्रकार आवृत्ति में कमी, यदि कोई थी, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। आसन्नप्रसवा तथा स्तन्यपायिका माताओं की आवृत्ति में 1992-93 से 1998-99 के दौरान 23 से 32 प्रतिशत की कमी थी, तथा विशेषतया 1994-95 से 1998-99 के दौरान आवृत्ति 2.07 लाख से 2.33 लाख के बीच की श्रृंखला में लगभग स्थिर रही।

(संख्या लाखों में)

लाभग्राहियों का वर्ग	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.	चि.	आ.
बच्चे														
(क) एक वर्ष से कम	1.26	0.86	1.49	1.08	1.57	1.20	1.80	1.50	1.82	1.33	1.72	1.29	1.76	1.28
(ख) एक से तीन वर्ष	3.38	2.31	3.74	2.54	3.97	2.89	4.44	3.37	4.65	3.29	4.83	3.42	4.85	3.33
(सब) तीन से छ: वर्ष	4.52	3.30	4.95	3.37	5.03	3.88	5.60	4.47	5.99	4.77	6.31	5.09	6.76	5.18

1992-93 से 1998-99 के दौरान एक वर्ष से कम, 1 से 3 वर्ष तथा 3 से 6 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की आवृत्ति में कमी क्रमशः 17 से 32 प्रतिशत, 24 से 32 प्रतिशत तथा 19 से 32 प्रतिशत तक श्रृंखलित थी। यद्यपि आँगनवाड़ियों की संख्या 1992-93 में 9,705 से बढ़कर 1998-99 में 13,536 हो गई थी, एक वर्ष से कम के आयु समूह में बच्चों की आवृत्ति 1995-96 में 1.50 लाख से घट कर 1998-99 में 1.28 लाख रह गई थी तथा 1 से 3 वर्ष के आयु समूह में कमी 1995-96 में 3.37 लाख से घट कर 1998-99 में 3.33 लाख रह गई थी।

6 वर्ष तक की आयु के कुल ग्रामीण बच्चों की जनसंख्या में से वास्तविक आवृत्ति 3.4 प्रतिशत तक रही।

विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र न था कि 0-6 वर्ष के आयु समूह में सभी पात्र बच्चों, 15-45 वर्ष के आयु समूह में महिलाओं तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को आवृत्ति हेतु चिन्हित किया गया था। हरियाणा में 1998-99 के अन्त पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 0-6 वर्ष के आयु समूह में 28.71 लाख बच्चे थे (1991 की जनगणना के आँकड़े जमा बच्चों के लिए प्रति वर्ष 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के आधार पर अगले 7 वर्षों हेतु परिकल्पित जनसंख्या) जिसके विरुद्ध आवृत्ति मात्र 9.79 लाख (34 प्रतिशत) थी। अतः, विभाग के रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि 66 प्रतिशत बच्चे जो रह गए थे उनमें से कितने स्कीम के अन्तर्गत आवृत्ति हेतु पात्र थे।

\* चि: चिन्हित  
\*\* आ: आवृत्त

### 3.5.8. पूरक पोषाहार

#### खाद्य मदों की वितरण प्रणाली

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सोयाबीन, बिस्कुट, पंजीरी इत्यादि जैसी खाद्य मदों की आपूर्ति हेतु (निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा की दर अनुबन्ध सूची पर आधारित) फर्मों को राज्य में जिला स्तर पर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों को सामग्री प्रेषित करने के लिए अनुदेशों सहित आपूर्ति के लिए आदेश देती है। कार्यक्रम अधिकारी, पर्यवेक्षकों के माध्यम से आँगनवाड़ियों को आगे सुपुर्दगी के लिए स.बा.वि.से प्रोजेक्ट्स के प्रभारी बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारियों को खाद्य मदें जारी करते हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता आँगनवाड़ियों में बच्चों तथा आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को खाद्य मदें वितरित करते हैं। पोषाहार के वितरण में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई थी।

बच्चों/आसन्नप्रसवा माताओं को वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार प्रदान करने की आवश्यकता नमूना-जाँच किए गए जिलों में 13 से 64 दिनों तक कम पड़ गई थी।

(क) पूरक पोषाहार में 300 कैलोरीज़ तथा 10 ग्राम प्रोटीनज़ प्रति बच्चा प्रति दिन, 500 कैलोरीज़ तथा 15-20 ग्राम प्रोटीनज़ प्रति आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माता प्रतिदिन तथा 600 कैलोरीज़ एवं 20 ग्राम प्रोटीनज़ प्रति अति कुपोषित बच्चा, प्रतिदिन की दर पर वर्ष में 300 दिनों के लिए दिए जाने अपेक्षित थे। स्कीम में यह भी विचार किया गया था कि अयोग्यकर खाद्य (अति पोषणिक, पुलवेराईज्ड रूप में तैयार खाद्य) अति कुपोषित बच्चे विशेषतया जो 3 वर्ष की आयु से नीचे थे, उन्हें दिया जाना चाहिए। यद्यपि पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए 133.41 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे, विभाग के पास बच्चों तथा महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधारों को आँकने के लिए, यदि कोई हुए थे, कोई तन्त्र नहीं था।

नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों के 25 खण्डों में, बा.वि.प्र.अ. ने सर्वेक्षण रिपोर्ट्स इत्यादि जैसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।

1992-99 के दौरान बच्चों/आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार प्रदान करने की आवश्यकता के विरुद्ध, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, फरीदाबाद तथा सिरसा जिलों में क्रमशः 236 से 283 दिनों, 251 से 287 दिनों, 255 से 275 दिनों तथा 249 से 274 दिनों के लिए पूरक पोषाहार वितरित किया गया था। वर्ष-वार विवरण जहाँ आपूर्ति मापदण्डों से अत्यधिक कम थी परिशिष्ट XXIII में इंगित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिपृच्छा के उत्तर में, विभाग ने बताया (मई 1999) कि 52 रविवारों तथा 28 राजपत्रित अवकाशों को ध्यान में रखते हुए, 285 दिनों का आँकड़ा परिकल्पित किया गया है तथा इस प्रकार 281 से 290 दिनों की उपलब्धि संतोषजनक थी। इस तथ्य के अलावा कि नमूना-जाँच किए गए जिलों में बहुधा वर्षों में पोषाहार की आपूर्ति 281-290 दिनों से बहुत कम थी, स्कीम के अन्तर्गत आधारभूत आवश्यकता वर्ष में 300 दिनों के लिए पोषाहार प्रदान करने की थी तथा इस प्रकार, बा.वि.प्र.अ. के लिए इसे सुनिश्चित करना आवश्यक था। अतः, उत्तर तर्क संगत नहीं था।

(ख) बादविन गांव (सिरसा खण्ड) की 2 आँगनवाड़ियों में, सितम्बर 1992 से जनवरी 1993 तथा अगस्त 1993 से अक्टूबर 1993 के दौरान पूरक पोषाहार प्रदान नहीं किया गया था।

(ग) निदेशक ने गेहूँ पक (मीठे तथा कोको) सोयाबीन बीज (मीठे तथा नमकीन), पंजीरी (गेहूँ की बनी) इत्यादि जैसी पौषणिक मदों की मात्राओं के वितरण हेतु सभी कार्यक्रम

पौषणिक खाद्य मदों का कैलोरीफिक मूल्य तथा प्रोटीन माप दण्डों से कम था। पूरक पोषाहार का वितरण न करना

अधिकारियों/बा.वि.प्रो.अ. को अनुदेश जारी किए थे जिसमें प्रति बच्चे/महिला को दी जाने वाली मात्राएं इंगित की गई थी। लाभग्राहियों को इस प्रकार वितरित पूरक पोषाहार के प्रोटीन/कैलोरिफिक मूल्य निर्धारित मापदण्डों से बहुत कम थे। राज्य में सभी आँगनवाड़ियों द्वारा बच्चों को वितरित पूरक पोषाहार का प्रोटीन तथा कैलोरिफिक मूल्य प्रति बच्चा 5.74 से 10.53 प्रोटीन एवं 164 से 225 कैलोरीज (10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरीज के मापदण्डों के विपरीत) तथा प्रति आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को 7.78 से 13.72 ग्राम प्रोटीन एवं 219 से 293 कैलोरीज (15 से 20 ग्राम प्रोटीन तथा 600 कैलोरीज के विरुद्ध) परिकल्पित की गई थी। निदेशक ने बताया (मई 1999) कि पोषाहार भारत सरकार द्वारा नियत की गई लागत आधार पर प्रदान किया गया था जो कि प्रति बच्चा 95 पैसे प्रतिदिन था प्रति आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं के लिए 115 पैसे था तथा पोषाहार के मूल्यों में वृद्धि के कारण पूर्ण पोषाहार मूल्य प्रदान नहीं किया जा सका। जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन प्रति लाभग्राही 1.15 रूपए की लागत सीमा नियत करने के निर्देशों में अन्तर्विरोधाभास था जो कि लाभग्राहियों की पौषणिक स्थिति के उत्थान हेतु स्कीम के एक मौलिक उद्देश्य अर्थात् प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को निर्धारित 300/600 कैलोरीज तथा 10-20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अतः भारत सरकार द्वारा लागत मापदण्डों की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

प्रयोगशाला परीक्षण के बिना पोषाहार का वितरण।

(घ) पूरक पोषाहार के रूप में दी जाने वाली खाद्य की प्रत्येक मर्द, उसमें प्रोटीनज एवं कैलोरिफिक मूल्य को स्पष्ट करते हुए इसके पोषाहार को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य/प्राधिकृत प्रयोगशाला से परीक्षित करवायी आवश्यक थी।

फरीदाबाद जिले में, 5.57 लाख रूपए के बिस्कुट तथा भुज्जी 1992-94 के दौरान डी डब्ल्यू सी आर.ए समूह से क्रय किए गए थे जिनका पोषाहार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इन्हें प्रयोगशाला से परीक्षित करवाए बिना लाभग्राहियों को वितरित किया गया था। कार्यक्रम अधिकारी, फरीदाबाद ने बताया (अप्रैल 1999) कि प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अनुदेश निदेशक से प्राप्त नहीं हुए थे। मामला निदेशालय कार्यालय को उनका प्रत्युत्तर जानने के लिए संदर्भित किया गया था (मई 1999) जिसने उत्तर दिया (मई 1999) कि खाद्य मर्दों का प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के लिए क्षेत्रों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

अति कुपोषित बच्चों को अरोग्यकर खाद्य प्रदान नहीं किया गया था।

(ड.) स्कीम में यह प्रावधान किया गया था कि अति कुपोषित बच्चों, खास कर 3 वर्ष की आयु से कम आयु वाले बच्चे जो स्वास्थ्य सम्बन्धित जाँच करवाने पर तीसरी तथा चौथी डिग्री के कु-पोषण से प्रभावित पाए गए थे उन्हें प्रति बच्चा प्रति दिन निर्धारित 20 ग्राम प्रोटीन तथा 600 कैलोरीज से युक्त पूरक पोषाहार के सुनिश्चितकरण हेतु अरोग्यकर खाद्य (अति पौषणिक पुलवेराईज्ड रूप में बना-बनाया) प्रदान किया जाए। ऐसा खाद्य चिकित्सक की अनुशंसा पर आधारित किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि 1992-93 से 1998-99 के दौरान 2,398 तथा 15,242 के बीच की संख्या के कुपोषित बच्चों को अरोग्यकर खाद्य की आपूर्ति नहीं की गई थी। इसकी अपेक्षा, विभाग ने ऐसे बच्चों को सामान्य पौषणिक भोजन की दुगुनी मात्रा प्रदान की। तथापि, इसने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की क्योंकि दुगुना सामान्य आहार स्कीम में निर्धारित 600 कैलोरीज के विरुद्ध प्रति व्यक्ति प्रति दिन (जैसे कि ऊपर अनुच्छेद (ग) में वर्णित किया गया है) केवल 328 से 450 कैलोरीज ही प्रदान कर सकता था।

### 3.5.9. प्रतिरक्षण

राज्य में 1994-99 के दौरान बच्चों के प्रतिरक्षण में कमी, खसरे/बी.सी.जी. हेतु 21 प्रतिशत, डी.पी.टी/पोलियो हेतु 10 प्रतिशत जबकि आसन्नप्रसवा माताओं के लिए टी.टी. हेतु कमी 28 प्रतिशत थी।

स.बा.वि.से. स्कीम के अन्तर्गत, सभी शिशुओं तथा आसन्नप्रसवा महिलाओं का प्रतिरक्षण निर्धारित अनुसूची के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा स्टाफ द्वारा किया जाना था। इस उद्देश्य हेतु आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सभी प्रतिरक्षित किए जाने अपेक्षित 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों तथा आसन्नप्रसवा महिलाओं की सूचियां तैयार करनी थी तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के समन्वय के साथ, अनुसूची के अनुसार उनका प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना था।

गत पाँच वर्षों के दौरान नियत किये गए लक्ष्यों के विरुद्ध औसतन बच्चों का प्रतिरक्षण राज्य में 1994-99 के दौरान खसरे के लिए 79 प्रतिशत, डी.पी.टी. तथा पोलियो प्रत्येक के लिए 90 प्रतिशत तथा आसन्नप्रसवा माताओं के मामले में टीटनस टॉक्साईड के लिए प्रतिरक्षण 72 प्रतिशत था।

नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों में, 1992-93 से 1998-99 के दौरान बच्चों के लिए प्रतिरक्षण में कमी, बी सी जी में 3 से 21 प्रतिशत, डी.पी.टी में 5 से 25 प्रतिशत, पोलियो में 4 से 25 प्रतिशत तथा खसरे में 8 से 33 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। टी टी के लिए आसन्नप्रसवा महिलाओं में, उसी अवधि के दौरान 17 से 44 प्रतिशत के बीच कमी थी। उन लाभग्राहियों के विवरण खण्डों द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे जिन्हें सभी तांगों खुराकें अर्थात् डी.पी.टी, पोलियो, डी.टी एवं टी.टी. तथा एक खुराक (खसरा तथा बी.सी.जी.) प्रदान की गई थी।

### 3.5.10. स्वास्थ्य सम्बन्धित जाँच तथा संदर्भीय सेवाएं

स.बा.वि.से के पैकेज में (i) असन्नप्रसवा माताओं की प्रसव-पूर्व अवेक्षा, (ii) प्रसव-उपरान्त स्तन्यपायिका माताओं की अवेक्षा तथा नवजात शिशुओं की अवेक्षा, (iii) 6 वर्ष तक की आयु से कम आयु वाले बच्चों की अवेक्षा जैसी संदर्भीय सेवाएं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित जाँच शामिल थी। इन सेवाओं के रिकार्ड, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्सों तथा दाईयों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्डों में अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित थे। ये कार्ड आँगनवाड़ी केन्द्रों को निदेशालय द्वारा आपूरित किए जाने थे तथा इनकी लागत की प्रतिपूर्ति यूनिसेफ से करवाई जानी थी।

नमूना-जाँच किए गए जिलों में, 1992-99 के दौरान किसी भी आँगनवाड़ी केन्द्र में निर्धारित स्वास्थ्य कार्ड अनुरक्षित नहीं किए गए थे क्योंकि खाली कार्ड निदेशालय, स.बा.वि द्वारा आपूरित नहीं किए गए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.) को संदर्भित किए जाने अपेक्षित अथवा वास्तव में संदर्भित किए गए प्रकरणों के विवरण आँगनवाड़ियों में अनुरक्षित नहीं किए गए थे जिसकी अनुपस्थिति में बच्चों, आसन्नप्रसवा माताओं के लिए प्रसव-पूर्व अवेक्षा, स्तन्यपायिका माताओं के लिए प्रसव-उपरान्त अवेक्षा इत्यादि की स्वास्थ्य सम्बन्धित जाँच हेतु दी गई सेवाओं की मात्रा रिकार्ड में नहीं थी। आगे, यद्यपि बच्चों का वजन लिया गया था परन्तु कद मापने के औजार की अनुपलब्धता के कारण कद नहीं मापा गया था। कार्डों की अनुपस्थिति में, स्वास्थ्य अवेक्षा सेवाओं की यथार्थता सत्यापनीय नहीं थी। स्पष्टतया, निदेशक इन सेवाओं की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था क्योंकि आँगनवाड़ियों को स्वास्थ्य कार्डों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में वह असफल रहा था। निदेशक, स.बा.वि. ने उत्तर दिया (सितम्बर 1999) कि यद्यपि आँगनवाड़ियों को स्वास्थ्य कार्ड

1992-99 के दौरान आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य जाँच तथा संदर्भीय प्रकरणों को इंगित करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड किसी भी आँगनवाड़ी द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे।



नहीं दिए गए थे परन्तु जहाँ कहीं आवश्यक था लाभग्राही प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. को संदर्भित किए गए थे। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि संदर्भित प्रकरणों का कोई रिकार्ड नहीं था। अपिच, स्वास्थ्य कार्डों की अनुपस्थिति में, प्रसव-पूर्व/उपरान्त प्रकरणों के विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

### 3.5.11 बाल मृत्यु दर (बाल.म.द.)

भारत सरकार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत सूचना के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के समूह में मृत्यु ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ स.बा.वि.से. स्कीम ने अधिकतम आवृत्ति अर्थात् शहरी क्षेत्रों के केवल 5 खण्डों/प्रभावित क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 111 खण्डों) में वर्ष 1993 में 21.1 प्रति हजार थी जो कि शहरी क्षेत्रों में 17 प्रति हजार से बहुत ज्यादा थी। क्योंकि 1994 से आगे की अवधि हेतु बाल मृत्यु दर उपलब्ध नहीं थी, कार्यक्रम का प्रभाव आँका नहीं जा सकता था।

### 3.5.12. विटामिन-ए घोल की आपूर्ति

विटामिन-ए की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन के बचाव के लिए राष्ट्रीय प्रोफाईलेक्सिस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रति छमाही शिशुओं को स.बा.वि.से. स्कीम के अन्तर्गत 1,00,000 इन्टरनेशनल यूनिट (आई.यू.) की दर पर तथा 1 से 5 वर्ष की आयु समूह में बच्चों को 2,00,000 आई.यू. का विटामिन-ए घोल दिया जाना था।

नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों में से 3\* में, 1992-99 के दौरान आँगनवाड़ी केन्द्रों में विटामिन-ए घोल के वितरण सम्बन्धित कोई आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए गए थे। आगे, बा.वि. प्रो.अ. सिरसा खण्ड ने, 1992-99 के दौरान विटामिन-ए घोल देने के लिए पात्र बच्चों की संख्या अनुरक्षित नहीं की थी। अतः विटामिन-ए घोल के वितरण का कोई प्रमाण मौजूद नहीं था।

### 3.5.13. औषधि-पेटिकाओं की आपूर्ति

नमूना-जाँच किए गए जिलों में, 1994-95 के दौरान 2,759 आँगनवाड़ियों में से 2,222 को तथा 1998-99 में 3,030 में से किसी को भी औषधि पेटिकाएं आपूर्ति नहीं की गई थी। अन्य वर्षों में, ऐसी औषधि पेटिकाओं की आपूर्ति में 1 से 11 महीनों की देरी थी।

1992-99 के दौरान राज्य में आँगनवाड़ियों की संख्या 9,705 (1992-93 में) तथा 13,536 (1998-99 में) के बीच विचलित थी। राज्य में उन आँगनवाड़ियों की संख्या जिनमें औषधि पेटिकाएं बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं की गई थी अथवा बड़ी देरी के बाद आपूर्ति की गई थी निदेशक द्वारा अनुरक्षित नहीं की गई थी। नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों में, निदेशक ने 1994-95 के दौरान 2,222 आँगनवाड़ियों (2759 में से) को तथा 1998-99 के दौरान 3,030 आँगनवाड़ियों में से किसी को भी औषधि पेटिकाएं आपूर्ति नहीं की थी। अतः, औषधि पेटिकाओं की अनापूर्ति ने बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा से नकार दिया। अन्य वर्षों में, 62 तथा 942 आँगनवाड़ियों को एक से 11 महीनों के बीच श्रृंखलित देरी के पश्चात् औषधि

\* फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत

पेटिकाओं की आपूर्ति की गई थी। औषधि पेटिकाओं की अनापूर्ति/विलम्बित आपूर्ति ने स्वास्थ्य सम्बन्धित जांच को प्रभावित किया। सम्बन्धित बा.वि.प्र.अ. ने बताया (दिसम्बर 1998) कि औषधि पेटिकाओं की आवश्यकता, जहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थी, आन्तरिक प्रबन्धों के माध्यम से पूरी की गई थी। तथापि, आन्तरिक प्रबन्धों के माध्यम से आवश्यकताएं पूरी करने सम्बन्धित कुछ भी अभिलिखित नहीं था।

### 3.5.14. नलकों तथा सफाई खण्डों की कमी

राज्य सरकार ने प्रत्येक आँगनवाड़ी को एक नलका तथा सफाई खण्ड प्रदान करना था। राज्य में 13,536 आँगनवाड़ियों में से 10,241 आँगनवाड़ियों को नलके प्रदान नहीं किए गए थे (76 प्रतिशत) तथा पानी का प्रबन्ध कुओं/अन्य स्रोतों से किया जा रहा था। विभिन्न आँगनवाड़ियों में 60 नलके खराब पड़े थे तथा पानी की व्यवस्था आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घड़ों/बाल्टियों द्वारा नजदीकी स्थानों से पानी लाकर की जा रही थी। उपर्युक्त में से, 33 नलके सोनीपत जिले में तथा 7 नलके करनाल जिले में पिछले 2 वर्षों से खराब पड़े थे। इन नलकों को ठीक करवाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए थे। केवल 145 आँगनवाड़ियों (एक प्रतिशत) में सफाई खण्ड निर्मित किए गए थे। कमी के लिए कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों में, 3,030 आँगनवाड़ियों में से, 2,458 केन्द्र पक्के मकानों में कार्य कर रहे थे परन्तु नलके की सुविधा 437 आँगनवाड़ियों में उपलब्ध थी तथा शौचालय सुविधाएं केवल 70 आँगनवाड़ियों में उपलब्ध थी।

राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान (रा.सा.स.बा.वि.सं.), नई दिल्ली ने 1990-92 के दौरान एक राष्ट्रीय मूल्यांकन अध्ययन किया जिसने हरियाणा राज्य से पुन्हाणा (गुडगांव जिला), कथुरा (सोनीपत जिला) तथा रोहतक नामक 3 खण्ड आवृत्त किए। रा.सा.स. बा.वि.सं. द्वारा अपनी रिपोर्ट में चयनित नमूना आँगनवाड़ियों में से 80 प्रतिशत से अधिक में नलकों, टुण्टियों तथा सफाई/शौचालय सुविधाओं की कमी इंगित की गई थी। तथापि, यह कमियाँ, जैसा कि ऊपर चर्चित किया गया है, अभी बर्करार थी। राज्य सरकार 7 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी बहुधा आँगनवाड़ियों में ये आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में असफल रही।

### 3.5.15. अनौपचारिक स्कूल - पूर्व शिक्षा

#### आँगनवाड़ियों में बच्चों का नामनिवेश तथा उपस्थिति

स.बा.वि.से स्कीम के अन्तर्गत, 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा आँगनवाड़ियों के माध्यम से दी जानी थी ताकि उनमें वाञ्छित आचार-विहार, मूल्य तथा आदतों के आदर्श विकसित किए जा सकें। प्रत्येक आँगनवाड़ी ने लगभग 40 बच्चे दाखिल करने थे तथा उन्हें भावनात्मक तथा मानसिक रूप से तैयार करके समय अवसान में आँगनवाड़ी से स्कूलों में बच्चों के स्थानान्तरण का प्रबन्ध करने के लिए प्राथमिक स्कूलों के साथ ताल-मेल करना था। राज्य में नामनिवेश हेतु पात्र बच्चों से सम्बन्धित सूचना निदेशक द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी।

— जाँच किए गए  
— में, अनौपचारिक स्कूल  
— क्षा की पूर्णता के  
— प्राथमिक स्कूलों में  
— नेने वाले बच्चों के  
— में आँगनवाड़ियों ने  
— काई नहीं रखा था।

निदेशालय के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया (जून 1999) कि ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि यह भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट्स में निर्धारित नहीं की गई थी। तथापि, राज्य में आँगनवाड़ियों में बच्चों का वास्तविक नामनिवेश तथा उपस्थिति निम्नानुसार थी।

वर्ष	वास्तविक नामनिवेश	उपस्थिति (प्रतिशतता)
	(संख्या लाखों में)	
1992-93	4.52	3.29 (73)
1993-94	4.79	3.39 (71)
1994-95	4.86	3.90 (80)
1995-96	5.57	4.34 (78)
1996-97	5.95	5.00 (84)
1997-98	6.27	5.68 (91)
1998-99	6.76	5.83 (86)

यह देखा गया कि 1992-93 से 1998-99 के दौरान राज्य में आँगनवाड़ियों में प्रविष्ट बच्चों की उपस्थिति 71 से 91 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

नमूना-जाँच किए गए चार जिलों में, 1992-99 के दौरान प्रविष्ट बच्चों की उपस्थिति 78 तथा 86 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा के चरण के समापन के पश्चात् प्राथमिक स्कूलों (श्रेणी-1) में वास्तव में प्रवेश लेने वाले बच्चों से सम्बन्धित कोई रिकार्ड आँगनवाड़ियों के पास नहीं था जिसकी अनुपस्थिति में, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की उपलब्धता की मात्रा सत्यापनीय नहीं थी। बा.वि.प्र.अ. ने बच्चों की कम उपस्थिति इस तथ्य को आरोपित की (मई 1999) कि बहुधा बच्चे अस्थायी/प्रवासी जनसंख्या से थे जिन्होंने आम तौर पर कुछ अवधि के पश्चात् उनके माता-पिता द्वारा व्यवसाय परिवर्तित करने इत्यादि के कारण स्कूल छोड़ दिया था।

### 3.5.16. पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा

15-45 वर्ष की आयु समूह में सभी महिलाओं को पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार, विशेष अभियान, घर-घर जाने इत्यादि के माध्यम से दिया जाना था तथा आसन्नप्रसवा एवं स्तनपानिका माताओं को प्राथमिकता दी जानी थी।

नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों के 25 खण्डों में महिलाओं के लिए पौषणिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु प्रचार नहीं किया गया था।

नमूना-जाँच किए गए 4 जिलों के 25 खण्डों में अभिलेखों की जाँच-पड़ताल ने प्रकट किया कि किसी भी खण्ड में कोई प्रचार नहीं किया गया था। कुरूक्षेत्र तथा सोनीपत जिलों में 1992-99 के दौरान कभी भी फिल्म/स्लाईड प्रदर्शन आयोजित नहीं किया गया था। फरीदाबाद जिले में, कुल 6 खण्डों में से 4 खण्डों में तथा सिरसा जिले में, कुल 7 खण्डों में से 4 खण्डों में फिल्म/स्लाईड प्रदर्शन आयोजित नहीं किए गए थे। नमूना-जाँच किए गए सभी 4 जिलों में भोजन पकाने तथा पोषाहार खिलाने के प्रदर्शन 1992-93 से 1998-99 के दौरान 180 से 220 के बीच श्रृंखलित थे। आगे, म.बा.वि./रा.सा.स.बा.वि.स. विभाग से कोई फिल्म/स्लाईडस प्राप्त नहीं हुई थी। फिल्म प्रदर्शन/ घर-घर जाने के लिए विभाग द्वारा कोई मापदण्ड नियत नहीं किए गए थे।

### 3.5.17. सूचना, शिक्षा तथा संचारण

संचारण/शिक्षा गतिविधियों के लिए 1992-99 के दौरान यूनिसेफ से प्राप्त 81 प्रोजेक्टर्स में से, 78 बेकार पड़े थे क्योंकि उनका उपयोग करने के लिए फिल्मों/स्लाइड्स प्राप्त नहीं हुई थी।

समाज कल्याण मन्त्रालय के निर्णय के अनुसार (मार्च 1984), 5000 रूपए प्रति वर्ष प्रति प्रोजेक्ट, स.बा.वि.से. स्कीम के सदेश के संचारण के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचारण गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने थे।

1992-99 के दौरान यूनिसेफ से प्राप्त 81 प्रोजेक्टर्स में से, 3 प्रोजेक्टर्स आशिकतः उपयोग किए गए थे तथा शेष 78 प्रोजेक्टर्स बेकार पड़े थे क्योंकि फिल्मों/स्लाइड्स प्राप्त नहीं हुई थी।

इसी प्रकार राज्य में 19 जिलों में से 8 जिलों में 910 रेडियो सैटस बेकार पड़े थे अथवा खराब पड़े थे।

1992-99 के दौरान 22 से 31 तक श्रृंखलित स्लाइड प्रदर्शन तथा 1993-94 के दौरान 10 प्रदर्शन, गन्नौर खण्ड (सोनीपत जिला) तथा होड़ल खण्ड (फरीदाबाद जिला) में आयोजित किए गए थे तथा सोनीपत एवं फरीदाबाद जिलों के शेष खण्डों में कोई प्रदर्शन/गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी। लोक लेखा समिति ने अपनी 36 वीं रिपोर्ट के द्वारा (मार्च 1993) अनुशंसा की थी कि भविष्य में मशीनरी/उपस्कर की उचित उपयोज्यता की जानी चाहिए। तथापि, इन अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा कोई अमल नहीं किया गया था क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेक्टर्स, रेडियों सैटस बेकार/खराब पड़े थे।

### 3.5.18. स.बा.वि.से. कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास

1993-99 के दौरान 9,600 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 7,000 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध 6,000 आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (63 प्रतिशत) तथा 5,178 आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (74 प्रतिशत) प्रशिक्षित किए गए थे। प्रशिक्षण में 26 से 37 प्रतिशत की कमी के लिए कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

### 3.5.19. मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन

विभाग में स्थापित एक केन्द्रीय मॉनिटरिंग कक्ष ने नियतकालिक कार्य रिपोर्ट्स संगृहीत तथा विश्लेषित करनी थी तथा प्रभावशाली कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सामयिक हस्तक्षेप करने थे। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, जितने बच्चों आसन्नप्रसवा/स्तन्यपायिका माताओं को पूरक पोषाहार तथा प्रतिरक्षण दिया गया था उनकी संख्या को इंगित करते हुए प्रति मास बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी को पर्यवेक्षकों के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित कर रहे थे ताकि बा.वि.प्रो.अ. इन रिपोर्ट्स की जाँच तथा समेकन करके आगे निदेशालय को प्रतिवेदित कर सके। परन्तु इनकी प्रतिवेदिता की शुद्धता को निदेशक द्वारा कभी भी सत्यापित नहीं किया गया था। मॉनिटरिंग कक्ष ने आँगनवाड़ियों से प्राप्त सूचना को केवल संकलित किया था तथा सभी पात्र बच्चों/महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच पड़तालें तथा प्रतिरक्षण इत्यादि को सुनिश्चित करने तथा मापदण्डों के अनुसार पूरक पोषाहार की आपूर्ति में सुधार करने के लिए



उचित उपचारात्मक उपायों के लिए ऐसी रिपोर्ट्स पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। आगे, खण्ड स्तर, जिला स्तर/राज्य स्तर पर समन्वय समितियाँ, जिन्होंने स.बा.वि.से गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए क्रमशः मासिक एवं त्रैमासिक बैठकें करनी थी, उन्होंने वर्ष में 300 दिनों के लिए पोषाहार की निम्नतम मात्राओं के वितरण, पात्र बच्चों के प्रतिरक्षण इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण तरीके से मॉनिटर नहीं किया। बा.वि.प्र.अ. ने विभिन्न गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने के लिए अपने मुख्यालयों से बाहर महीने में निर्धारित न्यूनतम 10 रात्रियों के ठहराव की दौरानगी के अनुसार आँगनवाड़ियों का निरीक्षण नहीं किया था। निदेशक, आँगनवाड़ी चरण पर स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पहलू को मॉनिटर करने में असफल रहा क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा के पश्चात् प्राथमिक स्कूलों में वास्तव में प्रवेश लेने वाले बच्चों का कोई रिकार्ड किसी भी वर्ष में नहीं रखा गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि रा.सा.स.बा.वि.सं., नई दिल्ली ने अपनी राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट 1992 (संशोधित-1997) में भी इंगित किया था कि बा.वि.प्र.अ. अपनी समर्थक एवं मार्गदर्शन सम्बन्धित भूमिका प्रभावपूर्णतया निभाने में समर्थ नहीं थे तथा उन्होंने केवल निरीक्षकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में ही कार्य किया, उनकी आँगनवाड़ी स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन/मॉनिटरिंग में भागीदारी की कमी थी।

### 3.5.20 अनुशासन

मित्तव्ययी उपाय करने के लिए प्रशासनिक व्ययों की वृद्धि के विषय में सरकार द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है। वर्ष में निर्धारित 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार प्रदान करने तथा मापदण्डों के अनुसार कैलोरिफिक मूल्य भी देने के लिए विभाग को कदम उठाने चाहिए। प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पात्र महिलाओं/बच्चों की आवृत्ति हेतु आँगनवाड़ियों/प्रोजेक्ट स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा स्टॉफ के साथ समन्वय में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आँगनवाड़ियों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य कार्डों में बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धित जाँच, चिकित्सालयों को संदर्भित प्रकरणों के उचित रिकार्ड रखे जाने चाहिए। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनौपचारिक प्राथमिक स्कूल शिक्षा-पूर्व का चरण पूर्ण करने के पश्चात् प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अथवा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए आँगनवाड़ियों द्वारा रिकार्ड रखे गए हैं ताकि आदर्श जीवन में उनके व्यवहार को विकसित करने के प्रति ऐसी शिक्षा की लाभप्रदता को मॉनिटर/आँका जा सके। राज्य में महिलाओं/बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति तथा पौषणिक मापदण्डों पर स्कीम का प्रभाव आँकने के लिए संकेतक विकसित करने की आवश्यकता है।

मामला सरकार को अगस्त 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

## तीसरा अध्याय

अनुभाग – ख  
लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1915-16

1915-16

1915-16



## अनुभाग ख

## लेखापरीक्षा अनुच्छेद

## वित्त विभाग

## कोषालय निरीक्षण

## 3.6. पेंशनरी लाभों की अधिक अदायगी

1998-99 के दौरान महालेखाकार हरियाणा (ले. एवं. ह.) द्वारा किए गए 21 जिला कोषालयों तथा उप-कोषालयों के निरीक्षण परिणामों ने प्रकट किया कि सरकार द्वारा जारी नियमों/आदेशों की अननुपालना/गलत अर्थनिर्णय करने के कारण 336 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में 22 लाख रूपए के पेंशनरी लाभों की अधिक अदायगी की गई थी। इसमें से, 299 पेंशनरों के सम्बन्ध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/परिवर्तित पेंशन की अधिक अदायगी करने के कारण 20 लाख रूपए की अधिक अदायगी की गई थी तथा 2 लाख रूपए की अधिक अदायगी 37 पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते, आन्तरिक राहत इत्यादि के कारण की गई थी। सितम्बर 1999 तक 5 लाख रूपए पेंशनरों से वसूल कर लिए गए थे।

## 3.7. व्यक्तिगत खाता लेखे

वित्तीय नियमों के अनुसार, साविधिक प्रावधानों के अधिकार से अथवा सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधिकार से लोक लेखे में डिपोजिट हेतु कोषालय में प्राप्त धन सरकार की अभिरक्षा में रखे जाते हैं। प्रकृति के अनुसार डिपोजिटस (i) राजस्व डिपोजिटस (ii) सिविल कोर्ट डिपोजिटस (iii) व्यक्तिगत डिपोजिटस (iv) शैक्षणिक संस्थानों के डिपोजिटस (v) अन्य डिपोजिटस इत्यादि के रूप में '8443-सिविल डिपोजिटस' वृहद लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। कोषालय में रखे गए लेखे, बैंक डिपोजिटस लेखाओं की प्रकृति के होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत खाता लेखाओं (व्य.खा.ले.) के नाम से जाना जाता है। 'व्यक्तिगत डिपोजिटस' लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोषालय में बैंकिंग खाता खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति केवल महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श के पश्चात् प्रदान की जाती है तथा प्राधिकारी (प्रशासन विभाग) भी इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि लेखे उचित प्रकार से रखे गए हैं तथा ये लेखापरीक्षित करवाने भी आवश्यक हैं। व्यक्तिगत डिपोजिटस के अन्तर्गत जब व्य.खा.ले., समेकित निधि को डेबिट करके खोले जाते हैं तो उन्हें समेकित निधि में सम्बन्धित सर्विस लेखा



शीर्ष को शेष का ऋणात्मक डेबिट देकर वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। ऐसे व्य.स्वा.ले., यदि आवश्यक हो, तो उसी प्रकार अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते हैं।

महालेखाकार (म.ले.) के परामर्श के बिना व्य.स्वा.ले. का खोलना।

1998-99 के दौरान, '8443-सिविल डिपोजिटस-106-व्यक्तिगत डिपोजिटस' लेखा शीर्ष के अन्तर्गत 21 कोषालयों में 269 व्य.स्वा.ले.-परिचालन में थे। इनमें से, केवल 54 व्य.स्वा.ले. ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श के साथ खोले गए थे। इस प्रकार, 215 व्य.स्वा.ले. म.ले. के परामर्श के बिना खोले गए थे। कोषाधिकारी को ऐसे व्य.स्वा.ले. को खोलने तथा परिचालन को रोकना चाहिए था। 1998-99 के दौरान म.ले. के परामर्श सहित/परामर्श बिना परिचालित व्य.स्वा.ले. के कोषालय-वार विवरण परिशिष्ट-XXIV में दिए गए हैं। 31 मार्च 1999 को, इन व्य.स्वा.ले. के विरुद्ध 74.42 करोड़ रूपए का क्रेडिट शेष उपलब्ध दर्शाया गया था। 1998-99 के दौरान इस लेखाशीर्ष के अन्तर्गत 58.89 करोड़ रूपए जमा करवाए गए थे तथा 64.63 करोड़ रूपए निकलवाए गए थे। 31 मार्च 1999 को 1.67 करोड़ रूपए के अन्त शेष वाले, चार कोषालयों\* से सम्बन्धित 'व्यक्तिगत डिपोजिटस' के अन्तर्गत 17 व्य.स्वा.ले. (61 व्य.स्वा.ले. में से) में डिपोजिटस तथा आहरणों की नमूना-जाँच की गई थी (विवरण परिशिष्ट-XXV में दिए गए हैं)। निष्कर्षों के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

**(i) व्य.स्वा.ले. को बन्द न करना**

वित्तीय नियम निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त में व्य.स्वा.ले. बन्द किए जाने चाहिए। चार कोषालयों में, 10 व्य.स्वा.ले. में से 5 जो कि राज्य की समेकित निधि को डेबिट करके खोले गए थे, वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द नहीं किए गए थे। इसके विपरीत, ये व्य.स्वा.ले. एक एवं दो वर्षों से अधिक के बीच लगातार कई वर्षों तक उनका नवीनीकरण कराए बिना आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा अग्रोषित किए जा रहे थे जैसा कि परिशिष्ट-XXVI में विवरणित किया गया है।

**(ii) व्य.स्वा.ले. में अन्तरों का मिलान न करना**

व्य.स्वा.ले. के प्रत्येक आहरण एवं सवितरण अधिकारी ने यह सुनिश्चित करना था कि उसकी पुस्तकों के अनुसार उसके व्य.स्वा.ले. में शेष कोषालय तथा म.ले.(ले.एवं ह.) के कार्यालय में रखे गए अभिलेखों में दर्शाए गए शेष से मिलता है। नमूना-जाँच किए गए 17 व्य.स्वा.ले. में यह देखा गया कि परिशिष्ट-XXVII में यथा विवरणित व्य.स्वा.ले. के 7 आहरण एवं सवितरण अधिकारियों ने जुलाई 1999 तक इन शेषों का मिलान नहीं किया था यद्यपि उन द्वारा रखे गए व्य.स्वा.ले. की कौश-बुकस में विभाग द्वारा दर्शाए गए आँकड़ों तथा कोषालय के आँकड़ों के बीच अन्तर थे। इसके अतिरिक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनीपत के व्य.स्वा.ले. की कौश बुक दिसम्बर 1998 से मार्च 1999 तक लिखी नहीं गई थी।

**(iii) आकस्मिकताओं तथा विभागीय प्राप्तियों से व्य.स्वा.ले. का अनियमित निधिपोषण**

मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोड़वेज हिसार, कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर को म.ले. के परामर्श सहित प्रशासनिक विभाग द्वारा विशेष बुकिंग तथा अन्य राज्यों के यात्री कर से सम्बन्धित लेन-देनों के

\* हिसार, कुरूक्षेत्र, सोनीपत तथा यमुनानगर।

लिए व्यव्वाले. परिचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। उन द्वारा अनुरक्षित व्यव्वाले. के सत्यापन पर निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

(क) मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, हिसार जिसने नवम्बर 1998 से व्यव्वाले. परिचालित करना प्रारम्भ किया, उसने तेज गति डीजल, टायर ट्यूबज एवं स्पेयर पार्ट्स के क्रय हेतु तथा बिजली बिलों, वाहन दुर्घटना दावों, स्टॉफ अदायगियों इत्यादि के लिए राज्य की समेकित निधि से नवम्बर 1998 तथा मार्च 1999 के बीच 2.48 करोड़ रूपए आहरित किए तथा बाद में अदायगियां करने के लिए, नियमों के उल्लंघन में ये राशियां व्यव्वाले. में रखीं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से सम्बन्धित पुराने वाहनों की नीलामी हेतु प्राप्त (मार्च 1999) 6.41 लाख रूपए की राशि भी अनधिकृत रूप से व्यव्वाले. में रखीं। इनमें से 5.56 लाख रूपए सम्बन्धित विभागों को मई 1999 तक अदा किए जा चुके थे जो कि अनियमित था। वाहनों की नीलामी करने से वसूल की गई 6.41 लाख रूपए की समस्त राशि व्यव्वाले. में जमा कराने की अपेक्षा राज्य सरकार के प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा करवाई जानी चाहिए थी।

(ख) मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर ने अड़्डा फीस, स्टोर बिलों, भाड़ा प्रभारों, लॉरी वाऊचरों, टिकटों की बिक्री/हानि, वाहन दुर्घटना दावों के प्रत्यर्पण, स्टॉफ के व्यक्तिगत दावों इत्यादि हेतु विभिन्न अभिकरणों से 59.41 लाख रूपए (कुरूक्षेत्र: 29.89 लाख रूपए तथा यमुनानगर: 29.52 लाख रूपए) प्राप्त किए जिन्हें या तो विभाग के सम्बन्धित प्राप्ति लेखाशीर्ष को क्रेडिट किया जाना चाहिए था अथवा सीधे उनको प्रदत्त करना चाहिए था जिनसे ये प्राप्तियां सम्बन्धित थी। तथापि, 1998-99 के दौरान आहरण तथा सवितरण अधिकारियों द्वारा ये राशियां '8443-सिविल डिपोजिटस-106-व्यक्तिगत डिपोजिटस' इत्यादि लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से रखी गई थीं।

**(iv) 'सिविल डिपोजिटस' के अन्तर्गत व्यव्वाले. का अनियमित परिचालन**

कार्यकारी अभियन्ता (का.अ.), पंचायती राज, हिसार ने निविदा फार्मों की बिक्री, पटवार खाने इत्यादि के निर्माण तथा मरम्मत इत्यादि हेतु प्राप्तियां '8443-सिविल डिपोजिटस-अन्य डिपोजिटस' लेखाशीर्ष के अन्तर्गत डिपोजिट कराने की अपेक्षा '8443-सिविल डिपोजिटस-106-व्यक्तिगत डिपोजिटस' लेखाशीर्ष के अन्तर्गत डिपोजिटस की परन्तु गलत वर्गीकरण को ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

ये प्रसंग सरकार को सितम्बर 1999 में संदर्भित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

मत्स्य पालन विभाग

3.8. केन्द्रीय सहायता की दुरुपयोज्यता तथा असत्य उपयोज्यता प्रमाण-पत्र जारी करना

सरकार ने केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग किया तथा भावी वर्षों में और अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को असत्य उपयोज्यता प्रमाण-पत्र जारी किए।

अलवणीय जल कृषि का विकास, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को निदेशक, मत्स्यपालन, राज्य में 16 मत्स्यपालक किसान विकास अभिकरण\* (म.कि.वि.अ.) के माध्यम से 1976-77 से कार्यान्वित कर रहा था। स्टॉफ के वेतनों तथा आकस्मिकता पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था तथा शेष व्यय 50:50 आधार पर भारत सरकार (भा.स.) तथा राज्य के बीच बांटा जा रहा था। स्कीम का उद्देश्य, नए तालाबों की खुदाई, मौजूदा तालाबों के नवीनीकरण, मछलियों के निवेशों के क्रय इत्यादि के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके मत्स्यपालक किसानों को प्रशिक्षण देना था।

स्कीम को जारी रखने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के विषय में सूचित करते समय (मई 1995) भारत सरकार ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त अनुदानों में से अव्ययित शेष अगले वर्ष उपयोग किया जा सकता है बशर्ते अगले वर्ष के 30 जून से पूर्व भारत सरकार को अव्ययित शेष के विवरण प्रेषित कर दिए जाएं।

भारत सरकार ने स्कीम के अन्तर्गत 1995-98 के दौरान 77.40 लाख रूपए<sup>1</sup> की निधियां निर्मुक्त कीं जिसके विरुद्ध म.कि.वि.अ. ने 59.17 लाख रूपए<sup>2</sup> उपयोग किए। 18.23 लाख रूपए के अव्ययित शेष में से 18.17 लाख रूपए<sup>3</sup> का केन्द्रीय हिस्सा, निदेशक, मत्स्यपालन के माध्यम से सूचित राज्य सरकार के निर्देशों (जून 1991) के आधार पर म.कि.वि.अ. द्वारा '0405-मत्स्यपालन' लोखाशीर्ष के अन्तर्गत राज्य की प्राप्तियों के रूप में कोषालय में जमा करवाया गया था। तथापि, निदेशक, मत्स्यपालन ने भारत सरकार को 77.34 लाख रूपए<sup>4</sup> के उपयोज्यता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्रेषित किए जबकि 1995-98 के दौरान वास्तविक व्यय 59.17 लाख रूपए का था।

\* अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

<sup>1</sup> 1995-96: 24 लाख रूपए, 1996-97: 28 लाख रूपए तथा 1997-98: 25.40 लाख रूपए।

<sup>2</sup> 1995-96: 15.83 लाख रूपए, 1996-97: 22.31 लाख रूपए तथा 1997-98: 21.03 लाख रूपए।

<sup>3</sup> 1995-96: 8.47 लाख रूपए, 1996-97: 5.33 लाख रूपए तथा 1997-98: 4.37 लाख रूपए।

<sup>4</sup> 1995-96: 24.30 लाख रूपए, 1996-97: 27.64 लाख रूपए तथा 1997-98: 25.40 लाख रूपए।

अतः, 18.17 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता, राजकीय प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट करके, विभाग ने केन्द्रीय सहायता का अगले वर्षों में और अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को असत्य प्रमाण-पत्र जारी किए।

मामला सरकार को जुलाई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

**गृह विभाग  
पुलिस महानिदेशक**

**3.9. अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए पुलिस बल की लागत की अवसूली**

**पुलिस नियमों के संहितीय प्रावधानों की अननुपालना के कारण अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए अतिरिक्त पुलिस बल हेतु वसूली के लिए 1.55 करोड़ रूपए वसूलनीय थे।**

राज्य पुलिस नियमों के अनुसार, पुलिस अधीक्षकों द्वारा, पार्टियों तथा निगम निकायों को दिए गए अतिरिक्त पुलिस बल के लिए मास-दर-मास अग्रिम में बिल उगाहे जाने अपेक्षित थे। अतिरिक्त पुलिस बल तब तक नहीं दिया जाना था जब तक कि नियमों के अनुसार यथा अपेक्षित अग्रिम अदायगियों की प्राप्ति नहीं हो जाती थी।

कमान्डेंट्स, द्वितीय एवं चतुर्थ वाहिनी, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, मधुबन तथा पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव के कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच-पड़ताल दिसम्बर 1998 में की गई थी जिसने प्रकट किया कि इन अनुदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा अन्य राज्यों तथा पार्टियों को 1982-83 से 1998-99 की अवधि के दौरान पुलिस बल अग्रिम भुगतान लिए बिना दिया गया था। अग्रिम बिलों की माँग भी नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप, वसूलनीय राशि 1.55 करोड़ रूपए की संचित हो गई थी जैसा कि परिशिष्ट-XXVIII में विवरणित किया गया है।

अतः, पुलिस नियमों के संहितीय प्रावधानों की अननुपालना के कारण, अनुचित देरी तथा कई वर्षों तक आगे अनुवर्ती कार्यवाही करने में ढील के कारण विभाग अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए पुलिस बल के व्यय हेतु 1.55 करोड़ रूपए की वसूलनीय राशि को प्राप्त नहीं कर सका।

पुलिस महानिदेशक ने बताया (अप्रैल 1999) कि सम्बन्धित पार्टियों से लम्बित राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।



**3.10. सरकारी पैशनर के विदेश में चिकित्सा उपचार पर अननुमत व्यय**

**सरकारी अनुदेशों के उल्लंघन में सेवानिवृत्त-पु.म.नि. के यू.एस.ए में चिकित्सा उपचार पर 16.26 लाख रूपए व्यय किए गए थे।**

राज्य चिकित्सा परिचर्या नियमों तथा समय-समय पर तदधीन जारी अनुदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के पैशनर तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्य, भारत में कहीं भी रह रहे हों, वे पैशनर की सेवानिवृत्ति के समय अपने उपयुक्त स्तर के अनुसार राज्य चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों इत्यादि में एक्स-रे, प्रयोगशाला के तथा अन्य ऐसे परीक्षणों सहित अन्तर्वास तथा बहिर्वास निशुल्क चिकित्सा परिचर्या के पात्र थे। स्वास्थ्य विभाग ने आई ए एस तथा अन्य अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा विदेश में लिए गए अपने चिकित्सा उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बन्द करने का निर्णय लिया था (दिसम्बर 1979)।

पुलिस महानिदेशक (पु.म.), हरियाणा के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान (अप्रैल 1998) यह देखा गया कि वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य/वित्त विभाग की सहमति लेने के पश्चात् एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक को न्यूयार्क (यू.एस.ए.) में इलाज करवाने के लिए 20 लाख रूपए तथा 8.47 लाख रूपए की दो किस्तों में 28.47 लाख रूपए का चिकित्सा अग्रिम इस शर्त के साथ संस्वीकृत किया (अक्टूबर 1997) कि इलाज पर किए गए व्यय की नियमों के अनुसार तथा भारत सरकार (भा.स.)से यह अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् तथा सेवानिवृत्त पु.म.नि. को इलाज करवाने के लिए विदेश जाने के लिए अनुमति प्राप्त होने पर, समायोजित/प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेवानिवृत्त पु.म.नि. ने विदेश में अपने इलाज पर आए 16.26 लाख रूपए के व्यय हेतु विभाग को प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत किए तथा शेष 12.21 लाख रूपए की राशि प्रत्यर्पित कर दी। यह नियमों के विपरीत था क्योंकि राज्य के सरकारी पैशनर द्वारा विदेश में लिए गए उपचार के लिए प्रतिपूर्ति करने का राज्य चिकित्सा परिचर्या नियमों में कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर, राज्य सरकार ने संस्वीकृति हेतु मामला भारत सरकार के साथ उठाया। तथापि, भारत सरकार ने इस आधार पर अनुमोदन नहीं दिया (जून 1999) कि अधिकारी के चिकित्सा बिलों को पारित करने से पूर्व भारत सरकार की संस्वीकृति लेने सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

अतः, भूतपूर्व पु.म.नि. के विदेश में चिकित्सा उपचार पर किया गया 16.26 लाख रूपए का व्यय नियमों के उल्लंघन में था तथा प्राप्तकर्ता से वसूल करने की आवश्यकता थी।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

## उद्योग विभाग

### 3.11. छोटी इकाइयों को परिदान की अधिक अदायगी

ग्रामीण उद्योग स्कीम के अन्तर्गत, 128 उद्यमियों को परिदान हेतु 11.05 लाख रूपए की अधिक अदायगी की गई थी

राज्य में औद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु, राज्य सरकार ने ग्रामीण उद्योग स्कीम (ग्रा.उ.स्की.) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित छोटी इकाइयों के लिए संयन्त्र तथा मशीनरी में स्थाई पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत का प्रोत्साहन (परिदान) संस्वीकृत किया (अप्रैल 1992)। ग्रा.उ.स्की. के अन्तर्गत, छोटी इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंक परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का ऋण प्रदान करेगा तथा शेष 20 प्रतिशत उद्यमी द्वारा प्रबन्धित किया जाएगा। निदेशक, उद्योग ने स्पष्ट किया (मार्च 1995) कि परिदान उद्देश्य हेतु संयन्त्र तथा मशीनरी में पूंजी निवेश का परिकलन करने के लिए, प्रवर्तक का मार्जन, परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा बैंक ऋण का 25 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो उसे माना जाना था।

ग्रा.उ.स्की. का कार्यान्वयन जिला स्तर पर, मुख्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (मु.प्र.जि.उ.के.) द्वारा किया जाता है जो उद्योग निदेशक के समग्र प्रभाराधीन कार्य करता है। प्रोत्साहनों की राशि अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तर समिति (जि.स्त.स.) द्वारा परिकलित तथा अनुशंसित की जाती है। जिला स्तर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, मु.प्र., जि.उ.के. संस्वीकृति जारी करता है। उद्योग निदेशक निधियां आहरित करता है तथा मु.प्र. जि.उ.के. के माध्यम से सम्बन्धित इकाइयों को आगे सवितरण हेतु हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम मर्यादित (ह.रा.ल.उ.नि.नि.म.) के अधिकाराधीन रख देता है।

उद्योग विभाग तथा ह.रा.ल.उ.नि.नि.म. के अभिलेखों की नमूना-जाँच (नवम्बर 1997 से जनवरी 1998 तक) ने प्रकट किया कि न तो जिला स्तर समिति ने स्कीम तथा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिदान अनुशंसित किया तथा न ही जिला स्तर समिति द्वारा अनुशंसित परिदान की यथार्थता को सत्यापित करने के पश्चात् मु.प्र. जि.उ.के. द्वारा संस्वीकृति जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, परिदान, परियोजना लागत के 20 प्रतिशत अथवा बैंक ऋण के 25 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो उस तक सीमित करने की अपेक्षा परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर अदा किया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1992 से जून 1997

2000 का प्रतिवेदन संख्या 3. (सिविल)

के दौरान, उस समय मौजूद राज्य के सभी 16 जिलों में 128 उद्यमियों को 11.05 लाख रूपए की अधिक अदायगी की गई थी।

उद्योग निदेशक ने बताया (मई 1999) कि मार्च 1995 के दौरान जारी आदेश पूर्व प्रभाव से लागू नहीं थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मार्च 1995 में जारी अनुदेश पूर्ववर्ती आदेशों के स्पष्टीकरण थे तथा इस प्रकार मूल आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी थे।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

### मद्यनिषेध, आबकारी तथा कराधान आयुक्त विभाग

#### 3.12. कपटपूर्ण आहरण तथा सरकारी धन का गबन

उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (उ.आ.क.आ.) कुरुक्षेत्र द्वारा संहितीय प्रावधानों की अननुपालना से 33.31 लाख रूपए का गबन/दुर्विनियोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, उ.आ.क.आ., 68 लाख रूपए के आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा

महालेखाकार (ले.एवं.ह.), हरियाणा के कार्यालय में जहाँ राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते अनुरक्षित किए जाते हैं, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (उ.आ.क.आ.), कुरुक्षेत्र के कार्यालय से सितम्बर 1997 से आगे के महीनों के लिए जी.पी.एफ. वसूली शेड्यूल में गलत एकाऊंट नम्बरों के साथ अस्पष्ट नामों के विरुद्ध 'क्रेडिट' प्राप्त हुए थे। अतः, उ.आ.क.आ. से अंशदाताओं के ठीक नाम तथा एकाऊंट नम्बर प्रेषित करने के लिए सम्पर्क किया गया (मई 1998 तथा जनवरी 1999)। फरवरी 1999 में, उ.आ.क.आ., कुरुक्षेत्र ने संशोधित वसूली शेड्यूलज प्रेषित किए जिनमें दर्शाए गए नाम पहले भेजे गए वसूली शेड्यूलों में उल्लिखित नामों से भिन्न थे। छान-बीन ने प्रकट किया कि संशोधित शेड्यूलज में उल्लिखित अंशदाताओं के क्रेडिट पहले ही उनके जी पी एफ एकाऊंटस में उन महीनों में आ रहे थे तथा परिणामस्वरूप वेतन बिलों के दो बार आहरण का सदेह पैदा हुआ जिसकी जाँच-पड़ताल करने के लिए विभाग के ध्यान में लाया गया था (अप्रैल 1999)।

\* अम्बाला: 8 प्रकरणों में: 0.75 लाख रूपए, भिवानी: 6 प्रकरणों में: 0.45 लाख रूपए; फरीदाबाद: 6 प्रकरणों में 0.22 लाख रूपए; गुड़गांव: 4 प्रकरणों में 0.28 लाख रूपए; हिसार: 4 प्रकरणों में: 0.08 लाख रूपए; जींद: 3 प्रकरणों में: 0.10 लाख रूपए; कैथल: 19 प्रकरणों में: 2.92 लाख रूपए; करनाल: 13 प्रकरणों में: 1.06 लाख रूपए; कुरुक्षेत्र: 8 प्रकरणों में: 0.41 लाख रूपए; नारनौल: 6 प्रकरणों में: 0.24 लाख रूपए; पानीपत: 18 प्रकरणों में: 1.64 लाख रूपए; रेवाड़ी: 11 प्रकरणों में: 0.50 लाख रूपए; रोहतक: 3 प्रकरणों में: 0.32 लाख रूपए; सिरसा: 12 प्रकरणों में: 1.82 लाख रूपए; सोनीपत: 4 प्रकरणों में: 0.22 लाख रूपए तथा यमुनानगर: 3 प्रकरणों में: 0.04 लाख रूपए।

तदनन्तर मध्य-निषेध, आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने अपने कार्यालय में छल होने के विषय में सूचित किया (मई 1999)। इसके पश्चात् 1994-99 की अवधि हेतु लेखाओं की विस्तृत लेखापरीक्षा की गई (जून-जुलाई 1999)। इस अवधि के दौरान उ.आ.क.आ. के कार्यालय का प्रभार चार अधिकारियों के पास रहा। लेखापरीक्षा छान-बीन ने सरकारी धन की 33.31 लाख रूपए की मात्रा तक के गबन तथा दुर्विनियोजन को प्रकट किया जैसा कि नीचे विवरणित किया गया है:

(क) कौशियर द्वारा तैयार किए गए तथा उ.आ.क.आ. द्वारा पारित 11.92 लाख रूपए के 50 वेतन तथा बकाया बिल प्रत्येक मास जाली आहरणों द्वारा सितम्बर 1997 से मार्च 1999 के दौरान जाली नामों (अस्पष्ट) में आहरित किए गए थे। कपटपूर्णतः आहरित इस प्रकार राशि का गबन किया गया था तथा अदायगियां कर देने के प्रमाण में फर्जी हस्ताक्षरों सहित जाली नामों में वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें कौशियर द्वारा रखी गई थीं।

(ख) उ.आ.क.आ. के कार्यालय में चार बिजली के मीटर तथा तीन टेलीफोन लगे हुए थे। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इन सेवाओं के लिए बिल द्विमासिकतः प्रेषित किए जाते थे। कौशियर, पहले पारित तथा भुगतान किए गए बिजली तथा टेलीफोन बिलों का दुबारा प्रयोग करके कोषालय से उनका दुबारा आहरण लेता रहा। ये बिल उ.आ.क.आ. द्वारा पारित किए गए थे जिससे दो बार आहरण सुविधाजनक हुआ। इन बिलों के विपरीत ऐसे आहरित राशियां कौश-बुक में अदा की गई दिखाई गई थी परन्तु अदायगियों के प्रमाण में कोई रसीद उपलब्ध नहीं थी। आहरणों तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को की गई वास्तविक अदायगियों के सत्यापन ने प्रकट किया कि 523 बिलों (बिजली: 198, टेलीफोन: 325) में 17.78 लाख रूपए के आहरण के विरुद्ध 5.34 लाख रूपए (बिजली के बिल: 3.38 लाख रूपए तथा टेलीफोन बिल: 1.96 लाख रूपए) की अप्रैल 1994 से मार्च 1999 की अवधि हेतु वास्तव में अदा किए गए थे तथा 12.44 लाख रूपए का दुर्विनियोजन किया गया था।

(ग) विविध क्रयों/दैनिक वेतन भोगी कार्यकर्ताओं हेतु 73 बिलों/उप-वाऊचरों को पहले पारित मूल बिलों से पृथक करने के पश्चात् दुबारा प्रयोग करके 1994-99 के दौरान 7.08 लाख रूपए की राशि दो बार आहरित की गई थी। विभिन्न फर्मों/अभिकरणों/कार्यकर्ताओं को सवितरण, अदा किए गए दिखाए गए थे परन्तु वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें अभिलेखों में नहीं पाई गई थी तथा राशि का कौशियर द्वारा दुर्विनियोजन किया गया था।

(घ) अक्टूबर 1994 से अक्टूबर 1998 के दौरान कोषालय से वास्तविक आहरणों का कौशबुक में अभिलिखित आहरणों के मिलान ने प्रकट किया कि आकस्मिक व्यय हेतु कोषालय से 8 बिलों के तहत आहरित 0.95 लाख रूपए कौशबुक में लेखांकित नहीं किए गए थे। इस राशि का कौशियर द्वारा दुर्विनियोजन किया गया था।

(ङ) अप्रैल 1994 से मार्च 1999 के दौरान, सेवार्थ डाक टिकटों के क्रय के लिए 54 बिलों में कोषालय से 1.08 लाख रूपए आहरित किए गए थे। सेवार्थ डाक टिकटों का रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था। तथापि, डाक प्रेषण रजिस्टर के अनुसार, 0.16 लाख रूपए की सेवार्थ

\* श्रीमती कमलेश चौधरी: 1 अप्रैल 1994 से 20 जुलाई 1994; श्री एम.एल. अरोड़ा: 21 जुलाई 1994 से 30 जून 1995; श्री जी.डी. कौशल: 1 जुलाई 1995 से 19 जुलाई 1996 तथा श्री बी.एस.डिनोडिया: 20 जुलाई 1996 से आज तक।



टिकटें इस अवधि के दौरान वास्तविकतः उपयोग की गई थी तथा मार्च 1999 को कोई शेष नहीं दर्शाया गया था। अतः, 0.92 लाख रूपए की राशि का दुर्विनियोजन किया गया था।

उ.आ.क.आ., कुरूक्षेत्र ने वेतन एवं बकाया बिलों के सम्बन्ध में गबन को स्वीकारते हुए बताया (जुलाई 1999) कि राशियां कैशियर द्वारा कोषालय से कपटपूर्णतः आहरित की गई थी तथा फर्जी नामों में वितरित की थी तथा शेष राशि के लिए, यह बताया गया कि सम्बन्धित अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापन करने के पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उ.आ.क.आ. ने यह भी सूचित किया कि कैशियर से 23 अप्रैल 1999 तथा 14 मई 1999 के बीच 7.28 लाख रूपए वसूल कर लिए गए थे तथा कैशियर को 4 मई 1999 को निलम्बित कर दिया गया था। कैशियर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी 17 मई 1999 को दर्ज करवा दी गई थी।

सरकारी राशि के 33.31 लाख रूपए का गबन उ.आ.क.आ., कुरूक्षेत्र आहरण एवं सवितरण अधिकारी (आ. एवं सं.अ.) के रूप में, कोषाधिकारी, नियन्त्रण अधिकारी के रूप में मद्य-निषेध, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़, द्वारा नियमों की अननुपालना के कारण सुसाध्य हुआ था जैसा कि नीचे चर्चित किया गया है:

हरियाणा राज्य को लागू पंजाब वित्तीय नियमों तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा बिल पारित करने से पूर्व, बिल बनाने/अदायगी के सवितरण की छान-बीन अनुभाग अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है। ऐसा नहीं किया गया था तथा बिल कैशियर द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे तथा सीधे आहरण एवं सवितरण अधिकारी (उ.आ.क.आ.) को प्रस्तुत किए गए थे जिसने ये बिल पारित किए थे। अदायगी का आगे सवितरण बिल लिपिक से अन्यतर व्यक्ति द्वारा किया जाना था ताकि कर्त्तव्यों के विभाजन के माध्यम से आन्तरिक जाँच-पड़ताल सुनिश्चित की जा सके जो कि वित्तीय नियन्त्रण का मूल सिद्धान्त है। ऐसा भी नहीं किया गया था क्योंकि कैशियर स्वयं बिल बना रहा था तथा अदायगियां कर रहा था। आगे, नियम-पुस्तक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सभी प्राप्तियां तथा अदायगियां आहरण तथा सवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। आहरण तथा सवितरण अधिकारी द्वारा आकस्मिक रजिस्टर में प्रविष्टियां आद्याहस्ताक्षरित करते समय बिलों/उप-वाऊचरों को रद्द करने के प्रमाण में मुद्रांकित करना भी अपेक्षित था जो उस द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि आकस्मिक रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था। कोषालय से आहरित राशि का कैश बुक में प्राप्ति प्रविष्टियों के साथ मिलान भी नहीं किया गया था जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

हरियाणा को अनुप्रयोगनीय पंजाब कोषालय नियमों तथा पंजाब वित्तीय नियमों के अनुसार, कोषाधिकारी ने स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना अपेक्षित है कि कोषालय को प्रस्तुत दावा वैध है, बिल/उप वाऊचरों को रद्द करने के प्रमाण मुद्रांकित किए गए हैं, बिल दिनांकित हस्ताक्षरों के अन्तर्गत पारित किए गए हैं, उप-वाऊचरों के विवरण आकस्मिक बिलों के सार पर अभिलिखित किए गए हैं तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जा रहे मासिक लेखे सभी तरह से पूर्ण हैं तथा उप वाऊचरों द्वारा समर्थित है।

बिल पारित करते समय कोषाधिकारी ने न तो जाली बिलों में अस्पष्ट नामों का पता लगाया तथा न ही वेतन बिलों पर पदों की संस्वीकृति की संख्या तथा दिन अभिलिखित न करने के लिए कोई आपत्ति लगाई थी। उसने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि उप वाऊचरों के विवरण आकस्मिक बिलों पर अभिलिखित किए गए हैं, उप वाऊचर आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा अपने

दिनांकित हस्ताक्षरों के अधीन पारित किए हैं, उन्हें रद्द करने के प्रमाण में मुद्रांकित किया गया है तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित मासिक लेखाओं के साथ लगाया गया है।

बजट नियम-पुस्तक के अनुसार, नियन्त्रण अधिकारी, आहरण एवं सवितरण अधिकारी पर वित्तीय नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी था। यह देखा गया था कि 1994-99 के दौरान आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा बजट आबंटन के आधिक्य में 36.34 लाख रूपए का किया गया व्यय उस द्वारा इंगित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, वित्तीय नियमों के अन्तर्गत वह गलतियों तथा अनियमितताओं का परिहार करने तथा पता लगाने के लिए पर्याप्त आन्तरिक जाँच-पड़तालें की अनुपयोज्यता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था जिसे करने में वह असफल रहा क्योंकि आकस्मिकता रजिस्टर के अनुरक्षण तथा दो बार/जाली आहरणों हेतु अनियमितताओं को उसने कभी भी इंगित नहीं किया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 68 लाख रूपए की मात्रा का व्यय 1994-99 के दौरान किया गया था परन्तु अगस्त 1999 में विभाग को लिखे गए अर्धशासकीय पत्र के बावजूद उ.आ.क.आ., कुरूक्षेत्र द्वारा लेखापरीक्षा को सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया था। श्री बी एस डिनोडिया, उ.आ.क.आ., जो आहरण एवं सवितरण अधिकारी था तथा वेतन एवं आकस्मिक बिल पारित करने में सलियत था तथा जिसकी वजह से यह छल हुआ था, छल का पता चलने के पश्चात् भी आहरण एवं सवितरण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था तथा विभाग द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। 68 लाख रूपए के आकस्मिक व्यय सम्बन्धित रिकार्ड भी उ.आ.क.आ. द्वारा लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अभिलेखों की अनुपस्थिति में आगे और छल की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

मामला सरकार को अगस्त 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

### राजस्व विभाग

#### 3.13. अव्ययित राशि के विलम्बित प्रत्यर्पण के कारण ब्याज की हानि

अव्ययित राशि के प्रत्यर्पण में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 12.28 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई

1995-96 के दौरान, राज्य सरकार ने रोहतक जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों को आपदा राहत निधि से मकानों की मरम्मत, निवेशों के क्रय, नलकूपों की मरम्मत, पशुधन के क्रय, कपड़ों, चारे की आपूर्ति इत्यादि के लिए 57 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए। इसमें से, 56.74 करोड़ रूपए उपायुक्त, रोहतक द्वारा आहरित किए गए थे तथा 54.46 करोड़ रूपए मार्च 1996 तक किसानों में बाँटे गए थे। विधान सभा चुनाव घोषित हो जाने के कारण आचार संहिता के अन्तर्गत इस प्रकार की राहत देनी वर्जित थी तथा राहत का सवितरण मार्च 1996 के पश्चात् बन्द कर दिया

गया था। अव्ययित राशि तुरन्त आपदा राहत निधि को प्रत्यर्पित की जानी अपेक्षित थी। अपितु, 2.28 करोड़ रूपए की अव्ययित राशि, 10 सवितरण प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न बैंकों में चालू खातों में अनधिकृत रूप से रखी गई थी तथा मई 1996 तक केवल 0.25 करोड़ रूपए अभ्यर्पित किए गए थे। 6 सवितरण प्राधिकारियों\* से सम्बन्धित 2.03 करोड़ रूपए की शेष राशि जून 1996 से नवम्बर 1996 के दौरान अभ्यर्पित की गई थी। अव्ययित राशि के अभ्यर्पण में देरी 66 से 219 दिनों तक श्रृंखलित थी।

अव्ययित राशि के विलम्बित प्रत्यर्पण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 12.28 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित किया गया है जो 46 दिनों अथवा इससे अधिक के सावधि डिपोजिट्स पर ब्याज की मौजूदा दर है) क्योंकि आपदा राहत निधि की निधियां बैंकों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में सावधि डिपोजिट्स में निवेश की जा रही थी।

सरकार ने बताया (जनवरी 1999) कि राशि के प्रत्यर्पण में देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन थी। तथापि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अन्तिम कार्यवाही अभी तक प्रतीक्षित थी।

### 3.14. अनुग्रह राहत की अधिक अदायगी

सरकारी अनुदेशों की उपेक्षा में, आशिकत: क्षतिग्रस्त पक्के तथा कच्चे घरों के 4,531 प्रकरणों में, जिला राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ राहत के 53.26 लाख रूपए की अधिक अदायगी की

राज्य सरकार द्वारा जारी (सितम्बर 1995) अनुदेशों के अनुसार, मकानों की मरम्मत के लिए अनुग्रह राहत उन्हीं व्यक्तियों को अनुमत थी जिनके मकान बाढ़/भारी वर्षा द्वारा अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गए थे। पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राहत की दर, पक्के मकान के लिए 10,000 रूपए तथा कच्चे मकान के लिए 5,000 रूपए अथवा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा यथा आकलित वास्तविक क्षति, इनमें जो भी कम हो वह अदा की जानी थी। आशिकत: क्षतिग्रस्त मकानों के मामले में, राहत की दर पक्के मकान के लिए 5000 रूपए तथा कच्चे मकान के लिए 2500 रूपए थी तथा उन्हीं व्यक्तियों को अदा की जानी थी जिनके मकान अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा क्षतिग्रस्तता का आकलन 25 प्रतिशत से अधिक किया गया हो और उन व्यक्तियों के पास रहने के लिए कोई अन्य मकान न हो।

छ: जिला राजस्व अधिकारियों<sup>2</sup> द्वारा की गई बाढ़ राहत अदायगियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया (मई 1996-जुलाई 1997) कि राहत की अदायगी निर्धारित अनुदेशों के अनुसार नहीं की गई थी। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों ने अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में

\* डी डी ए रोहतक: 0.06 करोड़ रूपए, एन टी, मातनहेल: 0.13 करोड़ रूपए, रेडक्रास सोसायटी, रोहतक: 0.03 करोड़ रूपए, एस डी ओ (सि), बहादुरगढ़: 0.11 करोड़ रूपए, एस डी ओ (सि), झज्जर: 0.55 करोड़ रूपए तथा एस डी ओ (सि), मेहम: 1.15 करोड़ रूपए।

<sup>2</sup> भिवानी, हिसार, जींद, करनाल, पंचकुला तथा रोहतक।

पक्के तथा कच्चे घरों को 'आशिकतः क्षतिग्रस्त' निर्धारित किया था फिर भी 4,531 प्रकरणों<sup>3</sup> में राहत 5,000 रूपए तथा 2,500 रूपए की निर्धारित सीमा के विरुद्ध क्रमशः 5,500 रूपए से 10,000 रूपए तथा 2,700 रूपए से 5,500 रूपए के बीच श्रृंखलित दरों के बीच अदा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत की गई राहत से 53.26 लाख रूपए<sup>4</sup> की अधिक अदायगी की गई थी।

उपायुक्त, जींद तथा पंचकूला ने बताया (मई-जुलाई 1999) कि अनुग्रह राहत की अदायगी ग्रामीणों को वास्तविक क्षति के आधार पर की गई थी जबकि उपायुक्त, करनाल ने बताया (जून 1999) कि स्थान की परिस्थितियों के अनुसार पीड़ितों की उपस्थिति में आकलन किया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि अनुग्रह राहत केवल सरकार के अनुदेशों (सितम्बर 1995) के अनुसार ही अदा की जानी थी तथा अधिकतम सीमा के आधिक्य में वास्तविक क्षतियों के आधार पर अदायगी करने का कोई प्रावधान नहीं था; अन्य उपायुक्तों ने उत्तर नहीं दिया था।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

### 3.15. भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में धीमी प्रगति

**भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में धीमी प्रगति के कारण कथित उद्देश्य उपलब्ध नहीं किया जा सका**

सरल अनुरक्षण सुविधाजनक बनाने तथा भूमि आँकड़ों में होने वाले परिवर्तनों को अद्यतन करने, भूमि अभिलेखों को रद्दोबदल अभेद्य बनाने, कृषि जनगणना के लिए आँकड़ा-आधार उपलब्ध कराने तथा भूमि धारकों को शीघ्रता से अधिकार के दस्तावेज की अद्यतन प्रतिलिपि जारी करने के लिए भारत सरकार ने 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ 1993-94 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय किया। स्कीम, आबटित निधियों की प्रथम किस्त की निर्मुक्ति की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर कार्यान्वित की जानी थी। जिला स्तर पर निदेशक, भूमि अभिलेख तथा उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना अपेक्षित था।

हरियाणा में स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु चार जिले\* चयनित किए गए थे। राज्य सरकार ने 1995-96 के लिए बजट प्राक्कलनों में प्रावधान करके, भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि की प्रथम किस्त की राशि के रूप में 74 लाख रूपए (अम्बाला: 15 लाख रूपए, गुड़गांव: 15 लाख रूपए, रोहतक: 15 लाख रूपए तथा सिरसा: 29

<sup>3</sup> भिवानी: 2,998, हिसार: 88, जींद: 78; करनाल: 864; पंचकूला: 66 तथा रोहतक: 437

<sup>4</sup> भिवानी: 30.67 लाख रूपए; हिसार: 1.22 लाख रूपए; जींद: 2.38 लाख रूपए; करनाल: 7.61 लाख रूपए; पंचकूला: 1.55 लाख रूपए तथा रोहतक 9.83 लाख रूपए।

\* अम्बाला, गुड़गांव, रोहतक तथा सिरसा।



लाख रूपए) निर्मुक्त किए (अगस्त 1995)। सम्बन्धित जिलों के उपायुक्त आहरण एवं सवितरण अधिकारी घोषित किए गए थे।

छान-बीन ने प्रकट किया कि सभी चार जिला उपायुक्तों ने 1995-96 के दौरान 74 लाख रूपए की समस्त राशि आहरित कर ली थी तथा वर्ष के अन्त में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बचत बैंक खातों में रख दिया गया था।

74 लाख रूपए के आबंटन के विरुद्ध, फरवरी 1999 तक 33.13 लाख रूपए का व्यय किया गया था। जबकि, गुडगांव तथा रोहतक जिलों में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण पूर्णता के निकट था, अम्बाला तथा सिरसा जिलों में उपलब्धि नगण्य थी। अतः, यद्यपि तीन वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी थी, स्कीम केवल आंशिकतः कार्यान्वित की गई थी।

प्रथम किस्त की राशि व्यय करने में असफलता के कारण भारत सरकार द्वारा आगे कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की गई थीं। उपायुक्त, सिरसा ने बताया (मार्च 1999) कि उप मण्डल ऐलनाबाद तथा डबवाली (सिरसा जिले में) में केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति की अप्राप्ति के कारण निधियां पूर्ण मात्रा में उपयोग नहीं की जा सकी। उपायुक्त, रोहतक ने बताया (अप्रैल 1999) कि परियोजना की जटिलता तथा प्रिन्टरज की अनुपलब्धता के कारण परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी। उपायुक्त अम्बाला ने परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए कारण सूचित नहीं किए थे।

निदेशक, भूमि अभिलेख ने बताया (जुलाई 1999) कि परियोजना तीन वर्षों की समय - सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि मशीनों की आपूर्ति करने में कम्प्यूटर स्थापित किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित करने तथा तैयार करने में अत्यधिक समय लग गया था तथा पर्याप्त संख्या में, जिलों में आँकड़ा प्रविष्टक परिचालक (डैटा एन्ट्री ओपरेटर) की अनुपलब्धता थी।

अतः, भूमि अभिलेखों का समय पर कम्प्यूटरीकरण करवाने में असफलता के कारण वाञ्छित उद्देश्य उपलब्ध नहीं किए जा सके जबकि निधियां तुरन्त आवश्यकता के बिना अनावश्यकतः आहरित की गई थी जिससे 40.87 लाख रूपए की राशि तीन वर्षों से अधिक समय के लिए सरकारी लेखाओं से बाहर रखने के कारण 10.83 लाख रूपए<sup>\*\*</sup> के ब्याज की हानि हुई।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

अम्बाला: 4.92 लाख रूपए, गुडगांव: 13.88 लाख रूपए, रोहतक: 3.87 लाख रूपए तथा सिरसा : 10.46 लाख रूपए।  
\*\* सितम्बर 1995 से फरवरी 1999 के दौरान ब्याज की उधार दर 12.30 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

## खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग

### 3.16. लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अभ्युक्तियों के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होने के परिणामस्वरूप उत्तरदायिता का अपरदन

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (म.ले.) निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने तथा लेन-देनों की नमूना-जाँच करने के लिए सरकारी विभागों के नियतकालिक निरीक्षण का प्रबन्ध करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) तैयार किए जाते हैं। जब पता लगाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएं निरीक्षण के दौरान उसी स्थान पर निपटाई न जा सके तो ये निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा इनकी एक प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारियों को भी प्रेषित की जाती है। म.ले. द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान देखी गई कमियों, गलतियों आदि के लिए उत्तरदायिता तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए म.ले. द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए कार्यकारियों द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया हेतु सरकार के नियम/आदेश प्रावधान करते हैं। कार्यालयाध्यक्षों तथा अगले उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना करनी तथा त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से ठीक करना तथा म.ले. को अपनी अनुपालना प्रतिवेदित करनी अपेक्षित है। गम्भीर अनियमितताएं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष के ध्यान में भी लाई जाती है। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में विभाग के सचिव को प्रेषित की जाती है ताकि वह लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सरलता से मॉनिटर कर सके।

खेल-कूद तथा युवा कल्याण विभाग के 19 कार्यालयों से सम्बन्धित जून 1999 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि 55 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 189 अनुच्छेद जून 1999 के अन्त तक लम्बित रहे। इनमें से, 7 अनुच्छेदों से समायुक्त 3 निरीक्षण प्रतिवेदनों का 10 वर्ष से अधिक समय तक भी समाधान नहीं किया गया था। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट XXIX में विवरणित की गई है। यहां तक कि प्रथम उत्तर भी, जो निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की तिथि से छः सप्ताहों के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने अपेक्षित थे, अप्रैल 1995 तथा सितम्बर 1998 के बीच जारी 14 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए 13 कार्यालयों के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में

टिप्पणीकृत निम्नलिखित अनियमितताएं जून 1999 तक निपटाई नहीं गई थीं।

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)
1.	कमी/कम प्राप्ति/सामग्री का लेखांकन न करना	12	0.14
2.	बजट अनुदान को बचाने के लिए कोषालय से धन का आहरण	10	1.03
3.	उपयोज्यता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना/प्रस्तुत न करना	20	7.31
4.	वेतनों/एल टी सी/चिकित्सा भत्ता/बोनस पर अनियमित, अधिक/व्यर्थ व्यय	33	0.63
5.	दूरभाष/सरकारी धन का दुरुपयोग	8	0.03
6.	मोटर वाहन/गृह निर्माण अग्रिमों की अनियमित अदायगी	17	0.09
7.	अनियमित/अविवेकपूर्ण क्रय/व्यय	30	0.73
8.	वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त न करना/प्रस्तुत न करना	8	0.12
9.	सरकारी धन का अवरोधन/व्यर्थ/परिहार्य व्यय	7	1.07
10.	निराकृत/अधिक स्टोरज/मदों का निपटान न करना	11	0.16
11.	विविध अनियमितताएं	33	0.69
	कुल	189	12.03

खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग के सम्बन्ध में, उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि कार्यालयाध्यक्ष, जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा में निरीक्षित किए गए थे तथा निदेशक, खेल-कूद तथा युवा कल्याण उचित उत्तरदायित्व के निर्वहन में असफल रहे क्योंकि उन्होंने अत्यधिक संख्या के निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के कोई उत्तर प्रेषित नहीं किए थे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित किए गए दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करने में असफल रहा। सचिव, खेल-कूद तथा युवा कल्याण विभाग, जिसे अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, वह भी यह सुनिश्चित करने में असफल रहा कि विभाग के सम्बन्धित अधिकारी तत्काल एवं समय पर कार्यवाही कर रहे थे या नहीं।

उपर्युक्त ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का भी संकेत दिया था तथा इसी कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं तथा सरकार को हानि की निरन्तरता सुसाध्य रही यद्यपि ये लेखापरीक्षा में इंगित की गई थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इस मामले के विषय में पुनः अवलोकन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) समय-सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर प्रेषित करने में विफल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने, (ख) समय-बद्ध तरीके से हानियों/बकाया अग्रिमों/अति अदायगियों की वसूली के लिए कार्यवाही करने तथा (ग) विभाग में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की तत्काल प्रतिक्रिया हेतु प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है।

मामला सरकार को सितम्बर 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

## सामान्य

## 3.17. दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि

मार्च 1999 के अन्त तक लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित सरकारी धन के दुर्विनियोजनों, गबनों इत्यादि के प्रकरण जिन पर जून 1999 के अन्त तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी, वे निम्नानुसार थे:

	संख्या	राशि (रूपए लाखों में)
मार्च 1998 के अन्त तक प्रतिवेदित तथा 30 जून 1998 तक लम्बित प्रकरण	295	126.91
अप्रैल 1998 तथा मार्च 1999 के बीच प्रतिवेदित प्रकरण	14	17.61
<b>कुल</b>	<b>309</b>	<b>144.52</b>
जुलाई 1998 तथा जून 1999 के बीच निपटाए गए प्रकरण	17	4.16
30 जून 1999 को लम्बित प्रकरण	292	140.36

उन प्रकरणों का विभाग-वार विघटन जिनमें जून 1999 के अन्त तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी परिशिष्ट XXX में इंगित किए गए अनुसार था।

लम्बित प्रकरणों में से, 232 प्रकरण (87.03 लाख रूपए) 5 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित थे। 89.88 लाख रूपए से आवेष्टित 186 प्रकरण शिक्षा (1994-95 से पूर्व: 27 प्रकरण: 12.88 लाख रूपए तथा 1994-99: 7 प्रकरण: 3.52 लाख रूपए), वन (1994-95 पूर्व: 14 प्रकरण: 3.90 लाख रूपए तथा 1994-99: 8 प्रकरण: 13.44 लाख रूपए), सिंचाई (1994-95 से पूर्व: 79 प्रकरण: 15.57 लाख रूपए तथा 1994-99: 13 प्रकरण: 0.46 लाख रूपए), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (1994-95 से पूर्व: 10 प्रकरण: 17.08 लाख रूपए तथा 1994-99: 4 प्रकरण: 0.27 लाख रूपए), तथा परिवहन (1994-95 से पूर्व: 19 प्रकरण: 9.54 लाख रूपए तथा 1994-99: 5 प्रकरण: 13.22 लाख रूपए) विभागों में लम्बित थे।

लम्बित प्रकरणों की और छान-बीन ने प्रकट किया कि 128 प्रकरण (32.06 लाख रूपए) तथा 40 प्रकरण (28.25 लाख रूपए) विभागीय तथा पुलिस अन्वेषण के अन्तर्गत थे, 31 प्रकरण (37.62 लाख रूपए) न्यायालयों में विचाराधीन पड़े थे, 68 प्रकरण (28.42 लाख रूपए) बट्टे खाते में डालने के लिए सरकार को प्रेषित किए गए थे तथा 25 प्रकरणों (14.01 लाख रूपए) में पूर्ण वसूली नहीं की गई थी (जुलाई 1999)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 1999) सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि इन प्रकरणों को न्यूनतम करने के लिए प्रशासनिक विभागों से निवेदन किया गया था। लेखापरीक्षा के उल्लेख पर (जून 1998), प्रकरणों को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक विभागों को भी निर्देशित किया था (जुलाई 1998) परन्तु कोई फलप्रद परिणाम सामने नहीं आए है।



**3.18. हानियों इत्यादि को बट्टे खाते में डालना**

1998-99 के दौरान, चोरी, अग्नि तथा अवसूलनीय राजस्व इत्यादि के कारण हानियों को निरूपित करने वाले 5 प्रकरणों में 2.29 लाख रूपए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए थे जैसा कि सरकार द्वारा लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित किया गया है। सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार थे:

क्रम संख्या	विभाग	प्रकरणों की संख्या	राशि (रूपयों में)
1	कृषि	1	36,793
2	शिक्षा	2	52,972
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1	89,487
4	वन	1	50,000
	कुल	5	2,29,252

## चौथा अध्याय

निर्माण कार्य व्यय  
लेखापरीक्षा अनुच्छेद

पुस्तक संख्या ११८११

पुस्तक संख्या ११८११  
पुस्तक संख्या ११८११



## चौथा अध्याय

### निर्माण कार्य व्यय लोक निर्माण विभाग

### जनस्वास्थ्य शारवा

#### 4.1 निष्फल व्यय

अन्तर्वाही चैनल में तकनीकी खराबी दूर न करने से ग्रामीणों को पेय जल की आपूर्ति के लिए अभिप्रेत स्कीम पर 32.57 लाख रूपए का निष्फल व्यय किया गया।

क्योंकि खुले कुओं से जलापूर्ति की मौजूदा व्यवस्था संदूषित पाई गई थी, हांसी तहसील के खाण्डा खेड़ी गांव के लिए एक स्कीम 31.20 लाख रूपए हेतु हरियाणा राज्य सफाई बोर्ड (हरा.स.बो.) द्वारा प्रशासनिकतः अनुमोदित की गई थी (मई 1986) जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति को प्रति दिन 10 गैलन पेय जल प्रदान करना था। कार्य 32.57 लाख रूपए की लागत पर 5 अभिकरणों से जनवरी 1987 तथा जनवरी 1996 के बीच निष्पादित करवाया गया था। जबकि अन्तर्वाही चैनल का कार्य दिसम्बर 1988 में पूर्ण हो चुका था, दो भण्डारण तथा अवसादन टैंक तथा पानी की टंकी का ऊपरी भाग (ओ.एच.एस.आर.) क्रमशः मार्च 1989 तथा जनवरी 1996 में पूर्ण किए गए थे। कार्य का उचित परीक्षण कराए बिना अभिकरणों को अदायगियां जनवरी 1988 तथा मार्च 1996 के बीच निर्मुक्त की गई थी क्योंकि अन्तर्वाही चैनल का परीक्षण भण्डारण टैंक पूर्ण होने तक संभव नहीं था।

32.57 लाख रूपए की लागत से जनवरी 1996 में पूर्ण की गई स्कीम, अन्तर्वाही चैनल में कुछ तकनीकी खराबियों के कारण चालू नहीं की जा सकी क्योंकि चैनल के दो स्थानों पर सड़क पार (भिवानी सड़क) करने के लिए सड़क के नीचे दबाई गई आर.सी.सी. पाईपें ठीक प्रकार से जोड़ी नहीं गई थी तथा समय गुजरने के साथ-साथ चैनल का खुला भाग मिट्टी से भर गया था। कुछ दुकानें भी चैनल के लगभग ऊपर बन गई थी जिससे चैनल के इस भाग का पुनर्निर्माण आवश्यक हो गया था। 3 लाख रूपए की लागत पर इसे ठीक करने का विभागीय तौर पर कार्य अगस्त 1997 में प्रारम्भ किया गया था। कार्य इस तथ्य के दृष्टिगत बन्द कर दिया गया था (जैसा कि कार्यकारी अभियन्ता ने बताया था) कि दुग्धशाला विकास, हरियाणा के प्रभारी मन्त्री के पास पुनःसंरक्षण के पश्चात् अन्तर्वाही चैनल के निर्माण हेतु कोई अन्य प्रस्ताव था।

तथापि, अन्तर्वाही चैनल के पुनःसंरक्षण के लिए 4.50 लाख रूपए के लिए नया प्राक्कलन यद्यपि हरा.स.बो द्वारा संस्वीकृत कर दिया गया था (दिसम्बर 1998), परन्तु संरक्षण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था (जुलाई 1999)।



सरकार की अकर्मण्यता का परिणाम यह है कि स्कीम जिस पर 32.57 लाख रूपए की लागत आई थी तथा पूर्ण होने में 9 वर्ष (जनवरी 1987 से जनवरी 1996 तक) लग गए थे, तीन वर्ष तक चालू नहीं की जा सकी तथा ग्रामीण, पानी आशिकत: उसी स्रोत से तथा आशिकत: उद्देश्य हेतु खोदे गए छिछले नलकूप से प्राप्त कर रहे थे।

मामला सरकार को अप्रैल 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

#### 4.2 अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय

स्थल का उचित सर्वेक्षण करने में असफलता तथा परिवर्तित विशिष्टताओं के अनुमोदन का प्रबन्ध न करने के कारण 12.66 लाख रूपए का निष्फल व्यय किया गया।

‘अम्बाला सदर, अम्बाला छावनी के लिए मलिन जल-निर्यास की व्यवस्था करने’ की स्कीम हरियाणा राज्य सफाई बोर्ड द्वारा प्रशासनिकत: अनुमोदित की गई थी (मार्च 1981) तथा प्रमुख अभियन्ता, हरियाणा, जन स्वास्थ्य शाखा ने 1.39 करोड़ रूपए की तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की थी (मई 1983)। प्रारम्भ में स्कीम के अन्तर्गत अम्बाला सदर (88.17 लाख रूपए) तथा महेश नगर (50.77 लाख रूपए) दो क्षेत्र आवृत किए जाने का प्रस्ताव था परन्तु अपर्याप्त निधियों की निर्मुक्ति के कारण केवल अम्बाला सदर क्षेत्र का कार्य ही प्रारम्भ किया गया था तथा 1987 एवं अगस्त 1999 के बीच 124.94 लाख रूपए का व्यय किया जा चुका था। कार्यकारी अभियन्ता (का.अ.), जन स्वास्थ्य मंडल, अम्बाला छावनी ने इस स्कीम से सम्बन्धित स्कीम का एक भाग ‘400 मि.मी. के आन्तरिक व्यास वाली पत्थर की चिनाई की मलिन जल-निर्यास पाईप बिछाने’ का कार्य एक ठेकेदार को आवटित किया (नवम्बर 1994)। यह कार्य 6.65 लाख रूपए की लागत से 4 महीने की समय-सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना था।

तथापि, अम्बाला-जगाधरी सड़क के साथ-साथ ये पाईपें बिछाने के लिए सड़क पर भारी वाहनों के यातायात के कारण लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क शाखा द्वारा अनुमत नहीं किया गया था। 3.5 फुट गहरे स्तर के झरने के सम्मुखीकरण के कारण कार्य की विशिष्टताएं भी परिवर्तित कर दी गई थी। मलिन जन निर्यास लाईन की अनुप्रस्थीय किस्म भी टाईप II से I में परिवर्तित कर दी गई थी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कार्य आर.डी 1,815 से 2,950 में किया गया था। कार्यकारी अभियन्ता द्वारा फरवरी 1997 तथा जनवरी 1998 में विशिष्टताओं के परिवर्तन हेतु माँगा गया अनुमोदन प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., जन स्वास्थ्य शाखा से अभी प्रतीक्षित था (अप्रैल 1999)।

अभिकरण ने कार्य पूर्ण करने का इस शर्त पर वचन दिया (अप्रैल 1998) कि उन द्वारा यथा परिकलित संशोधित दरें, परिवर्तित विशिष्टताओं का अनुमोदन तथा अनुबन्ध राशि की वृद्धि का अनुमोदन विभाग द्वारा मई 1998 तक दे देना चाहिए। तथापि, विभाग ऐसा करने में असफल रहा तथा अभिकरण ने अगस्त 1996 तक 6.65 लाख रूपए पर आर.डी. 0 से 2,950 में कार्य निष्पादित करने के पश्चात् कार्य छोड़ दिया (मई 1998)। विभाग ने कार्य बन्द करने के लिए

मई 1998 में अनुबन्ध की धारा II के अन्तर्गत ठेकेदार पर देरी के लिए 10 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति लगाई। कार्य पर तब तक 12.66 लाख रूपए (ठेकेदार द्वारा कृत कार्य के लिए 6.65 लाख रूपए जमा 6.01 लाख रूपए सामग्री के लिए) का व्यय किया जा चुका था।

अतः, पत्थर चिनाई की मलिन-जल निर्यास पाइपें बिछाने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तविक स्थल का सर्वेक्षण करने तथा समय पर परिवर्तित विशिष्टताओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्य पर 12.66 लाख रूपए का व्यय किया गया था तथा लाभग्राहियों को अभिप्रेत लाभ उपलब्ध कराने से नकारा गया था। आर.डी. 2,950 से 4,250 तक के लिए शेष कार्य अगस्त 1996 से प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा अपूर्ण पड़ा था।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1999)।

### सिंचाई शाखा

#### 4.3 निष्फल व्यय

पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित किए बिना एक माइनर के निर्माण पर 28.16 लाख रूपए का व्यय किया गया था।

बरूवाली वितरिका से निकलने वाली मालेकन माइनर नहर के एक खण्ड का पुनर्रूपीकरण किया गया था तथा कार्यकारी अभियन्ता, भट्ट मण्डल, फत्तेहाबाद द्वारा 13.62 लाख रूपए की लागत पर 1980-87 के दौरान विस्तार किया गया था (आर.डी. 60,000 तक)। माइनर 1994 में कार्यकारी अभियन्ता, नहराना जल सेवा मण्डल, सिरसा के प्रभाराधीन से स्थानान्तरित कर दी गई थी।

कार्यकारी अभियन्ता, नहराना जल सेवा मण्डल, सिरसा ने इंगित किया (जुलाई 1995) कि माइनर आर.डी 32,000 तक भी पानी पहुँचाने की स्थिति में नहीं थी। अतः, माइनर के नवीनीकरण (8.24 लाख रूपए),\* पुनर्रूपीकरण (14.46 लाख रूपए)\*\* तथा आर डी 10,000 एवं 49,000 के बीच 7 ग्रामीण सड़क (ग्रा.स.) पुलों के निर्माण के 7 प्राक्कलनों (12.33 लाख रूपए) सहित नहर का विस्तार करने के लिए आगे नए निर्माण (14.22 लाख रूपए)\*\*\* तथा मुख्य विनियामक के पुनर्रूपीकरण (0.18 लाख रूपए) के लिए कुल 49.43 लाख रूपए के 23 प्राक्कलन, संस्वीकृत (मई 1987) संशोधित प्राक्कलन (79 लाख रूपए) के विरुद्ध जुलाई 1995 तथा जून 1996 के बीच अधीक्षक अभियन्ता, भाखड़ा जल सेवा परिमण्डल, सिरसा द्वारा बनाए गए तथा संस्वीकृत किए गए थे। संशोधित प्राक्कलन में बरूवाली वितरिका का संरक्षण

\* चार प्राक्कलनों में : 2.32 लाख रूपए + 1.83 लाख रूपए + 2.08 लाख रूपए + 2.01 लाख रूपए = 8.24 लाख रूपए।

\*\* 7 प्राक्कलनों में : 3.11 लाख रूपए + 1.36 लाख रूपए + 2.05 लाख रूपए + 2.38 लाख रूपए + 1.80 लाख रूपए + 1.97 लाख रूपए + 1.79 लाख रूपए = 14.46 लाख रूपए।

\*\*\* 4 प्राक्कलनों में : 3.46 लाख रूपए + 4.13 लाख रूपए + 4.09 लाख रूपए + 2.54 लाख रूपए = 14.22 लाख रूपए।



करने के पश्चात् कार्य के निष्पादन का प्रावधान था तथा इसका उद्देश्य था कि चैनल को उचित आपूर्ति के साथ चलाया जा सके ताकि यह सिंचाई के लिए अधिक क्षेत्र को आवृत कर सके। यद्यपि बरूवाली वितरिका का सरेखण कार्य प्रगति अधीन था, माइनर के पुनरूपीकरण तथा विस्तारण से सम्बन्धित कार्य, सिंचाई तथा संसदीय मामलों के मन्त्री की दरखलनदाजी के कारण प्रारम्भ किए गए थे। ये कार्य 42.34 लाख रूपए की लागत पर मार्च 1997 में पूर्ण किए गए थे।

नहराना जल सेवा मण्डल, सिरसा के अभिलेखों की जांच-पड़ताल के दौरान (दिसम्बर 1998), यह देखा गया कि मालेकन माइनर का पानी, बरूवाली वितरिका में इसके मूल स्थान पर पानी की सीमित उपलब्धता के कारण आर डी 34,900 से परे नहीं पहुँचा। क्योंकि पानी आर.डी. 34,900 से आगे नहीं पहुँचा, इसने 28.16<sup>५</sup> लाख रूपए के समस्त व्यय को निष्फल कर दिया था।

कार्यकारी अभियन्ता ने बताया कि जब बरूवाली वितरिका पक्की हो जाएगी तब माइनर का पानी उपलब्ध हो जाएगा। बरूवाली वितरिका को पक्का करने का कार्य निष्पादन अधीन था तथा जुलाई 1999 तक पूर्ण किया जाना संभावित था। तथापि, अगस्त 1999 तक, सरेखण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। अतः, आर डी 34,900 से आगे मालेकन माइनर पर व्यय, विभाग के घटिया आयोजना के कारण अपनी स्रोत वितरिका से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, समय गुजरने के साथ, मार्च 1997 में पूर्ण किए गए माइनर की मिट्टी बह जाने/क्षरण होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

#### 4.4 निरर्थक व्यय

अनुमोदन के बिना पुल के गैर न्यायोचित विखण्डन से 13.15 लाख रूपए का निरर्थक व्यय किया गया।

वित्तीय नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करते हैं कि कोई कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलन तकनीकी रूप से संस्वीकृत नहीं कर दिया जाता।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई शाखा, हरियाणा ने धनौरा में आर डी 144895 मेन लाइन लोअर (एम एल एल) स्थित मुख्य विनियामक-सह-पुल को बदलने के लिए 4.05 करोड़ रूपए का प्राक्कलन संस्वीकृत किया (अप्रैल 1997), यह अनुप्रवाह की दिशा में मौजूदा पुल से लगभग 200 फुट दूर था जो कि शताब्दी पुराना था तथा जनता के उपयोग के लिए उसे 1992 में बन्द

<sup>५</sup> नवीनीकरण आर.डी. 34900 से 60000 : 9.12 लाख रूपए, माइनर का निर्माण आर.डी. 60000 से 82620 : 14.44 लाख रूपए, 3 ग्राम सड़कों, आर.डी. 37000 तथा 49000 के बीच पुलों का निर्माण : 4.42 लाख रूपए तथा एक मुख्य विनियामक का पुनरूपीकरण : 0.18 लाख रूपए।

कर दिया गया था। प्राक्कलन, आयोजना के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत किया गया था न कि कार्य के निष्पादन के लिए। कार्यकारी अभियन्ता (का.अ.), निर्माण मण्डल 16, करनाल ने, तथापि, ढाँचे के लिए नक्शों के अन्तिम अनुमोदन की प्रत्याशा में मौजूदा मुख्य विनियामक-सह-पुल का विखण्डन प्रारम्भ कर दिया तथा जनवरी 1998 तक 6.14 लाख रूपए के व्यय पर एक रिंग बांध का निर्माण किया।

तथापि, मूल मुख्य विनियामक-सह-पुल का विखण्डन कार्य रोक दिया गया था जब मुख्य मन्त्री द्वारा पुल के स्थल का निरीक्षण किया गया था तथा सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था (मई 1998) कि क्योंकि मौजूदा पुल का आधार सुरक्षित था, नया पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार 2 अतिरिक्त दरों के साथ मूल एक्स-विनियामक-सह-पुल को पुनः बहाल करने के लिए मुख्य अभियन्ता (वाई डब्ल्यू एस सी) ने 77.16 लाख रूपए का एक नया प्राक्कलन संस्वीकृत किया (अक्टूबर 1998) जो 97.95 लाख रूपए के व्यय से पूर्ण किया गया था (जुलाई 1999)। इसके अतिरिक्त, जनता को अस्थाई राहत देने के लिए, कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवा मण्डल, दादूपुर ने शुष्क मौसम के लिए अनुप्रवाह की ओर धनौरा क्रॉस विनियामक पर एक विपथन का 2.95 लाख रूपए की लागत से तथा धनौरा क्रॉस विनियामक की बहाली के लिए 4.06 लाख रूपए की लागत पर प्रावधान किया गया था।

अतः, मुख्य डिजाइन अधिकारी (मु.डि.अ.) द्वारा अन्तिम नक्शे जारी करने की प्रत्याशा में पुल तथा विनियामक इत्यादि जैसे मूल ढाँचों को विखण्डित करने की कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण मण्डल 16, करनाल की कार्यवाही से 13.15 लाख रूपए (पुल इत्यादि के विखण्डन तथा रिंग बांध का निर्माण : 6.14 लाख रूपए, शुष्क मौसम विपथन: 2.95 लाख रूपए तथा क्रॉस विनियामक: 4.06 लाख रूपए) का निरर्थक व्यय किया गया।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1999) कि विखण्डन कार्य पर किया गया 13.15 लाख रूपए का व्यय निरर्थक था तथा सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी। तथापि, उसने विखण्डन कार्यवाही को इस आधार पर उचित ठहराया कि राज्य सरकार ने विखण्डन की उस कार्यवाही से 3.66 करोड़ रूपए की बचत कर ली थी। उत्तर असंगत था क्योंकि नए पुल के निर्माण का विखण्डन से कोई ताल्लुक नहीं था जो कि कार्यकारी अभियन्ता द्वारा अनियमिततः किया गया था।

मामला सरकार को अप्रैल 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1999)।

*प्रतिवेदन*



#### 4.5 वितरिका के विस्तारण पर गैरन्यायोचित व्यय

इशरवाल वितरिका का 65.45 लाख रूपए की लागत से विस्तार किया गया था, यद्यपि इसमें से पानी प्रवाहित होने के कोई आसार नहीं थे।

सिवानी जल सेवा मण्डल, भिवानी में आर डी 62,500 से आर डी 70,000 तक इशरवाल वितरिका के विस्तारण हेतु परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल ने प्रकट किया (मई-जून 1999) कि प्रमापक रजिस्टर के अनुसार 88.65 क्यूसेकस के प्राधिकृत प्रवाह के विरूद्ध अधिकतम 45 क्यूसेकस तक पानी प्रवाहित किया गया था तथा प्रति वर्ष प्रायोजित 8,319 एकड़ क्षेत्र सिंचित करने के विरूद्ध प्रतिवर्ष औसतन 661 एकड़ ही सिंचित किया जा सका था क्योंकि सिवाय 5\* दिनों के जब 1996-99 के दौरान पानी आर.डी. 52,000 तक पहुँचा था, कभी भी आर डी 49,000 से आगे नहीं पहुँचा था।

यद्यपि 1996-99 के अन्तिम 3 वर्षों के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं था तथा उपलब्ध पानी आर डी 52,000 से आगे नहीं पहुँच सका था, मुख्य अभियन्ता, उत्थान नहर, सिंचाई शाखा द्वारा वितरिका का विस्तार आर डी 62,500 से आर डी 70,000 तक करने के लिए 52.99 लाख रूपए का एक विस्तृत प्राक्कलन सितम्बर 1997 में संस्वीकृत किया गया था तथा कार्य 65.46 लाख रूपए की कुल लागत पर मार्च 1999 में पूर्ण किया गया था। परन्तु प्रमुख अभियन्ता को यह ज्ञात नहीं था कि पानी कब उपलब्ध होगा। वितरण हेतु कोई पानी नहीं था तथा उपलब्ध वितरित पानी मौजूदा पश्च छोर तक नहीं पहुँच सका, यह व्यय अकारण तथा गैर न्यायोचित था।

अतः, वितरिका के विस्तारण हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा दी गई संस्वीकृति, पानी की उपलब्धता तथा किसानों को इसके वितरण के विषय में उचित सोच विचार किए बिना दी गई थी। मामले की छान-बीन करने की आवश्यकता है।

मामला सरकार को जुलाई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

#### 4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अभ्युक्तियों के प्रति कोई प्रतिक्रिया न दर्शाने के परिणामस्वरूप उत्तरदायिता का अपरदन

महालेखाकार (म.ले.) (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जाँच करने तथा महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों के नियतकालिक निरीक्षण की व्यवस्था करता है। इन निरीक्षणों

\* 27 अक्टूबर 1996 (आर डी 52000), 5 तथा 6 दिसम्बर 1996 (आर डी 50,000), 28 दिसम्बर 1996 (आर डी 50,500) तथा 14 दिसम्बर 1998 (आर डी 50,000)

के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं इत्यादि का उसी समय समाधान नहीं किया जा सकता तो ये निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित किए जाते हैं तथा इनकी एक प्रति उससे ऊपर वाले प्राधिकारी को भी प्रेषित की जाती है। म.ले. द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई कमियों, चूकों इत्यादि के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना में परिशोधनात्मक कार्यवाही तथा उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए उस (म.ले.) द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति कार्यकारियों द्वारा तत्पर प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए सरकार के नियम/आदेश प्रावधान करते हैं। कार्यालयाध्यक्षों तथा उससे ऊपर वाले प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी तथा दोषों एवं गलतियों का तत्परता से परिशोधन करने तथा उनके विषय में की गई अनुपालना से महालेखाकार को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। गम्भीर अनियमितताएं, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा विभागाध्यक्षों के ध्यान में भी लाई जाती हैं। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट, लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में विभाग के सचिव को भी प्रेषित की जाती है ताकि लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा समुक्तियों की वह सरलता से मॉनिटरिंग कर सके।

सिंचाई विभाग के 107 मण्डलों से सम्बन्धित जून 1999 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि 762 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 1652 अनुच्छेद जुलाई 1999 के अन्त तक लम्बित पड़े थे। इनमें से 218 अनुच्छेदों से समायुक्त 116 निरीक्षण प्रतिवेदनों का 10 वर्षों से अधिक समय तक भी समाधान नहीं किया गया था। लम्बित 762 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 1652 अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट XXXI में विवरणित की गई है। प्रथम उत्तर भी, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से छः सप्ताहों के बीच प्राप्त होने अपेक्षित थे, 31 मण्डलों को जनवरी 1998 तथा जून 1999 के बीच जारी किए गए 31 निरीक्षण प्रतिवेदनों के विषय में प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणीकृत निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताओं का जुलाई 1999 तक समाधान नहीं किया गया था:

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (रुपए करोड़ में)
1.	चोरी दुर्विनियोजन तथा गबन के कारण हानि	113	2.83
2.	अधिक अदायगी, सामग्री अधिक जारी करने, उनके जोखिम एवं लागत पर किए गए कार्य की लागत तथा आयकर, बिक्रीकर, ऋण शोध प्रभारों की अवसूली हेतु ठेकेदारों/अधिकारियों से वसूलनीय राशि	138	17.36
3.	सरकारी कर्मचारियों से कमियों/अधिक अदायगियों हेतु वसूलनीय राशि	101	1.39
4.	रोकड़ अभिरक्षण एवं व्यवस्थापन के नियमों की अनुपालना कोषालयों से आहरणों का मिलान करने, रोकड़ पुस्तकों के अनुरक्षण तथा विभागीय प्राप्तियों की अनियमित उपयोग्यता तथा संहिताय प्रावधानों की अनुपालना	224	27.26
5.	अतिरिक्त एवं परिहार्य व्यय, निक्षेप कार्यों पर किया गया अधिक व्यय, निधियों की प्रति पूर्ति न करना, सरकार की देयताएं, अनियमित, अनधिकृत तथा निष्फल व्यय	716	87.04
6.	अनियमित/अविवेकपूर्ण क्रय	26	3.08
7.	ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता	5	0.79
8.	अवमानक कार्यों का निष्पादन	47	3.18
9.	निधियों का अवरोधन	75	17.04
10.	सामग्री का अलेखांकन/कम प्राप्ति	56	3.75
11.	औजार एवं संयन्त्र विवरणियां न बनाना, विनिर्माणात्मक लेखाओं का संवरण न करना तथा मशीनरी की अवउपयोग्यता	60	9.06
12.	असंस्वीकृत प्राक्कलन तथा माप पुस्तिकाओं की हानि	65	5.58
13.	लाभग्राहियों से वसूलनीय राशि	17	24.65
14.	स्टॉक उच्चत, अन्य उपशीर्ष/सी एस ए के अधीन ऋणात्मक शेष	9	1.69
	कुल	1652	204.70

सिंचाई विभाग से सम्बन्धित, उत्तर प्राप्त न होने के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि उन मण्डलों के कार्यालयाध्यक्ष, जिनके अभिलेखों का लेखापरीक्षा में निरीक्षण किया गया था, तथा तत्सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता उचित उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने भारी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों का कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया था जो इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किए गए दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करने में उनकी असफलता का संकेत देता है। आयुक्त तथा सचिव, हरियाणा, सिंचाई विभाग, जिसे अर्ध-वार्षिकी रिपोर्ट्स के माध्यम से स्थिति के विषय में अवगत कराया गया था, वह भी यह सुनिश्चित करने में असफल रहा कि विभागों के सम्बन्धित अधिकारी समय पर तथा समुचित कार्यवाही करते रहें।

उपर्युक्त ने चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने की ओर भी संकेत दिया तथा जिससे गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं तथा सरकार को हानि पहुँचाने का सिलसला आसानी से चलता रहा यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित अनुच्छेदों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 150 अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलनीय 1.39 करोड़ रूपए की सामग्री की कमी तथा अधिक अदायगियों इत्यादि से सम्बन्धित 101 अनुच्छेद थे। 101 अनुच्छेदों में से 39 लाख रूपए से आवेष्टित 42 प्रकरण 10 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित थे। विभिन्न वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलनीय राशि के विवरण निम्नानुसार थे:

क्रम संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)	अवधि जिस हेतु लक्ष्या है
1.	कार्यकारी अभियन्ता	15	0.15	अगस्त 1984 तथा नवम्बर 1997 के बीच
2.	उप मण्डल अभियन्ता	26	0.29	जून 1984 तथा मई 1999 के बीच
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	81	0.86	अक्टूबर 1997 तथा सितम्बर 1998 के बीच
4.	अन्य	28	0.09	अप्रैल 1989 तथा फरवरी 1999 के बीच
	कुल	150	1.39	

1.39 करोड़ रूपए में से 0.77 करोड़ रूपए वसूली होने तक सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध 'विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम' में नैत्यकत: रख दिए गए थे तथा राशि की वसूली करने के लिए की गई अन्तिम कार्यवाही के कोई विवरण प्रेषित नहीं किए गए थे। 62 लाख रूपए की शेष राशि की वसूली अथवा समायोजन से सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी।

अतः, सरकारी देयों की वसूली के लिए विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के कारण कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायित्वता तथा वित्तीय अनुशासन की कमी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा लोक निधियों को अनधिकृत रूप से धारण कर रहे हैं। ऐसी अकर्मण्यताओं के कारण निधियों की वृहद् राशियों की स्थाई हानि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के आगे और विश्लेषण ने प्रकट किया कि 1636 अनुच्छेद (1652 में से) विभागाध्यक्षों से टिप्पणियां प्राप्त न होने (47 अनुच्छेद) तथा मण्डलीय अधिकारियों से तत्काल उत्तर प्राप्त न होने (1589 अनुच्छेद) के कारण लम्बित थे।

10 स्थानों पर परिमण्डल स्तर पर आयोजित (अप्रैल-जून 1999 के बीच) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के परिणामस्वरूप 51.07 करोड़ रूपए से आवेष्टित 508 अनुच्छेदों का समाधान किया गया था। प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., सिंचाई शाखा इस बात से सहमत था (जून 1999) कि परिणाम उपलब्ध करने के लिए भविष्य में भी ऐसी बैठकों को आयोजित किया जाएगा।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इस मामले में पुनः दृष्टिपात करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि: (क) समय-सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर प्रेषित करने में विफल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने, (ख) समय-बद्ध तरीके से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक अदायगियों को वसूलने के लिए कार्यवाही करने तथा (ग) विभाग में लेखापरीक्षा समुक्तियों के प्रति उचित प्रक्रिया हेतु प्रणाली को सुधारने के लिए पद्धति विद्यमान है।

मामला सरकार को सितम्बर 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

### जन स्वास्थ्य, सिंचाई तथा भवन एवं सड़क शारवाएं

#### 4.7 निधियों के व्यवस्थापन के लिए पद्धति में कमियां

लोक निर्माण मण्डलों की 1998-99 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित चूकें/कमियां देखी गई थी।

##### 4.7.1 उधार-पत्र की दुरुपयोज्यता

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) में जन स्वास्थ्य (ज.स्वा.), भवन एवं सड़क (भ.ए.व.स.) तथा सिंचाई शाखाओं को इन विभागों के अध्यक्षों को उधार-पत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा निधियां आबंटित की जाती है। वे, इसके बाद, अधीक्षक अभियन्ताओं के माध्यम से मण्डलों को निधियां आबंटित करते हैं। कार्यकारी अभियन्ता (मण्डल का प्रभारी), कोषाधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् उधार पत्र के तहत चैकस द्वारा राशि आहरित करता है। लो.नि.वि. नियम-पुस्तक प्रावधान करती है कि उधार-पत्र प्रणाली के अन्तर्गत, एक मण्डल से दूसरे मण्डल को नकद का हस्तान्तरण कठोरतया वर्जित था। अपिच, उधार-पत्र की राशि उसी उद्देश्य हेतु उपयोग की जानी थी जिसके लिए इसे प्राधिकृत किया गया था।

छान-बीन ने प्रकट किया कि 9 मण्डलों में, 1.74 करोड़ रूपए\* अनधिकृत रूप से उधार-पत्र के अपने आबंटन के विरुद्ध चैकस आहरित करने के पश्चात् दिसम्बर 1997 से दिसम्बर 1998 के दौरान अन्य मण्डलों (20.92 लाख रूपए) को हस्तान्तरित किए गए थे (जैसा कि नीचे विवरणित किया गया है), 86.42 लाख रूपए उन उद्देश्यों से अन्यत्र उद्देश्यों के लिए उपयोग

\* जनस्वास्थ्य मण्डल, नरवाना: 66.82 लाख रूपए, प्रान्तीय मण्डल-2, अम्बाला छावनी: 3.24 लाख रूपए; प्रान्तीय मण्डल, कुरुक्षेत्र: 77.75 लाख रूपए; प्रान्तीय मण्डल, सोनीपत: 0.20 लाख रूपए; प्रान्तीय मण्डल, यमुनानगर: 5.43 लाख रूपए; जल सेवाएं मण्डल, भिवानी: 15.92 लाख रूपए; सिद्धमुख निर्माण मण्डल-2, हिसार: 0.50 लाख रूपए; सिद्धमुख निर्माण मण्डल-3, हिसार: 1.30 लाख रूपए; तथा निर्माण मण्डल, सोनीपत: 3 लाख रूपए।



किए गए थे जिनके लिए इन्हें निर्मुक्त किया गया था तथा 66.82 लाख रूपए मु.अ./अ.अ. के अनुमोदन के बिना बैंकरज़ चैकस के रूप में रखे गए थे।

शाखा का नाम	मण्डलों की संख्या	राशि (रूपए लाखों में)
जन-स्वास्थ्य	1	66.82
भवन एवं सड़कें	4	86.62
सिंचाई	4	20.72
कुल	9	174.16

#### 4.7.2 पद्धति में दोष - कोषालय तथा वित्तीय नियम

असत्य प्रमाण - पत्र देकर ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अदायगी करने के लिए चैकस के माध्यम से अनियमित आहरण तथा बाद में उन्हें बैंक ड्राफ्टस के माध्यम से की गई अदायगियां।

(i) विभागीय अनुदेश निर्धारित करते हैं कि 10,000 रूपए की राशि तक स्वतः चैकस आहरित करने के लिए उप-मण्डलीय अधिकारियों को अनुमत किया गया था। वित्तीय नियमों के अन्तर्गत, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को 10 रूपए से अधिक की अदायगियां चैकस के माध्यम से की जानी थी। इन अनुदेशों के विपरीत, यह देखा गया कि 119 कार्यकारी अभियन्ताओं के अधीन उप-मण्डलीय अधिकारियों ने यह प्रमाण पत्र जारी करके 65.43 करोड़ रूपए की कुल राशि के 10,000 रूपए से अधिक के स्वतः चैकस आहरित किए कि राशियां श्रमिक अदायगियों/तिजोरी में रोकड रखने के लिए अपेक्षित थी। आगे, जन स्वास्थ्य तथा सिंचाई शाखाओं के 111 मण्डलों सहित 161 मण्डलों में मण्डलीय अधिकारियों ने स्वतः चैकस आहरित किए थे तथा चैकस की अपेक्षा बैंक ड्राफ्टस के माध्यम से 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान 34.50 करोड़ रूपए की राशि की ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अदायगियां की थी जैसा कि नीचे तालाकित किया गया है:

शाखा का नाम	मण्डलों की संख्या	चैकों के माध्यम से आहरण की गई राशि (रूपए करोड़ों में)	मण्डलों की संख्या	बैंक ड्राफ्टस के माध्यम से अदा की गई राशि (रूपए करोड़ों में)
सिंचाई	84	25.17	76	11.04
भवन एवं सड़कें	-	-	50*	16.00
जन-स्वास्थ्य	35	40.26	35	7.46
कुल	119	65.43	161	34.50

119 मण्डलों में से, 14\*\* मण्डलों ने 1997-98 से 1998-99 के वर्षों के दौरान 1.12 करोड़ रूपए से 6.27 करोड़ रूपए के बीच विचलित 34.21 करोड़ रूपए आहरित किए।

अवितरित राशियां।

(ii) वित्तीय नियम आगे प्रावधान करते हैं कि तीन महीने से अधिक पड़ी अप्रदत्त मजदूरी सरकारी खातों में जमा करवाई जानी चाहिए अथवा अगले बिलों में कम आहरित करके प्रत्यर्पित की जानी चाहिए। छान-बीन ने प्रकट किया कि 193 प्रकरणों में 10.21 लाख रूपए तीन महीनों

\* भवन एवं सड़क शाखा में उप मण्डलीय अधिकारी चैकस आहरित नहीं करते।

\*\* जन स्वास्थ्य मण्डल, अम्बाला कौन्ट: 2.05 करोड़ रूपए; जन स्वास्थ्य मण्डल - I, भिवानी: 6.17 करोड़ रूपए; लोहारू कार्य मण्डल, चरखी दादरी: 1.12 करोड़ रूपए; महेन्द्रगढ़ नहरी जल सेवाएं मण्डल, चरखी दादरी: 1.81 करोड़ रूपए; जन स्वास्थ्य मण्डल, हिसार: 6.27 करोड़ रूपए; जन स्वास्थ्य मण्डल - i करनाल: 2.35 करोड़ रूपए; प्रापण तथा निपटान मण्डल - I, मनीमाजरा: 1.96 करोड़ रूपए; जन स्वास्थ्य मण्डल - II, पानीपत: 1.27 करोड़ रूपए; पलवल जल सेवाएं, पलवल: 1.78 करोड़ रूपए; जनस्वास्थ्य मण्डल - I, रोहतक: 2.81 करोड़ रूपए; जन स्वास्थ्य मण्डल - II, रोहतक: 1.32 करोड़ रूपए; जनस्वास्थ्य मण्डल - I, सोनीपत: 2.06 करोड़ रूपए; जनस्वास्थ्य मण्डल - II, सोनीपत: 2.09 करोड़ रूपए तथा रोड़ी जल सेवाएं मण्डल, सिरसा: 1.15 करोड़ रूपए।

से 10 वर्षों से अधिक के लिए अप्रदत्त मजदूरी के रूप में लम्बित रखे गए थे। इसके अतिरिक्त, अप्रदत्त मजदूरी के 13.98 लाख रूपए से आवेष्टित 94 प्रकरणों में, सम्बन्धित शाखाओं (जन स्वास्थ्य: 15 प्रकरण: 2.01 लाख रूपए; भवन एवं सड़क: 36 प्रकरण: 5.35 लाख रूपए तथा सिंचाई: 43 प्रकरण: 6.62 लाख रूपए) द्वारा अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। यह न तो सरकारी खाते में जमा करवाई गई थी तथा न ही कम आहरण के रूप में प्रत्यर्पित की गई थी।

#### 4.7.3 निर्धारित चैकस की अननुपालना

**कैश-बुक के योगों को चैक नहीं किया गया था**

पी.एफ.आर खण्ड I के नियम 2.2. (iii) के अनुसार कैश-बुक का नियमित संवरण किया जाना चाहिए तथा पूर्णतया चैक की जानी चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष या तो स्वयं कैश-बुक के योग चैक करे अथवा कैश-बुक लिखने वाले से अन्यत्र किसी उत्तरदायी अधीनस्थ कर्मचारी से योगों को चैक करवाए तथा इसे ठीक होने के प्रमाण में आद्याहस्ताक्षरित करना चाहिए। 150 मण्डलों में यह देखा गया कि निर्धारित चैकस की अनुपालना नहीं की गई थी।


शाखा का नाम	मण्डलों की संख्या
जन स्वास्थ्य	36
भवन एवं सड़कें	48
सिंचाई	66
कुल	150

#### 4.7.4 अत्यधिक नकद शेषों का अनुचित धारण

106 आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् मार्च 1999 के समापन पर 0.10 लाख रूपए से 60.32 लाख रूपए के बीच श्रृंखलित 3.43 करोड़ रूपए के रोकड़ शेष, रोकड़ तिजोरी में रखे गए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

शाखा का नाम	एक लाख रूपए से कम के प्रकरणों की संख्या	एक लाख रूपए से पाँच लाख रूपए तक के प्रकरणों की संख्या	पाँच लाख रूपए से पचास लाख रूपए तक के प्रकरणों की संख्या	पचास लाख रूपए से अधिक के प्रकरणों की संख्या
जन स्वास्थ्य	15	4	1	-
भवन एवं सड़कें	13	1	-	-
सिंचाई	38	17	16	1
कुल	66	22	17	1

मामला सरकार को जुलाई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।





पांचवा अध्याय

स्टोर एवं स्टॉक  
लेखापरीक्षा अनुच्छेद





## पांचवा अध्याय

### स्टोर एवं स्टॉक

#### जेल विभाग

##### 5.1. स्टोर एवं स्टॉक

1996-99 की अवधि हेतु महा निदेशक, कारागार (म.नि.का.) के कार्यालय में, 2 केन्द्रीय जेलों तथा 2 जिला जेलों (राज्य में 10 जिला जेलों में से) के अभिलेखों की जनवरी-फरवरी 1999 के दौरान की गई नमूना-जाँच ने निम्नलिखित प्रसंग प्रकट किए:

##### 5.1.1. अधिक मात्रा में क्रय

जेल विभाग ने निदेशक, आपूर्ति तथा निपटान (नि.आ. एवं नि.), हरियाणा के माध्यम से 24.51 रूपए प्रति मीटर की दर पर 1.70 लाख मीटर सफेद दसूती कपड़े की आपूर्ति हेतु फर्म 'क' को सितम्बर 1993 में एक क्रय आदेश दिया था, आपूर्ति अक्टूबर 1994 तक की जानी थी। इस आदेश के तहत फर्म ने वैधता अवधि के दौरान केवल 0.50 लाख मीटर कपड़े की आपूर्ति की।

क्योंकि फर्म 'क' विस्तारित आपूर्ति अवधि के अन्दर कुल मात्रा की आपूर्ति करने में असफल रही, एक लाख मीटर सफेद दसूती कपड़े की आपूर्ति के लिए 32.97 रूपए प्रति मीटर की ऊंची दर पर नवम्बर 1994 में फर्म 'ख' को फर्म 'क' के जोखिम एवं लागत पर एक अन्य आपूर्ति आदेश दिया गया था। फर्म 'ख' भी निर्धारित तिथि तक कपड़े की आपूर्ति करने में विफल रही। अनुवर्तत: 43.25 रूपए प्रति मीटर की उच्चतर दर पर 1.20 लाख मीटर की आपूर्ति हेतु मार्च 1995 में फर्म 'ग' को एक अन्य आपूर्ति आदेश जारी किया गया था, आपूर्ति की अवधि मई 1995 तक थी। फर्म 'ग' ने पूर्ण मात्रा की आपूर्ति जून 1995 तक कर दी थी।

जब फर्म 'ग' से कपड़े की आपूर्ति प्रगति अधीन थी, फर्म 'ख' ने भी अप्रैल 1995 में कहा कि 0.50 लाख मीटर कपड़े का निरीक्षण कर लिया जाए। उसे रद्द करने की अपेक्षा क्योंकि फर्म 'ग' से आपूर्ति पहले ही ली जा चुकी थी, अतिरिक्त महा निदेशक, कारागार ने निरीक्षण के पश्चात् आपूर्ति लेने का आदेश दिया (मई 1995)। अतिरिक्त 0.50 लाख मीटर की आपूर्ति का निरीक्षण मई 1995 में किया गया था तथा जून 1995 में केन्द्रीय जेल, अम्बाला में प्राप्त की गई थी। 0.50 लाख मीटर की शेष आपूर्ति भी मई 1996 में केन्द्रीय जेल, हिसार में प्राप्त हो गई थी।

अतः, अतिरिक्त महा निदेशक, जेल के निर्देशों पर केन्द्रीय जेल अम्बाला, तथा हिसार द्वारा 32.97 लाख रूपए की लागत पर जून 1995 तथा जून 1996 में एक लाख मीटर सफेद दसूती कपडे का अविवेकपूर्ण क्रय किया गया था तथा जुलाई 1999 तक स्टॉक में अप्रयुक्त पड़ा था।

### 5.1.2. निधियों का अवरोध

चार जेलों\* में 1.40 करोड़ रूपए के मूल्य की कच्ची सामग्री जुलाई 1999 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। इसमें से, 75.92 लाख रूपए के मूल्य की निम्नलिखित सामग्री 1996-97 से पूर्व क्रय की गई थी।

जेल का नाम	भेदे	मात्रा	मे क्रय की गई	गत तीन वर्षों के लिए वार्षिक औसतन खपत	राशि (रूपए लाखों में)
केन्द्रीय जेल, अम्बाला	खाकी ड्रिल	8,099 एम 23,000 एम	1992-93 1995-96	6,934 एम	15.12
	जी.पी सीट 22 जी	238 किबंटल	1993-94	4 किबंटल	5.72
	लोह सीट	82 किबंटल	1990-91	1.07 किबंटल	1.89
	कैल लकड़ी	175 संख्या	1990-91	1 संख्या	3.16
केन्द्रीय जेल, हिसार	लम्बी कीलें	113 किबंटल	1994-95	11.42 किबंटल	1.92
	खाकी ड्रिल	18,741 एम 30,000 एम	1993-94 1994-95	4519 एम	16.72
	ग्रे कपडा	6,715 एम	1994-95	-	3.11
	सफेद ड्रिल	5,403 एम	1995-96	-	1.95
जिला जेल, भिवानी	लम्बी कीलें	115 किबंटल	1995-96	-	2.06
	खादी सूतली	423 किबंटल 839 किबंटल	1992-93 1994-95	68 किबंटल	21.65
	सूती धागा	60 किबंटल से 2 किबंटल	1992-93 1993-94	3 किबंटल	2.62
कुल					75.92

उपर्युक्त तालिका ने प्रकट किया कि 1994-96 के दौरान क्रीत 36.82 लाख रूपए\*\* के मूल्य की स्टोर सामग्री अविवेकपूर्ण थी क्योंकि 1992-94 के दौरान क्रीत 16.67 लाख रूपए के मूल्य की वही सामग्री जुलाई 1999 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। आगे, 1994-96 के दौरान क्रीत 10.28 लाख रूपए के मूल्य की स्टोर सामग्री इसके क्रय दिवस से ही उपयोग नहीं लाई गई थी। 1996-99 के तीन वर्षों के आधार पर वार्षिक औसतन खपत, विशेष वर्ष में किए गए क्रयों से बहुत कम थी।

सम्बन्धित जेल ने अगले 3 से 9 वर्षों में अनपेक्षित गैर न्योयोचित/अनावश्यक क्रय करने के लिए कारणों की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी।

\* अम्बाला: 46.81 लाख रूपए; भिवानी: 26.09 लाख रूपए, हिसार: 59.82 लाख रूपए तथा रोहतक 7.50 लाख रूपए।

\*\* अम्बाला खाकी ड्रिल: 33,000 मी: 12.14 लाख रूपए, हिसार: खाकी ड्रिल: 30,000 मी: 10.29 लाख रूपए तथा भिवानी: खादी सूतली: 839 किबंटल: 14.39 लाख रूपए।

अम्बाला खाकी ड्रिल: 8,099 मी: 2.98 लाख रूपए; हिसार: खाकी ड्रिल: 18,741 मी: 6.43 लाख रूपए तथा भिवानी: खादी सूतली: 423 किबंटल 7.26 लाख रूपए


अम्बाला: कैल लकड़ी: 175 नम्बर: 3.16 लाख रूपए; हिसार: ग्रे कपडा: 6,715 मी: 3.11 लाख रूपए, सफेद ड्रिल: 5,403 मी: 1.95 लाख एवं लम्बी कीलें: 115 किबंटल: 2.06 लाख रूपए

जबकि केन्द्रीय जेल, हिसार ने बताया (अगस्त 1999) कि 100 तम्बुओं (टैन्टस) के निर्माण का एक आदेश लम्बित पड़ा था जिसमें 3.06 लाख रूपए के मूल्य की 9,000 मीटर खाकी ड्रिल लगेगी, केन्द्रीय जेल, अम्बाला ने बताया (अगस्त 1999) कि कोई आदेश लम्बित नहीं पड़ा था।

अतः, 3.06 लाख रूपए के मूल्य की सामग्री का इस्तेमाल कर लिए जाने के पश्चात् भी 72.86 लाख रूपए की कच्ची सामग्री अन्य विभागों से नए आपूर्ति आदेशों की प्राप्ति तक अप्रयुक्त पड़ी रहेगी।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (सितम्बर 1999)।





## छठा अध्याय

स्थानीय निकायों तथा अन्यो को  
वित्तीय सहायता  
लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1938

कि जिनके नाम जितनी जिनके  
जिनके नाम जिनके  
जिनके नाम जिनके

## छठा अध्याय

### स्थानीय निकायों तथा अन्यो को वित्तीय सहायता

#### 6.1 सामान्य

(क) स्वायत्त निकाय तथा प्राधिकरण जन उपयोगी सेवाओं के गैर वाणिज्यिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार भी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सहकारी समिति अधिनियम, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, धर्मार्थ संस्थाओं के रख रखाव, स्कूलों एवं चिकित्सालय भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण, नगरपालिकाओं तथा स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत सड़कों एवं अन्य संचारण सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाते हैं।

वर्ष 1998-99 के दौरान, सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्यो को मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकृत 380.76 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की:

क्रम संख्या	संस्था का नाम	प्रदत्त सहायता की राशि (रूपए करोड़ों में)
1.	विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थाएं	102.12
2.	नगर परिषद् तथा नगरपालिकाएं	103.76
3.	जिला परिषद् तथा पंचायती राज संस्थाएं	2.67
4.	विकास अभिकरण	87.27
5.	चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	8.39
6.	अन्य संस्थाएं (साविधिक निकायों सहित)	76.55
	कुल	380.76

#### (ख) उपयोज्यता प्रमाण पत्रों को भेजने में विलम्ब

सरकार के वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि जहाँ सहायता अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिए जाते हैं वहाँ विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होते हैं तथा सत्यापन पश्चात् यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो ये अनुदान की संस्वीकृति की तिथि के 15 महीनों के भीतर महालेखाकार (म.ले.) को अग्रेषित किए जाने चाहिए।

1986-87 से 1997-98 के दौरान प्रदत्त 959.25 करोड़ रूपए के सहायता अनुदानों तथा ऋणों के लिए देय 2,026 उपयोज्यता प्रमाण पत्रों में से 30 जून 1999 तक 419.76 करोड़ रूपए के केवल 904 उपयोज्यता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजे गए थे तथा 539.49 करोड़



2000 का प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल)

रूप के 1,122 प्रमाण पत्र बकाया थे। बकाया उपयोज्यता प्रमाण पत्रों का विभाग-वार तथा अवधि-वार विघटन निम्नानुसार था:

विभाग	1994-95 तक		1995-96		1996-97		1997-98	
	प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)	प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)	प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)	प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)
शिक्षा	-	-	-	-	15	32.02	13	48.01
चिकित्सा	33	5.31	10	0.85	1	0.03	3	0.04
कृषि	1	0.01	-	-	-	-	-	-
विकास एवं पंचायत	61	2.35	7	3.60	55	2.88	58	7.80
कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण	2	0.59	-	-	-	-	4	4.70
आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार	83	29.27	57	11.70	34	5.00	17	5.00
राजस्व	7	1.32	1	0.04	--	--	-	-
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	-	-	-	-	17	6.99	41	4.60
खेलकूद	10	0.83	17	2.16	14	2.93	31	2.11
जन स्वास्थ्य	1	9.39	57	56.17	57	170.70	52	102.46
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	1	0.01	4	0.34	1	0.05	5	0.11
कला एवं संस्कृति	-	-	-	-	-	-	1	0.08
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	2	0.07	6	0.38	3	0.09	1	0.05
परिस्थितिकी एवं पर्यावरण	-	--	-	-	-	-	5	0.19
ग्रामीण एवं लघु पैमाना उद्योग	-	--	-	-	-	-	9	1.25
शहरी विकास	111	7.89	8	0.79	92	1.17	80	1.18
आवास	-	-	2	0.17	15	4.38	17	2.43
कुल	312	57.04	169	76.20	304	226.24	337	180.01

17 विभागों में से, 10 विभाग निरन्तर गत तीन वर्षों से अर्थात् 1995-96 से 1997-98 तक उपयोज्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

(ग) लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब

स्वायत निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत करने तथा उन पर राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति जुलाई 1999 को निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	निकाय का नाम	वर्ष जब तक लेखे देय है	वर्ष जब लेखे प्रस्तुत किए गए हैं	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए हैं	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए हैं	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम न करने के कारण
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1997-98 से लेखापरीक्षा सौंपी नहीं गई थी।
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	1997-98	1996-97	1996-97	1997-98 हेतु प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्यालय को अनुमोदनार्थ जारी किया गया (अगस्त 1999)।
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला	1998-99	1994-95	1993-94	1989-90	1994-95 हेतु लेखाओं का प्रमाणीकरण दिया जा रहा है। 1997-98 से लेखापरीक्षा सौंपी नहीं गई थी।
4.	आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला	1998-99	1997-98	1996-97	1993-94	वर्ष 1997-98 हेतु प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर बोर्ड से प्रतीक्षित है।
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	1998-99	-	-	-	वर्ष 1995-96 से 1998-99 हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए।
6.	हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चण्डीगढ़	1998-99	1997-98	1995-96	-	1996-97 तथा 1997-98 वर्षों हेतु प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए जाने का कार्य प्रगतिशील है।
7.	हरियाणा वन विकास बोर्ड (निष्क्रिय)	1982-83 से 1985-86	-	-	-	1982-83 से 1985-86 की अवधि हेतु लेखे जुलाई 1999 में प्राप्त हुए थे। लेखापरीक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है।
8.	मेवात विकास अभिकरण, नूह, (गुडगांव)	1996-97 से 1998-99	-	-	-	लेखापरीक्षा वर्ष 1999 में सौंपी गई थी। वर्ष 1996-97 से 1998-99 हेतु लेखे प्रतीक्षित हैं।

निम्नलिखित निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 5 वर्षों की अवधि हेतु भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है जैसा कि नीचे विवरणित किया गया है:

क्रम संख्या	निकाय का नाम	सुपुर्देशी की अवधि
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	1992-93 से 1996-97
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99 से 2002-2003
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला	1992-93 से 1996-97*
4.	आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला	1994-95 से 1998-99
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	1995-96 से 1999-2000
6.	हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चण्डीगढ़	1995-96 से 1999-2000
7.	मेवात विकास बोर्ड, नूह, (गुडगांव)	1996-97 से 2001-2002

\*

इन स्वायत निकायों की लेखापरीक्षा 1997-98 से आगे के लिए सौंपी नहीं गई थी। मामले के विषय में उनसे सम्पर्क किया गया था (अक्टूबर 1997), उनकी सहमति प्रतीक्षित है (अगस्त 1999)।

(घ) लेखापरीक्षा प्रबन्ध

स्थानीय निकायों (जिला परिषद, नगरपालिकाएं, नगर क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियां), शैक्षणिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्यो की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा की गई थी। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा पंजीयक, सहकारी समितियां, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा की जाती है।

एक सौ बाईस स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों, वर्ष 1997-98 हेतु जिनके लेखे प्राप्त हुए थे, की लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी। इनमें से 97 निकायों/प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा 1998-99 के दौरान की गई थी। शेष 25 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा देय नहीं हुई थी।

91 निकायों/प्राधिकरणों के 1998-99 तथा पूर्ववर्ती वर्षों के एक सौ छयासी वार्षिक लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जुलाई 1999 तक प्राप्त नहीं हुए थे। विवरण परिशिष्ट XXXII में दिए गए है। इन निकायों/प्राधिकरणों में से नगर समिति, भिवानी ने 6 वर्षों, नगर समिति, करनाल ने 5 वर्षों तथा नगर समिति, बहादुरगढ़, नारनौल, नगर निगम, फरीदाबाद तथा हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़ ने 4 वर्षों के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

लेखापरीक्षा से उद्भूत कुछ रोचक बातें अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित की गई हैं।

**कृषि विभाग**  
**(हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)**

**6.2 विलम्बित भुगतान के कारण अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान**

**बिजली बिलों की विलम्बित अदायगी के कारण ह.रा.कृ.वि.बो. ने 13.14 लाख रूपए के अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान करना पडा**

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (ह.रा.बि.बो.) ने 'अनाज मडियों' की स्ट्रीट लाईटों पर वाणिज्यिक शुल्क-दर लगाने का निर्णय लिया (सितम्बर 1984) क्योंकि ये आम जनता के लिए अभिप्रेत नहीं थी तथा इसकी बजाए मण्डी में दुकानों की देख रेख तथा अभिरक्षा के लिए अभिप्रेत थी। ह.रा.बि.बो. तथा मार्किट कमेटी (मा.क.) समालखा के बीच करारनामे के अनुसार अधिशुल्क के सिवाय प्रत्येक बिजली बिल का भुगतान बिल की राशि में कोई विवाद तथा अन्तर के बावजूद सम्बन्धित शुल्क दर के अनुसार इसके जारी होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना था। अधिक भुगतान, यदि कोई हो, विवाद के निपटारे के पश्चात् बाद के बिलों में समायोजित किया जाना था।

मा.क., समालखा (पानीपत) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च 1998), यह देखा गया कि बिजली बिलों का भुगतान अगस्त 1988 से सितम्बर 1996 तक इस आधार पर नहीं किया गया था कि बिलों में, आम जनता के प्रयोग हेतु लागू शुल्क दर की बजाय वाणिज्यिक

शुल्क दर प्रभारित की गई थी। विवाद का निपटारा करने के लिए, मा.क. ने जून 1989 में सिविल कोर्ट पानीपत में एक याचिका दायर कर दी। मामला मा.क. के विरुद्ध अप्रैल 1996 में निर्णित किया गया था। कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में, मा.क. ने ह.रा.बि.बो. को 19.37 लाख रूपए अदा किए जिसमें अगस्त 1988 से सितम्बर 1996 तक की अवधि के लिए बिजली बिलों के विलम्बित भुगतान के कारण 13.14 लाख रूपए का अधिशुल्क सम्मिलित था।

अतः, निर्णय, ह.रा.बि.बो. के साथ हुए करारनामे के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ नहीं था तथा बिलों के भुगतान के कारण मा.क. को 13.14 लाख रूपए के अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान करना पड़ा था।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 1998) मा.क. ने बताया (जनवरी 1999) कि वह समिति के हित में न्यायालय में चली गई थी तथा मुकदमा न्यायालय में निर्णय अधीन होने के दृष्टिगत बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की गई थी। मा.क. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बिजली बिलों का भुगतान अधिशुल्क के भुगतान से बचने के लिए करारनामे के अनुसार किया जाना चाहिए था तथा यदि बाद में ऐसा निर्णय किया जाता तो आधिक्य को आगामी बिलों में समायोजित किया जा सकता था।

मामला सरकार को जनवरी 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

### 6.3 मंडी के विकास पर निष्फल व्यय

तिगांव में एक नई अनाज मार्केट विकसित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय ने 10.32 लाख रूपए के समस्त व्यय को निष्फल कर दिया था

मार्केट कमेटी (मा.क.), फरीदाबाद ने 1984-91 के दौरान 10.32 लाख रूपए (भूमि की लागत: 3.20 लाख रूपए; चारदीवारी का निर्माण: 3.38 लाख रूपए तथा प्लेटफार्म तथा सड़कें 3.74 लाख रूपए) की एक नई अनाज मंडी विकसित की।

मा.क., फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया (जनवरी 1999) कि मंडी में कृषि उत्पादन की कोई बिक्री / क्रय नहीं हुए थे तथा स्थान इसके प्रारम्भ से ही अप्रयुक्त पड़ा था तथा उसकी चारदीवारी टूट गई थी। मा.क., फरीदाबाद की अनुशंसाओं पर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) की केन्द्रीय अतिक्रमण समिति (के.अ.स.) ने भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय किया (सितम्बर 1995)। तथापि, अप्रैल 1999 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

अतः मार्केट कमेटी, फरीदाबाद द्वारा उप प्रांगण विकसित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा पौधारोपण हेतु वन विभाग को भूमि स्थानान्तरित करने की केन्द्रीय अतिक्रमण कमेटी की अनुशंसाओं पर अमल करने में असफलता के कारण किया गया 10.32 लाख रूपए का समस्त व्यय लगभग एक दशक के लिए निष्फल बना।



मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

#### 6.4 सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

ह.रा.कृ.वि.बो. द्वारा वन विभाग/भारत सरकार की अनुमति के बिना सड़क के निर्माण पर किया गया 13.96 लाख रूपए का व्यय व्यर्थ हुआ

कार्यकारी अभियन्ता(का.अ.), ह.रा.कृ.वि.बो., कुरूक्षेत्र ने आर डी-0 से 15500 तक (4.08 किलो मीटर (कि.मी.) गांव रत्ताखेडा से बुबकपुर तक लुप्त ग्रामीण लिंक सड़क के निर्माण का कार्य 14.75 लाख रूपए की लागत पर एक ठेकेदार को दिया (सितम्बर 1989) जो कि 12 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। 0.83 लाख रूपए तक का मिट्टी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ठेकेदार ने कार्य अधूरा छोड़ दिया।

कार्य पहले ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर 15.50 लाख रूपए की लागत पर एक अन्य ठेकेदार को पुनः आबंटित किया गया था (जनवरी 1991)। ठेकेदार ने आर.डी 7750 से 9900 तक (1.25 कि.मी.) सड़क के एक टुकड़े जो कि आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ता है, के सिवाय 13.96 लाख रूपए की लागत पर कार्य दिसम्बर 1993 में पूर्ण किया। परिणामस्वरूप, सड़क 1.25 कि.मी. अनावृत खाली जगह के कारण, उपयोग नहीं की जा सकी। ह.रा.कृ.वि.बो. ने सड़क के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान करने के लिए मामला अगस्त 1994 में वन विभाग के साथ उठाया परन्तु जून 1999 तक अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

क्योंकि सड़क का सुरेखण सुरक्षित वन के रास्ते से गुजर रहा था, वन विभाग/भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने का का.अ. का निर्णय पूर्णतः अविवेकपूर्ण तथा अन्यायसंगत था तथा इसने 13.96 लाख रूपए के समस्त व्यय को निष्फल कर दिया। चूक के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

#### 6.5 नाले के निर्माण पर फजूल खर्च

घटिया आयोजना के कारण ह.रा.कृ.वि.बो. ने नाले के निर्माण तथा इसके अनुवर्ती आवरण पर 9.89 लाख रूपए का फजूल व्यय किया

मुख्य प्रशासक (मु.प्र.), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) ने मार्किट कमेटी (मा.क.), सिरसा के निक्षेप कार्य के रूप में 9.91 लाख रूपए की अनुमानित लागत से सिरसा रानिया सड़क (शिव चौक) के साथ-साथ अतिरिक्त अनाज मंडी तक एक खुले नाले के निर्माण

का प्रशासनिक अनुमोदन किया (दिसम्बर 1992)। तदनुसार, कार्य 9.52 लाख रूपए की लागत पर जनवरी 1994 में पूर्ण करवाया गया था।

क्योंकि नाले के दोनों ओर कोई निकास जोड़ नहीं था, समस्त नाला मिट्टी/गंदगी के साथ भर जाता था जिसके परिणामस्वरूप वर्षा जल सड़क की ओर छलक तथा संचयित हो जाता था। नाला भर जाने की समस्या को सुलझाने के लिए ह.रा.कृ.वि.बो. ने फिर से मा.क., सिरसा में निक्षेप कार्य के रूप में 4.13 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर विद्यमान खुले नाले को ढकने के लिए एक अन्य प्रशासनिक अनुमोदन किया (दिसम्बर 1994)। तथापि, दो माह के भीतर सम्पूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देशों के साथ कार्य 4.59 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर मार्च 1998 में एक ठेकेदार को आर्बटित किया गया था।

जब नाले को ढकने का कार्य आरम्भ किया गया, आढतियों\* की ऐसोसिएशन तथा स्थानीय निवासियों ने बोर्ड के कार्यकारी अभियन्ता (का.अ.) से सम्पर्क किया तथा इच्छा व्यक्त की कि नाले को ढकने का कार्य बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा तथा आगे आग्रह किया कि केवल उचित तीव्र नाले का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। तदनुसार, कार्यकारी अभियन्ता मा.क. सिरसा द्वारा कार्यकारी अधिकारी - सह-सचिव तथा आढतियों की ऐसोसिएशन के सदस्यों के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया (जुलाई 1998) तथा यह विचार प्रकट किया कि नाला ढकने से कोई संतोषजनक परिणाम उपलब्ध नहीं होगा। सचिव, मा.क., सिरसा ने बोर्ड से मामले की जाँच-पड़ताल करने तथा मा.क. को हानि पहुँचाने के लिए उत्तरदायित्व नियत करने का आग्रह किया (अगस्त 1998) क्योंकि पूर्ण स्कीम बेकार सिद्ध हुई। कार्य जुलाई 1998 में रोक दिया गया था। इसी बीच ठेकेदार को उस द्वारा किए गए कार्य के लिए दिसम्बर 1998 में 0.37 लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया था।

अतः, ह.रा.कृ.वि.बो. द्वारा घटिया आयोजना किए जाने के कारण, नाले के निर्माण पर किया गया 9.89 लाख रूपए का समस्त व्यय (9.52 लाख रूपए नाले के निर्माण पर तथा 0.37 लाख रूपए इसे ढकने के लिए) व्यर्थ सिद्ध हो गया था जिसके लिए जून 1999 तक कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया था।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

**6.6. परियोजना को अन्तिम रूप न देने के कारण धन का अवरोधन**

परियोजना को अन्तिम रूप देने में असफलता के कारण ह.रा.कृ.वि.बो द्वारा किया गया 9.37 करोड़ रूपए का व्यय अवरूद्ध रहा तथा कोई कथित लाभ उपलब्ध नहीं हुआ था।

फलों तथा सब्जियों के विपणन हेतु आधारभूत संरचना विकसित करने, राज्य के किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने राई में एक आधुनिक फल तथा सब्जी विपणन तथा प्रोसैसिंग कम्पलैक्स स्थापित करने का निर्णय किया (मार्च 1993)। तदनुसार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) ने 9.01 करोड़ रूपए की कुल लागत पर नवम्बर 1994 तथा नवम्बर 1997 के बीच 523\* एकड़ भूमि अधिगृहित की। दिसम्बर 1997 में 35.69 लाख रूपए चार दिवारी के निर्माण (25.59 लाख रूपए), आधार शिला स्थापित करने (1.94 लाख रूपए) तथा बोर्ड इत्यादि के विस्थापन पर (8.16 लाख रूपए) खर्च किए। परियोजना 4 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जानी थी।

जुलाई 1995 में, सरकार ने सभी प्रमुख राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पूर्व अर्हताओं हेतु निविदाएं आमन्त्रित करके एक उचित परियोजना सलाहकार का पता लगाने तथा नियुक्त करने का निर्णय लिया। जब निविदाएं प्रक्रिया अधीन थी, तकनीकी तथा वित्तीय सहायता माँगने तथा परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु संगठन/एजेंसी को भी चिन्हित करने के लिए मामले पर भारत सरकार (भा.स.) से भी सम्पर्क किया गया था। भारत सरकार से कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था। मई 1999 तक कोई भी परियोजना सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप परियोजना की मास्टर योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था (मई 1999) तथा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी संगठन/एजेंसी की पहचान नहीं की गई थी।

अतः, परियोजना को अन्तिम रूप देने में असफलता के कारण 9.37 करोड़ रूपए अवरूद्ध रहे तथा किसानों की सहायता करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए थे।

ह.रा.कृ.वि.बो./सरकार ने अपने उत्तर (अप्रैल 1999) में तथ्य स्वीकार किए तथा बताया कि परियोजना सलाहकार की नियुक्ति करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया था तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सलाहकार द्वारा उसकी नियुक्ति के पश्चात् तैयार की जाएगी।

\* नवम्बर 1994: 412 एकड़, अप्रैल 1995: 64 एकड़ (निशुल्क) तथा नवम्बर 1997: 47 एकड़।



### 6.7. सड़क की विशेष मरम्मत पर परिहार्य व्यय

अनुपयुक्त सर्वेक्षण तथा दोषपूर्ण आयोजना के कारण ह.रा.कृ.वि.बो. ने सड़क की मरम्मत पर 11.29 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया

‘तोशाम- भिवानी उप मार्ग सड़क से नई अनाज मण्डी भिवानी की ओर जा रही सड़क की विशेष मरम्मत’ का कार्य कार्यकारी अभियन्ता ह.रा.कृ.वि.बो., भिवानी द्वारा तैयार किए गए कच्चे लागत प्राक्कलन के आधार पर मुख्य प्रशासक (मु.प्र.) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) द्वारा 19.33 लाख रूपए के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था (मई 1995) तथा अधीक्षक अभियन्ता (अ.अ.) ह.रा.कृ.वि.बो., रोहतक द्वारा संस्वीकृत किया गया था। कार्य पूर्ण लम्बाई पर, टूटे हुए टुकड़ों (पैचिज) में स्टोन सोलिंग तथा स्टोन मैटल तथा टेक एवं सील कोट के 20 एम एम गाड़े प्रिमिक्स कारपैट से आवेष्टित था। कार्य जून 1996 में 20.30 लाख रूपए के व्यय से पूर्ण किया गया था। तथापि, रेतीली मिट्टी सतह तथा नहर के किनारों से पानी के रिसाव की उच्च प्रबलता के कारण पानी ने केशिका क्रिया के कारण सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा अत्यधिक यातायात की उच्च तीव्रता के कारण सड़क का पक्का भाग बहुत स्थानों पर असमतल रूप से दब गया था।

तदनुसार, सड़क की विशेष मरम्मत के 3 मास के भीतर, बोर्ड के मुख्य अभियन्ता ने उसी सड़क को मजबूत करने हेतु मु.प्र., ह.रा.कृ.वि.बो. द्वारा सितम्बर 1996 में प्रदान किया गया 50.24 लाख रूपए (बाद में नवम्बर 1996 में 68.74 लाख रूपए तक संशोधित किया गया) का प्रशासनिक अनुमोदन सूचित किया। उपर्युक्त कार्य में पूर्ण लम्बाई पर पेवर के साथ 50 एम एम गाड़े तारकोल की पक्की सड़क तथा टेक कोट सहित 25 एम एम गाड़े प्रिमिक्स कारपैट सम्मिलित थे। परिणामतः विशेष मरम्मत (विशेष प्रीमिक्स कारपेटिंग इत्यादि) के दौरान किया गया कार्य अधिकांशतः निष्फल हुआ। संशोधित कार्य नवम्बर 1996 से जून 1998 के दौरान 61.07 लाख रूपए की लागत से किसी एक एजेंसी के माध्यम से निष्पादित करवाया गया था।

ह.रा.कृ.वि.बो. के अभिलेखों की नवम्बर-दिसम्बर 1997 में की गई नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि ह.रा.कृ.वि.बो. जुई फीडर के पानी के रिसाव तथा सड़क पर भारी ट्रैफिक के गुजरने के प्रभाव को आँकने में विफल रहा तथा टेक तथा सील कोट के साथ प्रीमिक्स कारपैट के माध्यम से सड़क की विशेष मरम्मत पर 11.29 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया।

कार्यकारी अभियन्ता, ह.रा.कृ.वि.बो. भिवानी ने बताया (अक्टूबर 1998) कि सड़क को मजबूत इसलिए करवाया गया था क्योंकि जुई फीडर (कच्चा) सड़क के समानान्तर चलती है तथा पानी के रिसाव एवं चोए के स्तर में तीव्र चढ़ाव के कारण सड़क दोलायमान होगई। का.अ. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ये अभिज्ञप्त तथ्य विशेष कार्य हाथ में लिए जाने से पूर्व विचार किए जाने अपेक्षित थे।

मामला सरकार को जून 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ( 1999)।

सितम्बर



सहकारिता विभाग  
(हरियाणा राज्य सहकारिता आपूर्ति तथा विपणन परिसंघ मर्यादित)

6.8 शीतागार संयंत्र की उपेक्षा तथा इसके अनुचित रखरखाव के कारण हानि

संयंत्र तथा मशीनरी को गलत ढंग से रखने तथा उसका एवं शीतागार में स्टोर किए गए स्टॉक का बीमा न करवाने की असफलता के कारण हैफेड ने 16.26 लाख रूपए की हानि उठाई

सभी कार्यशील विपणन परिसंघ मर्यादित (हैफेड) शीतागारों को उचित बीमे से आवृत किया जाना था तथा संयंत्र एवं मशीनरी तथा शीतागार में स्टोर किए गए स्टॉक का सम्बन्धित जिला प्रबन्धक/महाप्रबन्धक द्वारा बीमा करवाया जाना था।

संवीक्षा ने प्रकट किया कि शाहबाद के शीतागार में 10 से 29 जनवरी 1992 के दौरान स्टोर किए गए आलुओं की 53,255 बोरियों में से 11,782 बोरियां क्षतिग्रस्त हो गई थी क्योंकि दोषपूर्ण विद्युत रोधन तथा संयंत्र एवं मशीनरी के गलत ढंग से रखने के कारण चैम्बरो का ताप जुलाई से सितम्बर 1992 के दौरान 38.8° एफ से बढ़कर 64° एफ हो गया था। संयंत्र एवं मशीनरी तथा शीतागार में स्टॉक किए गए स्टोर का कोई बीमा आवरण प्राप्त नहीं किया गया था। अप्रसन्न किसानों ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण सुधार फोरम (फोरम), कुरूक्षेत्र से सम्पर्क किया (नवम्बर 1992), जिसने किसानों के पक्ष में 16.26 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय दिया। हैफेड ने फोरम के निर्णय तथा हैफेड तथा किसानों के बीच पारस्परिक समझौते की अनुपालना में दिसम्बर 1992 तथा नवम्बर 1995 के दौरान राशि अदा कर दी।

हैफेड ने संयंत्र एवं मशीनरी तथा आलुओं के स्टॉक का बीमा न करवाने की चूक के लिए, जिला प्रबन्धक, हैफेड, कुरूक्षेत्र को जिम्मेवार ठहराया (अप्रैल 1995) तथा उसके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया तथा जाँच आरम्भ कर दी। यद्यपि चार वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है, विभाग जाँच को अन्तिम करने में असफल रहा (जून 1999)।

अतः, संयंत्र एवं मशीनरी को गलत ढंग से रखने तथा शीतागार में संयंत्र एवं मशीनरी तथा उसमें स्टोर किए गए स्टॉक का बीमा करवाने में विफलता के कारण हैफेड ने 16.26 लाख रूपए की हानि उठाई।

मामला सरकार को जुलाई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

**आवास विभाग**  
(आवास बोर्ड हरियाणा)

**6.9 गृहों का अविवेकपूर्ण निर्माण**

आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा गृहों के अविवेकपूर्ण निर्माण के परिणामस्वरूप 30.60 करोड़ रूपए की निधियों का अवरोधन किया गया

हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार आवास बोर्ड हरियाणा (आ.बो.ह.), ऐसी आवास स्कीमों के किसी क्षेत्र में जो यह जनता तथा सहकारी समितियों इत्यादि को आबंटन हेतु आवश्यक समझे, के कार्य हाथ में ले सकता है।

आ.बो.ह. के चेयरमैन ने 8 शहरी भू सम्पदाओं के आवेदकों की पंजीकृत संख्या के आधिक्य में गृहों के निर्माण हेतु अनुमोदन दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई तथा अगस्त 1998) ने प्रकट किया कि इससे पहले कि यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता, मुख्य अभियन्ता ने इसका प्रस्ताव रखा तथा मुख्य प्रशासक ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। 8 शहरी भू सम्पदाओं में 601 पंजीकृत आवेदकों के विरुद्ध जुलाई 1991 तथा अगस्त 1996 के दौरान 1,426 गृह निर्मित किए गए। इनमें से 760 गृह अप्रैल 1999 तक अनाबटित रहे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

शहरी सम्पदा का नाम	निर्माण पूरा किए जाने का मास तथा वर्ष	निर्मित गृहों की संख्या	पंजीकृत गृहों की संख्या	आबटित एवं स्वीकृत गृहों की संख्या	अनाबटित पड़े गृहों की संख्या
अम्बाला शहर	सितम्बर 1993 तथा अप्रैल 1994	164	61	2	162
भिवानी	जुलाई तथा अक्टूबर 1991	134	78	72	62
जगाधरी	अगस्त 1996	380	74	360	20
जींद	नवम्बर 1992 तथा जुलाई 1993	169	130	109	60
करनाल	मई 1994	222	12	2	220
रोहतक	अप्रैल तथा दिसम्बर 1993	281	201	81	200
शाहबाद	जनवरी 1994	34	13	18	16
सिरसा	जुलाई 1994	42	32	22	20
	कुल	1,426	601	666	760

ये गृह 13 से 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर भारतीय शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से निधिएं उधार लेकर बनाए गए थे। अनाबटित गृहों की लागत पर संचयित ब्याज जून 1998 को 10.50 करोड़ रूपए था। अतः, आवश्यकता के आधिक्य में तथा माँग का उचित सर्वेक्षण किए बिना गृहों को निर्मित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 30.60 करोड़ रूपए\* की निधियां अवरूद्ध हुईं।

मुख्य प्रशासक (मु.प्र.), आ.बो.ह. ने बताया (अक्टूबर 1998) कि भविष्य में पर्याप्त माँग/पंजीकरण के बिना किसी भी स्थान पर गृहों के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा। मु.प्र., आ.बो.ह. ने आगे बताया (जुलाई 1999) कि अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं

\* 1991-92: 1.41 करोड़ रूपए; 1993-94: 0.46 करोड़ रूपए; 1994-95: 7.48 करोड़ रूपए; 1995-96: 0.71 करोड़ रूपए; 1996-97: 20.32 करोड़ रूपए तथा 1997-98: 0.22 करोड़ रूपए।

(जो हुड्डा द्वारा प्रदान की जानी थी), विज्ञापित लागत की तुलना में निर्माण की लागत में वृद्धि, भूमि के वृद्धित मुआवजे के परिणामस्वरूप लागत में और वृद्धि के कारण, गृह अबिक्रित रहे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इन पहलुओं पर गृहों के निर्माण से पूर्व विचार किया जाना चाहिए था।

भारी मात्रा में निष्फल व्यय तथा आवर्ती ब्याज प्रभार, इस बात की जाँच की माँग करते हैं कि आ.बो.ह. ने माँग का सर्वेक्षण किए बिना इतनी बड़ी संख्या के गृहों का निर्माण कैसे आरम्भ किया। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गृहों के निर्माण से पूर्व नियमों तथा प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जाता है।

सामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

## विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

### 6.10. विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में विफलता

वि. एवं प्रौ. वि. द्वारा समय पर भूमि प्रदान करने में विफलता तथा बाद में रा.वि.सं.प. के पास निधियों की अपर्याप्तता के कारण विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सका

विशेषकर बच्चों में तथा सामूहिक रूप से समुदाय में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (रा.वि.सं.प.) कलकत्ता, हिसार कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 80 लाख रूपए की कुल लागत पर एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र (उ.क्षे.वि.के.) स्थापित करने के लिए सहमत हो गई थी (मार्च 1992) जिसमें रा.वि.सं.प. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् (परिषद्) का बराबर का हिस्सा होना था बशर्ते कि राज्य सरकार 5 एकड़ या इससे अधिक के भाप वाली भूमि का एक टुकड़ा निशुल्क उपलब्ध कराती है। परिषद् की ओर से प्रत्येक 20 लाख रूपए की 2 किस्तों में 40 लाख रूपए की निधियां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी।

राज्य सरकार ने उ.क्षे.वि.के. स्थापित करने के लिए परिषद् को सहायता अनुदान के रूप में 20 लाख रूपए संस्वीकृत किए (मार्च 1992)। राशि निकाल ली गई थी (मार्च 1992) तथा परिषद् के बचत बैंक खाते में रख दी गई तथा मार्च 1993 में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही रा.वि.सं.प. को निर्मुक्त कर दी गई थी। संस्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित था कि यदि ऐजेसी/संस्था परियोजना को निष्पादित करने या पूर्ण करने की स्थिति में नहीं थी तो समस्त राशि राज्य सरकार को प्रत्यर्पित की जानी चाहिए थी।

जून 1993 में, निदेशक, रा.वि.सं.प. ने सूचित किया कि वे स्थान पर कार्य करने को तैयार थे तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (वि. एवं प्रौ.वि.) को जुलाई 1993 तक ह.कृ.वि. से कम से कम 4 एकड़ भूमि का प्लॉट सुपूर्द करने का आग्रह किया। परन्तु भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकी क्योंकि यह वि. एवं प्रौ.वि. के पास उपलब्ध नहीं थी। तथापि, ह.कृ.वि. हिसार तथा वि. एवं प्रौ.वि. के मध्य 99 वर्ष की अवधि के लिए 3.5 एकड़ भूमि का पट्टा विलेख निष्पादित

किया गया था (जुलाई 1993) परन्तु ह.कृ.वि. रा.वि.सं.प. को भूमि उप-पट्टा देने के लिए मई 1994 में सहमत हुआ। इसी बीच, राज्य सरकार ने उ.क्षे.वि.प. स्थापित करने हेतु परिषद् को सहायता अनुदान के रूप में 10 लाख रूपए निर्मुक्त कर दिए (अगस्त 1993)। तथापि, राशि रा.वि.सं.प. को आगे निर्मुक्त नहीं की गई थी तथा फिर से बचत बैंक खाते में रक्की गई थी।

उ.क्षे.वि.प. स्थापित करने का मामला मार्च 1996 तक वि. एवं प्रौ.वि. द्वारा रा.वि.सं.प. के साथ नहीं उठाया गया था, जब रा.वि.सं.प. ने सूचित किया (अप्रैल 1996) कि आयोग ने शर्त रखी थी कि आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष में निधियां केवल चल रही परियोजनाओं के लिए दी जाएंगी जो कि आठवीं योजना से पूर्व पूरी होनी चाहिए तथा उन सभी परियोजनाओं जो अभी आरम्भ नहीं हुई है के लिए आबंटन नौवीं योजना में किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भी जून 1997 में पुष्टि कर दी थी कि रा.वि.सं.प. के पास निधियों की अपर्याप्तता के कारण रा.वि.सं.प. के लिए फिलहाल परियोजना आरम्भ की जानी सम्भव नहीं थी। निधियों की अल्पता की राज्य सरकार द्वारा भी फरवरी 1999 में पुष्टि कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका (अगस्त 1998)। तथापि, रा.वि.सं.प. ने 20 लाख रूपए की राशि प्रत्यर्पित नहीं की जो कि उनके पास मार्च 1993 से अवरूद्ध पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, 10 लाख रूपए भी परिषद् के पास अगस्त 1993 से अवरूद्ध पड़े रहे।

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग  
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

**6.11 हुड्डा की निधियों से चीनी मिल को ऋण की अदायगी**

**वसूली के लिए रक्षोपाय किए बिना एक चीनी सहकारिता प्रसंग को एक करोड़ रूपए का ऋण देने के लिए हुड्डा को निर्देशित किया गया था**

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा), अधिनियम 1977, के अन्तर्गत, प्राधिकरण आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु यथा निर्धारित ऐसे निबन्धनों एवं प्रतिबन्धों पर धन अग्रिम दे सकता है।

सरकार ने वित्त विभाग की सहमति से प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य सहकारिता, चीनी मिल प्रसंग, मर्यादित (प्रसंग) को 3 माह की अवधि (14 माह तक बढ़ाया जाने योग्य) के लिए 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 1 करोड़ रूपए का ऋण संस्वीकृत किया (मार्च 1991)। बाद में ऋण, प्रसंग द्वारा चीनी मिल, कैथल को सवितरित किया जाना था। सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि हुड्डा, अपनी निधियों से ऋण की व्यवस्था करेगा। तदनुसार, राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर मुख्य प्रशासक, हुड्डा पंचकूला ने 1 करोड़ रूपए प्रसंग को निर्मुक्त कर दिए (मार्च 1991)। ऋण के लिए कार्योत्तर संस्वीकृति हुड्डा द्वारा अप्रैल 1991 में दी गई थी।



हुड्डा के अभिलेखों की मई 1998 में संवीक्षा ने प्रकट किया कि हुड्डा द्वारा ऋण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्मुक्त किया गया था। जबकि एक करोड़ रूपए का ऋण निर्मुक्त करते समय भी हुड्डा द्वारा प्रसंग के साथ कोई समझौता तथा पुनर्भुगतान के लिए शर्तें तथा अनुबन्ध निष्पादित नहीं किए गए थे। ऋण, सरकार से किसी गारन्टी तथा प्रसंग से किसी जमानत से समर्थित नहीं था। अतः, राशि निर्मुक्त करते समय हुड्डा अपने हित की रक्षा करने में असफल रहा।

प्रसंग ने फरवरी 1999 तक मूलधन तथा उस पर ब्याज के कारण कोई राशि अदा नहीं की तथा ब्याज (मार्च 1999 तक) के कारण 2.48 करोड़ रूपए सहित 3.48 करोड़ रूपए प्रसंग से वसूलनीय थे।

मुख्य प्रशासक, हुड्डा ने बताया (फरवरी 1999) कि प्रसंग को ऋण की राशि सरकार के आदेशों की पालना करने हेतु निर्मुक्त की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रसंग को ऋण हुड्डा के हित की रक्षा के बिना सवितरित किया गया था। तथापि, प्रसंग तथा सरकार को बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद भी ऋण वसूल नहीं किया गया था।

अतः, सरकार जिसके कहने पर अधिनियम की उल्लंघना में ऋण दिया गया था, ने इसकी वसूली के लिए कोई सहायता नहीं की तथा हुड्डा को 8 वर्षों तक अपने उद्देश्यों के लिए अपनी निधियों के उपयोग से वंचित रखा गया।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (सितम्बर 1999)।

### 6.12 प्लॉटों के आबंटन में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि

आम जनता को आबंटन के लिए दिए जाने से पूर्व स्थान को खाली न करवाने से हुड्डा को 33.07 लाख रूपए की हानि हुई

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा) ने भाग्य पत्र डू द्वारा आम जनता को आबंटन हेतु सैक्टर 21 पंचकूला में आवासीय प्लॉटों के लिए एक स्कीम चालू की (जनवरी 1987)। विभिन्न आकारों के प्लॉट वर्ष 1987 में सफल आवेदकों को आबंटित किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ आबंटन पत्र में निर्धारित था कि प्लॉट का स्वामित्व सफल आवेदकों को क्षेत्र में विकास कार्यों के पूरा होने पर यथा निर्धारित शर्तों एवं अनुबन्धों के पूर्ण होने पर दिया जाएगा।

सम्पदा अधिकारी हुड्डा पंचकूला के अभिलेखों की नमूना-जाँच (अगस्त 1998) ने प्रकट किया कि जुलाई से सितम्बर 1987 तक जिन 25 आवेदकों को प्लॉट आबंटित किए गए थे उन्हें उनके प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया गया था यद्यपि उन्होंने आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार प्लॉटों की पूर्ण अंतरिम लागत अदा कर दी थी क्योंकि झुग्गी निवासियों का 1986-87 से ही इन प्लॉटों पर अनधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमण किया हुआ था। प्लॉटों का कब्जा दिए जाने में विलम्ब से अप्रसन्न होकर आबंटितियों ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण (फोरम) के समक्ष हुड्डा के विरुद्ध शिकायत दायर की (जनवरी 1996 से मार्च 1997)। फोरम ने मामले को

आबंटितियों के पक्ष में निर्णय किया तथा हुड्डा को निम्नलिखित निर्देश दिए (अक्टूबर 1996 - जून 1997):

- अतिक्रमण हटाने तथा विकास कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् शिकायतकर्ताओं को विवादास्पद प्लॉटों को खाली करवा कर कब्जा देना,
- आबंटितियों द्वारा 1 जून 1992 से पूर्व जमा करवाई गई राशि पर तथा उसके पश्चात् जमा करवाई गई राशि पर, इसकी जमा करवाने की तिथि से अदायगी तक 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा करना,
- उनको हुए शारीरिक संतापन तथा मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति अदा करना तथा,
- कार्यवाहियों की लागत अदा करना।

हुड्डा ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण (फोरम) के आदेश के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, हरियाणा के समक्ष एक अपील दायर की जिसने अपील रद्द कर दी (जून 1997) तथा फोरम का निर्णय परिपुष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप सम्पदा अधिकारी को आबंटितियों को उन्हें वैकल्पिक प्लॉट देने के अलावा ब्याज (26.74 लाख रूपए), क्षतिपूर्ति (6.25 लाख रूपए) तथा कार्यवाहियों की लागत (0.08 लाख रूपए) के कारण अगस्त 1997 से अगस्त 1998 के दौरान 33.07 लाख रूपए का भुगतान करना पड़ा।

अतः सम्पदा अधिकारी द्वारा भूमि के अनधिकृत स्वामित्व/अतिक्रमणों की समस्या पर ध्यान न देने तथा आबंटन/बिक्री हेतु इन्हें आम जनता को देने से पूर्व स्थान खाली न करवाने के कारण हुड्डा ने 33.07 लाख रूपए की परिहार्य हानि उठाई तथा 22.04 लाख रूपए अवरुद्ध हुए जो कि अतिक्रमित प्लॉटों की लागत है।

मामला सरकार को मई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

तकनीकी शिक्षा विभाग  
(सेठ जयप्रकाश बहुतकनीकी, दामला)

6.13. अवअर्हता प्राप्त प्राध्यापकों को अनियमित रूप से जारी रखना

सरकार ने समझौते की शर्तों तथा निबन्धनों के उल्लंघन में एक सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान को 11.65 लाख रूपए का अनियमित अनुदान संस्वीकृत किया

राज्य सरकार तथा सेठ जयप्रकाश बहुतकनीकी (संस्थान), दामला (यमुनानगर) के बीच निष्पादित (मई 1990) एक समझौते के अनुसार संस्थान का आवर्ती व्यय राज्य सरकार तथा

संस्थान के बीच 95:5 के अनुपात में वहन किया जाना था। समझौते की क्लॉज 9 के अनुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या तथा उनका वेतनमान, तथा अर्हताएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रखी जानी थी। निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ने मई 1991 में स्पष्ट किया कि किसी भी स्टाफ को निर्धारित अर्हताओं के बिना संस्थान में जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

संस्थान के अभिलेखों की एक नमूना-जाँच ने प्रकट किया (अक्टूबर 1998) कि निर्धारित अर्हता न रखने वाले 4 प्राध्यापकों को संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा सेवा में जारी रहना अनुमत किया गया था तथा 1 जून 1992 से सरकार के संशोधित वेतनमान भी दिए गए थे। तथापि सरकार ने इन चार प्राध्यापकों को सरकारी बहुतकनीकी प्राध्यापकों के समान वेतनमान देने से इन्कार कर दिया (सितम्बर 1993)। संस्थान द्वारा अब अर्हता प्राप्त प्राध्यापकों को सेवा में जारी रहने तथा जून 1990 से सितम्बर 1998 के दौरान 11.65 लाख रूपए के वेतन एवं भत्तों का भुगतान समझौते की शर्तों के उल्लंघन में किया गया था।

संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक, तकनीकी शिक्षा ने बताया (फरवरी/मार्च 1999) कि प्राध्यापक स्थाई आधार पर तब से कार्य कर रहे थे जब से संस्थान अनुदान सहायता प्राप्त संस्थान के अन्तर्गत आई थी। संस्थान का उत्तर संगत नहीं था क्योंकि सरकार द्वारा संस्थान को अनुदान सहायता के अन्तर्गत लाते समय प्राध्यापकों की निर्धारित अर्हताओं में कोई ढील नहीं दी गई थी। तथापि, सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि 11.65 लाख रूपए का अनियमित भुगतान संस्थान को अदा की जाने वाली अनुदान सहायता की भावी किस्त के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा को वसूली/समायोजन हेतु आवश्यक कारवाई करने का भी निर्देश दिया।



सातवां अध्याय

सामान्य





## सातवां अध्याय

### वाणिज्यिक गतिविधियां


#### 7.1 सामान्य

यह अध्याय, विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबन्धित करता है। 31 मार्च 1999 को राज्य में 6 विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम थे। इन उपक्रमों के प्रोफोर्मा एकाऊंट्स बकायों में हैं तथा प्रोफोर्मा एकाऊंट्स बनाने में बकायों की मात्रा 1 वर्ष से 18 वर्षों के बीच श्रृंखलित थी।

जून 1999 को इन सभी उपक्रमों के अन्ततम प्रोफोर्मा एकाऊंट्स पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार थे:

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	अवधि जिस तक लेखे अन्तिम किए गए थे	आवर्त	लाभ (+) / हानि (-)	लेखाओं के बनाने में बकायों की मात्रा
			(रूपए लाखों में)		वर्षों की संख्या
1	परिवहन विभाग (हरियाणा रोड़वेज)	1996-97	30,405.54	(-) 2,796.81	2
2	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक स्कीम)	1995-96	717.08	(+) 37.83	3
3	पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान)	1996-97	1.43	(-) 1.73	2
4	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (खाद्यान्न आपूर्ति स्कीम)	1997-98	35,740.10	(+) 2,920.48	1
5	कृषि विभाग (कीटनाशक दवाईयों का क्रय तथा वितरण)	1980-81	157.41	(+) 14.52	18
6	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1984-85	31.51	(+) 0.11	14

मामला सरकार को जुलाई 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।



## सातवां अध्याय


### अनुभाग - क समीक्षा

\*

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पृष्ठ 168-185





अनुभाग - क  
लेखापरीक्षा समीक्षा

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

7.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

विशिष्टताएं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) ने 1992-99 के दौरान राज्य में खाद्यान्नों की कुल आवश्यकताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया क्योंकि यह कुल आवश्यकताओं के केवल 2 से 6 प्रतिशत तक ही सीमित रही। यह भी देखा गया कि सा.वि.प्र. के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उठाने का कार्य बहुत त्रुटिपूर्ण था जो गेहूँ के मामले में कुल आबंटन के 6 से 77 प्रतिशत तथा चावल के मामले में 8 से 59 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित रहा। इसी प्रकार, पु.सा.वि.प्र. में गेहूँ एवं चावल खाद्यान्न उठाने के कार्य में बहुत कमी थी। ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत भी, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए 1997-98 तथा 1998-99 के दो वर्षों के दौरान 48 से 50 प्रतिशत के आस पास राशन उठाया तथा वितरित किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का सर्वेक्षण करने की प्रणाली में काफी कमियां थी तथा लेखापरीक्षा छानबीन ने प्रकट किया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले चिन्हित 16,876 परिवारों में से (नमूना-जाँच किए गए प्रकरण) 10,765 (63.79 प्रतिशत) परिवार ऐसे थे जो इस वर्गीकरण हेतु वास्तव में पात्र नहीं थे। निसन्देह राशन कार्डों में पंजीकृत कुल इकाइयों (व्यक्तियों) की संख्या राज्य की ग्रामीण जनसंख्या से अधिक थी। 1995-99 के दौरान जाली राशन कार्डों की अत्यधिक मौजूदगी के कारण भारत सरकार पर परिदान के रूप में 18.92 करोड़ रूपए की राशि का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। वितरण नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण था।

मार्च 1999 तक, राज्य सरकार ने ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आवृत करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 5.62 लाख परिवार चिन्हित किए थे। गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों का चिन्हन विश्वसनीय नहीं था क्योंकि परिणामतः अक्टूबर 1998 में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किए गए सर्वेक्षण के 16,876 फार्मों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले चिन्हित 63.79 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवार मानने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे।

(अनुच्छेद 2.6 ( ))

87

राशन कार्डों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या से अधिक थी तथा 1992-93 से 1998-99 के वर्षों के दौरान अधिक इकाइयां 10.21 लाख (कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत) तथा 32.60 लाख (कुल जन संख्या का 19 प्रतिशत) के बीच श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 7.2.7 (i))

विभाग ने 1992-93 से 1997-98 के दौरान (मई 1997 तक) किसी भी वर्ष में खाद्यान्नों की पूर्ण आबंटित मात्राएं नहीं उठाई। सा.वि.प्र. के अन्तर्गत (पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. से रहित) गेहूं एवं चावल केवल 6 से 77 प्रतिशत तक उठाए गए थे तथा पु.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत कुल आबंटन के 22 से 87 प्रतिशत के बीच उठाए गए थे।

(अनुच्छेद 7.2.8 क एवं ख)

1997-98 से 1998-99 में ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत 1.69 लाख टन आबंटन के विरुद्ध गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को 0.83 लाख टन गेहूं/गेहूं का आटा वितरित किया गया था। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले कुल 5.62 लाख परिवारों में से, गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 3.70 लाख परिवारों (66 प्रतिशत) ने 1998-99 के दौरान गेहूं का कोटा (10 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति मास) लिया था तथा शेष 34 प्रतिशत ने ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत परिदान खाद्यान्नों का लाभ प्राप्त नहीं किया था।

(अनुच्छेद 7.2.8 ग(i))

गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को गेहूं देने की अपेक्षा थैलों में (लागत:3 रूपए प्रति थैला) चोकरयुक्त आटा देने के लिए राज्य सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप थैलों की लागत हेतु अगस्त 1998 से मार्च 1999 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों पर कुल 20.39 लाख रूपए का अतिरिक्त भार पड़ा।

(अनुच्छेद 7.2.8 ग (ii))

1995-96 से 1997-98 के दौरान 15.31 लाख से 23.56 लाख तक फर्जी इकाइयां राशन कार्डों में पंजीकृत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 77 लाख रूपए के परिदान से आवेष्टित 12.52 करोड़ रूपए के मूल्य की 13,045 एम टीज़ चीनी वितरित की गई थी।

(अनुच्छेद 7.2.8 (घ)(ii))

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान फर्जी राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल का वितरण उचित मूल्य की दुकान की दरों पर करने से भारत सरकार पर 17.99 करोड़ रूपए का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा क्योंकि बाजारी दरों तथा उचित मूल्य की दुकानों की दरों में अन्तर था।

(अनुच्छेद 7.2.8 (ड.))

पु.सा.वि.प्र. को सुदृढ करने के लिए, भारत सरकार ने अगम्य, दूरदराज़ के ग्रामीण तथा अनावृत क्षेत्रों में गतिशील-चल उचित मूल्य की दुकानों के लिए वाहन क्रय करने हेतु 40 लाख रूपए संस्वीकृत किए (फरवरी 1993)। यह राशि, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंग मर्यादित (हैफेड) हेतु वाहनों का क्रय करके विपथित कर दी गई थी परन्तु यह अभिकरण पु.सा.वि.प्र. से सम्बन्धित नहीं था।

(अनुच्छेद 7.2.9 (i))

1992-93 से 1998-99 के वर्षों के दौरान एक उचित मूल्य की दुकान द्वारा आवृत किए जाने वाले ग्रामों की औसत संख्या 1.36 तथा 1.49 के बीच श्रृंखलित थी जबकि प्रत्येक गांव के लिए एक उचित मूल्य दुकान की आवश्यकता थी।

(अनुच्छेद 7.2.10)

### 7.2.1 प्रस्तावना

जनता को तथा विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को युक्तिसंगत मूल्यों पर गेहू, चावल, चीनी, खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल जैसे मौलिक आवश्यक पण्यपदार्थों की आपूर्ति तथा उचित मूल्य की दुकानों पर वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा मूल्य नियन्त्रित करने से अभिप्रेत भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) प्रारम्भ की गई थी। हरियाणा में, सा.वि.प्र. नवम्बर 1966 में इसके सृजन से ही विद्यमान थी तथा संपूर्ण राज्य को आवृत करती है।

#### (क) पुनरुद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पु.सा.वि.प्र.)

पुनरुद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 से प्रारम्भ की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य अनुर्वरक, पर्वतीय एवं सूखा प्रवृत्त तथा दूरस्थ क्षेत्रों में समाज के अतिसंवेदनशील वर्ग को आवश्यक वस्तुओं (गेहू तथा चावल) की उपलब्धता में सुधार करना था तथा वह मई 1997 तक परिचालन में रही। पु.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य, सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य से 50 रूपए प्रति किंवाटल तक कम था तथा स्कीम में आगे यह निर्धारित किया गया था कि पु.सा.वि.प्र. में खाद्यान्नों का परचून मूल्य, केन्द्रीय निर्गम मूल्य (के.नि. मू.) से 25 पैसे प्रति कि.ग्राम. से अधिक नहीं होना चाहिए। स्कीम में यह प्रावधान किया गया



था कि प्रति व्यक्ति प्रतिमास 5 कि.ग्राम. खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे परन्तु एक मास में एक परिवार को 20 कि.ग्राम. से अधिक नहीं दिए जाएंगे।

### (रख) लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.)

लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.) राज्य में गई 1997 में चालू हुई थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा विशेषतया परिदानित मूल्यों पर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुएं बेचकर प्रणाली को कारगर बनाना केन्द्र सरकार का प्रस्ताव था। स्कीम में सुपुर्दगी प्रणाली की बेहतर मॉनिटरिंग के विषय में विचार किया गया था। राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को अभिज्ञप्त करना था ताकि उन्हें के.नि.मू. से कम मूल्यों पर प्रति परिवार प्रतिमास 10 कि.ग्राम. खाद्यान्न जारी किया जा सके। अपेक्षित खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा राज्य को आपूर्ति किया जाना था तथा राज्य अपने निजी संसाधनों से इसकी मात्रा, व्याप्ति तथा परिदान में वृद्धि करने के लिए स्वतन्त्र था।

### 7.2.2 सगठनात्मक ढाँचा

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राज्य में स्कीम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्देशन तथा नियन्त्रण, निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास है। जिला स्तर पर, स्कीम, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी।

राज्य के लिए खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं (गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल) का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न, भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) के गोदामों से उठाए जाते हैं जबकि चीनी तथा मिट्टी का तेल क्रमशः चीनी मिलों (भारत सरकार द्वारा चिन्हित) तथा भारतीय तेल निगम/अन्य तेल कम्पनियों से उठाए जाते हैं। भा.खा.नि. से खाद्य मदों की सुपुर्दगी लेने के लिए, उनके भण्डारण तथा उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति करने के लिए तथा इन्हें आगे उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा स्टेट फैडरेशन ऑफ कनज्यूमरज़ को-ओपरेटिव होलसेल स्टोरज़ लिमिटेड (कान्फैड) को नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया।

### 7.2.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

यह समीक्षा, सचिवालय स्तर पर सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय कार्यालय तथा 6 जिलों\* के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जाँच (जनवरी-जुलाई 1999) के माध्यम से 1992-93 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. की क्रिया प्रणाली को आवृत्त करती है। पु.सा.वि.प्र. के प्रकरण में, सचिवालय स्तर पर सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालय में तथा

\* अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सोनीपत तथा फरीदाबाद।

6 जिलों\*\* जहाँ स्कीम लागू थी इन के कार्यालयों में अभिलेखों की भी समीक्षा के दौरान नमूना-जाँच की गई थी। नमूना-जाँच के परिणामस्वरूप देखे गए महत्वपूर्ण प्रसंग अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

सामाजिक अनुसंधान के लिए ओ.आर.जी. केन्द्र की सेवाएं, कार्यक्रम तथा सम्बन्धित मामलों की लाभप्रद धारणा प्राप्त करने के दृष्टिगत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ओ.आर.जी. - एम.ए.आर.जी. अनुसंधान मर्यादित का एक मण्डल चालू किया गया था। ओ.आर.जी. - एम.ए.आर.जी. ने सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं एवं विकास स्तर के आधार पर अभिज्ञप्त एक नमूने पर सर्वेक्षण किया। प्रतिवेदन में चर्चित मामले पर सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस समीक्षा में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

#### 7.2.4 सा.वि.प्र. हेतु परिदान

भा.खा.नि., केन्द्रीय समूह के लिए भारत सरकार द्वारा नियत मूल्यों पर खाद्यान्न संग्रह करता है। संग्रह किए गए खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल), सा.वि.प्र. तथा अन्य संस्वीकृत राहत स्कीमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए निर्गम मूल्यों पर भा.खा.नि. द्वारा निर्मुक्त किए जाते हैं। खाद्यान्नों के मामले में आर्थिक लागत तथा के.नि.मू. के बीच के अन्तर को लेकर तथा चीनी के मामले में आर्थिक लागत तथा थोक बिक्री दरों के बीच के अन्तर को लेकर 1992-99 के दौरान उठाई गई मात्राओं के आधार पर यथा परिकलित सा.वि.प्र., पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत गेहूँ, चावल तथा चीनी पर भा.खा.नि. द्वारा माँगे गए परिदान की वर्ष-वार राशि परिशिष्ट XXXIII में इंगित किए गए अनुसार थी। राज्य में वितरित खाद्यान्नों हेतु भा.खा.नि. द्वारा माँगा गया कुल परिदान निम्नानुसार था:

	चावल	गेहूँ	चीनी	कुल
	(रूप. करोड़ों में)			
सा.वि.प्र./पु.सा.वि.प्र. (1992-98 मई 1997 तक)	9.35	94.44	52.49	156.28
ल.सा.वि.प्र. (मई 1997 से आगे) (1997-99)	शून्य <sup>††</sup>	68.33	12.19 <sup>†††</sup> (मार्च 1998 तक)	80.52
कुल	9.35	162.77	64.68	236.80

आर्थिक लागत की अनुपस्थिति में, मिट्टी के तेल पर परिदान की माँग परिकलित नहीं की जा सकी थी। तथापि, मिट्टी के तेल के बाजारी मूल्य तथा उचित मूल्य की दर में अन्तर के परिणामस्वरूप 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान 212.06 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ा।

\*\* भिवानी, हिसार, नारनोल, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

†† हरियाणा में ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत कोई चावल वितरित नहीं किए गए थे।

††† 1998-99 के लिए चीनी हेतु आर्थिक लागत भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक सूचित नहीं की गई है।

### 7.2.5 सा.वि.प्र. के माध्यम से पूरी की गई खाद्यान्न आवश्यकता

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1992-99 के दौरान राज्य की कुल खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल 2 से 6 प्रतिशत तक का ही योगदान कर सकी।

भारत सरकार, सिविल आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा खाद्यान्नों की आवश्यकता हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए क्रमशः 90 कि.ग्रा. तथा 180 कि.ग्रा. खाद्यान्न की वार्षिक आवश्यकता थी। ऐसे मापदण्डों पर आधारित, 1992-93 से 1998-99 के दौरान राज्य की जनसंख्या की खाद्यान्न के लिए 2,476 हजार एम टी तथा 2,862 हजार एम टी की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध उठाए गए खाद्यान्न (गेहूं तथा चावल) 36 हजार एम टी तथा 154 हजार एम टी के बीच श्रृंखलित थे जो राज्य की कुल खाद्यान्न आवश्यकता की 2 से 6 प्रतिशतता तक अल्प मात्र प्रतिशतता बनती थी। ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. सर्वेक्षण के अनुसार, चीनी एवं मिट्टी के तेल को छोड़कर, सभी अन्य अनिवार्य पण्य पदार्थों के लिए माँग प्राथमिकतः खुले बाजार के माध्यम से पूरी की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने इस पहलू पर सन्तोषजनक कार्य नहीं किया क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले अधिकतर गृहस्थियों का उनकी खाद्यान्नों की स्वपत आवश्यकताओं का स्रोत खुला बाजार था।

### कार्यान्वयन

#### 7.2.6 लक्षित समूह की शिनाख्त

##### (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्यों पर 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति से 20 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति मास की दर पर खाद्यान्न के वितरण पर विचार किया गया था। पण्य पदार्थों के परचून निर्गम मूल्य, भारत सरकार द्वारा नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य (के.नि.मू.), जमा व्यवस्थापन, परिवहन, वितरण प्रभारों इत्यादि को हिसाब में लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. सर्वेक्षण के अनुसार सभी गृहस्थियों में से 80 प्रतिशत के पास अपने राशन कार्ड हैं।

##### (ख) पुनरुद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पु.सा.वि.प्र.)

स्कीम के अन्तर्गत आवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित 6 जिलों के 44 खण्डों (सिरसा :7, हिसार :14, रोहतक : 5, भिवानी :8, रेवाड़ी :5 तथा नारनौल :5) में जून 1992 से स्कीम कार्यान्वित की गई थी। यह स्कीम गई 1997 तक परिचालन में रही तथा इस अवधि के दौरान आवृत्त गृहस्थियों की संख्या 8.43 लाख तथा 8.69 लाख के बीच थी।

##### (ग) लक्ष्याकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.)

योजना आयोग के एक विशेषज्ञ समूह ने राज्य में 7.33 लाख परिवार ऐसे चिन्हित किए थे जो गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों के वर्ग के अन्तर्गत आते थे। तथापि, राज्य सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 7.20 लाख परिवार चिन्हित किए थे (1991-92)। इनमें से, 5.62

लाख परिवारों के राशन-कार्ड, ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आवृत करने के लिए मई 1998 तक मुद्रांकित किए गए थे।

भारत सरकार के निर्देशों पर, राज्य सरकार ने अक्टूबर 1998 में पुनः एक सर्वेक्षण किया तथा गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 6.95 लाख परिवार चिन्हित किए। अतः गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले चिन्हित परिवारों के 19 प्रतिशत स्कीम के अन्तर्गत आवृत नहीं किए गए थे। तथापि, एक जिले (पंचकूला) तथा तीन जिलों (करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत) में प्रत्येक में एक खण्ड में 1998 में विशेष सर्वेक्षण के दौरान प्रयोग किए गए 16,876 सर्वेक्षण फार्मों की लेखापरीक्षा नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि राज्य सरकार द्वारा यथा चिन्हित गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लेखापरीक्षा में परिकल्पित आँकड़ों में बहुत अन्तर था। लेखापरीक्षा छान-बीन के अनुसार केवल 6,111 परिवार (36.21 प्रतिशत) ही गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवार के स्तर हेतु पात्र थे। भिन्नता इस तथ्य के कारण थी कि वास्तव में 10,765 परिवारों के पास रेडियो, सैटस, ट्रांजिस्टरज़, इत्यादि थे तथा इस प्रकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते थे। गलत शिनाख्त की अत्यधिक दर (63.79 प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुए ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत पहले आवृत गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 5.62 लाख परिवारों की यथार्थता पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

### 7.2.7 राशन कार्ड जारी करना

#### (i) राशन कार्डों में पंजीकृत फर्जी इकाइयाँ

1992-93 से 1998-99 के दौरान, राज्य में राशन कार्डों में 10.21 लाख से 32.60 लाख फर्जी इकाइयाँ पंजीकृत की गई थी।

निम्नलिखित तालिका 1992-93 से 1998-99 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में राज्य की कुल जनसंख्या, नमूना-जाँच किए गए जिलों, राशन कार्डों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या तथा जनसंख्या के आधिक्य में पंजीकृत इकाइयों को इंगित करती है:

समूचे राज्य की स्थिति				नमूना जाँच किए गए जिलों की स्थिति		
वर्ष	जनगणना के अनुसार राज्य की प्राक्कल्पित जनसंख्या	राशन कार्डों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या	जनसंख्या के आधिक्य में पंजीकृत इकाइयों की संख्या	नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों की जनसंख्या	राशन कार्डों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या	जनसंख्या के आधिक्य में पंजीकृत इकाइयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(संख्या लाखों में)						
1992-93	171.07	203.67	32.60	55.52	68.64	13.12
1993-94	175.27	206.76	31.49	56.87	68.80	11.93
1994-95	179.56	207.52	27.96	58.27	69.35	11.08
1995-96	183.96	207.52	23.56	56.13	64.93	8.80
1996-97	188.47	208.07	19.60	57.50	65.20	7.70
1997-98	193.09	208.40	15.31	58.92	65.48	6.56
1998-99	197.82	208.03	10.21	60.35	65.70	5.35

\* अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत तथा फरीदाबाद। पंचकूला जिले की सूचना उपलब्ध नहीं थी।



यह देखा जा सकता है कि 1992-93 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान राज्य में राशन कार्डों में पंजीकृत फर्जी इकाइयों की संख्या 10.21 लाख तथा 32.60 लाख के बीच श्रृंखलित थी। विभाग ने राशन कार्डों से फर्जी इकाइयों के नाम लुप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे।

**(ii) पुनरुद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

उचित जाँच-पड़ताल की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप पु.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत वृहद् संख्या में जाली राशन कार्ड बने जिन्हें 1992-97 के दौरान रद्द करना पड़ा।

राज्य में समान प्रणाली रखने के लिए, राज्य सरकार ने निर्णय किया (जनवरी 1992) कि पुराने राशन कार्डों को बदल कर नए राशन कार्ड बनाए जाएं। पु.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आवृत छः जिलों के 44 खण्डों में, राशन कार्ड बदलने का कार्य फरवरी 1992 तक पूर्ण किया जाना निश्चित किया गया था परन्तु यह कार्य मई 1997 तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका था जबकि पु.सा.वि.प्र. स्कीम बन्द कर दी गई थी तथा राज्य में ल.सा.वि.प्र. की स्कीम प्रारम्भ की गई थी। निम्नलिखित तालिका, 1992-93 से 1996-97 तक पु.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आवृत 6 जिलों में कुल राशन कार्डों तथा पता लगाए गए फर्जी राशन कार्डों तथा रद्द किए गए राशन कार्डों की स्थिति को इंगित करती हैं:

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(संख्या में)				
राशन कार्डों का आदि शेष	8,71,405	8,42,963	8,65,309	8,69,350	8,68,049
वर्ष के दौरान जारी किए गए नए राशन कार्ड	3,862	32,088	9,653	1,454	12,376
रद्द किए गए फर्जी राशन कार्ड	32,304	9,742	5,612	-	-
अन्य कारणों से रद्द किए गए राशन कार्ड	-	-	-	2,755	14,267
प्रति वर्ष 31 मार्च को वैध राशन कार्ड	8,42,963	8,65,309	8,69,350	8,68,049	8,66,158

फर्जी राशन कार्डों की मौजूदगी इस तथ्य की संकेतक थी कि विभाग नए राशन कार्ड जारी करते समय उचित जाँच नहीं कर रहा था तथा उससे सा.वि.प्र. की वस्तुएं खुले बाजार में पहुँच कर बिक रही थी। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति को किसी कृत कार्यवाही के विषय में सूचित करने के लिए कहा गया था, जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 1999)।


**(iii) लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को 20,319 फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार पर परिदान के रूप में 16.07 लाख रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

राज्य सरकार ने, ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आवृत करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 5.56 लाख तथा 5.62 लाख परिवार क्रमशः मार्च 1998 एवं मार्च 1999 के अन्त तक अभिज्ञप्त किए। अभिलेखों की छान-बीन ने प्रकट किया कि ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, विभाग ने जुलाई 1997, अगस्त 1997 तथा जून 1998 में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों के 20,319 राशन कार्ड रद्द किए। गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों के 20,319 राशन कार्डों को रद्द करने के वास्तविक कारण, यद्यपि विभाग से मई 1999 में पूछे गए थे परन्तु सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 1999)। तदनुसार, जून 1997 तथा मई 1998 के बीच इन फर्जी राशन कार्डों पर आर्थिक लागत पर 23.56 लाख रूपए के मूल्य के 299.69 एम टी खाद्यान्न (गेहूँ) जारी करने से भारत सरकार पर 16.07 लाख रूपए के परिदान का अतिरिक्त भार पड़ा जो गेहूँ की इस मात्रा पर परिकलित किया गया था।

**7.2.8 खाद्यान्नों का आबंटन तथा वितरण**

स्कीम के अन्तर्गत, राज्य के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता, केन्द्रीय समूह (सैन्ट्रल पूल) से आबंटन हेतु भारत सरकार को समय-समय पर प्रेषित माँग तथा पंजीकृत इकाइयों (राशन कार्डों) के आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। आबंटन प्राप्त होने पर, विभाग ने नोडल एजेन्सी (कान्फैड) को खाद्यान्नों का इन अनुदेशों के साथ आबंटन किया कि उपभोक्ताओं को आगे वितरण करने के लिए प्रति मास उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति हेतु आबंटित मात्रा उठा ली जाए।



1992-93 से 1998-99 के दौरान सा.वि.प्र., पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रेषित खाद्यान्नों की माँग, भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन तथा कान्फैड द्वारा उठाई गई प्रमात्राओं के विवरण निम्नानुसार थे:

**(क) पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. से रहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

वर्ष	राशन कार्डों की संख्या	भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन	उठाई गई मात्रा (प्रतिशत)	वितरित मात्रा	आबंटन से वितरण की प्रतिशतता
		(लाखों में)	(हज़ार एम.टी.ज़. में)		
<b>गेहूँ</b>					
1992-93	24.29	49.95	28.44 (57)	28.44	57
1993-94	25.00	41.51	15.36 (37)	15.34	37
1994-95	25.08	48.10	2.84 (06)	2.84	06
1995-96	25.24	39.48	5.76 (15)	5.76	15
1996-97	25.41	66.03	51.15 (77)	51.15	77
1997-98	25.49	19.00	11.29 (59)	11.29	59
<b>चावल</b>					
1992-93	24.29	28.26	17.12 (61)	16.56	59
1993-94	25.00	25.20	11.49 (46)	11.25	47
1994-95	25.08	25.20	2.16 (09)	1.89	08
1995-96	25.24	32.56	3.43 (11)	3.23	10
1996-97	25.41	32.00	15.33 (48)	15.05	47
1997-98	25.49	6.00	3.18 (53)	3.11	52

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 1992-93 से 1997-98 (मई 1997 तक) के दौरान उठाई गई गेहूँ एवं चावल की प्रतिशतता आबंटित मात्राओं की क्रमशः 6 से 77 प्रतिशत एवं 8 से 59 प्रतिशत तक रही।

(ख) पुनरूद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पु.सा.वि.प्र.)

1992-93 से 1997-98 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता में से, गेहूँ तथा चावल क्रमशः 24 से 3.9 प्रतिशत तथा 8 से 13 प्रतिशत तक ही वास्तव में उठाए गए थे।

पुनरूद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पु.सा.वि.प्र.), 6 जिलों के 44 खण्डों में जून 1992 से प्रारम्भ की गई थी तथा मई 1997 तक परिचालन में रही। इस अवधि के दौरान आबटित, उठाए गए तथा वितरित खाद्यान्न निम्नानुसार थे:

वर्ष	घरों की प्राक्कलित संख्या	घरों की संख्या जिनके लिए विभाग द्वारा आवश्यकता प्रेषित की गई थी	भारत सरकार को प्रेषित आवश्यकता	भारत सरकार द्वारा किया गया आबटन			
1	2	3	4	5	6	7	8
(लाखों में)			(हजार एम टोन में)				
गेहूँ							
1992-93	8.43	8.69	173.72	72.50	63.35	87	36
1993-94	8.65	8.69	208.46	87.20	56.35	65	27
1994-95	8.69	-	भेजे नहीं	103.50	27.53	27	लागू नहीं
1995-96	8.68	8.80	198.72	170.00	46.85	28	24
1996-97	8.66	8.80	206.72	142.12	80.82	57	39
1997-98 (मई 1997 तक)	8.66	-	भेजे नहीं	21.00	12.67	60	-
कुल			787.62	596.32	287.57		
चावल							
1992-93	8.43	भेजे नहीं	भेजे नहीं	7.13	2.32	33	-
1993-94	8.65	भेजे नहीं	भेजे नहीं	10.80	4.44	41	-
1994-95	8.69	भेजे नहीं	भेजे नहीं	10.80	3.86	36	-
1995-96	8.68	8.80	60.00	21.00	4.67	22	8
1996-97	8.66	8.80	52.00	20.00	6.52	33	13
1997-98 (मई 1997 तक)	8.66	-	भेजे नहीं	4.00	0.99	25	-
कुल			112.00	73.73	22.80		

तालिका से यह देखा जा सकता है कि गेहूँ की आवश्यकताओं, आबटनों तथा उठाने की स्थिति बड़ी त्रुटिपूर्ण थी। विभाग ने आबटित खाद्यान्नों की कभी भी पूर्ण मात्रा इस तथ्य के बावजूद नहीं उठाई कि माँगे गए खाद्यान्नों की मात्रा, आबटन की कुल तुलना में अत्यधिक थी तथा आगे, उठाई गई मात्रा पूर्णतया उपभोक्ताओं में सदैव वितरित की गई दर्शाई गई थी। न तो निदेशक ने तथा न ही आयुक्त ने कम गेहूँ उठाने के लिए कारण दिए थे यद्यपि उनसे इस विषय में बार-बार पत्राचार किया गया था (अक्टूबर 1999)।

(ग) लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.)

(i) ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों की शिनाख्त करनी थी तथा विशिष्टता परिदानित मूल्यों पर अनिवार्य वस्तुओं के उपयोग हेतु उन्हें विशेष कार्ड जारी किए जाने थे। गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाला प्रत्येक परिवार प्रति मास 10 कि.ग्रा. गेहूं प्राप्त करने का पात्र था। 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान, आबंटन तथा वास्तव में उठाई गई गेहूं निम्नानुसार थी:

वर्ष	मुद्रांकित राशन कार्डों की संख्या (लाखों में)	भारत सरकार द्वारा आबंटन	उठाई गई गेहूं (मैट्रि)	वितरण (एम टीड में)	आबंटन से वितरण की प्रतिशतता
1997-98 (मई 1997 से मार्च 1998 तक)	5.56	80,630	39,084	38,822	48
1998-99	5.62	87,960	45,523	44,352	50
कुल		1,68,590	84,607	83,174	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कुल आबंटित खाद्यान्नों का 48 से 50 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को 1997-99 के दौरान बांटा गया था। आगे, यह देखा गया कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले 5.62 लाख परिवारों में से, 3.70 लाख (66 प्रतिशत) ने 1998-99 के दौरान गेहूं का कोटा (10 कि.ग्रा. प्रतिमास प्रति परिवार) आहरित किया तथा शेष 34 प्रतिशत ने परिदानित खाद्यान्नों का लाभ नहीं उठाया यद्यपि आबंटन उपलब्ध थे।

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान, गरीबी रेखा से ऊपर निर्वाह करने वाले परिवारों के लिए गेहूं का आबंटन, उठाई गई मात्रा तथा वितरण निम्नानुसार था:

वर्ष	भारत सरकार द्वारा दिया गया आबंटन	उठाई गई मात्रा	वितरण (एम टीड में)	वितरण की प्रतिशतता
1997-98 (मई 1997 से मार्च 1998 तक)	77,920	35,945	35,658	46
1998-99	68,640	29,853	29,476	43
कुल	1,46,560	65,798	65,134	

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर निर्वाह करने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न आबंटन, आबंटित मात्रा के 43 से 46 प्रतिशत की सीमा तक ही वितरित किए गए थे। जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया, खाद्यान्न कम मात्रा में उठाने के लिए मुख्य कारण थे कि (i) हरियाणा राज्य स्वयं आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पैदा करता है (ii) गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों की की गई शिनाख्त विश्वसनीय नहीं थी जैसा कि परवर्ती अनुच्छेद 7.2.6 (ग) में टिप्पणी की गई है। तथापि, निदेशक, खाद्य एवं अपूर्ति विभाग, हरियाणा ने सूचित किया (अगस्त 1998) कि प्रति राशन कार्ड प्रति मास 10 कि.ग्रा. गेहूं एक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, ऐसे लाभग्राहियों ने उचित मूल्य की दुकानों से खरीददारी से परहेज किया। ओ.आर.जी.-एम. ए.आर.जी. सर्वेक्षण ने यह भी व्यक्त किया कि राशन की दुकानों से उपलब्ध कोटा आमतौर पर प्रति इकाई/प्रति कार्ड पात्रता से कम थे।



(ii) गेहूँ की अपेक्षा चोक्करयुक्त आटे की आपूर्ति

पाँच जिलों\* के अभिलेखों की नमूना-जाँच ने प्रकट किया कि ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले लाभग्राहियों को 10 कि. ग्राम प्रतिमास प्रति 30 रूपए की दर पर खाद्यान्न (गेहूँ) आपूर्ति किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने, खाद्यान्न मदों के विपथन पर चैक रखने के लिए, गेहूँ की अपेक्षा कपड़े के थैलों में चोक्करयुक्त आटा वितरित करने का निर्णय किया (जुलाई 1998)। तदनुसार, प्रति 10 कि.ग्रा. 38 रूपए से 40 रूपए (कपड़े के थैले की कीमत हेतु 3 रूपए सहित) पर चोक्करयुक्त आटा जारी किया गया था। अगस्त 1998 से मार्च 1999 के दौरान, 6797.98 एम टी चोक्करयुक्त आटा जारी किया गया था तथा थैलों की कीमत हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों पर 20.39 लाख रूपए का अतिरिक्त भार पड़ा। छान-बीन ने प्रकट किया कि आटे की आपूर्ति करने के लिए कपड़े के थैलों की अपेक्षा, प्लास्टिक के थैले उपयोग किए गए थे। दो किस्म के थैलों की कीमत का अन्तर, लागत आँकड़ों की अनुपस्थिति में परिकल्पित नहीं किया जा सका।

(घ) लीवी चीनी

राज्य सरकार के पास पंजीकृत राशन कार्डों में इकाइयों के आधार पर लीवी चीनी का आबंटन भारत सरकार द्वारा प्रतिमास किया जाता है। कान्फैड आबंटित कोटे के अनुसार चीनी मिलों से सुपुर्दगी लेता है तथा उपभोक्ताओं में आगे वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानों को लीवी चीनी देता है। 1992-99 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को 5,86,783 एम.टी. लीवी चीनी आबंटित की। वह उठा ली गई थी तथा उपभोक्ताओं में बांट दी गई थी।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित रोचक प्रसंग देखे गए थे:

(i) राज्य सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वयं यह निर्णय लिया (जनवरी 1993) कि आय कर निर्धारितियों को जनवरी 1993 के बाद से सा.वि.प्र. के अन्तर्गत लीवी चीनी नहीं दी जाएगी, यद्यपि सा.वि.प्र. स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था तथा राज्य सरकार ने आयकर निर्धारितियों के लिए भी लीवी चीनी के कोटे का आहरण जारी रखा तथा अन्य उपभोक्ताओं को अधिक चीनी बांटते रहे।

नमूना-जाँच किए गए चार जिलों\*\* में, यह देखा गया कि आयकर निर्धारितियों के रूप में मुद्रांकित 10,266 राशन कार्ड धारकों (45,747 इकाइयाँ) को अप्रैल 1995 से मार्च 1999 के दौरान सा.वि.प्र. के अन्तर्गत 63.69 लाख रूपए के मूल्य की 675.24 एम.टी. लीवी चीनी का लाभ नकार दिया गया था। इन कार्ड धारकों के लिए लीवी चीनी कोटा विभाग द्वारा आहरित किया गया था तथा अन्य लाभग्राहियों में बांट दिया गया था। इससे भारत सरकार पर परिदान के रूप में 11.33 लाख रूपए का अनुचित तथा परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

\* अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

\*\* अम्बाला, फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत।

(ii) अविद्यमान इकाइयों को चीनी जारी करना

राशन कार्डों में पंजीकृत फर्जी इकाइयों को चीनी के वितरण के विरुद्ध 1995-96 से 1997-98 के दौरान भारत सरकार द्वारा 0.77 करोड़ रूपए के परिदान का परिहार्य वित्तीय भार वहन किया गया।

यदि राज्य सरकार द्वारा प्रति एम.टी चीनी पर कुल लागत के.नि.मू. के आधिक्य में की जाती है तो भारत सरकार लीवी चीनी पर परिदान प्रदान करती है। 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्य में राशन कार्डों में पंजीकृत इकाइयां 15.31 लाख से 23.56 लाख तक अधिक थी जैसाकि उपर्युक्त अनुच्छेद 7.2.7 (i) में चर्चित किया गया है। इन राशन कार्डों के विरुद्ध, 12.52 करोड़ रूपए के मूल्य की 13,045 एम.टी. लीवी चीनी उपर्युक्त अवधि के दौरान बांटी गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा वहन किए गए 77 लाख रूपए का परिदान आवेष्टित था। राशन कार्डों में फर्जी इकाइयों के पंजीकरण की छान-बीन न करने के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 1999)।

(ड.) मिट्टी का तेल

राज्य सरकार के पास पंजीकृत राशन कार्डों के आधार पर भारत सरकार द्वारा मिट्टी के तेल का आबंटन किया जाता है। भारत सरकार ने अप्रैल 1992 तथा मार्च 1999 के बीच 14,30,997 किलोलीटर मिट्टी का तेल आबंटित किया। विभाग ने राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए मापदण्डों के अनुसार 14,34,498 किलोलीटर मिट्टी का तेल उठाया तथा उपभोक्ताओं में वितरित किया। राज्य सरकार ने सामान्य उपभोक्ताओं तथा एकल गैस सिलिंडर धारकों को क्रमशः 10 लीटर एवं 3 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति मास की दर पर मिट्टी का तेल देने का निर्णय किया (अप्रैल 1997)। दो गैस सिलिंडर धारकों को कोई मिट्टी का तेल नहीं दिया जाना था।

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान फर्जी राशन कार्डों के विरुद्ध मिट्टी के तेल के वितरण में बाजारी मूल्य तथा उचित मूल्य की दुकान की दरों के बीच अन्तर के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा 17.99 करोड़ रूपए का परिहार्य वित्तीय भार वहन किया गया।

निम्नलिखित तालिका, प्राक्कलित फर्जी राशन कार्डों के विरुद्ध दिए गए मिट्टी के तेल की बाजारी दरों एवं उचित मूल्य की दुकानों की दरों में अन्तर अर्थात् 8.03 रूपए प्रति लीटर बाजारी दर तथा 3.14 रूपए/3.08 रूपए प्रति लीटर उचित मूल्य की दुकान की दर में अन्तर के कारण राज्य में 1998-99 को समाप्त दो वर्षों के दौरान, परिणामी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव को इंगित करती है:

वर्ष	उ.मू. की दुकानों के पास पंजीकृत राशनकार्डों की संख्या (लाखों में)	जनगणना विभाग के जनसंख्या आँकड़े के अनुसार अपेक्षित राशन कार्डों की संख्या (लाखों में)	पंजीकृत फर्जी राशन कार्ड (लेखापरिषद द्वारा प्राक्कलित) (लाखों में)	बिना गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को दिए गए मिट्टी के तेल की प्रतिमास प्रति राशन कार्ड औसतन मात्रा (लीटरों में)	फर्जी राशन कार्डों को जारी किए गए मिट्टी के तेल की मात्रा (कि.जी में)	फर्जी राशन कार्डों को जारी किए गए मिट्टी के तेल का मूल्य (रूपए करोड़ों में)	अतिरिक्त भार (बाजारी मूल्य तथा उचित मूल्य की गई बिक्रिया) (रूपए करोड़ों में)
1997-98	34.15	31.65	2.50	6.95	20,850	16.74	10.19
1998-99	34.18	32.43	1.75	7.50	15,750	12.65	7.80
कुल					36,600	29.39	17.99

1997-99 के दौरान बिना गैस कनेक्शन वाले राशन कार्ड धारकों को 10 लीटर के निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध 6.95 से 7.5 लीटर मिट्टी का तेल प्रति राशन कार्ड प्रति मास जारी करने के बीच श्रृंखलित था। आगे, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 2.50 लाख तथा 1.75 लाख फर्जी राशन कार्ड थे जिनको 29.39 करोड़ रूपए के मूल्य का 0.37 लाख किलोलीटर

\* अपेक्षित राशन कार्डों की संख्या, प्रति राशन कार्ड औसतन इकाइयों के घटक गुणनखण्ड 6.10 द्वारा कुल जनसंख्या को भाग देकर परिकलित की गई है। (गुणनखण्ड का परिकलन राशन कार्डों की संख्या द्वारा कुल पंजीकृत इकाइयों को भाग देकर किया गया है)।

मिट्टी का तेल जारी किया गया था जिस पर भारत सरकार द्वारा 17.99 करोड़ रूपए का परिदान दिया गया था। राज्य सरकार ने खाद्य तथा आपूर्ति विभाग द्वारा फर्जी राशन कार्डों के पंजीकरण की छान-बीन नहीं की थी (जुलाई 1999)।

## 7.2.9 आधारसंरचनीय सुविधाएं तथा भण्डारण हानियां

### (i) पु.सा.वि.प्र. के लिए चल-वैनों उपयोग में नहीं लाई गई

पु.सा.वि.प्र. क्षेत्रों में चल उचित मूल्य की दुकानों हेतु वाहनों के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत (फरवरी 1993) 40 लाख रूपए, पु.सा.वि.प्र. से असम्बन्धित एक अभिकरण, हैफेड द्वारा वाहनों के क्रय हेतु विपथित कर दिए गए थे।

पु.सा.वि.प्र. को सुदृढ करने के लिए दूरवर्ती, ग्रामीण, अगम्य, परले तथा अनावृत क्षेत्रों में चल उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए मार्च 1993 तक 10 वाहन क्रय करने के लिए भारत सरकार ने 40 लाख रूपए (ऋण: 20 लाख रूपए तथा परिदान: 20 लाख रूपए) संस्वीकृत किए (फरवरी 1993)। उपयोग न की गई निधियां भारत सरकार को शास्ति ब्याज सहित वापिस की जानी थी। 40 लाख रूपए में से, राज्य सरकार ने पु.सा.वि.प्र. से असम्बन्धित एक अभिकरण हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ मर्यादित (हैफेड) को 5 चल वैनों के क्रय हेतु 20 लाख रूपए (10 लाख रूपए ऋणों के रूप में तथा 10 लाख रूपए परिदान के रूप में) संस्वीकृत किए (मार्च 1994)। वाहन हैफेड द्वारा जुलाई 1994 में क्रय किए गए थे। राज्य सरकार ने शेष 20 लाख रूपए कान्फेड द्वारा 5 वाहनों का क्रय करने के लिए संस्वीकृत किए (सितम्बर 1994)। मार्च 1995 में इस प्रकार क्रय किए गए वाहन भी कान्फेड द्वारा जनवरी 1996 में हैफेड को हस्तान्तरित कर दिए गए थे क्योंकि ये वाहन पु.सा.वि.प्र. के अधीन पूर्णतया उपयोग नहीं किए जा रहे थे। अतः, राज्य सरकार ने निधियां उस उद्देश्य पर उपयोग नहीं की जिस हेतु ये संस्वीकृत की गई थी। निधियों के विपथन हेतु चूककर्ता कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत न करने के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 1999)।

### (ii) गोदामों का निर्माण

भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ न उठाना

राज्य सरकार के निवेदन पर, भारत सरकार ने सा.वि.प्र. के लिए 7 स्थानों\* पर 12,170 एम.टी.ज. क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु 1.65 करोड़ रूपए (सितम्बर 1998 में 147.25 लाख रूपए तथा नवम्बर 1998 में 18.04 लाख रूपए) संस्वीकृत किए। राशि का 50 प्रतिशत ऋण के रूप में माना जाना था तथा शेष राशि परिदान के रूप में मानी जानी थी। संस्वीकृति मार्च 1999 तक वैध थी।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा भाण्डागार निगम (निष्पादक अभिकरण) के साथ निर्माण सम्बन्धित निबन्धनों तथा प्रतिबन्धों को तय नहीं कर सका जिसके कारण भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत राशि आहरित नहीं की जा सकी तथा व्यपगत हो गई।

\* ऐलनाबाद, रानियां, अटेली, कनीना, भूना, महेन्द्रगढ़ तथा धमतान साहिब।

### 7.2.10 वितरण नेट वर्क

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण नेट वर्क अपर्याप्त था क्योंकि प्रत्येक ग्राम हेतु एक उचित मूल्य की दुकान की आवश्यकता के विरुद्ध उचित मूल्य की दुकानों ने 1.36 से 1.49 के बीच ग्राम आवृत किए

बड़ी संख्या में जन साधारण को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक पण्य पदार्थ प्रदान करने के उद्देश्य के अनुसरण में, राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम में एक उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया था (नवम्बर 1992) ताकि अपना राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं को लम्बी दूरी तय न करनी पड़े। तथापि, सभी ग्रामों को उचित मूल्य की दुकानों की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी।

निम्नलिखित तालिका, 1992-93 से 1998-99 के वर्षों के दौरान ग्रामों, उचित मूल्य की दुकानों तथा अनावृत ग्रामों की वर्ष-वार संख्या को इंगित करती है:

वर्ष	1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या	ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	कमी	उचित मूल्य की दुकानों द्वारा आवृत ग्रामों की औसत संख्या
1992-93	6,988	4,818	2,170	1.45
1993-94	6,988	4,772	2,216	1.46
1994-95	6,988	4,773	2,215	1.46
1995-96	6,988	4,692	2,296	1.49
1996-97	6,988	4,932	2,056	1.42
1997-98	6,988	4,970	2,018	1.41
1998-99	6,988	5,137	1,851	1.36

छ: जिला कार्यालयों की नमूना-जाँच के दौरान, निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

(i) फरीदाबाद जिले की खादर पट्टी में, 1996-97 से 1997-98 के दौरान 16 ग्रामों में केवल दो उचित मूल्य की दुकानें थीं जो 16,892 इकाइयों वाले 2073 राशन कार्डों को आवृत कर रही थी। प्रत्येक ग्राम में उचित मूल्य की दुकान न खोलने के लिए कारण प्रेषित नहीं किए गए थे।

(ii) कुरुक्षेत्र जिले में 353 ग्रामों तथा अम्बाला जिले में 384 ग्रामों के विरुद्ध क्रमशः 252 तथा 232 उचित मूल्य की दुकानें थीं। अतः, इन ग्रामों में 101 तथा 152 उचित मूल्य की दुकानों की कमी थी।

(iii) ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामों से उचित मूल्य की दुकानों की औसतन दूरी 0.57 किलोमीटर है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अन्तर अल्पमात्र था।

### 7.2.11 तुलाई तथा गुणवत्ता

निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति हरियाणा ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दिए थे (नवम्बर 1998) कि उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन एक जिला स्तरीय समिति, अन्य बातों के साथ साथ, राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार गेहूँ के आटे की गुणवत्ता, पैकिंग, उठाने तथा वितरण को देखेगी।



6 जिलों\* के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:

(i) उपभोक्ताओं को दिए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समिति ने आटे तथा उचित मूल्य की दुकानों की अन्य मदों का कोई भी नमूना नहीं लिया था।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी, मार्च तथा मई 1999 में 34 उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया जिसने निम्नलिखित प्रकट किया:

- 13 उचित मूल्य की दुकानों को चीनी तोले बिना दी गई थी,
- 8 उचित मूल्य की दुकानों ने प्रति थैला 400 ग्राम से 2 कि.ग्रा. तक कम चीनी प्राप्त की थी, तथा
- 2 उचित मूल्य की दुकानों को घटिया गुणवत्ता वाली/अव मानक चीनी मिली थी।

(iii) फरीदाबाद जिले के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि अप्रैल 1997 में हथीन परिमण्डल में उचित मूल्य की दुकानों को आपूरित 490 क्विंटल गेहूँ के आटे में से, 223 क्विंटल गेहूँ का आटा खराब हालत में होने के कारण वापिस प्राप्त हुआ था। इसमें से, 51 क्विंटल गेहूँ का आटा उपभोक्ताओं को मई 1997 में जारी किया गया था तथा शेष अवमानक आटे का खुले बाजार में निपटान करने के लिए कान्फैड के प्रबन्ध निदेशक से अनुमोदन माँगा गया था (मई 1997)। अनुवर्ती प्रगतियां अभिलिखित नहीं थी।

(iv) ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. सर्वेक्षण के अनुसार, उचित मूल्य की दुकानों के विभिन्न क्रियात्मक पहलुओं से अधिकतर उपभोक्ता अप्रसन्न थे। राशन की दुकाने अनियमिततः तथा विरले ही खोली गई थी। गेहूँ, चावल तथा खाने के तेलों के स्टॉक विरले ही उपलब्ध थे। राशन की दुकानों पर वस्तुओं का तोलन भी एक समस्या थी यद्यपि यह कम महत्व का था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपलब्ध चीनी एवं मिट्टी के तेल की गुणवत्ता बेहतर समझी जाती थी। तथापि, चावल, गेहूँ एवं चीनी प्रायः औसतन से घटिया गुणवत्ता की दिखती थी।

#### 7.2.12 गुप्तघर, प्रवर्तन तथा मानव-शक्ति प्रशिक्षण से सम्बन्धित स्कीम

स्कीम, सा.वि.प्र. से जुड़े क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए मूल्यांकन, अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मानव-शक्ति प्रशिक्षण हेतु अभिप्रेत है। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों पर, सा.वि.प्र. के साथ जुड़े अपने स्टॉफ हेतु राज्य सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए (दिसम्बर 1990)। भारत सरकार ऐसे प्रशिक्षणों के लिए शत प्रतिशत निधियां प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग ने अप्रैल 1992 से मार्च 1999 के दौरान 10 पाठ्यक्रम आयोजित किए तथा 450 कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित 15 पाठ्यक्रमों के विरुद्ध 1.96 लाख रूपए की लागत पर 278 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव विभाग द्वारा आँका नहीं गया था।

\* अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला तथा सोनीपत।

उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए वर्ष 1992-93 से 1998-99 के दौरान सा.वि.प्र. के विभिन्न पहलुओं पर कोई गोष्ठी, कार्यशाला तथा अनुसंधान अध्ययन नहीं किया गया था।

ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. सर्वेक्षण ने पाया की सभी लाभग्राहियों में से केवल एक प्रतिशत ने सम्बन्धित व्यक्तियों जैसे राशन मुख्य अधिकारी/जिला राशन अधिकारी, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक तथा मुखिया/पंचायत को शिकायत की।

### 7.2.13 मॉनिटरिंग तथा निरीक्षण

सा.वि.प्र. के कार्यान्वयन में प्रगति पर निगरानी रखने के लिए उचित मूल्य की दुकानों, खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर सतर्कता समितियां स्थापित करने का स्कीम में प्रावधान था। राज्य सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु मई 1992 से खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री की अध्यक्षता के अधीन एक राज्य खाद्य परामर्शदात्री समिति गठित की। तथापि, कोई जिला/उप-मण्डल स्तरीय समिति गठित नहीं की गई थी (जुलाई 1999)।

ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. सर्वेक्षण ने बताया कि इस पहलू में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता की बहुत कमी थी। यद्यपि कुछेक ने अपनी शिकायतें जिला राशन अधिकारियों अथवा पंचायत के पास दर्ज करवाई थी, प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

1992 में, राज्य सरकार ने सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, खाद्य मदों के वितरण पर निगरानी रखने के लिए शहरी एवं ग्रामीण सतर्कता समितियां भी गठित की थी। उचित मूल्य की दुकानों ने समिति के सदस्यों से बिक्री रजिस्ट्रों में प्रमाण-पत्र लेने थे जिनमें यह इंगित किया जाना था कि वस्तुएं ठीक प्रकार से जारी की गई थी। छः जिलों में 34 उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि समिति सदस्यों द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र बिक्री रजिस्ट्रों में अभिलिखित नहीं पाए गए थे।

### 7.2.14 निष्कर्ष

सा.वि.प्र. की समीक्षा ने प्रकट किया कि राशन कार्डों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या से अधिक थी तथा 1992-93 से 1998-99 के दौरान अधिक इकाइयां (व्यक्ति) 10.21 लाख (कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत) तथा 32.60 लाख (कुल जनसंख्या का 19 प्रतिशत) के बीच श्रृंखलित थी, ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत अभिज्ञप्त गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों की संख्या विश्वसनीय नहीं थी। लेखापरीक्षा में 16,876 सर्वेक्षण फार्मों की नमूना-जाँच ने राज्य सरकार द्वारा यथा अभिज्ञप्त गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर लेखापरीक्षा में यथा अभिज्ञप्त संख्या में भिन्नता प्रकट की। आवश्यक पण्य पदार्थों के वितरण हेतु नेटवर्क में कमियां थी क्योंकि 1992-99 के दौरान उचित मूल्य की एक दुकान ने औसतन 1.36 से 1.49 ग्राम आवृत किए जबकि आवश्यकता के अनुसार एक उचित मूल्य की दुकान ने एक ग्राम आवृत करना था।

ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. द्वारा लाभग्राह्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट ने प्रकट किया कि सभी आवश्यक पण्य-पदार्थों (चावल तथा मिट्टी के तेल के सिवाय) के लिए खाद्यान्न उपभोक्ता माँगें प्राथमिकतः खुले बाजार के माध्यम से पूरी की गई थी। बहुधा उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकान के विभिन्न क्रियात्मक पहलुओं के विषय में अप्रसन्न थे क्योंकि ये अनियमिततः तथा कभी-कभार खुलती थी, चावल, गेहू तथा खाद्य तेल के स्टॉक मुश्किल से उपलब्ध होते थे तथा राशन की दुकानों पर पण्य-पदार्थों को तोलने की भी समस्या थी। उपभोक्ताओं ने चावल, गेहू तथा चीनी की गुणवत्ता को मध्यम से घटिया दर्जे की बताई थी। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई प्रभावशाली तन्त्र नहीं था क्योंकि उनमें इस बात की जागरूकता की कमी थी कि शिकायत किसको की जाए। सर्वेक्षण रिपोर्ट ने उपलब्धता के आधारभूत क्षेत्र तथा आवश्यक पण्य-पदार्थों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आवश्यकता हेतु परामर्श दिया था।

मामला सरकार को अगस्त 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।



## सातवां अध्याय

अनुभाग - ख  
लेखापरीक्षा अनुच्छेद



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

## अनुभाग - ख

### लेखापरीक्षा अनुच्छेद

### मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

#### 7.3 निधियों का विपथन तथा हानि

निधियों के अनियमित विपथन तथा सरकार से स्कीम अनुमोदित न करवाने से, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा ने 3.84 लाख रूपए के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 7.02 लाख रूपए की हानि उठाई।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्र.) ने नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अपने स्टॉफ के लिए रिहायसी आवास प्रदान करने के लिए 70.20 लाख रूपए के मूल्य की 2,550 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की (मार्च 1996) तथा 7.02 लाख रूपए जमा करवाने के लिए कहा जो कि भूमि की कुल लागत का 10 प्रतिशत था। विभाग द्वारा आहरित (मार्च 1996), 7.02 लाख रूपए की निधियां उन्नत मुद्रण मशीनों के क्रय के लिए अभिप्रेत "4058 मुद्रण तथा लेखन-सामग्री पर पूंजीगत परिव्यय-103-राजकीय प्रैस-मशीनरी एवं उपस्कर" लेखाशीर्ष के अन्तर्गत विपथित की तथा वित्त विभाग की सहमति के बिना अप्रैल 1996 में ह.श.वि.प्रा. के पास जमा करवाई।

ह.श.वि.प्रा. ने 2,550 वर्ग मीटर भूमि के आबंटन हेतु औपचारिक आशय-पत्र जारी किया (जुलाई 1996) तथा 10.53 लाख रूपए और जमा करवाने के लिए कहा ताकि यह भूमि की कुल लागत का 25 प्रतिशत बन जाए। निधियों की अनुपलब्धता के कारण, विभाग शेष 15 प्रतिशत राशि जमा करवाने में असफल रहा। इस लिए, ह.श.वि.प्रा. ने 27 मई 1997 को जारी आशय पत्र की शर्त 3 (ख) (i) के संदर्भ में भूमि का आबंटन रद्द कर दिया तथा 7.02 लाख रूपए जब्त कर लिए (दिसम्बर 1997) तथा अन्ततः ब्याना धन की राशि का प्रत्यर्पण करने से इन्कार कर दिया (अप्रैल 1998)।

छान-बीन ने प्रकट किया (मई 1998) कि विभाग ने बजट में 10.53 लाख रूपए का प्रावधान करने के लिए राजकीय योजना विभाग को निवेदन किया (दिसम्बर 1996) ताकि वे ह.श.वि.प्रा. द्वारा आबंटित भूमि की लागत की 15 प्रतिशत राशि ह.श.वि.प्रा. के पास जमा करवाने में समर्थ हो सके। योजना विभाग ने 1997-98 की वार्षिक योजना में इस उद्देश्य हेतु निधियों का प्रावधान नहीं किया (फरवरी 1997) क्योंकि स्कीम योजना विभाग द्वारा पहले से अनुमोदित नहीं करवाई गई थी। वित्तायुक्त तथा सचिव, हरियाणा सरकार, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग ने भी इस



स्कीम हेतु सरकार की असमर्थता सूचित की (मार्च 1997 तथा जनवरी 1998) तथा ह.श.वि.प्रा. से वसूली करके 7.02 लाख रूपए की राशि सरकारी लेखे में प्रत्यर्पित करने के लिए निर्देशित किया।

इस प्रकार, निधियों का अनियमिततः विपथन करके तदर्थ तरीके से 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने तथा सरकार से स्कीम अनुमोदित कराए बिना तथा शेष राशि की अदायगी हेतु बजट प्रावधान किए बिना विभाग की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अप्रैल 1996 से अगस्त 1999 के दौरान 3.84 लाख रूपए के ब्याज (उधार लेने की दर पर परिकलित) की हानि के अतिरिक्त सरकार को 7.02 लाख रूपए की हानि हुई।

ममाला सरकार को अप्रैल 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

## आपूर्ति एवं निपटान विभाग

### 7.4 वैधता अवधि के पश्चात् निविदाओं के अन्तिमकरण में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

#### 3.98 लाख मीटर एसबैस्टस सीमेंट प्रेशर पाईपस के प्रापण हेतु निविदाओं के अन्तिमकरण में देरी के कारण सरकार को 21.79 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा

प्रमुख अभियन्ता (प्र.अ.) हरियाणा, लो.नि.वि. जन स्वास्थ्य शाखा ने 80 मि.मी. व्यास वाली 3.98 लाख मीटर एसबैस्टस सीमेंट प्रेशर पाईपस (ए.सी.पी.पी.) के क्रय हेतु निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति (नि.खा. एवं आ.) को माँग पत्र प्रेषित किया (अगस्त 1997) जिसमें स्पर्धात्मक मूल्य होने की स्थिति में मैगनानी प्रक्रिया द्वारा निर्मित पाईपों की अपेक्षा माजा प्रक्रिया से निर्मित पाईपों को वरीयता दी गई थी। नि.खा. एवं आ. द्वारा आमन्त्रित (सितम्बर 1997) खुली निविदाओं के विरुद्ध 25 फर्मों की पेशकशें प्राप्त हुई थी जो प्रथम अक्टूबर 1997 को खोली गई थी तथा विभाग की तकनीकी समिति द्वारा उन पेशकशों की 10 अक्टूबर 1997 को जाँच की गई थी। मैगनानी तथा माजा प्रक्रिया से निर्मित पाईपों के लिए क्रमशः फर्म 'क' तथा फर्म 'ख' द्वारा न्यूनतम दरें उद्धृत की गई थी। 'क' तथा 'ख' फर्मों ने स्पष्ट किया था (अक्टूबर 1997) कि भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) ने ए.सी.पी.पी. के निर्माण की कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की थी। दोनों प्रक्रियाएं ए.सी.पी.पी. की भा.मा.ब्यू. विशिष्टताओं को पूरा करने वाली पाई गई थी तथा एक ही आई.एस.आई. मार्क उपयोग कर रही थी।

उच्च सामर्थ्य क्रय समिति (उ.सा.क्र.स.) के साथ बात-चीत के दौरान (नवम्बर 1997) 80 मि.मी. व्यास के आकार की पाईपों हेतु फर्म 'क' ने अपनी दरें कम करके 58 रूपए प्रति मीटर कर दी थी तथा फर्म 'ख' ने 63.48 रूपए प्रति मीटर कर दी थी (यह दावा करते हुए कि माजा प्रक्रिया के साथ वह उत्पादन कैसे तैयार किया गया था)। दरें 31 दिसम्बर 1997 तक वैध थी। उ.सा.क्र.स. ने निर्णय किया कि फर्मों के विषय में निर्णय करने से पूर्व, अधिकारियों का एक दल फर्म



'ख' के परिसर का दौरा यह जाँच करने के लिए करेगा कि क्या ए.सी.पी.पी. माजा प्रक्रिया के साथ निर्मित की जा रही थी। सत्यापन पर, तकनीकी दल ने प्रतिवेदित किया (22 दिसम्बर 1997) कि फर्म 'ख' भी मैगनानी प्रक्रिया द्वारा पाईपों का निर्माण कर रही थी यद्यपि कुछ संशोधनों के साथ। 8 जनवरी 1998 को हुई उ.सा.क्र.स. की बैठक में यह मामला प्रस्तुत किया गया था जिसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका तथा 15 जनवरी 1998 को पुनः उ.सा.क्र.स. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परन्तु उस समय तक फर्म 'क' ने अपनी पेशकश वापिस ले ली थी (14 जनवरी 1998) जो आरम्भ में 31 दिसम्बर 1997 तक वैध थी यद्यपि फिर उसे 6 जनवरी 1998 तक बढ़ा दिया गया था। तदनुसार, उ.सा.क्र.स. को फर्म 'ख' की दरें अनुमोदित करनी पड़ी (जबकि वह भी मैगनानी प्रक्रिया द्वारा ए.सी.पी.पी. का निर्माण कर रही थी) तथा 80 मि.मि. व्यास वाली ए.सी.पी.पी. के लिए फर्म 'क' की दरों से ऊँची दरों पर आपूर्ति आदेश दिया गया था (फरवरी 1998) जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त पाईपों की पूर्ण मात्रा पर 21.79 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

नि.आ. एवं नि. ने बताया (अक्टूबर 1998) कि जन स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी दल जिसने फर्म 'ख' की फ़ैक्ट्री का दौरा किया था, की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् मामला उ.सा.क्र.स. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जा सकता फर्म 'क' ने अचानक अपनी पेशकश वापिस ले ली। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फर्म 'क' ने 6 जनवरी 1998 तक विस्तारित वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही केवल 14 जनवरी 1998 को पेशकश वापिस ली थी, जबकि तकनीकी दल ने अपनी रिपोर्ट 22 दिसम्बर 1997 को प्रस्तुत कर दी थी।

अतः, 3.98 लाख मीटर ए.सी.पी.पी. के प्रापण हेतु उ.सा.क्र.स. द्वारा निविदाओं के अन्तिमकरण में देरी से, सरकार को 21.79 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

मामला सरकार को मार्च 1999 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

रीता मित्रा

(रीता मित्रा)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक : 24 MAR 2000

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू


(विजय कृष्ण शुंगलू)

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 27 MAR 2000





अनुलग्नक

काव्यमाला

## परिशिष्ट - I

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

### सरकार के लेखे

1. ढाँचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

#### भाग - I समेकित निधि

राजस्व, ऋणों तथा ऋणों की वसूलियों से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में की जाती हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अधीन संगठित किया गया है। राज्य के सभी व्यय इस निधि से किए जाते हैं जिसमें से राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त किए बिना कोई भी राशि आहरित नहीं की जा सकती। यह भाग दो मुख्य खण्डों से समायुक्त है जैसे कि राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक कर्ज तथा ऋण इत्यादि)।

#### भाग - II आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अधीन सृजित आकस्मिकता निधि, अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखा जाता है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अनपेक्षित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्ययों के लिए तथा तत्तुल्य राशि समेकित निधि से आकस्मिकता निधि में अन्तरण हेतु राज्य विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है। वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्राधिकृत, इस निधि में 10 करोड़ रूपए की राशि थी।

#### भाग - III लोक लेखा

अल्प बचतों, भविष्य निधियों, डिपोजिट्स, आरक्षित निधियों, उचन्त, प्रेषणों इत्यादि से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं सवितरण जोकि समेकित निधि का एक अंश नहीं होतीं, उन्हे लोक लेखे में लेखांकित किया जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता है।

#### II वार्षिक लेखे के फार्म

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों में तैयार किए जाते हैं अर्थात् वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे।

वित्त लेखे, सरकारी लेखाओं में उचित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय दोनों से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोजन लेखे, राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय तथा तत्तुल्यात्मक बजट अनुदानों में राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशियों को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों के आधिक्य में किसी भी व्यय के लिए विधायिका द्वारा नियमन अपेक्षित हैं।



परिशिष्ट - II

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3 (क); पृष्ठ-32)

अनावश्यक पूरक अनुदान

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल अनुदान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत
(रूपए करोड़ों में)						
	राजस्व (दत्तमत)					
1	3 - गृह	429.89	7.44	437.33	409.73	27.60
2	5 - आबकारी एवं कराधान	42.47	5.72	48.19	38.17	10.02
3	11 - शहरी विकास	51.60	4.58	56.18	42.89	13.29
4	16 - उद्योग	43.87	13.23	57.10	42.39	14.71
	पूंजीगत (प्रभारित)					
5	15 - सिंचाई	3.00	2.00	5.00	2.71	2.29
	कुल	570.83	32.97	603.80	535.89	67.91

परिशिष्ट - III

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.3(ख), पृष्ठ 32)

अत्यधिक पूरक अनुदान / विनियोजन

क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल अनुदान / विनियोजन	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	व्यय
		(रूपए करोड़ों में)				
	राजस्व (दत्तमत)					
1.	1- विधान सभा	5.73	1.52	7.25	6.31	0.94
2.	15- सिंचाई (प्रभारित)	807.84	493.95	1,301.79	1,226.79	75.00
3.	3- गृह	7.89	1.56	9.45	8.98	0.47
	पूँजीगत (दत्तमत)					
4.	2- सामान्य प्रशासन	-	0.79	0.79	0.40	0.39
5.	14- खाद्य एवं आपूर्ति	488.68	10.17	498.85	498.35	0.50
	कुल	1,310.14	507.99	1,818.13	1,740.83	77.30

परिशिष्ट - IV

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4 (क); पृष्ठ 32)

उन विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जिनमें प्रत्येक प्रकरण में व्यय 10 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक तक कम रह गया था तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था।

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	वृद्ध/लघु लेखा शीर्ष इत्यादि	कुल प्रावधान	व्यय (प्रतिशत)
(रूपए करोड़ों में)				
1.	2- सामान्य प्रशासन	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 102- जिला आयोजना मशीनरी	55.50	41.50 (75)
2.	4- राजस्व	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05- आपदा राहत निधि 101- आरक्षित निधि तथा डिपोजिट लेखा आपदा राहत निधि को अन्तरण	46.12	18.33 (40)
3.	6- वित्त	2049 ब्याज अदायगियां 04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज 101- राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीम हेतु ऋणों पर ब्याज-खण्ड ऋण	182.69	19.39 (11)
4.	7- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2075- विविध सामान्य सेवाएं 103- राज्य लॉटरियां एजेंटों को पुरस्कार राशि इत्यादि की अदायगी करने में व्यय	716.27	143.20 (20)
5.	8- भवन एवं सड़कें	3054- पुल एवं सड़कें 03- राज्य राज मार्ग 337- सड़क कार्य	74.60	36.08 (48)
6.		04- जिला एवं अन्य सड़कें ग्रामीण सड़कें	63.75	32.24 (51)
7.		2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निर्देशन एवं प्रशासन iv- निष्पादन	108.02	14.25 (13)
8.		5054- पुलों एवं सड़कों पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 337- सड़क कार्य	51.90	45.47 (88)
9.	9- शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 03- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा 104- गैर सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थानों को सहायता, गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	67.64	28.91 (43)
10.		103- सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थान	68.20	27.14 (40)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	वृहद/लघु लेखा शीर्ष इत्यादि	कुल प्रावधान	बचत (प्रतिशत)
(रूप में करोड़ों में)				
11.		102 - विश्वविद्यालयों को सहायता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सहायता	22.64	12.70 (56)
12.		02 - सैकेण्डरी शिक्षा  110 - गैर- सरकारी सैकेण्डरी विद्यालयों को सहायता (i) विद्यालयों (सहायित) को अनुरक्षण अनुदान	21.12	10.85 (51)
13.	10- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2215 - जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01 - जलापूर्ति		
14.		101 - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम शहरी जलापूर्ति एवं मलनिर्यास का अनुरक्षण	60.06	40.74 (68)
15.		102 - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम पहाड़ी/रेतीले क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति का अनुरक्षण अनुरक्षण प्रभार	53.30	21.66 (41)
16.		001 - निर्देशन एवं प्रशासन कार्यकारी अभियन्ता तथा उनकी स्थापना शाखा नियमित/स्थायी यान्त्रिकी स्टाफ	105.25	14.93 (14)
17.		4215 - जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02 - स्वच्छता एवं मलनिर्यास 101 - शहरी स्वच्छता सेवाएं मलनिर्यास प्रतिपादन	75.00	48.50 (65)
18.	15 - सिंचाई	2701 - वृहद एवं मध्यम सिंचाई 01 - वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 001 - निर्देशन एवं प्रशासन ख - बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कार्यकारी अभियन्ता	24.87	21.94 (88)
19.		विशेष राजस्व स्टाफ	15.47	14.88 (96)
20.		02 - वृहद सिंचाई गैर - वाणिज्यिक 001 - निर्देशन एवं प्रशासन निष्पादन	20.65	18.02 (87)
21.		4701 - वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01 - वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 207 - मेवात लिफ्ट सिंचाई स्कीम	60.00	60.00 (100)
22.		225 - चालू चैनलों का पुनर्वास	77.30	52.09 (67)
23.		227 - हथनी कुण्ड बैराज का निर्माण	64.87	13.83 (21)
		228 - आंकड़ा संग्रहण आयोजना परिरूपण तथा प्रशासन इत्यादि जैसों का संस्थानीय सुदृढीकरण	20.31	20.31 (100)



क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	वृहद/लघु लेखा शीर्ष इत्यादि	कुल प्रावधान	बचत (प्रतिशत)
			(रूपए करोड़ों में)	
24.		4702 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800 - अन्य व्यय हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम मर्यादित को परिदान	61.75	26.10 (42)
25.	17- कृषि	2415 - कृषि अन्वेषण एवं शिक्षा 01 - फसल पालन 277 - शिक्षा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	79.59	34.97 (44)
26	21- सामुदायिक विकास	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 101 - पंचायती राज (v) दसवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर पंचायती राज संस्थान को सहायता अनुदान	36.16	36.16 (100)
27.		3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थान को दी गई क्षतिपूर्ति एवं आबटन	12.00	12.00 (100)
28.	लोक कर्ज	6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक कर्ज 107 - भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों हेतु ऋण	330.00	201.30 (61)
29.		6004 - केन्द्रीय सरकार हेतु ऋण एवं अग्रिम 02 - राज्य/संघ शासित क्षेत्र की योजनागत स्कीम हेतु ऋण	63.21	14.89 (24)
30	25-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801- बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण 202 - ताप बिजली उत्पादन (1) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को ऋण (ii) बिजली संयंत्रों हेतु ऋण	180.00	180.00 (100)
31		800 - बिजली बोर्ड को अन्य ऋण हरा.बि.बो. को बाजारी ऋण	30.00	17.50 (58)
32.		6851 - गांव एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण 102 - लघु पैमाना उद्योग आस्थगित बिक्री कर के बदले में ब्याज मुक्त ऋण के अनुदान	75.00	15.72 (21)

**परिशिष्ट V**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4(ख); पृष्ठ 32 )

उन विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ व्यय अनुमोदित प्रावधान से 25 लाख रूपए अथवा इससे अधिक बढ़ गया था तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था।

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	आधिक्य की राशि प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठकों में (रूपए करोड़ों में)
1	6 - वित्त	2071-पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्त लाभ 01- सिविल 102- पेंशन का परिवर्तित मूल्य	30.48 (76)
2		111- विधायकों को पेंशन (ii) विधायक	0.25 (127)
3		2049- ब्याज अदायगियां 103- केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीम हेतु ऋण पर ब्याज कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.68 (388)
4	8 - भवन एवं सड़के	2059- लोक निर्माण कार्य 799- उचंत	9.12 (1824)
5		4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110- चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरी भवन	1.54 (39)
6	10- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01- जलापूर्ति 799- उचंत	9.16 (1832)
7		001- निर्देशन एवं प्रशासन कार्यकारी अभियन्ता एवं उनकी स्थापना शाखा	3.29 (13)
8		2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 06- जन स्वास्थ्य 101- बिमारियों का बचाव एवं नियन्त्रण राम.उ.का. (ग्रामीण) 50% स्कीम	0.64 (12)
9		4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 102- ग्रामीण जलापूर्ति त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति	2.91 (18)
10	15- सिंचाई	2701- वृहद एवं मध्यम सिंचाई 01- वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 106- सिवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना अनुरक्षण कार्य	1.45 (193)

क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	आधिक्य की राशि प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठकों में (रूपए करोड़ों में)
11		108 - जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना अनुरक्षण कार्य	0.92 (71)
12		4701 - वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 - वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 215 - चैनल की लाइनिंग इत्यादि	3.32 (75)
13		108 - जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई	0.86 (16)
14		104 - लोहारू नहर परियोजना	0.48 (77)
15	लोक कर्ज	6003 - राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज 110 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	659.03 (165)
16		108 - राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	2.49 (51)
17	25 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	7610 - सरकारी कर्मचारी इत्यादि को ऋण 800 - अन्य अग्रिम (i) खाद्यान्नो के क्रय हेतु ऋण	2.00 (12)
18		(ii) - त्यौहार अग्रिम	0.28 (14)

**परिशिष्ट - VI**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 32)  
सतत बचते

क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन की संख्या तथा नाम	कुल प्रावधान / बचत की राशि के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता		
		(रूपए करोड़ों में )		
		1996-97	1997-98	1998-99
	<b>राजस्व (दत्तमत)</b>			
1.	21- सामुदायिक विकास	29 (24.79)	31 (29.18)	53 (68.41)
	प्रभारित			
2.	7- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	67 (0.15)	32 (0.07)	69 (0.24)
3.	10- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	21 (0.01)	65 (0.04)	79 (0.04)
4.	17- कृषि	100 (0.12)	100 (0.12)	100 (0.12)
	<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>			
5.	8- भवन एवं सड़कें	26 (19.40)	67 (118.42)	55 (104.14)
6.	15- सिंचाई	20 (50.72)	10 (30.22)	13 (95.92)
	प्रभारित			
7.	10- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	100 (0.10)	100 (0.10)	100 (0.10)



परिशिष्ट - VII

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 33)

अभ्यर्पित न की गई 1 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक की बचत के विवरण

क्रम संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	बचत	अभ्यर्पित	अभ्यर्पित न की गई बचत
		(रूपए करोड़ों में)		
	राजस्व (दत्तमत)			
1.	9- शिक्षा	157.49	139.06	18.43
2.	10- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	129.17	105.92	23.25
3.	13- समाज कल्याण तथा पुनर्वास	25.41	23.15	2.26
4.	15- सिंचाई	75.00	67.11	7.89
5.	17- कृषि	77.81	76.53	1.28
6.	21- सामुदायिक विकास	68.41	66.96	1.45
7.	22- सहकारिता	6.79	4.46	2.33
	राजस्व (प्रभारित)			
8.	6- वित्त	29.10	--	29.10
	पूंजीगत (दत्तमत)			
9.	8- भवन एवं सड़कें	104.14	91.98	12.16
10.	25- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	129.53	127.06	2.47
	कुल	802.85	702.23	100.62

**परिशिष्ट VIII**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 33)

अनुदानों/विनियोजन में वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण के विवरण

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित निधि
			(रूपए करोड़ों में)	
	राजस्व (दत्तमत)			
1.	2 - सामान्य प्रशासन	49.21	49.76	0.55
2.	3 - गृह	27.60	28.89	1.29
3.	4 - राजस्व	12.30	13.10	0.80
4.	8 - भवन एवं सड़कें	89.63	99.13	9.50
	पूँजीगत (दत्तमत)			
5.	10 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	57.66	62.71	5.05
6.	15 - सिंचाई	95.92	202.49	106.57
	पूँजीगत (प्रभारित)			
7.	15 - सिंचाई	2.29	2.86	0.57
	<b>कुल</b>	<b>334.61</b>	<b>458.94</b>	<b>124.33</b>

परिशिष्ट IX  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 33)

वह प्रकरण जिनमें निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुआ अथवा परिणामस्वरूप बचतें हुईं।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष एवं लघु लेखा शीर्ष	प्राप्तधाम मू: मूल पु: पूरक पु: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(रुपए करोड़ों में)					
1.	4 - राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत 800 - अन्य व्यय	(मू) 3.60 (पु) (-) 3.47 0.13	1.42	(+) 1.29
2.		282 - जन स्वास्थ्य जल निकास परिचालन	(मू) 1.70 (पु) 1.68 3.38	2.61	(-) 0.77
3.		105 - पशु देखभाल	(मू) 0.20 (पु) 0.80 1.00	0.69	(-) 0.31
4.		2029 - भू राजस्व 800 - अन्य व्यय नए पटवार खाने का निर्माण	(मू) 0.30 (पु) (-) 0.07 0.23	0.67	(+) 0.44
5.	6 - वित्त	2049 - ब्याज भुगतान 200 - अन्य आन्तरिक कर्ज पर ब्याज नबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से ऋण	(मू) 14.99 (पु) (-) 7.35 7.64	9.51	(+) 1.87
6.		भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	(मू) 25.00 (पु) (-) 7.34 17.66	27.65	(+) 9.99
7.		जी.आई.सी. से ऋण	(मू) 7.67 (पु) (-) 2.91 4.76	8.05	(+) 3.29
8.	8 - भवन एवं सड़कें	3054 - पुल एवं सड़कें 04 - जिला एवं अन्य सड़कें 337 - सड़क कार्य जिला सड़कें	(मू) 9.14 (पु) (-) 1.11 8.03	11.09	(+) 3.06
9.		4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन 051 - निर्माण न्याय का प्रशासन	(मू) 17.60 (पु) (-) 12.50 5.10	8.43	(+) 3.33

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष एवं लघु लेखा शीर्ष	प्रावधान मु: मूल पु: पूरक पु: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) व्यय (-)
(रुपए करोड़ों में)					
10.		5054 - सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला एवं अन्य सड़कें 337 - सड़क कार्य (ii) ग्रामीण सड़कें	(मु.) 20.00 (पु.) (-) 11.80 8.20	11.62	(+) 3.42
11.		4059 - लोक निर्माण कार्यो हेतु पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन 051 - कारागार निर्माण	(मु.) 1.23 (पु.) 3.30 4.53	1.46	(-) 3.07
12.		4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800 - अन्य व्यय (8) प्रशिक्षण - भवन	(मु.) 1.50 (पु.) (-) 0.25 1.25	1.67	(+) 0.42
13.	9 - शिक्षा	2202 - सामान्य शिक्षा 02 - सैकेण्डरी शिक्षा निर्देशन एवं प्रशासन प्रशासनिक स्टाफ	(मु.) 14.31 (पु.) 0.10 14.41	11.41	(-) 3.00
14.		2204 - युवा एवं खेलकूद सेवाएं 102 - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेना छात्र दल पर व्यय	(मु.) 4.07 (पु.) 0.28 4.35	3.17	(-) 1.18
15.		2202 - सामान्य शिक्षा 01 - प्रारम्भिक शिक्षा 101 - सरकारी प्राथमिक स्कूल (क) कक्षा I से V तक	(मु.) 202.54 (पु.) 5.93 208.47	205.78	(-) 2.69
16.		2203 - तकनीकी शिक्षा 105 - बहु तकनीकी विद्यमान बहुतकनिकियों का आधुनिकीकरण	(मु.) 2.44 (पु.) (-) 0.30 2.14	2.47	(+) 0.33



क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष एवं लघु लेखा शीर्ष	प्रावधान मु: मूल पु: पूरक पु: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) संचत (-)
(रुपर करोड़ों में)					
17.	10 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2215 - स्वच्छता एवं जलापूर्ति 01 - जलापूर्ति 102 - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 001 - निर्देशन एवं प्रशासन अधीक्षक अभियन्ता एवं उनकी स्थापना शारवा	(मु.) 4.10 (पु.) 0.20 4.30	3.72	(-)0.58
18.		2211 - परिवार कल्याण 103 - प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य (iii) विश्वव्यापी कार्यक्रम	(मु.) 2.15 (पु.) (-) 0.95 1.20	8.04	(+)6.84
19.		2215 - जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01 - जलापूर्ति 001 - निर्देशन एवं प्रशासन नियमित यान्त्रिकी स्टॉफ	(मु.) 3.44 (पु.) 0.92 4.36	3.04	(-) 1.32
20.		4215 - जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01 - जलापूर्ति 102 - ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरीसिस का प्रस्तुतिकरण नियन्त्रण	(मु.) 4.40 (पु.) (-) 1.90 2.50	2.83	(+)0.33
21.		02 - मलनिर्यास एवं स्वच्छता 102 - ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं ग्रामीण मल निकास / मल - जल निर्यास	(मु.) 4.10 (पु.) (-) 3.60 0.50	1.50	(+) 1.00
22.	11 - शहरी विकास	2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 001 - निर्देशन एवं प्रशासन (क) नगर एवं ग्राम आयोजना (i) मुख्यालय स्टॉफ	(मु.) 1.05 (पु.) (-) 0.20 0.85	1.71	(+) 0.86
23.		(ख) शहरी सम्पदा स्थापना भूमिअधिग्रहण एवं विकास स्कीम (i) मुख्यालय स्टॉफ	(मु.) 0.23 (पु.) 0.04 0.19	0.72	(+) 0.53

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मूल्य लेखा शीर्ष एवं लघु लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल पु: प्ररक पु: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) अधिक्य (-)
(रूप में करोड़ों में)					
24.	13 - समाज कल्याण एवं पुनर्वास	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 - शिक्षा (ख) छात्रवृत्तियां देना 9वीं से 11 वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस की वापिसी (स्कूल चरण)	(मू) 1.54 (पु) 1.59 3.13	2.82	(-) 0.31
25.	15 - सिंचाई	2701 - वृहद एवं मध्यम सिंचाई 01 - वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 001 - निर्देशन एवं प्रशासन क - सिंचाई निरीक्षण	(मू) 19.02 (पु) (-) 4.79 14.23	15.31	(+) 1.08
26.		190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता भास्वडा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड को अग्रिम	(मू) 5.80 (पु) (-) 2.70 3.10	4.35	(+) 1.25
27.		104 - लोहारू नहर परियोजना ऊर्जा प्रभार	(मू) 8.50 (पु) (-) 5.48 3.02	6.63	(+) 3.61
28.		2701 - वृहद एवं मध्यम सिंचाई 01 - वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 001 - निर्देशन एवं प्रशासन निष्पादन	(मू) 103.14 (पु) (-) 2.12 101.02	128.02	(+) 27.00
29.		विशेष राजस्व स्टॉफ	(मू) 23.12 (पु) (-) 2.00 21.12	28.56	(+) 7.44
30.		चिकित्सा	(मू) 0.39 (पु) (-) 0.14 0.25	0.71	(+) 0.46
31.		115 - नहरों एवं रजबाहों का अनुरक्षण बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं अनुरक्षण कार्य	(मू) 1.49 (पु) (-) 0.90 0.59	4.57	(+) 3.98

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष एवं तन्धु लेखा शीर्ष	प्रावधान म: मूल पु: पूरक पु: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) अचत (-)
(रुपए करोड़ों में)					
32.		4701- वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01- वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 113- नहर प्रणाली का नवीनकरण तथा लाईनिंग	(म.) 39.00 (पु.) (-) 26.00 13.00	36.79	(+) 23.79
33.		209- पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार	(म.) 47.00 (पु.) (-) 10.01 36.99	78.60	(+) 41.61
34.		800- अन्य व्यय न्यायालय आदेश के अन्तर्गत वृद्धित क्षतिपूर्ति की अदायगी	(म.) 3.00 (पु.) 2.00 (पु.) (-) 2.86 2.14	2.71	(+) 0.57
35.	लोक कर्ज	6003- राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज 105- कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण नबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से ऋण	(म.) 5.49 (पु.) (-) 3.05 2.44	9.41	(+) 6.97
36.	25- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	7610- सरकारी कर्मचारी इत्यादि को ऋण 201- आवास निर्माण अग्रिम	(म.) 10.60 (पु.) 2.83 13.43	10.81	(-) 2.62

पारिशिष्ट X

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9(ख); पृष्ठ 33)

उन प्रकरणों की विवरणी जहाँ निधियों के किसी प्रावधान के बिना व्यय किया गया

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखाशीर्ष	व्यय (रुपए करोड़ों में)
1.	6- वित्त	2049- ब्याज अदायगिया 04- केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज 102- केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	3.30
2.	8- भवन एवं सड़कें	3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य सी आर एफ रिजर्व	1.07
3.		5054- सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य (ii) ग्रामीण सड़कें (i) जिला सड़कें	0.38 0.15
4.	15- सिंचाई	2701- वृहद एवं माध्यम सिंचाई ख- बहुउद्देशीय नदी परियोजना मुख्य अभियन्ता	0.28
5.		02- मुख्य सिंचाई अ- वाणिज्यिक 101- निकास एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुरक्षण	1.65
6.		001- निर्देशन एवं प्रशासन विशेष राजस्व स्टॉफ	0.65
7.		4701- वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01- वृहद सिंचाई वाणिज्यिक 204- खोज एवं अन्वेषण परियोजना	52.87
8.		223- नई माइनों का निर्माण	5.31
9.		4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05- संचारण एवं वितरण 201- व्यास संचारण परियोजना	0.24
10.	25- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801- बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण 205- संचारण तथा वितरण	80.21
11.		7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 800- अन्य अग्रिम कम्प्यूटर के क्रय हेतु अग्रिम	0.49
	कुल		146.60



परिशिष्ट XI

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.8; पृष्ठ 41)

उन स्कूलों के विवरण जिनके जमा दो के परीक्षा परिणाम काफी कम रहे

क्रम संख्या	जिला	स्कूल का नाम	जमा दो कक्षा में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या				1994-95 से 1997-98 के दौरान परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या
			1994-95	1995-96	1996-97	1997-98		
विज्ञान ग्रुप								
1.	अम्बाला	जी.एस.एस.एस, वी. सी बाजार अम्बाला छावनी	-	-	1	2	2	शून्य
2.	अम्बाला	जी.एस.एस. एस, मुलाना	-	3	1	-	4	शून्य
3.		जी.एस.एस.एस, बराडा	-	1	5	-	5	शून्य
4.		जी.एस.एस.एस, पुलिस लाइन अम्बाला छावनी	7	5	5	4	21	शून्य
5.	हिसार	जी.एस.एस.एस, गंगवा	-	-	1	-	शून्य	शून्य
6.		जी.एस.एस.एस, कुलेरी	-	-	-	2	2	शून्य
7.		जी.एस.एस.एस, नारनौद	1	-	-	2	3	शून्य
8.		जी.एस.एस.एस, कीरतन	-	-	-	-	-	शून्य
9.		जी.एस.एस.एस, सातरोड़ खास	-	-	-	2	2	शून्य
10.		जी.एस.एस.एस, डन्डेरी	-	-	-	-	-	शून्य
11.		जी.एस.एस.एस, कपरों	-	-	1	-	1	शून्य
12.	जींद	जी.एस.एस.एस, इक्काज	-	-	-	2	2	शून्य
13.	पंचकुला	जी.एस.एस.एस, बरवाला (ख)	3	-	-	-	3	शून्य
14.		जी.एस.एस.एस, पिंजौर	-	-	-	-	-	शून्य
15.		जी.एस.एस.एस, रत्तेवाली	2	-	-	-	2	शून्य
16.		जी.एस.एस.एस, बसोलन	-	-	-	2	2	शून्य
मानविकी ग्रुप								
17.	हिसार	जी.एस.एस.एस, सादलपुर	75	39	21	20	155	7
18.		जी.एस.एस.एस, मोडाखेड़ा	-	38	11	26	75	3
19.	पंचकुला	जी.एस.एस.एस, टिकार हिल्स	-	-	-	3	3	शून्य

\* विद्यालय को 1996-97 में क्रमोन्नत किया गया था तथा 1997-98 में अन्तिम परीक्षा में कुल दो विद्यार्थी ही बैठे थे।

परिशिष्ट XII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2.6(ख); पृष्ठ 51)

डी पी ई ओज/ए डी सीज के पास पड़ें अव्ययित शेष के विवरण

क्रम संख्या	कार्यालयों का नाम	अव्ययित पड़ें राशि (रुपए लाखों में)	अवधि	सहीना	दिन	उद्देश्य जिस हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई थी
i)	डी पी ई ओ, नारनौल	15.20	1 अगस्त 1996 से 18 दिसम्बर 1996	4	18	स्टील प्लेटों का क्रय
ii)	डी पी ई ओ, रेवाड़ी	14.60	1 अगस्त 1996 से 29 अप्रैल 1997	8	29	
iii)	डी पी ई ओ, रोहतक	14.44	1 अगस्त 1996 से 24 अक्तूबर 1996	2	24	
iv)	डी पी ई ओ, भिवानी	23.70	1 अगस्त 1996 से 31 जनवरी 1999	30	00	घी, दाल, इत्यादि जैसे घटकों का क्रय
v)	ए डी सी, हिसार	54.89	1 अगस्त 1996 से 27 अगस्त 1997	12	27	
vi)	डी पी ई ओ, नारनौल	57.51	1 अगस्त 1996 से 27 मार्च 1998	19	27	
vii)	डी पी ई ओ, रेवाड़ी	63.17	1 अगस्त 1996 से 31 जनवरी 1999	30	00	
viii)	डी पी ई ओ, रोहतक	22.73	1 अगस्त 1996 से 21 अगस्त 1997	12	21	
	कुल	266.24				

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4(iii); पृष्ठ 64)

मार्च 1999 तक परियोजना पर अवयव-वार वास्तविक व्यय के विवरण तथा तत्तुलनात्मक पी ए आर में परियोजित अनुमानित लागत

	गतिविधि	पी ए आर में परियोजना लागत	1998-99 तक वास्तविक व्यय	परियोजना लागत के संदर्भ में अधिक व्यय की प्रतिशतता
(रुपए करोड़ों में)				
राज्य हिस्सा	भवन ( अनुरक्षण सहित)	1.76	2.34	33
	कार्यालय व्यय	0.84	2.61	211
	मशीनरी एवं वाहनों का अनुरक्षण	0.11	1.63	1382
	स्टॉफ	6.06	16.46	172
	उपस्कर, कर आदि	0.05	0.16	220
	कुल	8.82	23.20	
ई ई सी हिस्सा	वृक्षारोपण कार्य	37.38	79.82	114
	वाहन एवं मशीनरी	0.46	0.80	74
	उपस्कर	0.38	0.52	37
	भवन	0.22	0.89	305
	प्रशिक्षण एवं प्रचार	0.10	2.42	2320
	शिक्षा वृत्ति, आदि	0.80	-	-
	कुल	39.34	84.45	
	महायोग	48.16	107.65	124

परिशिष्ट - XIV

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4(III)(क)पृष्ठ 84)

म.नि.स्वा.से., हरियाणा द्वारा राज्य निधित स्कीमों के समस्त बजट प्रावधानों का अभ्यर्पण

क्रम संख्या	वृहद/लघु/उप-लेखा प्रीर्ष स्कीम का नाम	1996-97		1997-98		1998-99	
		मूल बजट	समस्त राशि अभ्यर्पित की	मूल बजट	समस्त राशि अभ्यर्पित की	मूल बजट	अभ्यर्पित राशि
(रूपए लाखों में)							
क	01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं						
क क	001- निर्देशन एवं प्रशासन						
1	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षुओं का नियुक्तिकरण - पदों का सृजन	0.60	0.60	शून्य	-	1.00	1.00
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय	1.00	1.00	शून्य	-	-	-
3.	स्वास्थ्य निदेशालय का सुदृढीकरण तथा सुधार	शून्य	-	14.75	14.75	20.00	20.00
4	स्वास्थ्य निदेशालय में आयोजना/संघटन तथा विकास कक्ष/योजना का सुदृढीकरण/निरन्तरता	शून्य	-	4.41	4.41	-	-
5.	स्वास्थ्य निदेशालय में विधि कक्ष की स्थापना	शून्य	-	3.84	3.84	-	-
क रव	109 स्कूल स्वास्थ्य स्कीम						
6	स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	शून्य	-	15.00	15.00	-	-
क ग	110 चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियां						
7	चिकित्सालयों में आपात कालीन सेवाओं की प्रदानगी	-	-	15.00	15.00	15.00	15.00
8	सिविल चिकित्सालयों में फीडर लाइनों की प्रदानगी	6.00	6.00	Nil	-	-	-
9	हरियाणा में रोगी वाहन सेवाएं	-	-	15.00	15.00	15.00	15.00
10	चिकित्सालयों में सघन देखभाल इकाइयां	-	-	15.00	15.00	15.00	15.00
11	चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00
12	हरियाणा भवन नई दिल्ली में डिस्पेन्सरियों का खोलना तथा उनका सुदृढीकरण	-	-	5.00	5.00	8.00	8.00
13	चिकित्सालयों में चिकित्सा अभिलेख इकाइयों की स्थापना	-	-	5.00	5.00	8.00	8.00
14	जापानी सहायता परियोजना	2.00	2.00	-	-	-	-
15	हिसार एवं गुडगांव में मनोवैज्ञानिक सेवाएं मस्तिष्क स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुधार एवं स्थापना	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00
16	चिकित्सा महाविद्यालय रोहतक तथा देश में अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम डी/एम एस उपाधि के दौरान चिकित्सा अधिकारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00
17	15 जिलों में योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत मद्यनिषेध केन्द्रों का विस्तार	-	-	30.00	30.00	20.00	20.00



क्रम संख्या	वृहद/लघु/उप - लेखा शीर्ष स्कीम का नाम	1996-97		1997-98		1998-99	
		मूल बजट	समस्त राशि अभ्यापित की	मूल बजट	समस्त राशि अभ्यापित की	मूल बजट	अभ्यापित राशि
(रूपए लाखों में)							
ख	03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं						
खक	103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र						
18	ज.स्वा.के. के लिए जेनरेटर्स का क्रय	7.50	7.50	8.00	8.00	10.00	10.00
19	ज.स्वा.के. में सूचना सेवाओं का प्रावधान	-	-	6.00	6.00	-	-
20	ग्रामीण क्षेत्र में एम-6 प्रचार-समाचार पत्रों में विज्ञापनों की निर्भूक्ति	-	-	5.00	5.00	20.00	20.00
21	ज.स्वा.के. में प्रयोगशाला सेवाओं का सुदृढीकरण	3.00	3.00	10.00	10.00	-	-
22	उप केन्द्रों का खोलना	-	-	10.00	10.00	20.00	20.00
खख	800 - अन्य व्यय						
23	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों के निर्माण हेतु स्वयं सेवी संगठन	3.00	3.00	-	-	-	-
ग	06 - जन स्वास्थ्य						
गक	101 - रोगों का बचाव एवं नियन्त्रण						
24	नई परिवर्तनता हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को वित्तीय सहायता स्कीम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
गख	102 - खाद्य मिलावट का बचाव						
25	102 - खाद्य मिलावट का बचाव	-	-	15.00	15.00	-	-
घ	80 - सामान्य						
	004 - स्वास्थ्य सार्विकी एवं विकास						
26	जापान सहायता परियोजना	-	-	25.00	25.00	10.00	10.00
27	चिकित्सालयों में दन्त सेवाओं का विस्तार	-	-	-	-	33.00	33.00
28	सार्विकी शाखा हेतु एक कम्प्यूटर प्रणाली के क्रय के लिए राज्य मुख्यालय पर कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना	-	-	-	-	10.00	10.00
29	पी एफ ए अधिनियम के अधीन हिसार तथा गुडगांव में जिला स्तरीय महामारी तर्कसंगत इकाइयों का सृजन	-	-	-	-	15.00	15.00
	महायोग	29.10	29.10	238.00	238.00	251.00	251.00

1996-97 9 स्कीमें 0.29 करोड

1997-98 21 स्कीम 2.38 करोड

1998-99 19 स्कीमें 2.51 करोड

5.18 करोड

परिशिष्ट- XV

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.4 (v)(क); पृष्ठ 85)

मूल बजट प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण बचतें

क्रम संख्या	लेखा शीर्षक / उपलेखाशीर्षक / स्कीम, इत्यादि	वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय	मूल बजट से सम्बन्धित बचतें / अन्तर	बचत की प्रतिशतता	बचत हेतु कारण
			मूल बजट	अन्तिम अनुदान				
(रूप में लाखों में)								
2210 - चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य								
01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
1	103 - केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम - राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम - केन्द्रीय योजना 50 प्रतिशत शेयर आधारित	1996-97 1997-98 1998-99	268.00 250.00 160.00	200.00 180.00 89.72	76.64 63.21 41.02	191.36 186.79 118.98	71 75 74	सरकार द्वारा कम निधियों की संश्लेषण के कारण
2	110 - चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीयां 110 - राज्य में दन्त सेवाओं का विस्तार (योजना)	1996-97 1997-98 1998-99	55.00 30.00 33.00	37.70 11.30 -	29.69 11.40 -	25.31 18.63 33.00	46 62 100	सरकार द्वारा स्कीम की संश्लेषण न करने के कारण
3	110 - चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीयां संदर्भित चिकित्सालय (एम एन पी) राज्य योजना	1997-98 1998-99	250.00 310.00	187.40 245.58	188.55 233.31	61.45 76.69	25 25	योजनाओं की अनादायगी तथा कम राशि संश्लेषण करने के कारण
4	800 - अन्य व्यय - सिविल - सर्जन कार्यालय का सुधार	1996-97 1997-98 1998-99	1.50 10.00 10.00	1.50 2.48 3.35	0.86 1.15 2.26	0.64 8.85 7.74	43 88 77	वेतन निर्धारण के कारणों का भुगतान न करने के कारण
5	06 - जनस्वास्थ्य 101 - रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण शिशुओं के अलावा टीकाकरण (योजनात्मक)	1996-97 1997-98 1998-99	7.63 8.78 15.65	6.56 4.99 7.17	6.47 4.92 6.93	1.16 3.86 8.72	15 44 56	सम
6	राष्ट्रीय गलपेट्ट नियन्त्रण कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	1996-97 1997-98 1998-99	3.88 4.04 4.68	1.66 1.65 2.54	0.88 1.59 2.52	3.00 2.45 2.16	77 61 46	सरकार द्वारा कम निधियों संश्लेषण करने के कारण
7	हिसार, फरीदाबाद, करनाल एवं चिकित्सा महाविद्यालय रोहतक पर जोनल रक्त संचरण केन्द्र जारी रखना केन्द्रीय प्रायोजित	1996-97 1997-98 1998-99	20.10 55.02 64.02	18.10 3.53 2.11	12.72 1.61 1.40	7.38 53.41 62.62	37 97 98	सम
8	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित	1996-97 1997-98 1998-99	15.10 15.28 13.80	15.10 3.72 1.71	0.49 1.26 0.99	14.61 14.02 12.81	97 92 93	सम
9	आंध्र प्रदेश नियन्त्रण संगठन के निदेशालय स्टाफ का सुदृढीकरण (राज्य योजना)	1996-97 1997-98 1998-99	15.00 20.00 30.00	28.45 12.84 10.79	12.96 7.63 9.39	2.04 12.37 20.61	14 62 69	सम

परिशिष्ट XVI

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4 (v)(ख); पृष्ठ 85)

मूल बजट प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण आधिक्य

क्रम संख्या	सेवा शीर्षक / उपलेखाशीर्षक स्कीम / कार्यक्रम	वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय	मूल बजट की राहमें से आधिक्य / अल्पता	आधिक्य / अल्पता की प्रतिशतता	कारण
			मूल बजट	अन्तिम अनुदान				
(रुपए लाखों में)								
2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
1.	001- निर्देशन एवं प्रशासन मुख्यालय स्टॉफ (योजनेतर)	1996-97 1997-98 1998-99	127.06 148.60 275.63	163.83 184.07 264.06	165.30 182.44 260.58	38.24 33.84 शून्य	30 23 शून्य	मुख्यतः वृद्धित सहगर्ह भत्ते के व्यय को आवर्त करने के लिए
	जिला स्टॉफ	1996-97 1997-98 1998-99	153.69 177.49 322.02	00.83 285.25 381.54	200.82 285.24 380.55	47.13 107.75 58.52	31 61 18	
2	110- चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीयां चिकित्सालय (योजनेतर)	1996-97 1997-98 1998-99	1787.01 2255.16 3859.46	2030.59 2646.61 3692.20	2071.54 2664.46 3552.07	284.53 409.30 शून्य	16 18 शून्य	सम
3	110- चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीयां रक्त संचरण केन्द्र (योजनेतर)	1996-97 1997-98 1998-99	36.23 46.48 85.14	42.51 62.44 82.07	42.50 62.48 80.76	6.27 16.00 शून्य	17 34 शून्य	सम
4	110- चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीयां क्षयरोग संनीटोरियां, अन्य चिकित्सालय / क्लीनिकस (योजनेतर)	1996-97 1997-98	165.53 190.76	198.57 217.24	199.55 217.24	34.02 26.48	21 14	सम
5	सामान्य चिकित्सालयों हेतु स्टॉफ का जारी रहना (राज्य योजना)	1996-97 1997-98 1998-99	212.00 60.00 90.00	260.67 61.63 56.09	260.70 67.81 56.08	48.70 7.81 शून्य	23 13 शून्य	सम
6	103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - योजनेतर	1996-97 1997-98 1998-99	1152.02 1445.85 2616.55	1399.16 1741.67 2606.10	1427.95 1740.90 2585.98	275.93 295.05 शून्य	24 20 शून्य	सम
7	110- चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीयां (योजनेतर)	1996-97 1997-98 1998-99	528.02 598.07 1183.04	656.79 705.11 1092.14	656.79 701.45 1075.75	128.77 103.38 शून्य	24 17 शून्य	
8	101- रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण चेचक (योजनेतर)	1996-97 1997-98 1998-99	141.06 152.44 281.53	165.37 196.65 284.49	165.37 195.24 258.09	24.31 42.80 शून्य	17 28 शून्य	

परिशिष्ट XVII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.8; पृष्ठ 91)

52 प्रा.स्वा.के. की सूची जिनमें कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया गया था

क्रम संख्या	प्रा.स्वा.के. का नाम
1.	नूरपुर (अम्बाला)
2.	हिरोडी (भिवानी)
3.	लिलास (भिवानी)
4.	नाखोपुर (भिवानी)
5.	सांधवा (भिवानी)
6.	अलवलपुर (फरीदाबाद)
7.	अमरपुर (फरीदाबाद)
8.	टिप्पा बिलोचपुर (फरीदाबाद)
9.	मोरवा (गुडगांव)
10.	घरेरा (हिसार)
11.	हसनगढ़ (हिसार)
12.	झलनियां (हिसार)
13.	खण्डा खेड़ी (हिसार)
14.	कुलन (हिसार)
15.	कपलन (हिसार)
16.	मिर्चपुर (हिसार)
17.	नेहला (हिसार)
18.	पुठी नंगल खान (हिसार)
19.	पुठी सुमैन (हिसार)
20.	पाबड़ा (हिसार)
21.	उमरा (हिसार)
22.	अमरगढ़ (जींद)
23.	धतरथ (जींद)
24.	गोगरैन (जींद)
25.	धमधान साहिब (जींद)
26.	खडका राम जी (जींद)
27.	राम राय (जींद)
28.	उचाना (जींद)
29.	पोपरान (जींद)
30.	चौरा (पानीपत)
31.	संडी (पानीपत)
32.	सालवान (पानीपत)
33.	साम्बली (करनाल)



क्रम संख्या	प्रा.स्वा.के. का नाम
34.	करोड़ा (कैथल)
35.	पाबला (कैथल)
36.	राजोंद (कैथल)
37.	बुद्धवाल (नारनौल)
38.	धनोड़ा (नारनौल)
39.	बहुझोलरी (रोहतक)
40.	फतेहपुरी (रेवाडी)
41.	गुरूवारा (रेवाडी)
42.	जटोसना (रेवाडी)
43.	बिलाम्बा (रोहतक)
44.	चीरी (रोहतक)
45.	डोकला (रोहतक)
46.	जहाजगढ़ (रोहतक)
47.	मातनहेल (रोहतक)
48.	दुबेटा (सोनीपत)
49.	भटगांव (सोनीपत)
50.	मुंड़ावा (सोनीपत)
51.	माबरा (सोनीपत)
52.	डोबाकलां (सिरसा)

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.17(ii); पृष्ठ 97)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तकनीकी तथा गैर- तकनीकी स्टॉफ का अनुपात

श्रेणी		1996-97				1997-98				1998-99			
		संस्वीकृत पद	%	भरे गए	%	संस्वीकृत पद	%	भरे गए	%	संस्वीकृत पद	%	भरे गए	%
एलोपैथी तथा परिवार कल्याण	तकनीकी	12012	80	10310	81	12253	79	10289	81	12295	80	10235	81
	गैर- तकनीकी	3024	20	2355	19	3170	21	2375	19	3114	20	2378	19
	कुल	15036		12665		15423		12664		15409		12613	

परिशिष्ट XIX

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.17(iii); पृष्ठ 97)

1996-97 से 1998-99 के दौरान डाक्टर रोगी के अनुपात को दर्शाने वाली विवरणी

	वर्ष	वर्ष के दौरान उपचारित रोगियों की संख्या			मार्च 1999 को उपलब्ध डाक्टरों की संख्या	डाक्टर रोगी अनुपात प्रति दिन
		भीतरी	बाह्य	कुल		
एलोपैथी	1996	3,46,322	81,58,890	85,05,212	1797	17
	1997	3,32,879	84,74,867	88,07,746	1888	16
	1998	3,18,054	83,85,740	87,03,794	1797	17

परिशिष्ट XX

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.18(i); पृष्ठ 98)

50 पलंगों वाले सामान्य चिकित्सालयों में अधिक लगाए गए स्टाफ को दर्शाने वाली विवरणी

चिकित्सालय	पद	अवधि	50 बिस्तर चिकित्सालयों के मापदण्ड	कार्यरत पुरुष	अधिक स्टाफ	अधिक स्टाफ को वेतनों पर व्यय	
			संख्या में			(रुपए लाखों में)	
सामान्य चिकित्सालय पलवल (फरीदाबाद)	एस.एम.ओ/एम ओ/दन्त सर्जन	अप्रैल, 1996 से मार्च 1999	6	10	4	5.07	
		अप्रैल, 1997 से मार्च 1998	6	8	2	2.53	
		अप्रैल 1998 से मार्च, 1999	6	7	1	1.27	
	नर्सिंग सिस्टर	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	1	3	2	6.18	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	1	2	1	1.45	
	लिपिक	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	1	2	1	1.45	
सामान्य चिकित्सालय पचकूला	एसएमओ/एम ओ/दन्त सर्जन	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	6	24	18	45.62	
		नर्सिंग सिस्टर	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	1	5	4	8.24
		स्टॉफ नर्स	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	13	21	8	12.67
	फार्मासिस्ट	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	3	10	7	11.09	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	1	5	4	3.86	
	चतुर्थ श्रेणी	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	25	43	18	14.54	
	कुल		70	140	70	113.97	



परिशिष्ट XXI

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.18(ii); पृष्ठ 98 )

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक लगाए गए चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ के विवरण

क्रम संख्या	जिला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सापेक्षता के अनुसार अपेक्षित स्टाफ	संवीकृत पदों की संख्या	31.3.99 को कार्यरत स्टाफ	सापेक्षता के संदर्भ में लगाया गया अधिक स्टाफ	अधिक लगाए गए स्टाफ के वेतन पर ध्यान (रुपए लाखों में)
1.	फरीदाबाद	औरंगाबाद	2	14	11	9	10.91
	सम	हसनपुर	2	4	4	2	2.42
	सम	टप्पा	2	3	3	1	1.21
	सम	गण्डकूला	2	3	3	1	1.21
	सम	नंगलजाट	2	3	3	1	1.21
	सम	उत्तावियस	2	3	3	1	1.21
	सम	मोहाना	2	3	3	1	1.21
	सम	पेहनारा खुर्द	2	3	3	1	1.21
2.	भिवानी	सीरां	2	3	3	1	1.21
	सम	जमातपुर	2	3	3	1	1.21
	सम	सोहरा	2	3	3	1	1.21
	सम	झाप्पर	2	3	3	1	1.21
	सम	हड़ोशे	2	3	3	1	1.21
	सम	देवराता	2	3	3	1	1.21
	सम	सनवार	2	4	4	2	2.42
	सम	रानीला	2	3	3	1	1.21
	सम	अचीना	2	3	3	1	1.21
	सम	मिकलाई	2	3	3	1	1.21
	सम	सुई	2	3	3	1	1.21
	सम	अलाखपुरा	2	3	3	1	1.21
3.	हिसार	मिर्चपुर	2	3	3	1	1.21
	सम	लांधरी	2	3	3	1	1.21
	सम	धनसुई	2	3	3	1	1.21
	सम	चौंदरीवास	2	3	3	1	1.21
	सम	सतरोड कला	2	3	3	1	1.21
	सम	तलावन्डी राखा	2	3	3	1	1.21
	सम	लाडवा	2	3	3	1	1.21
	सम	कुमारिया	2	3	3	1	1.21
	सम	उमरा	2	3	3	1	1.21
	सम	दस्ता	2	3	3	1	1.21
	सम	गुराना	2	3	3	1	1.21
	सम	पुढठी सामन	2	3	3	1	1.21
	सम	बास	2	3	3	1	1.21
	सम	पुढठी भंगलखान	2	3	3	1	1.21
	सम	बैलतपुर	2	3	3	1	1.21
	सम	हसनगढ़	2	3	3	1	1.21
	सम	डोवरा	2	3	3	1	1.21
कुल							56.95

परिशिष्ट XXII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.19; पृष्ठ 99)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके क्रमोन्नत होने पर लगाए गए स्टॉफ के वेतन तथा भत्तों के विवरण जबकि वास्तव में वे जनस्वास्थ्य केन्द्रों के सम स्तर पर कार्य कर रहे थे।

जिला	सा.स्वा.के.	पद का नाम	सा.स्वा.के.के. मापदण्डों के अनुसार वांछित पद	कार्यरत स्टॉफ	ज.स्वा.के.के. मापदण्डों के अनुसार वांछित स्टॉफ	ज.स्वा.के.के. मापदण्डों की अपेक्षा अधिक स्टॉफ	अधिक लगाए गए स्टॉफ के वेतन पर कुल व्यय (रूपए.लाखों में)
फरीदाबाद	हथौन	चिकित्सा अधिकारी	6	5	2	3	0.32
		नर्सिंग सिस्टर	1	1	-	1	0.09
		स्टॉफ नर्स	6	4	1	3	0.20
		चतुर्थ श्रेणी	16	15	2	13	0.44
		कुुराली	चिकित्सा अधिकारी	6	3	2	1
	चतुर्थ श्रेणी	16	7	2	5	0.17	
रोहतक	सापत्वा	चिकित्सा अधिकारी	6	5	2	3	0.32
		नर्सिंग सिस्टर	1	1	-	1	0.09
		स्टॉफ नर्स	6	5	1	4	0.26
		चतुर्थ श्रेणी	16	11	2	9	0.30
अम्बाला	चौड़मस्तपुर	चिकित्सा अधिकारी	6	4	2	2	0.21
		नर्सिंग सिस्टर	1	1	-	1	0.09
		स्टॉफ नर्स	6	6	1	5	0.33
कुल							2.93

एक मास के लिए वेतन = 2.93 लाख रूपए

36 महीनों के लिए कुल वेतन = 1.05 करोड़ रूपए

परिशिष्ट XXIII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.8 (क); पृष्ठ 111)

उन दिनों के वर्षवार विवरण जिस दौरान पौष्टिक आहार वितरित किया गया था

जिले का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
कुरुक्षेत्र	273	236	278	249	246	242	283
सोनीपत	287	281	258	284	261	251	278
फरीदाबाद	275	269	263	266	260	262	255
सिरसा	274	272	272	269	2612	256	249

परिशिष्ट XXIV

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.7; पृष्ठ 119 )

महालेखाकार के परामर्श/बिना परामर्श से परिचालित व्यक्तिगत खाता लेखाओं के विवरणों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	ज़िला /कोषालय का नाम	व्य.खा.ले. की कुल संख्या	महालेखाकार के परामर्श से खोले गए व्य.खा.ले. की संख्या	महालेखाकार के परामर्श के बिना खोले गए व्य.खा.ले. की संख्या
1.	अम्बाला	29	3	26
2.	भिवानी	14	2	12
3.	चण्डीगढ़	7	4	3
4.	दिल्ली	1	-	1
5.	फरीदाबाद	28	3	25
6.	फतेहाबाद	5	2	3
7.	गुडगांव	26	3	23
8.	हिसार	16	2	14
9.	जींद	14	5	9
10.	झज्जर	9	-	9
11.	कैथल	6	5	1
12.	करनाल	8	2	6
13.	कुरुक्षेत्र	12	2	10
14.	नारनौल	7	1	6
15.	पानीपत	5	2	3
16.	पंचकूला	7	2	5
17.	रेवाड़ी	9	2	7
18.	रोहतक	21	3	18
19.	सिरसा	12	5	7
20.	सोनीपत	23	3	20
21.	जगाधरी	10	3	7
	कुल	269	54	215



परिशिष्ट XXV

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.7; पृष्ठ 119 )

उन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के जिनके व्य. खा.ले. की जांच की गई थी।  
नामों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	कोषालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम	31 मार्च 1999 को अन्त शेष (रूपए लाखों में)
1.	हिसार	(i) मुख्यप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, हिसार	32.78
		(ii) पशुमेला अधिकारी, हिसार	29.31
		(iii) केन्द्रीय अधीक्षक राजकीय पशुधन फार्म, हिसार	12.77
		(iv) कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, हिसार	8.66
		(v) जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, हिसार	3.67
		(vi) जिला समाज कल्याण अधिकारी, हिसार	शून्य
2.	कुरुक्षेत्र	(i) पशुमेला अधिकारी, कुरुक्षेत्र	9.90
		(ii) जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, कुरुक्षेत्र	9.20
		(iii) जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र	0.05
		(iv) मुख्यप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, कुरुक्षेत्र	शून्य
3.	सोनीपत	(i) पशुमेला अधिकारी, सोनीपत	38.76
		(ii) जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, सोनीपत	3.27
		(iii) जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत	शून्य
4.	यमुनानगर	(i) जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, यमुनानगर	17.70
		(ii) मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज यमुनानगर	1.41
		(iii) जिला समाज कल्याण अधिकारी (वृद्धावस्था पेंशन), यमुनानगर	शून्य
		(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारी, ( विकलांग पेंशन), यमुनानगर	शून्य
	कुल		167.48

परिशिष्ट XXVI

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.7(i); पृष्ठ 120 )

समेकित निधि से निधिपोषित व्य.खा.ले. की सूची

क्रम संख्या	आवरण एवं संश्लेषण अधिकारियों के नाम	राशि (रुपय लाखों में)
1.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हिसार	0.00
2.	मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, हिसार	32.78
3.	मुख्य अधीक्षक, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार	12.77
4.	कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, हिसार	8.66
5.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र	0.05
6.	मुख्य प्रबन्धक हरियाणा रोडवेज, कुरुक्षेत्र	0.00
7.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत	0.00
8.	मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, यमुनानगर	1.41
9.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, वृद्धावस्था पैशन, यमुनानगर	0.00
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग पैशन, यमुनानगर	0.00

परिशिष्ट XXVII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.7(ii); पृष्ठ 120 )

कोषालय के साथ अन्तरों का मिलान न करना

क्रम संख्या	आहरण एवं सवितरण अधिकारी का नाम	कोषालय शेष	विभागीय शेष	अन्तर
		(रूपए लाखों में)		
1.	मुख्य प्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, हिसार	32.78	6.56	26.22
2.	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, कुरुक्षेत्र	9.20	9.19	1.01
3.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र	0.05	0.00	0.05
4.	पशुमेला अधिकारी, कुरुक्षेत्र करनाल स्थित	9.90	9.12	0.78
5.	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, सोनीपत	3.27	3.03	0.24
6.	रोहतक स्थित पशुमेला अधिकारी, सोनीपत	38.76	34.29	4.47
7.	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, यमुनानगर	17.70	15.19	2.51

परिशिष्ट XXVIII

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.9; पृष्ठ 123)

अन्य राज्यों/पार्टियों को दिए गए अतिरिक्त पुलिस बल के लिए वसूलनीय राशि के विवरणों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	पार्टी/राज्य का नाम जिसे पुलिस बल आपूर्ति किया गया था	मर्यादा	वसूली राशि (रुपए करोड़ों में)	जब बिल उगाहे गए
1.	महानिरीक्षक द्वितीय वाहिनी एच ए पी, मधुबनी			
	बिहार	1.3.1995 से 31.3.1995	0.33	अगस्त 1995
	उत्तर प्रदेश	4.4.1998 से 17.4.1998	0.03	उगाहे नहीं गए बिल
2.	महानिरीक्षक, चतुर्थ वाहिनी एच ए पी मधुबनी			
	पंजाब	24.7.1982 से 19.8.1982	0.08	जुलाई 1996
	आसाम	16.1.1983 से 10.12.1983, 13.12.1985 से 31.12.1985	0.59	जून 1994 एवं अप्रैल 1999
	बिहार	1.3.1995 से 31.3.1995	0.33	अगस्त 1995
	उत्तर प्रदेश	5.4.1998 से 16.4.1998	0.03	उगाहे नहीं गए बिल
3.	पुलिस अधीक्षक, गुडगांव			
	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1.10.1997 से 31.3.1999	0.16	सितम्बर 1998
	कुल		1.55	



परिशिष्ट XXIX

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.16; पृष्ठ 133 )

30 जून 1999 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
1986-87	1	2	1.03
1987-88	1	4	13.53
1988-89	1	1	0.96
1990-91	5	12	35.20
1991-92	1	2	6.55
1992-93	4	10	2.36
1993-94	3	5	1.25
1994-95	4	9	19.14
1995-96	13	32	58.82
1996-97	1	7	72.74
1997-98	3	15	412.57
1998-99	18	90	578.86
कुल	55	189	1,203.01

परिशिष्ट XXX

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.17; पृष्ठ 135)

छानबीन अधीन दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के प्रकरणों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	विभाग	विभागीय सम्बन्धित अन्वेषण प्रकरण				विभागीय सम्बन्धित अपराधिक अभियोजन				महयान	
		1993-94 एवं पूर्ववर्ती वर्ष		1994-95 से 1998-99		1993-94 एवं पूर्ववर्ती वर्ष		1994-95 से 1998-99			
		संख्या	राशि (रुपय लाखों में)	संख्या	राशि (रुपय लाखों में)	संख्या	राशि (रुपय लाखों में)	संख्या	राशि (रुपय लाखों में)	संख्या	राशि (रुपय लाखों में)
1.	कृषि	-	-	1	0.16	-	-	2	0.81	3	0.97
2.	पशुपालन	8	1.59	1	2.91	2	0.20	1	0.02	12	4.72
3.	जिला प्रशासन	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
4.	शिक्षा	22	10.60	2	1.00	5	2.28	5	2.52	34	16.40
5.	मत्स्य पालन	2	0.38	-	-	1	2.29	-	-	3	2.67
6.	खाद्य एवं आपूर्ति	5	5.15	1	1.23	-	-	1	0.02	7	6.40
7.	वन	14	3.90	5	11.23	-	-	3	2.21	22	17.34
8.	उद्योग	-	-	-	-	1	1.44	-	-	1	1.44
9.	खिंचाई	59	12.27	7	0.22	20	3.30	6	0.24	92	16.03
10.	श्रम एवं रोजगार	1	0.22	2	0.54	2	0.17	-	-	5	0.93
11.	व्यक्तित्वा एवं स्वास्थ्य	6	0.96	2	0.01	4	16.12	2	0.26	14	17.35
12.	पंचायत	-	-	-	-	-	-	1	1.28	1	1.28
13.	पुलिस	1	0.72	-	-	-	-	-	-	1	0.72
14.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	-	1	0.10	-	-	-	-	1	0.10
15.	जन स्वास्थ्य	30	5.56	4	0.24	4	1.15	-	-	38	6.95
16.	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	17	5.59	6	1.38	2	0.41	-	-	25	7.38
17.	समाज कल्याण	5	2.92	-	-	-	-	-	-	5	2.92
18.	तकनीकी शिक्षा	-	-	-	-	-	-	1	0.93	1	0.93
19.	शहरी एवं ग्रामीण योजना	1	0.02	-	-	-	-	-	-	1	0.02
20.	परिचहन	14	5.00	3	0.34	5	4.54	2	12.88	24	22.76
21.	कोषालय एवं लेखे	-	-	-	-	-	-	1	12.80	1	12.80
	कुल	186	55.13	35	19.36	46	31.90	25	33.97	292	140.36

परिशिष्ट XXXI

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 142)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन को दर्शाने वाली विवरणी

अवधि जिसके दौरान जारी किए गए	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (रुपए करोड़ों में)
1977-78 से 1988-89	166	218	7.00
1989-90	31	42	2.41
1990-91	29	41	0.59
1991-92	42	53	2.22
1992-93	45	86	9.50
1993-94	62	110	3.77
1994-95	64	109	12.28
1995-96	67	120	14.02
1996-97	74	166	18.54
1997-98	72	209	33.06
1998-99	99	417	71.36
1999-2000 (जून 1999 तक)	11	81	29.95
<b>कुल</b>	<b>762</b>	<b>1,652</b>	<b>204.70</b>

परिशिष्ट XXXII

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.1 (घ), पृष्ठ 154)

उन निकायों एवं प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान एवं ऋण (रूपए लाखों में)
1	नगर पालिका, बहादुरगढ़	1986-87 1993-94 1996-97 1997-98	35.93 34.08 50.00 25.95
2	नगरपालिका, भिवानी	1987-88 1988-89 1989-90 1995-96 1997-98 1998-99	36.40 33.25 36.00 50.00 27.56 72.00
3	नगरपालिका, करनाल	1982-83 1988-89 1992-93 1997-98 1998-99	7.00 32.61 45.50 52.53 482.25
4	नगरपालिका, नारनौल	1988-89 1989-90 1997-98 1998-99	25.30 28.63 36.12 26.25
5	नगरपालिका, रोहतक	1987-88 1988-89 1989-90 1996-97 1997-98	34.00 37.61 32.35 25.08 78.44
6	नगरपालिका, फरीदाबाद	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	39.38 50.00 30.00 669.00
7	नगरपालिका, पलवल	1995-96 1998-99	50.00 30.00
8	नगरपालिका, सोनीपत	1997-98 1998-99	69.93 326.25
9	नगरपालिका, चरखी दादरी	1995-96	33.33
10	नगरपालिका, रेवाड़ी	1996-97 1997-98	50.00 38.82
11	नगरपालिका, जगाधरी	1996-97 1998-99	50.00 26.25
12	नगरपालिका, पानीपत	1996-97 1998-99	65.00 528.00



क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान एवं ऋण (रूपए लाखों में)
13	नगरपालिका, हिसार	1996-97 1997-98 1998-99	50.00 48.31 58.25
14	नगरपालिका, बरवाला	1996-97	33.33
15	नगरपालिका, गुडगांव	1996-97 1997-98 1998-99	31.69 42.78 471.25
16	नगरपालिका, थानेसर	1997-98	31.81
17	नगरपालिका, जीन्द	1997-98 1998-99	37.12 26.25
18	नगरपालिका, हांसी	1997-98 1998-99	46.97 26.25
19	नगरपालिका, अम्बाला शहर	1998-99	70.25
20	नगरपालिका, कुरुक्षेत्र	1998-99	33.75
21	नगरपालिका, कैथल	1998-99	62.25
22	नगरपालिका, यमुनानगर	1998-99	350.00
23	नगरपालिका, भिवानी खेडा	1998-99	32.03
24	नगरपालिका, खरखोदा	1998-99	50.00
25	सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल	1998-99	140.00
26	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जींद	1994-95	25.29
27	हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़	1994-95 1995-96 1997-98 1998-99	26.00 30.00 30.21 28.31
28	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, निलोखेड़ी	1994-95	36.39
29	अरावली विकास संगठन, गुडगांव	1995-96	100.00
30	हरियाणा सिंचाई अन्वेषण एवं प्रबन्धन संस्थान, कुरुक्षेत्र	1998-99	100.00
31	हरियाणा मल निर्यास बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
32	राज्य सैनिक मौखिक प्रशिक्षण केन्द्र, पंचकूला	1998-99	46.25
33	समन्वित महिला रोजगार एवं विकास परियोजना, हरियाणा, चण्डीगढ़	1996-97 1997-98 1998-99	330.03 152.00 86.50
<b>गैर सरकारी सहायतित महाविद्यालय</b>			
34	एम डी एस डी कन्या महाविद्यालय, अम्बाला शहर	1996-97 1997-98 1998-99	26.30 29.90 26.45
35	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	1998-99	109.30
36	गुरूनानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	1996-97 1997-98 1998-99	57.45 72.50 61.15
37	एम पी कन्या महाविद्यालय, डबवाली (सिरसा)	1996-97	26.80



क्रम संख्या	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लिये प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान एवं ऋण (रूपए लाखों में)
38	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	1996-97 1997-98 1998-99	74.50 82.52 63.50
39	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	1996-97 1997-98 1998-99	53.05 54.80 60.20
40	जे.वी.एम जी.आर.आर महाविद्यालय, चरखीदादरी	1996-97 1997-98 1998-99	62.50 67.30 61.50
41	वाई एम डिग्री महाविद्यालय, नूह	1996-97 1997-98 1998-99	27.60 36.90 28.65
42	निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरियल कॉलेज, सोहना (गुडगांव)	1996-97 1997-98 1998-99	30.60 33.30 27.50
43	जी जी डी एस डी महाविद्यालय, पलवल (फरीदाबाद)	1996-97 1997-98 1998-99	69.80 67.80 74.80
44	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद)	1996-97 1997-98 1998-99	44.10 46.30 43.60
45	डी एन महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	1996-97 1997-98 1998-99	44.10 66.80 41.40
46	सी आर एम जाट महाविद्यालय, हिसार	1996-97 1997-98 1998-99	85.40 98.80 92.25
47	डी एन महाविद्यालय, हिसार	1998-99	121.90
48	एम एम महाविद्यालय, फतेहाबाद	1997-98 1998-99	47.50 32.50
49	सी आर किसान महाविद्यालय, जींद	1996-97 1997-98 1998-99	47.20 55.30 43.10
50	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	1996-97 1997-98 1998-99	32.20 35.20 31.60
51	डी ए वी महाविद्यालय, करनाल	1996-97 1997-98 1998-99	29.20 33.80 37.25
52	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	1998-99	89.90
53	के वी ए डी ए वी महिला महाविद्यालय, करनाल	1996-97 1997-98 1998-99	48.35 59.80 46.35
54	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	1997-98 1998-99	63.10 52.90
55	एस डी महाविद्यालय, पानीपत	1997-98 1998-99	76.00 71.45

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान एवं ऋण (रूपए लाखों में)
56	आई बी महाविद्यालय, पानीपत	1997-98 1998-99	70.10 59.60
57	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	1996-97 1997-98 1998-99	25.40 27.79 25.50
58	आर के एस डी महाविद्यालय, कैथल	1998-99	86.70
59	आई जी महिला महाविद्यालय, कैथल	1997-98 1998-99	32.10 25.10
60	डी ए वी महाविद्यालय, पेहवा (कुरुक्षेत्र)	1996-97 1997-98 1998-99	32.60 31.90 36.70
61	आई जी नैशनल महाविद्यालय, लाडवा	1996-97 1997-98 1998-99	34.40 41.80 39.60
62	बी आर ए जनता महाविद्यालय, कौल (कैथल)	1996-97 1997-98 1998-99	31.30 36.00 29.25
63	विवेकानन्द महाविद्यालय, नगल चौधरी (महेन्द्रगढ़)	1996-97	26.29
64	के एल पी महाविद्यालय, रेवाड़ी	1998-99	86.70
65	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	1998-99	35.00
66	आल इण्डिया जाट हीरो मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	1998-99	109.70
67	जी बी डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	1996-97 1997-98 1998-99	29.90 31.70 31.30
68	श्री एल एन हिन्दु महाविद्यालय, रोहतक	1996-97 1997-98 1998-99	44.70 51.10 48.90
69	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	1998-99	72.20
70	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	1996-97 1997-98 1998-99	32.80 34.50 28.60
71	सी आर ए महाविद्यालय, सोनीपत	1998-99	80.20
72	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	1998-99	127.85
73	हिन्दू महिला महाविद्यालय, सोनीपत	1996-97 1997-98 1998-99	96.10 105.30 97.55
74	गीता विद्यामन्दिर, सोनीपत	1996-97 1997-98 1998-99	46.90 56.10 47.00
75	एस डी महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	1998-99	108.00
76	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	1998-99	30.20
77	एम एल एन महाविद्यालय, यमुनानगर	1998-99	110.90

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान एवं व्यय (रूपए लाखों में)
78	एस जे के महाविद्यालय, कलानौर	1998-99	42.75
79	सी एम के नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	1997-98 1998-99	37.20 35.80
80	बी पी एस एम कन्या महाविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत)	1997-98 1998-99	38.50 34.70
81	डी ए वी महाविद्यालय, अम्बाला शहर	1998-99	85.25
82	एस एल डी ए वी कालेज ऑफ एजुकेशन अम्बाला शहर	1998-99	26.80
83	एस एम लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा	1998-99	25.35
84	डी ए वी कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	1995-96 1996-97 1998-99	31.00 38.80 42.40
85	डी ए वी सैन्टरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	1998-99	25.00
86	एफ सी महिला महाविद्यालय, हिसार	1998-99	32.80
87	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	1998-99	34.20
88	कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर, पुण्डरी (कैथल)	1998-99	26.80
89	आर डी एस पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	1998-99	39.30
90	एम के जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	1998-99	27.90
91	हिन्दु कालेज आफ एजुकेशन, सोनीपत	1998-99	29.25

परिशिष्ट XXXIII

172

(संदर्भ अनुच्छेद 7.2.4; पृष्ठ 171)

1992-93 से 1998-99 के दौरान हरियाणा में सा.वि.प्र./पु.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत गेहूँ, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त परिदान के विवरण

(i) सा.वि.प्र.

(क) गेहूँ

वर्ष	उठाई गई मात्रा	के.नि.मू. दर प्रति एम टी	बिक्री मूल्य की कुल राशि	आर्थिक लागत प्रति एम टी	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि	परिदान का तत्व
	(एम टीज में)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयों में)	(रूपए लाखों में)	
1992-93	28,442	3,300	938.58	5,041.00	1,433.76	495.18
1993-94	15,362	4,020	617.55	5,320.30	817.30	199.75
1994-95	2,848	4,020	114.49	5,511.70	156.97	42.48
1995-96	5,766	4,020	231.79	5,839.50	336.71	104.92
1996-97	51,159	4,020	2056.59	6,401.60	3,274.99	1,218.40
1997-98 (मई 1997) तक	11,290	4,020	453.86	7,863.50	887.79	433.93
						2,494.66

(ख) चावल

वर्ष	उठाई गई मात्रा	के.नि.मू. दर प्रति एम टी	बिक्री की कुल राशि	आर्थिक लागत प्रति एम टी	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि	परिदान का तत्व
	(एम टीज़ में)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयों में)	(रूपए लाखों में)	
1992-93	17,127	5,180	887.18	5,852.70	1,002.39	115.21
1993-94	11,499	6,480	745.13	6,551.00	753.30	8.17
1994-95	2,167	6,480	140.42	6,947.10	150.54	10.12
1995-96	3,437	6,480	222.72	7,628.20	262.18	39.46
1996-97	15,337	6,480	993.84	8,476.90	1,300.10	306.26
1997-98 (मई 1997 तक)	3,180	6,480	206.06	9,393.30	298.71	92.65

गेहूं का के.नि.मू. भारत सरकार द्वारा 11.1.93 तथा 12.1994 से क्रमशः 2800 रूपए से 3300 रूपए तथा 4020 रूपए प्रति एम टी संशोधित कर दिया गया था। चावल का के.नि.मू. 11.1.93 तथा 12.1994 के संदर्भ में क्रमशः 4580 रूपए से 5180 रूपए तथा 5180 रूपए से 6480 रूपए तक प्रति एम टी संशोधित कर दिया गया था। के.नि.मू. (गेहूं तथा चावल) की संशोधित दरें 1992-93 तथा 1993-94 के वर्षों हेतु परिदान परिकल्पित करने के लिए ली गई हैं।



## (ग) चीनी

वर्ष	उठाई गई मात्रा	थोक बिक्री दरें प्रति एम टी	बिक्री की कुल लागत	आर्थिक लागत प्रति एम टी	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि	परिदान का तत्व
	(एम टीज में)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयों में)	(रूपए लाखों में)	
1992-93	82,384	8,137	6,703.58	7,638.80	6,239.15	शून्य
1993-94	83,084	8,807	7,317.21	8,641.20	7,179.45	शून्य
1994-95	78,544	8,769	6,887.52	9,639.20	7,571.01	683.49
1995-96	81,662	8,769	7,160.94	10,514.70	8,586.51	1,425.57
1996-97	87,423	10,219	8,933.75	13,810.10	12,073.20	3,139.45
1997-98	87,537	11,119	9,733.24	12,511.20	10,951.93	1,218.69
1998-99	86,146	11,719	10,095.45	उ.न.	-	
						<b>6,467.20</b>

चीनी की दर 17 फरवरी 1993, 1 फरवरी 1994, 10 फरवरी 1997 तथा 1 अक्टूबर 1997 से क्रमशः 6665 रूपए से 8065 रूपए, 8065 रूपए से 8807 रूपए, 8807 रूपए से 10,219 रूपए तथा 10,219 से 11,119 रूपए प्रति एम टी संशोधित कर दी गई थी। संशोधित दरों को परिदान परिकलित करने के लिए लिया गया है।

## (घ) मिट्टी का तेल

वर्ष	उठाई गई मात्रा (कि.ली.में)	दर प्रति किलो लीटर	बिक्री की कुल राशि (रूपए लाखों में)	आर्थिक लागत प्रति किलो लीटर (रूपयो में)	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि (रूपए लाखों में)	परिदान का तत्त्व
	(एम टीज में)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयो में)	(रूपए लाखों में)	
1992-93	19,4947	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	-
1993-94	19,7721	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	-
1994-95	19,9313	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	-
1995-96	20,4353	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	-
1996-97	20,7201	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	-
1997-98	21,2183	3,140	6,662.55	उ.न.	-	-
1998-99	21,8780	3,080	6,738.42	उ.न.	-	-
						-

(ii) पु.सा.वि.प्र.

(क) गेहूं

वर्ष	उठाई गई मात्रा	के.नि.मू. दर प्रति एम टी	बिक्री की कुल राशि	आर्थिक लागत प्रति एम टी	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि	परिदान का तत्त्व
	(एम टीज)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयों में)	(रूपए लाखों में)	
1992-93	63,354	2,800	1,773.91	5,041.00	3,193.68	1,419.77
1993-94	56,357	3,520	1,983.76	5,320.30	2,998.36	1,014.60
1994-95	27,532	3,520	969.13	5,511.70	1,517.48	548.35
1995-96	46,854	3,520	1,649.26	5,839.50	2,736.04	1,086.78
1996-97	80,828	3,520	2,845.14	6,401.60	5,174.29	2,329.15
1997-98	12,676	3,520	446.19	7,863.50	996.77	550.58
1998-99 (मई 1997 तक)						
						6949.23

## (ख) चावल

वर्ष	उठाई गई मात्रा	के.नि.मू. दर प्रति एम टी	बिक्री की कुल राशि	आर्थिक लागत प्रति एम टी	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि	परिदान का तत्व
	(एम टीज़ में)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयों में)	(रूपए लाखों में)	
1992-93	2,321	4,680	108.62	5,852.70	135.84	27.22
1993-94	4,447	5,980	265.93	6,551.00	291.32	25.39
1994-95	3,861	5,980	230.89	6,947.10	268.23	37.34
1995-96	4,673	5,980	279.45	7,628.20	356.46	77.01
1996-97	6,522	5,980	390.02	8,476.90	552.86	162.84
1997-98 (मई 1997 तक)	990	5,980	59.20	9,393.30	92.99	33.79
						<b>363.59</b>



(iii) ल.सा.वि.प्र.

गेहूं

वर्ष	उठाई गई मात्रा	के.नि.मू. प्रति एम टी	विक्री की कुल राशि	आर्थिक लागत प्रति एम टी	आर्थिक लागत के अनुसार कुल राशि	परिचालन का तत्त्व
	(एम टीका में)	(रूपए)	(रूपए लाखों में)	(रूपयों में)	(रूपए लाखों में)	
1997-98	39,084 (बी.पी.एल)	2,500(बी.पी.एल)	977.10	7,863.50	3,073.37	2,096.27
	35,945 (ए.पी.एल)	4,500(ए.पी.एल)	1,617.52	7,863.50	2,826.53	1,209.01
1998-99	45,523 (बी.पी.एल)	2,500(बी.पी.एल)	1,138.07	7,975.90	3,630.87	2,492.80
	7,172 (ए.पी.एल)	28.1.99 तक 4,500 28.1.99 से 6,500	325.15	7,975.90	572.03	246.88
	22,681 (अतिरिक्त).	4,500	1,020.64	7,975.90	1,809.01	788.37
						6,833.33

ए पी एल गेहूं का संशोधित के.नि.मू. दर 29.1.99 से भारत सरकार द्वारा ए पी एल के सम्बन्ध में 4500 रूपए से 6500 प्रति एम. टी संशोधित कर दी गई थी।

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के भाखानि. का निष्पादन बजट।